वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2011-12

The Bank that begins with U

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए

Handing over Dividend Cheque to Hon'ble Union Finance Minister

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री को श्री एस. एल. बंसल, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, यु बी आई, श्री एस. के. जिंदल, भूतपूर्व निदेशक, यु बी आई एवं श्री विनय गंदोत्रा, उप-महाप्रबंधक एवं मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, यु बी आई, उत्तर भारत क्षेत्र की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लाभांश का चेक प्रदान करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, handing over the dividend cheque for the FY 2010-11to Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister in the presence of Shri S. L. Bansal, the then ED-UBI, Shri S. K. Jindal, the then Director, UBI and Shri V. Gandotra, DGM & CRM, UBI, North India Region.

विषय-सूची CONTENTS

• निदेशक मंडल Board of Directors	2-3
• महाप्रबंधकगण General Managers	4-5
• बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प Brief History & Vision Statement of the Bank	7
• निष्पादन की एक झलक Performance at a glance	8-9
• शेयरधारकों को संदेश Message to the Shareholders	10-14
• सूचना Notice	15-20
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21-35
• प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	36-56
• कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट Corporate Governance Report	57-86
• घोषणा Declaration	87
• सूचीकरण करार के खण्ड 49V के अनुसार प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to Clause 49V of the Listing Agreement	88
• कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	89
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	90-92
• 31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र Balance Sheet as on 31st March 2010	94-95
• अनुसूची 1 - अनुसूची 12 Schedule 1 - Schedule 12	96-107
• 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2012	108-109
• अनुसूची 13 - अनुसूची 18 Schedule 13 - Schedule 18	110-143
• 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2012	144-145
• पीलर-3 के अंतर्गत नयी पूँजी पर्याप्तता ढाँचा प्रकटीकरण New Capital Adequacy Framework Disclosures Under Pillar-3	146-162

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

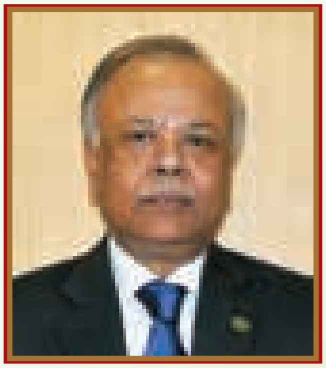

श्री भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

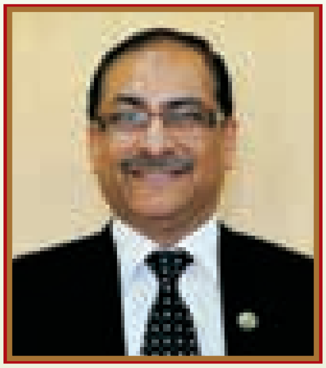

श्री दीपक नारंग
कार्यपालक निदेशक
Shri Deepak Narang
Executive Director

श्री संदीप कुमार
सरकार द्वारा नामजद निदेशक
Shri Sandeep Kumar,
Govt. of India Nominee Director,

श्रीमती सुरेखा मरांडी
भारतीय रिज़र्व बैंक की नामजद निदेशक
Smt. Surekha Marandi
Reserve Bank of India
Nominee Director

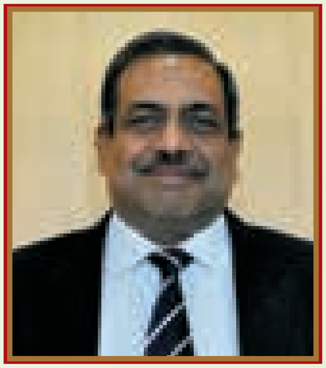

श्री सुनील गोयल
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक
(सनदी लेखाकार वर्ग)
Shri. Sunil Goyal
Part-time Non-official Director under
CA Category

श्री हिरण्य बोरा
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक
Shri Hiranya Bora
Part-time Non-Official Director

श्री श्रेणिक सेठ
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक
Shri Srenik Sett
Part-time Non-Official Director

श्री किरण बी. वादोदरिया,
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक
Shri Kiran B Vadodaria
Part-time Non-official Director

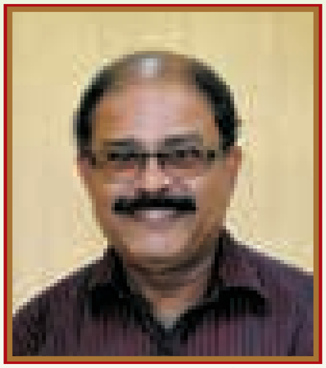

श्री पीयूष कांति घोष
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Shri. Pijush Kanti Ghosh
Officer Employee Director

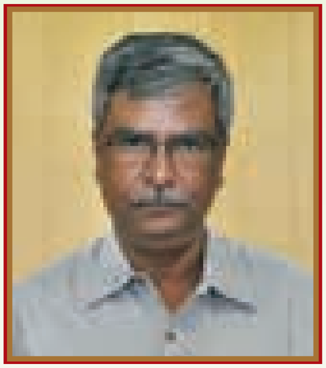

श्री सौमित्र तलापात्र
कामगार कर्मचारी निदेशक
Shri Soumitra Talapatra
Workmen Employee Director

श्री सौमेन मजुमदार
शीयरधारक निदेशक
Shri Saumen Majumder
Shareholder Director

निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS

बैठे हुए (बाएं से दाएं): श्रीमती सुरेखा मरांडी, भारतीय रिज़र्व बैंक की नामित निदेशक, श्री हिरण्य बोरा, अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक, श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक, श्री संदीप कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक।

खड़े हुए (बाएं से दाएं): श्री सौमेन मजुमदार, शेयरधारक निदेशक, श्री श्रेनिक सेट, अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक, श्री सुनील गोयल, अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक (सनदी लेखाकार वर्ग), श्री किरण बी वादोदरिया, अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक, श्री सौमित्र तलापात्र, कामगार कर्मचारी निदेशक, श्री पीयूष कांति घोष, अधिकारी कर्मचारी निदेशक।

Sitting L to R : Smt. Surekha Marandi, Reserve Bank of India Nominee Director, Shri Hiranya Bora, Part-time Non-Official Director, Shri Bhaskar Sen, Chairman & Managing Director, Shri Deepak Narang, Executive Director, Shri Sandeep Kumar, Govt. of India Nominee Director.

Standing L to R : Shri Saumen Majumder, Shareholder Director, Shri Srenik Sett, Part-time Non-Official Director, Shri. Sunil Goyal, Part-time Non-official Director under CA Category, Shri Kiran B Vadodaria, Part-time Non-official Director, Shri Soumitra Talapatra, Workmen Employee Director, Shri. Pijush Kanti Ghosh, Officer Employee Director

महाप्रबंधकगण GENERAL MANAGERS

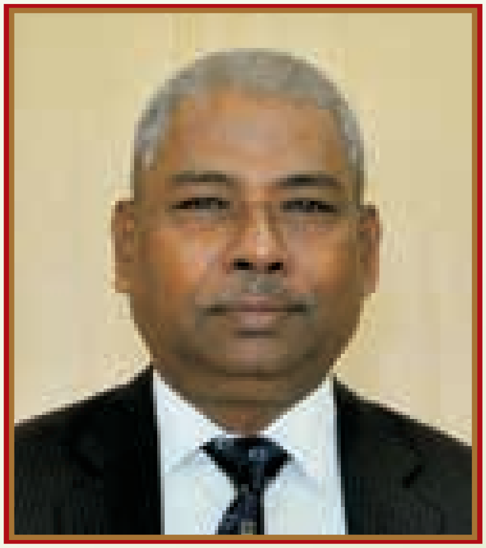

श्री रंजन कुमार महांति
Shri Ranjan Kumar Mohanty

श्री अंबरीश नन्दा
Shri Ambarisha Nanda

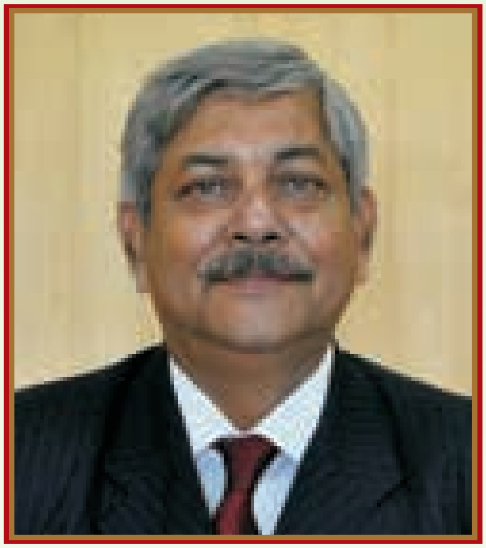

श्री प्रदीप कुमार दत्त
Shri Pradip Kumar Dutta

सर्वोच्च प्रबंधन TOP MANAGEMENT

बाएं से दाएं : श्री प्रदीप कुमार दत्त, महाप्रबंधक, श्री रंजन कुमार महांति, महाप्रबंधक, श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक, श्री अंबरीश नन्दा, महाप्रबंधक

L to R : Shri Pradip Kumar Dutta, GM, Shri Ranjan Kumar Mohanty, GM, Shri Bhaskar Sen, CMD, Shri Deepak Narang, ED and Shri Ambarisha Nanda, GM.

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी :

श्री बिक्रमजित सोम

रजिस्ट्रारएवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम प्रा. लि.
सी–13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड्स
एल बी एस रोड, भांडुप (प)
मुंबई – 400 078

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक :

मेसर्स जॉर्ज रीड ऐंड कंपनी
मेसर्स डी. के. छाजर ऐंड कंपनी
मेसर्स एम. चौधुरी ऐंड कंपनी
मेसर्स एम. सी. भंडारी ऐंड कंपनी
मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल ऐंड कंपनी
मेसर्स दिनेश मेहता ऐंड कंपनी

पंजीकृत कार्यालय का पता :

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
युनाइटेड टावर
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता – 700 001

Company Secretary & Compliance Officer:

Bikramjit Shom

Registrar & Share Transfer Agent:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13 Pannalal Silk Mills Compound
L B S Road, Bhandup (W)
Mumbai – 400078

Statutory Central Auditors:

M/s. George Read & Co.
M/s. D. K. Chhajer & Co.
M/s. M. Choudhury & Co.
M/s. M. C. Bhandari & Co.
M/s. Ramesh C Agrawal & Co.
M/s. Dinesh Mehta & Co.

Registered Office Address:

United Bank of India
United Tower
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001

Website
www.unitedbankofindia.com
E-mail
investors@unitedbank.co.in

बैंक का संक्षिप्त इतिहास

युनाइटेड बैंक का इतिहास 1914 से शुरु होता है। कुमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड (1914 में खुला था), कुमिल्ला युनियन बैंक लिमिटेड (1922 में खुला था) और हुगली बैंक (1932 में खुला था) 12 अक्टूबर, 1950 को बंगाल सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ। यह बैंक 1918 में बंगाल सेंट्रल लोन कम्पनी लिमिटेड के रुप में खुला था। इनके समामेलन से 18 दिसम्बर, 1950 को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड बना। 19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ साथ इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ और तदनुरूप एक नए बैंक के रुप में इसका उद्भव हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्कांटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का भी इस बैंक में विलयन हुआ। बैंक का प्रधान कार्यालय 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट (संप्रति इसे एन. सी. दत्त सारणी के नाम से जाना जाता है) में था जिसे 1971 में मौजूदा प्रधान कार्यालय, युनाइटेड टावर में शिफ्ट किया गया।

BRIEF HISTORY OF THE BANK

History of United Bank of India dates back to 1914. Comilla Banking Corporation Ltd. (established in 1914), Comilla Union Bank Ltd. (established in 1922) and Hooghly Bank Ltd. (established in 1932) amalgamated with Bengal Central Bank Ltd., formed on October 12, 1950, originally established in 1918 as Bengal Central Loan Company Ltd. to form United Bank of India Ltd. on December 18, 1950. On July 19, 1969, the Bank was nationalized along with 13 other Banks as a Corresponding New Bank. Subsequently, Cuttack Bank Ltd., Tezpur Industrial Bank Ltd., Hindustan Mercantile Bank Ltd., and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank. The Head Office of the Bank was situated at 4, Clive Ghat Street (presently known as N. C. Dutta Sarani), Kolkata - 700001 from where it was shifted to United Tower, it's present Head Office in 1971.

युनाइटेड संकल्प
United Vision

हमारा संकल्प व्यावसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्वों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की पूरा करने और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के एक, व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितेषी, प्रगामी, आर्थिक रूप में सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप के रूप में उभरना हैं।
सारत:, सर्वोकृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणास्रीत होगा।

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer- centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के निष्पादन की मुख्य बातें

- शुद्ध लाभ में 20.7% की वृद्धि
- परिचालनगत लाभ में 21.4% की वृद्धि
- शुद्ध ब्याज आय में 14.3% की वृद्धि
- गैर-ब्याज आय में 15.0% की वृद्धि
- अग्रिमों में 18.4% की वृद्धि
- जमा में 14.5% की वृद्धि
- पूंजी पर्याप्तता 12.69%; पर, टीयर 1- 8.79 % पर
- औसत आस्तियों के प्रतिफल में 0.70% प्रतिशत सुधार (पिछले वर्ष वह 0.66% था)
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिए जाने वाले अग्रिमों में 25.4% की वृद्धि
- एम एस एम ई अग्रिमों में 18.4% की वृद्धि

Performance Highlights of Financial Year 2011-12

- Net Profit up by 20.7%
- Operating Profit up by 21.4%
- Net Interest Income up by 14.3%
- Non-Interest Income up by 15.0%
- Advances up by 18.4%
- Deposits up by 14.5%
- Capital Adequacy at 12.69%; Tier 1 at 8.79 %
- Return on Average Asset improved at 0.70% (Last Year 0.66%)
- Advances to Priority Sector grew by 25.4%
- MSME Advances grew by 18.4%

कार्य-निष्पादन की एक झलक
PERFORMANCE AT A GLANCE

राशि करोड़ ₹ में
Amount in ₹ Crore

मानदंड / Parameters	2009-10	2010-11	2011-12
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	1534	1597	1680
पूंजी / Capital			
ईक्विटी / Equity	316.43	344.42	361.00
पी एन सी पी एस / PNCPS	550	800	800
प्रारक्षित एवं अधिशेष / Reserve & Surplus	3036.5	3877.26	4418.69
पूंजी पर्याप्तता / Capital Adequacy			
बैसेल I / Basel I	11.02%	11.16%	10.48%
बैसेल I / Basel II	12.80%	13.05%	12.69%
सकल लाभ / Gross Profit	876	1507	1829
शुद्ध लाभ / Net Profit	322	523.97	632.53
कुल जमा / Total Deposit	68180	77845	89116
औसत जमा / Average Deposit	62025	67855	76242
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	36%	9%	12%
सकल अग्रिम / Gross Advances	42756	53934	63873
औसत सकल अग्रिम / Average Gross Advances	38867	46196	53433
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	34%	19%	16%
कुल व्यवसाय / Total Business	110936	131779	152989
प्रतिशत वृद्धि / Per Cent Increase	23%	18.80%	16.10%
निवेश / Investments	26068	26259	29059
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Advances to Priority Sector	14396	17751	22258
शुद्ध जमा का प्रतिशत / ए एन बी सी / Per Cent of Net Credit / ANBC	40.29%	41.52%	41.30%
कुल कर्मचारी / Total Staff	15285	15062	15500
प्रति कर्मचारी व्यवसाय / Business Per Employee	7.14	8.60	9.70
सी बी एस शाखाओं की संख्या / No. of CBS Branches	1534	1597	1680

शेयरधारकों को संदेश

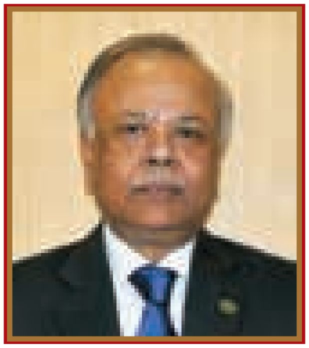

प्रिय शेयरधारकगण,

2011-12 के वित्तीय परिणामों के संबंध में आपको रिपोर्ट देते हुए मैं खुश हूँ क्योंकि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 2011-12 का यह परिणाम सुधरा हुआ और मजबूत मुनाफा दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक कशमकश का सामना करते रहने के बावजूद, सूचीकरण के बाद से लगातार तीसरे वर्ष हमारे बैंक की शुद्ध आय में अच्छी-खासी वृद्धि हुई, हम अपने शेयरधारकों को वर्धित वार्षिक लाभांश की अनुशंसा करते रहे और अपने नियामक एवं मूर्त पूंजी अनुपात को महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करते रहे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रतिशेयर शुद्ध आय और अर्जन अधिक रहा और कुल व्यवसाय ₹1,50,000/- करोड़ से अधिक का हुआ। इसके फलस्परूप हमारा बैंक अब मध्यम आकार के बैंक की श्रेणी का हो गया है।

हमारा निष्पादन

प्रति शेयर बैंक का तनूकृत अर्जन (डाइल्यूटेड अर्निंग्स) पिछले वर्ष ₹14.38 था और शुद्ध ब्याज आय ₹2169.34 करोड़ थी। 2010 में प्रति शेयर तनूकृत अर्जन ₹10.18 था और शुद्ध ब्याज आय ₹1391.22 करोड़ थी। कार्य निष्पादन में यह प्रत्यक्ष सुधार शुद्ध ब्याज आय में ₹310 करोड़ की वृद्धि, गैर ब्याज आय में ₹100 करोड़ की वृद्धि और वसूली एवं उन्नयन के जरिए अनर्जक आस्तियों में ₹144 करोड़ की कमी के परिणाम-स्वरूप हुआ था। यह प्रदर्शन और अधिक आकर्षक हो सकता था- यदि हम इसमें गिरावट की स्थिति को रोक पाने में सफल होते। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने अल्प लागत जमा को बरकरार रखा (40.8%), उच्च लागत वाली थोक जमा राशिओं की हिस्सेदारों कम की (23% से 18%), खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखा (6.5% की बढ़ोत्तरी), संरक्षित पूंजी में बढ़ोत्तरी की (भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹1.65 करोड़ शेयर आबंटित)। बैंक की आंतरिक शक्ति की वृद्धि में इन सबों का योगदान रहा।

अर्थ व्यवस्था में मंदी और सक्षम ग्राहकों की ओर से ऋण की मांग में कमी की प्रतिच्छाया जमा राशि में हुई महज 14.4% की वृद्धि में दिखी और 2010-11 की जमाराशि ₹77845 करोड़ की तुलना में इस वर्ष वह ₹89116 करोड़ रही। तथापि ऋण में बढ़ोत्तरी परम्परागत गति की रही और इसमें 18.4% की वृद्धि हुई। 2010-11 में ऋण राशि ₹53.934 करोड़ थी जो 2011-12 में बढ़कर ₹63,873 करोड़ रही। यह बढ़ोत्तरी खर्चीले थोक ऋण में कमी लाने और शुद्ध ब्याज आय मे बेहतरी लाने के परिणाम स्वरूप हुई। 2010-11 में शुद्ध ब्याज आय ₹2169.34 करोड़ थी, जिसमें14% की वृद्धि के फलस्वरूप 2011-12 में यह ₹2479 करोड़ रूपए रही। तथापि गिरावट (स्लीपेज) में वृद्धि और इसके लिए प्रावधान की वर्धित जरूरतों के कारण शुद्ध ब्याज मार्जिन में इस वर्ष 2 आधार बिंदु की मामूली सी गिरावट आई और पिछले वर्ष के 3.19% की तुलना में इस वर्ष यह 3.17% रहा।

हालांकि औद्योगिक माहौल ही ऐसा है-फिर भी अनर्जक आस्तियों की स्थिति और गिरावट (स्लीपेज) की स्थिति हमारी चिंता का कारण है। जब हमने इसके कारणों का विश्लेषण करने की कोशिश की तो दो कारक सामने आए - पद्धति चालित अनर्जक आस्ति, कुछ बड़ी राशि के खातों के मान में, ऐन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय ही गिरावट, जिसके चलते इसमें लगभग ₹1000 करोड़ से अधिक राशि फंस गई। तथापि हम यह महसूस करते है कि इसका एक सकारात्मक पक्ष है सबसे छोटे स्थिर खाते तक की घोषणा करना और उसके लिए

MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

I am pleased to report the results which follow and which reflect an improved, solidly profitable 2011-12 at United Bank of India. Despite facing significant economic dilemmas, we reported sizeable growth in net income for the third consecutive year since listing, continue to recommend increased annual dividend to shareholders, and significantly strengthened our regulatory and tangible capital ratios. While the net income and earnings per share were higher than in the prior year, the gross business crossed ₹150,000 mark enabling us to graduate to a mid-sized bank.

Our Performance

Bank's diluted earnings per share last year were ₹14.38 and net interest income was ₹2169.34 crore. In 2010, diluted earnings per share were ₹10.18 and net interest income was ₹1391.22 crore. The improved performance was the direct result of a ₹310 crore increase in net interest income, ₹100 crore increase in non-interest income, and ₹144 crore decrease in the non performing assets through recovery and upgradation. The show would have been more colourful had we been able to contain slippages.

Like in previous years we continue to maintain high percentage of low cost deposits (40.8%) , reduce the share of high cost bulk deposits (from 23% to 18%), keep expenses on a tight leash (increase of 6.5%), raise and preserve capital (1.65 crore shares allotted to LIC) which all contributed to the improvement of the intrinsic strength of the Bank.

Reflecting a plodding economy and tempered loan demand by creditworthy customers, the deposits increased only modestly, by 14.4% to ₹89116 crore from ₹77845 crore in 2010-11. Loans, however, grew conventionally, up by 18.4%, to ₹63873 crore in 2011-12 from ₹53934 crore in 2010-11. That growth was the result of paring of more expensive wholesale borrowings and led to better net interest income of ₹2479 crore in 2011-12 that was up 14% from ₹2169.34 crore in 2010-11. However, due to increase in slippages and consequent provisioning requirements, the net interest margin was marginally down by 2 basis points to 3.17% this year, from 3.19% last year.

Though an industry phenomenon, yet the NPA position and slippages are matters of concern for us. When we tried to analyze the reasons, two factors came up – system driven NPA and a couple of large accounts slipping at the fag end of the financial year – together contributing more than ₹1000 crore during the year. However, we feel that the positive is that, having declared even the smallest of the sticky accounts and provided for the same, the Bank is intrinsically in a much sound position

प्रावधान करना। इसके कारण हमारे बैंक की वित्तीय स्थिति भीतर से काफी मजबूत है और यहाँ से हमारे आगे का रास्ता सिर्फ उपर की ओर ही जाता है।

गैर-ब्याज आय इस वर्ष बढ़कर ₹733 करोड़ हो गई। 2010-11 में यह आय ₹637 करोड़ हुई थी और इस वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई। यह सुधार विनियम परिचालन, कमीशन, लेन-देन एवं दलाली तथा अन्य विविध मिली-जुली उच्चत्तर राजस्व आय के कारण हुआ। गैर-ब्याज आय में अवमंदित राजकोष आय भी है जिसका कारण है बढ़ती ब्याज दर और एक दायरे में बंधा स्टॉक मार्केट। कुल आय में से गैर-ब्याज आय का भाग कमतर है - इसके प्रति हम सजग हैं और हम इसका अनुपात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास निकट भविष्य में अपने व्यवसाय पथ का विस्तार करते हुए और नए उत्पादों की शुरुआत करते हुए किया जाएगा।

प्रतिभूति सबंधी बैंक निवेश में हुए लाभ-नुकसान को छोड़कर कर-योग्य समकक्ष शुद्ध ब्याज आय की राशि से दक्षता अनुपात या गैर-ब्याज परिचालनगत व्यय को भाग देकर यह हिसाब किया जाता है कि यह बैंक ग्राहक-सेवा और राजस्व जनन पर कितना खर्च करता है। इसके अनुपात में सुधार हुआ है। 2011 में यह 49.8% था जबकि 2012 में यह 46.2% रहा।

उपर उद्धृत अर्जन एवं अन्य सुखदायी परिणामों की तरह यह बात भी राहत देनेवाली है कि यह सफलता हमें ऐसी स्थिति में मिली है जब आर्थिक स्थिति डावांडोल है, मुद्रास्फीति ऊँची है, ब्याज की दरें बढ़ती रही है और ऋण विस्तार मंद पड़ गया है। वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के निष्पादन में सुधार का मतलब यह नहीं कि हम संतुष्ट हैं, हमारे लिए हमारी आकांक्षाएं और खासकर जिन ग्राहकों और जिन क्षेत्रों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना अभी काफी-कुछ बाकी है। हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि प्रति शेयर अर्जन जो हमने पिछले साल किया था उसे हम इस साल नहीं कर पाए और समकक्षों की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल नहीं दे पाए।

तथापि पिछले वर्ष की निष्पत्ति और कठोर परिश्रम को मान्यता न देना और उपलब्धियों की चाहत न करना हमारे लिए उचित नहीं होगा।

2010 से प्रतिशेयर हमारे अर्जन में 50% से भी अधिक सुधार हुआ है और हमारे वार्षिक लाभांश में दो गुना से अधिक वृद्धि हुई। इससे हमें पूंजी निर्माण में मदद मिली। परिणाम स्वरूप हम अपने पूंजी आधार को बढ़ा सके, जोखिम भारित निधि अनुपात की स्थिति को मजबूत कर सके और सुधरे हुए मार्जिन के साथ ईक्विटी पर प्रतिफल सुधर कर 13.86% हो गया।

सीधे-सादे शब्दों में कहें तो हमारे जैसे किसी भी परम्परागत व्यावसायिक बैंक के कार्यनिष्पादन की कुंजी है दिए गए ऋण की लाभप्रदता। लंबे समय से चले आ रहे ऋण सिद्धांतों का अनुपालन हमारे लिए इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इन सिद्धांतों में शामिल है-ऋण दिए जाने का हमारा चयनित और पुख्ता दृष्टिकोण, प्रबंधन संबंधी हमारा सुदीर्घ अनुशासन, पूंजी का आबंटन और एक दक्ष परिचालन मानक को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता- जो हमें उस बिरादरी में प्रतिस्पर्धी बने रहने की इजाजत देता है-जिसकी हम सेवा करते हैं। हम विभिन्न स्तरों पर ऋण समिति बनाए हुए हैं जो अपने काम से पूरी तरह वाकिफ है लेकिन वह सदैव समग्र ऋण नीति और उसके मानकों से निर्देशित होती है। ऐसी प्रत्येक समिति में ऋण के क्षेत्र में अनुभवी वरिष्ठ कार्यपालक और अनुभवी व्यावसायिक बैंकर शामिल हैं जो नियमित अंतराल पर बैठकों में मिलते हैं। इस दृष्टिकोण का महत्व इस तथ्य से भी पता चलता है कि हम अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान भी उन ग्राहकों को लगातार ऋण सुविधा देते रहे है जिन्हें हमने सुविधाजनक महसूस किया है।

financially and from here the only direction we are going to move is up.

Non-interest income rose to ₹733 crore last year, an increase of 15% from ₹637 crore in 2010-11. That improvement was attributable to the combination of higher revenues from income from exchange operations, commission, exchange & brokerage and miscellaneous other incomes. Reflected in noninterest income was subdued Treasury income due to rising interest rates and range bound stock markets. We are conscious that the share of non-interest income to total income is on the lower side and we are putting in extra efforts to improve the ratio by increasing the existing business-lines and introducing new products in the near future.

The efficiency ratio, or noninterest operating expenses divided by the sum of taxable-equivalent net interest income and noninterest income exclusive of gains and losses from bank's investment in securities measures how much the Bank spends to provide service to customers and to generate revenue. That ratio improved to 46.2% in 2012 from 49.8% in 2011.

As gratifying as it is, to report the earnings and other results cited above, it is relieving to keep in mind that such relative success came within a context of tumultuous economic conditions, high inflation, rising interest rates and subdued expansion of credit. Indeed, the improvement in our performance as compared to the previous years does not mean that we are content; our aspirations for ourselves and, especially, the customers and regions we serve, are far from realized. We are mindful, specifically, that we have not sustained last year's earnings per share and are yet to match on Return on Assets with our peers.

Nonetheless, it would not be candid on our part not to recognise the accomplishments and hard-works of the past year, and cherish the achievements.

Our earnings per share improved by more than 50% since 2010 and exceeded our annual dividend by more than two times, allowing us to build capital. As a result, we could augment our capital base, strengthen our CRAR position and with improved margins our return on the equity improved to 13.86%.

In the simplest sense, the key to the performance of any traditional commercial bank such as ours is the profitability of the loans it makes. In our case, adherence to a number of long-held lending principles stands out as having played an important role. These include: our selective and sound approach to extending credit, our longstanding discipline regarding the management and allocation of our capital, and our commitment to maintaining an efficient operating model that allows us to remain competitive in the communities we serve. We maintain loan committees at various levels, each deeply familiar with their own backyards but always guided by our overall credit policies and standards. Each committee is comprised of senior credit executives, and experienced commercial bankers who meet at regular intervals. The value of this approach is reflected in the

दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा निष्पादन कुछ पहलों की सत्यता को वैधता प्रदान करता है, जिनमें शामिल है – थोक जमा पोर्टफोलियो को जानबूझ कर कम करना, कासा को हमेशा 40% से उपर रखना, व्यवसाय पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों को छोटा करके रखना, खुदरा व्यवसाय हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में खुदरा व्यवसाय केन्द्र (हब) खोलना, केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के अवधारणा की शुरूआत करना, अपनी वेबसाइट को लगातार अद्यतन करते हुए वैकल्पिक परिदान माध्यम को मजबूत बनाना, इ–लाउंज बैंकिंग अवधारणा की शुरुआत करना और पूंजी क्षेत्र से बाहर शाखाओं की संख्या बढ़ाना।

शुद्ध आय के जिस स्तर का हमने उपर उल्लेख किया है वह केवल ऋण की गुणवत्ता और शुद्ध ब्याज आय पर ही निर्भर नहीं है बल्कि खर्च पर सतत् ध्यान देते हुए उसे अपने नियंत्रण में रखने पर भी निर्भर है। इस संबंध में हमारा परिणाम भी यह दर्शाता है कि परिचालनगत लागत की दिशा में उठाए गए हमारे कदमों में सुधार आया है – जिसकी जरूरत अर्जित राजस्व का प्रत्येक ₹100/- अर्जन करने में पड़ती है और जिसे दक्षता–अनुपात (इफीसिएंसी रेशियो) कहा जाता है। यह लागत जो पिछले साल 18.62% थी वह कम होकर 15.91% हो गयी है। समग्रत: उत्पादकता में वृद्धि के कारण हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान कर सकें और आर्थिक अनिश्चितता की शक्तियों के विरूद्ध अपने निवेशकों को सुरक्षा प्रदान कर सकें।

मैं यह भी रेखांकित करना चाहूँगा कि ऋण की गुणवत्ता, विवेकपूर्ण पूंजी आबंटन और प्रबंधन तथा दक्षता को संकुचित अर्थ में वित्तीय ढिलाई और इसके परिणाम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि ये हमारे व्यवसाय के पुराने और स्थापित मार्ग से ही पैदा हुए हैं और उस परम्परा की उपज हैं जिसकी बदौलत वर्ष – दर – वर्ष लगातार सकारात्मक वित्तीय परिणाम आ रहे हैं। फलत:यह श्रेय किसी संस्था के उस संस्कार को जाता है जो उस अनुभवी कार्यदल की परिश्रमशीलता को प्रेरित करता है और जिसकी सफलता का वह प्रतीक है। परम्परागत तौर पर यु बी आई कर्मचारी–जिसका पूरा कैरियर इस बैंक में बीता होता है– आजीवन एक कट्टर बैंकर बना रहता है।

हम उस समुदाय के प्रति सदैव संवेदनशील बने रहते हैं – जिसकी सेवा में हम लगे होते हैं और समग्रत: मानवता के उत्थान में योगदान देने की चेष्टा करते हैं। सामाजिक सोपान की सबसे निचली पायदान पर जीवन यापन कर रहे लोगों के जीवन–स्तर में सुधार की हमारी प्रतिबद्धता हमारे कुछ पहलों से झलकती है, जैसे मणिपुर राज्य के सुदूरवर्ती गाँवों में नल–कूप लगवाना, पश्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिण जिले के एक सर्वाधिक दूरस्थ भाग के स्कूल के कमरों की छत को पक्का करवाना और 24 परगना उत्तर जिले में एक आवासीय किसान प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करवाना। पर्यावरण संबंधी खतरों के विरूद्ध सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह है कि हम ऐसे किसी उद्योग का वित्तपोषण नहीं करते जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता हो। हम उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को ऋण देते हैं जिन्हें पर्यावरण निर्बाधन–प्रमाण–पत्र प्राप्त हो। यह हरियाली के लिए सरकार की ओर से की गई पहल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

3 मई 2011 को घोषित वार्षिक मौद्रिक नीति ऐसी स्थितियों के मद्देनजर बनायी गई जो पिछले वर्ष से सर्वथा भिन्न थी। 2010-11 की मौद्रिक नीति का लक्ष्य था आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति के विस्तार को अवरूद्ध करने की कोशिश करते हुए सतत वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति से उबरना। 2010-11 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति में फिर से तेजी चिंता का कारण बन गयी। 2011-12 की मौद्रिक नीति के निर्णय के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य थे:

fact that we continued to extend credit to customers whom we felt comfortable with, consistently through the downturn of the economy.

Our performance, in other words, is a validation of the veracity of few initiatives taken – consciously reducing the bulk deposit portfolio, religiously maintaining CASA above 40%, breaking the regions into smaller ones for ensuring better control over business, creating hubs across the regions for retail business, introducing the concept of centralized processing, strengthening our alternate delivery channels by continuous upgrading our website and introducing e-lounge banking concept and increasing share of branches outside East.

The level of net income which we have reported depends not only on credit quality and net interest income, but also on our ongoing attention to the control of expenses. In this regard, our results reflected, too, an improvement in the measure of operating costs required to produce each ₹100 revenue, known as the efficiency ratio — which fell from 18.62% to 15.91%. In the aggregate, our increase in productivity allowed us to provide banking services more competitively and cushion our investors from the force of the economic uncertainty.

Let me underscore that the results noted above — as regards credit quality, prudent capital allocation and management, and efficiency — should not be understood narrowly as the result of responses to the financial slackness and its consequences. Rather, they are the product of our long-established way of doing business — of a culture which has led to a consistently positive financial performance over the years. In turn, that culture is attributable to a organization that inspires the diligence of the experienced workforce which epitomizes our success. Typically, a UBI employee is a lifetime hardcore banker who has been with the Bank throughout his career.

We have always been sensitive about the community we serve and tried to contribute to the upliftment of the humanity at large. Our commitment to improve the standards of living of those at lowest strand of the social pyramid is manifested by some of our initiatives like installation of water hand pumps in remote villages of Manipur, construction of concrete roof of the class rooms in the remotest parts of 24 Parganas (South) district and construction of Residential Farmers' Training Centre in 24 Parganas (North) district in West Bengal. Our obligation towards protection of environmental hazards remain in our resolve in not taking exposure in any ozone depleting industry, providing credit to industrial units only after obtaining environmental clearance and our commitment to the green initiatives of government.

Indian Banking Environment

The Annual Monetary Policy for 2011-12 announced on May 3, 2011 was set in conditions significantly different from those a year ago. For 2010-11, the goal for monetary policy was to nurture the recovery in the face of persistent global uncertainty, while trying to contain the spill-over of supply side inflation. The resurgence of inflation in the last quarter of 2010-11 became a

- एक ऐसे ब्याज दर परिवेश को बरकरार रखना जिससे मुद्रास्फीति कम हो और मुद्रास्फीति जनित उम्मीदों पर अंकुश लगे।
- ऐसी मूल्य-स्थिरता को प्रश्रय मिले जो वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ मध्यावधि विकास को बरकरार रखने में सहायक हो।
- नकदीकरण का प्रबंध हो सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सामान्यत: संतुलित रहे, न तो बड़ा अधिशेष हो जिससे मौद्रिक पारेषण तनूकृत हो जाए न ही कोई घाटा (डेफीशिट) रह जाए जिससे निधि का प्रवाह अवरूद्ध हो जाए।

नकदी समायोजन सुविधा (एल ए एफ) के तहत रेपोरेट में 50 आधार बिंदु दर पर बढ़ोत्तरी की गई ओर इसे 6.75% से बढ़ाकर 7.25% किया गया। तदनुरुप नयी परिचालन पद्धति के अनुसार नकदी समायोजन के तहत रिवर्स रेपो दर रेपो दर से 100 आधार बिंदु नीचे निश्चित की गई और 6.25% पर समायोजित की गई। मार्जिनल आपाती सुविधा (एम एस एफ) दर रेपो दर से 100 आधार बिंदु उपर विस्तार सहित निश्चित की गई और उसे 8.25% रखा गया। बैंक दर को अपरिवर्तित रखा गया और वह 6% ही रहने दिया गया। इसी तरह प्रारक्षित नकदी अनुपात (सी आर आर) भी अनुसूचित बैंको की शुद्ध मांग और समय देयता (एन डी टी एल) का 6% पर ही पूर्ववत रहने दिया गया।

कुछ अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह तय किया कि 03 मई 2011 से बचत बैंक खाते पर ब्याज की दर 3.5% से बढ़ाकर 4% कर दी जाए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोटे तौर पर अतिलघु वित्तीय संस्थानो के विनियमन ढाँचे पर मालेगम समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है।
- 01 अप्रैल 2011 और इसके बाद से सभी अतिलघु वित्तीय संस्थानों और इसी रूप में काम कर रहे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य घोषित किए गए किंतु ऐसा वर्गीकरण केवल तभी मान्य होगा जब वे संस्थान और कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम का पूरी तरह पालन करती हों।
- मालेगम समिति की अनुशंसा के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकात प्राप्त क्षेत्र ऋण के वर्गीकरण हेतु एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
- वित्तीय समावेशन पहल को चलाने के लिए एक वृहद लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि मार्च 2012 तक ऐसे सभी गाँवों में बैंकिंग सुविधा सुलभ हो सके जिसकी आबादी 2000 से अधिक है। इसके लिए ऐसे गाँवों की पहचान की गई। बैंकों को सलाह दी गई कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2011-12 में खोली जानेवाली शाखाओं में से कम से कम 25% शाखाए टीयर 5 और टीयर 6 केन्द्रों में खोली जाएं।
- सरकारी प्रतिभूतियों की अल्प विक्रय अवधि को 5 दिनों से बढ़ाकर अधिकतम तीन महीने किया गया।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई कि वे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने पोर्टफोलियो के बाजार-मूल्य का 10% तक रद्द कर सकते हैं और पुन: खरीद सकते हैं।

matter of concern. The overall stance of the monetary policy in 2011-12 was intended to:

- Maintain an interest rate environment that moderates inflation and anchors inflation expectations.
- Foster an environment of price stability that is conducive to sustaining growth in the medium-term, coupled with financial stability.
- Manage liquidity to ensure that it remains broadly in balance, with neither a large surplus diluting monetary transmission nor a large deficit choking off fund flows.

The repo rate under liquidity adjustment facility (LAF) was increased by 50 basis points from 6.75% to 7.25%. Accordingly, as per the new operating procedure, the reverse repo rate under LAF, determined with a 100 basis points spread below repo rate, was adjusted at 6.25%. The Marginal Standing Facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 basis points above the repo rate, was calibrated at 8.25%. The Bank rate was kept unchanged at 6%. Similarly, the Cash Reserve Ratio (CRR) was also kept unchanged at 6% of net demand and time liabilities (NDTL) of scheduled banks.

Some of the other measures included:

- Reserve Bank of India decided to increase the savings bank deposit interest rate from 3.5% to 4.0% with effect from 3rd May, 2011.
- Reserve Bank of India broadly accepted the framework of regulations of Micro Finance Institutions (MFIs) recommended by the Malegam Committee.
- Bank loans to all MFIs, including NBFCs working as MFIs on or after April 1, 2011 were made eligible for classification as priority sector loans only if they conform to the regulations formulated by the Reserve Bank.
- As recommended by the Malegam Committee, the Reserve Bank has also decided to appoint a Committee to review the priority sector lending classification.
- A broad goal driving financial inclusion initiative was set to provide banking access to all villages with population over 2000 by March 2012. 72,800 villages were identified into this category. Banks were advised to ensure that at least 25% of the new branches being opened during the year 2011-12 are located in tier 5 and tier 6 centres.
- Period of short sale in government securities was extended from five days to a maximum of three months.
- FIIs will be allowed to cancel and rebook up to 10% of the market value of the portfolio as at the beginning of the financial year.

- कुछ वर्ग के अनर्जक आस्ति ऋणों और पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान की जरूरत बढ़ाई जाएगी।

- ऋण उन्मुख म्यूचूअल फंडों की नकदी योजनाओं में बैंक द्वारा निवेश की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को अपनी शुद्ध मालियत के 10% की विवेकपूर्ण सीमा तक ही सीमित होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के खंडवार आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न सेवाओं का प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को बैंक ऋण दिए जाने में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में कमी दिखी। 2011-12 में सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण में महज 14.7% की वृद्धि देखी गई जबकि 2010-11 में यह 23.9% थी। सेवा क्षेत्र के भीतर वित्तीय सेवा प्रदाता, व्यावसायिक एवं रियल इस्टेट कंपनियों में विकास सबसे धीमा रहा। पिछले वर्ष लगभग 54% की दर से विकसित वित्तीय कंपनियों के वित्तपोषण की रफ्तार की तुलना में 2011-12 में वित्तपोषण में महज 26.3% की वृद्धि हुई। 2011-12 में आर्थिक विकास में मंदी की छाया कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण पर भी दिखी और इससे मात्र 17.0% की वृद्धि देखी गई जबकि पिछले वर्ष यह पर 26.6% थी। विनिर्माण कंपनियों में, आधारभूत उद्योग के क्षेत्र में ऋण की रफ्तार सर्वाधिक प्रभावित हुई और ऐसी परियोजनाओं में यह वृद्धि 2011-12 में मात्र 17.6% रही जबकि पिछले वर्ष यह 38.6% थी।

निष्कर्ष :

और अंत में, इस लिखित संदेश और इस गतिमान, स्पंदनशील, संवेदनशील, बहुरंगी बैंकिंग उद्योग में लगभग 40 वर्षों के अपने सफर से मुझे परितृप्ति की अनुभूति हो रही है कि हम एक अविजित बुनियाद पर टिके हैं। हमारी मानसिकता अब इतनी महात्वाकांक्षी है कि हम किसी विकास का सपना देख सकें, वह इतनी मजबूत है कि किसी सपने को साकार कर सके, इतनी लचीली है कि किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सके और इतनी निपुण है कि खुद को किसी भी परिवर्तन के अनुकूल बना ले। आप सबों की शुभकामना, पूरी टीम के कठिन परिश्रम और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग दर्शन में आज हम मजबूत, सक्षम, ज्ञानवान, स्मार्ट और नवोन्मेषी बैंक हैं-वह बैंक जो **यू** (यानी आप) से ही शुरु होता है।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 05 मई 2012
स्थान : कोलकाता

- Provisioning requirements on certain categories of non-performing advances and restructured advances will be enhanced.

- Investments by banks in liquid schemes of debt oriented mutual funds will be subject to a prudential cap of 10% of their net worth as on March 31 of the previous year.

Credit offtake by banks to companies offering various services showed a marked deceleration in 2011-12 compared with the previous financial year, the RBI's sectoral data showed. Banks' lending to the services sector grew by just 14.7% in 2011-12 compared with 23.9% in 2010-11. Within services, loans to companies offering financial services and commercial real estate grew the slowest. Credit to finance companies grew just 26.3% in 2011-12 after growing at a scorching pace of around 54% the previous year. Reflecting the slowdown in the economic growth during 2011-12, bank credit to companies grew by 17.0%, down from 20.6% the previous year. Among manufacturing companies, credit offtake to infrastructure was hit the most and loans to such projects grew by just 17.6% during 2011-12 as against 38.6% in 2010-11.

Conclusion

As I end, this missive and my journey spanning almost 4 decades in this dynamic, vibrant, sensitive and colourful banking industry, it gives me a sense of satiety that today we are on an inexpugnable foundation with a psyche, ambitious enough to dream any growth, strong enough to achieve any dream, resilient enough to accept any challenge and nimble enough to acclimatize to any change. With all your good wishes, hardwork of the entire team, and support and guidance of the Government and Reserve Bank of India, today we are a confident, efficient, knowledgeable, smart and innovative Bank – the Bank that begins with U!

With warm wishes

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

Date : May 5th 2012
Place : Kolkata.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय:युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

सूचना

सूचना दी जाती है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 48 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों को तीसरी वार्षिक आम सभा शुक्रवार दिनांक 29 जून 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में होगी जिसमें निम्नांकित विषय शामिल होंगे।

1. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के बैंक के तुलन पत्र, लाभहानि खाता के जरिए प्रदर्शित बैंक के कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, उसका अनुमोदन और अंगीकार करना।

2. ईक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभ घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

बिक्रमजित सोम
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 5 मई, 2012
स्थान : कोलकाता

टिप्पणी :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्वकता नहीं है।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62(11) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमंत बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता - 700001 में 23 जून 2012 शनिवार को कारोबार समय की समाप्ति से पहले (अपराह्न 1:45) तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

तथापि उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA – 700001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010, the third Annual General Meeting of the shareholders of UNITED BANK OF INDIA will be held on Thursday, June 28th 2012, at 10.30 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata-700027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2012, the Report of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To Declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2011-12.

By order of the Board of Directors

Bikramjit Shom
Company Secretary

Date : May 5th, 2012
Place : Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMENTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS(1:45P.M.) OF **SATURDAY, JUNE 23RD 2012.**

However a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि-प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

यदि प्रतिनिधि-प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62(vi) के तहत प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उसे लिखत से संबधित है।

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केंन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी को ओर से उसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

PURSUANT TO REGULATION 61 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER, BEING THE CENTRAL GOVERNMENT OR A COMPANY, MAY BY A RESOLUTION, AS THE CASE MAY BE, AUTHORISE ANY OF ITS OFFICIALS OR ANY OTHER PERSON TO ACT AS ITS REPRESENTATIVE AT ANY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AND THE PERSON SO AUTHORISED SHALL BE ENTITLED TO EXERCISE THE SAME POWERS ON BEHALF OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR COMPANY WHICH HE REPRESENTS AS IF HE WERE AN INDIVIDUAL SHAREHOLDER OF THE BANK.

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or Company.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 (ii) के अनुसार काई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700 001 में शनिवार, 23 जून 2012 को कारोबार अवधि की समाप्ति से पहले (अपराह्न 1:45) तक उससे पहले जमा न की गई हो।

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, NO PERSON SHALL ATTEND OR VOTE AT ANY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE BANK AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY UNLESS A COPY OF THE RESOLUTION APPOINTING HIM AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE CERTIFIED TO BE A TRUE COPY BY THE CHAIRMAN OF THE MEETING AT WHICH IT WAS PASSED SHALL HAVE BEEN DEPOSITED TO THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMENTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS (1:45 P.M.) OF **SATURDAY, JUNE 23RD 2012.**

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

शेयर धारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and

जाता हे कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौप दें। शेयर धारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. (क) शेयरधारकों का रजिस्टर बंद होना

स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 16 एवं युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयरों एवं बैठकों) विनियमन, 2010 के विनियमन 12 के प्रावधानों के अनुसरण में शनिवार, 16 जून, 2012 से वृहस्पतिवार, 28 जून, 2012 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही वार्षिक आम सभा एवं बैंक द्वारा घोषित शेयर धारकों को प्राप्त होने वाले लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

5. लाभांश भुगतान

5 मई, 2012 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने प्रति रू.10/- के ईक्विटी शेयर पर रू.2.40 के लाभांश की अनुशंसा की है जिसकी घोषणा वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा की जानी है। अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे रू.10/-प्रति ईक्विटी शेयर रू.2.40/-के लाभांश की घोषणा करें।

वार्षिक आम सभा में यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो वह लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जिनके नाम

क) शुक्रवार 15 जून, 2012 को व्यवसाय की बंदी के समय हिताधिकारी स्वामी के रूप में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा दी गई सूची के अनुरूप और इलेक्ट्रोनिक रूप में उनके नाम रखे गए शेयरों के संबंध में होंगे और

ख) शुक्रवार 15 जून, 2012 को शेयरधारकों की बहीं में, मूर्त रूप में धारित अपने शेयरों को जब शेयरधारक वैध तरीके से शुक्रवार 15 जून, 2012 तक अंतरित करने का अनुरोध करे और उसके अनुरोध को प्रभावकारी कर दिया गया हो।

ऐसे शेयरधारको को उनका लाभांश यह बैंक पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट लिक इन टाइम प्रा. लिमिटेड के माध्यम से, शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश वारंट में/इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण में बैंक खाता का ब्यौरा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बैंकों के साथ-साथ सभी सूचीबद्ध कंपनियो के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश का वितरण करते समय और विभिन्न इलेक्ट्रोनिक धन प्रेषण सुविधाओं का उपयोग करते समय वे शेयरधारकों द्वारा दिए गए उनके बैंक खाता संबंधी ब्यौरे का उल्लेख लाभांश वारंट पर कर दें। जिन मामलों में इलेक्ट्रनिक सुविधा दिया जाना संभव नहीं हो और जहाँ कुछ शेयरधारक यह सुविधा न ले रहे हों वहाँ बैंक लाभांश वारंट पर दिए गए बैंक के ब्यौरे को छपवा दे।

जो शेयरधारक अपना शेयर मूर्त रूप में रखे हुए है वे अपना बैंक अधिदेश (मैनडेट) इस बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष के पास अथवा इस बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिक इन टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज सकते है ताकि संबधित अभिलेखों को अद्यतन किया जा सकें। जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर अमूर्त रूप में रखा है वे इस संबंध में

affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Clause 16 of the Listing Agreements with the Stock Exchanges and Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain close from **Saturday, June 16th, 2012 to Thursday, June 28th, 2012 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank at the Annual General Meeting.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors at its meeting held on May 5th 2012, had recommended a dividend of ₹2.40/- per equity share of ₹10/- each which is required to be declared by the shareholders at this Annual General Meeting. The shareholders are therefore requested to declare the dividend of ₹2.40/- per equity share of ₹10/- each.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders at the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on **Friday, June 15th 2012,** as per lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares in electronic form, and

b) in the Register of shareholders as on **Friday, June 15th 2012,** after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours as on **Friday, June 15th 2012.**

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz. Link Intime India Pvt. Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend at their registered addressed.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNTS IN DIVIDEND WARRANTS / ELECTRONIC FUND TRANSFERS

SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to mention on the dividend warrants, the bank account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use various electronic remittance facilities, for credit of dividend. In the cases of inapplicability of the electronic facilities and in the events of some shareholders not availing such facilities, the Bank shall print the bank details, as available with them on the dividend warrants.

The shareholders who are holding shares in physical form may send their Bank mandate to the Share Department & Investors Grievances Cell of the Bank or to M/s Link Intime India Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for necessary updation of records. The Shareholders holding shares in

आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिशिपेंट) से संपर्क करें। नेशनल इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सर्विसेज/बैंक अधिदेश का प्रारूप इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया हुआ है।

7. अप्रदत्त/द्वावारक्षित लाभांश

लाभांश की घोषणा के 30 दिनों की समाप्ति से, 7 दिनों के भीतर यदि किसी शेयरधारक ने अपने लाभांश का नकदीकरण नही कराया या उसका दावा नहीं किया तो बैंक के लाभांश खाते में पड़ी इस राशि को एक दूसरे खाते में डाल दिया जाएगा जिसका नाम युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया - वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अप्रदत्त लाभांश खाता है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम) 1970 को धारा 10बी के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप लाभांश की जो राशि असंदत्त रह जाती है या सात वर्ष तक उसका कोई दावा नहीं करता तो उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आई इ पी एफ) में डाल दिया जाएगा। ईस निधि की स्थापना केन्द्र सरकार ने 1950 के कंपनी अधिनियम की धारा 205 सी के तहत की है और इस निधि में लाभांश की राशि अंतरित कर दिए जाने के बाद उस राशि का दावा इस बैंक अथवा निदेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि से नहीं किया जा सकेगा।

जिन शेयरधारकों ने पूर्ववर्ती अवधि के अपने किसी लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया है वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करके उनसे लाभांश वारंट की दूसरी प्रति जारी करने का अनुरोध करें।

8. शेयरधारकों से अनुरोध :

8.1 तुलन पत्र की प्रतियाँ

चूकि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम-सभा के समय उस केन्द्र पर वितरित नही की जाएंगी-अत: शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति ही लेकर आएं।

8.2 शेयरों को अमूर्त रूप में रखना

जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर मूर्त रूप में रखा है उनसे अनुरोध है कि वे उन शेयरों को अमूर्त रूप में (डिमेट) रूप में रखें।

8.3 खाते से संबंधित सूचना

जो शेयरधारक अपने इन खातों से संबधित सूचना/स्पष्टीकरण चाहते हैं वे वार्षिक आम-सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अपने बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रखे।

8.4 पन्नों (फोलियो) का समेकन:

जिन शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में, कई पन्नों (फोलियों) में एक ही नाम से या संयुक्त नाम से उसी नाम के क्रम मे हों, उनसे निवेदन है कि वे अपने शेयर प्रमाण पत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज दें ताकि उन्हें एक ही पन्ने में समेकित किया जा सके।

8.5 पते में परिवर्तन की सूचना:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की सूचना और अपने बैंक खाते का ब्यौरा निम्नलिखित के पास भेजें:

क) यदि उनका शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो संबधित निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिशिपेंट्स) को

dematerialized form may approach their Depository Participants for necessary action in this regard. A proforma of the Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

7. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed or claimed the dividend, such amount lying in the Bank's Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled as “United Bank of India – Unpaid Dividend Account for the financial year 2011-12”.

As per the provision of Section 10B of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under section 205C of the Companies Act 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants or received dividends pertaining to the previous periods, if any, are requested to contact the Bank’s Registrar & Share Transfer Agent for issue of duplicate warrant.

8. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

8.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to the Registered Addresses of the shareholders.

8.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

8.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to the accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

8.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names of joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

8.5. Notifying Change of Address

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India

ख) यदि उनका शेयर मूर्त रूप में है तो पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर भेजें:

लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया)
59 सी चौरंगी रोड, तीसरा तल
कोलकाता - 700 020

8.6 स्थिति के परिवर्तन को दर्ज करना

अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित स्थिति में परिवर्तन की सूचना तत्काल मेंसर्स लिंक इन टाइम प्रा. लिमिटेड को दें:

क) विदेश से लौटने पर स्थाई रूप से भारत में निवास करने की स्थिति में अपनी आवासीय स्थिति

ख) भारत में स्थित बैंक खाते का विवरण जिसमें उनका पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एम आई सी आर कोड, आई एफ एस सी कोड, बैंक का पता (पिन कोड सहित) - यदि वह पहले नहीं दिया गया हो तो।

9. बैंक के शेयरों की खरीद-बिक्री अनिवार्यत: डीमैट रूप में (अमूर्त रूप में) करना

हमारे बैंक के शेयरों का आबंटन और उसकी खरीद-बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में केवल अमूर्त रूप में (डीमेट) ही होता है।

बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन एस डी एल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लि. (सी डी एस एल) के साथ करार किया है कि वह अमूर्त रूप में बैंक के शेयरों के निर्गमकर्त्ता कंपनी के रूप में काम करेगा।

शेयरो को अमूर्त रूप में करने के लिए अनुरोध संबंधित निक्षेपागार अंशग्रहणकर्त्ताओं के मार्फत हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्रा. लि. के पास भेजा जाए।

10. जिन शेयरों का कोई दावेदार नहीं:

जिन शेयरों का कोई दावेदार नहीं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

I) 01 अप्रैल 2011 तक बकाया शेयर/दावारहित शेयरों की संख्या: 7415

ii) 31 मार्च 2012 तक लाभार्थियों को अंतरित शेयरों की संख्या : 308

iii) 31 मार्च 2012 तक बकाया शेयर/दावारहित शेयरों की संख्या : 7107

ऐसे दावारहित/बकाया शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक उन शेयरों के सही धारक उसका दावा न करें।

Pvt. Ltd. in respect of shares held in physical form at the following address –

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd Floor
Kolkata - 700 020.

8.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India for permanent settlement.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFSC code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

9. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Our Bank's shares had been allotted and are compulsorily traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent i.e. **M/s Link Intime India Pvt. Ltd.**

10. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

I) Shares outstanding/unclaimed as on April 01, 2011-	7415
ii) Shares transferred to Beneficiary till March 31, 2012 -	308
iii) Shares outstanding/unclaimed as on March 31, 2012 -	7107

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owner.

11. सामान्य पूछताछ

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को उसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्न पते पर की जा सक्ती हैं:

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय
11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
इ-मेल : investors@unitedbank.co.in

12. मताधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 32इ) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

बिक्रमजित सोम
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 5 मई 2012
स्थान : कोलकाता

11. GENERAL QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the Company Secretary at the –

Share Department & Investors Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office,
11, Hementa Basu Sarani,
Kolkata 700001
or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

12. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 1% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

By order of the Board of Directors

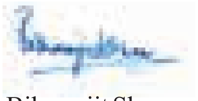

Bikramjit Shom
Company Secretary

Date : May 5^{th}, 2012
Place : Kolkata

निदेशकों की रिपोर्ट

यह निदेशक मंडल 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा इसके साथ 31मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2011-12 का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी अपनी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1. **निष्पादन की एक झलक**

वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यवसाय में ₹ 21,210 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई और यह ₹ 1,52,989 करोड़ हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर ₹ 1,31,779 करोड़ था। इस तरह इसकी वृद्धि दर 16.1% रही।

31 मार्च 2012 को बैंक की कुल जमा राशि में ₹ 11,271 करोड़ की वृद्धि हुई और मार्च 2011 में जहाँ यह ₹ 77,845 करोड़ था यह 31 मार्च 2012 को ₹ 89,116 करोड़ हो गया।इस तरह इसकी वृद्धि दर 14.5% रही।

बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन पर अपनी नीति के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण ऋण आस्तियों के विस्तार हेतु अपना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता रहा है। बैंक के कुल अग्रिम में ₹ 9,939 करोड़ की वृद्धि हुई। 31मार्च 2011 को जहाँ कुल अग्रिम राशि ₹ 53,934 करोड़ थी वह 31मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 63,873 करोड़ हुई। इस तरह इसकी वृद्धि दर 18.4% रही। इस वर्ष बैंक ने ऋण के मामले में अपना ध्यान खुदरा क्षेत्र, कृषि, अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमों तथा मध्यम आकार के कॉरपोरेट क्षेत्रों में केंद्रित किया।

इस वर्ष बैंक नें ₹ 910.73 करोड़ की नकद वसूली की और अनर्जक आस्तिया का श्रेणी उन्नयन किया। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 586.11 करोड़ थी। अनर्जक आस्तियों की पर्याप्त मात्रा में वसूली के बावजूद अत्यधिक मात्रा में नई गिरावट की वजह से बैंक की सकल अनर्जक आस्तियाँ जो 31 मार्च, 2011 को ₹ 1,356 करोड़ थी वह 31मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 2,176 करोड़ हो गई।

2011-12 में विभिन्न कार्यपरक क्षेत्रो में उत्साहजनक कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप आमदनी में समग्रत: वृद्धि हुई। 31 मार्च 2011 की तुलना में 31 मार्च 2012 को ब्याज की कीमत-लागत अंतर में नगण्य सी गिरावट आई और यह 3.06% से घटकर 3.04% हुआ।

2. **आय विश्लेषण**

2011-12 में बैंक की ब्याज-आय में ₹ 1619.63 करोड़ (25.5%) की वृद्धि हुई। 2010-11 में यह ₹ 6.341.46 करोड़ था जो बढ़कर ₹ 7,961.09 करोड़ हुआ इसकी तुलना में ब्याज में 31.4% वृद्धि हुई। 2010-11 में यह राशि ₹ 4,172.11करोड़ थी जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 5,481.85 करोड़ हुई। इस वर्ष शुद्ध ब्याज आय में ₹ 309.89 करोड़ (14.3%) की वृद्धि हुई।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 62nd Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2012 (FY – 2011-12).

1. **Performance at a Glance**:

The total business of the Bank increased by ₹ 21,210 crore to reach ₹1,52,989 crore at the end of the financial year 2011-12 from ₹1,31,779 crore at the end of previous financial year 2010-11, recording a growth rate of 16.1%.

The total deposits of the bank have grown by ₹11,271 crore from ₹77,845 crore as on 31st March 2011 to ₹89,116 crore as on 31st March, 2012 registering a growth rate of 14.5%.

The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management. The total advances of the Bank increased by ₹9,939 crore from ₹53,934 crore as on 31st March, 2011 to ₹63,873 crore as on 31st March, 2012, registering a growth rate of 18.4%. During the year, focused attention was for lending to retail sector, agriculture, MSME and midsize corporate segments for expansion of credit.

During the year, the bank effected a cash recovery and up-gradation of NPAs of ₹910.73 crore compared to ₹586.11 crore in the previous year. Despite substantial recovery of NPAs due to huge fresh slippages, Gross NPA of the Bank increased from ₹1,356 crore as on March 31, 2011 to ₹2,176 crore as on March 31, 2012.

While the encouraging performance in different functional areas during the year 2011-12 resulted in increased earnings in absolute terms, interest spread marginally declined from 3.06% as on 31st March 2011 to 3.04% as on 31st March 2012.

2. **Income Analysis**

Interest income of the Bank during 2011-12 recorded a growth of ₹1,619.63 crore (25.5%) from ₹6,341.46 crore in the year 2010-11 to ₹7,961.09 crore, as against the interest expenses which grew by 31.4% from ₹4,172.11 crore during the year 2010-11 to ₹5,481.85 crore during the year 2011-12. The Net interest income recorded a growth of ₹309.89 crore (14.3%) during the year.

(राशि रू./करोड़ में)			
	2010-11	**2011- 12**	**% में परिवर्तन**
ब्याज आय	6341.46	7961.09	25.5
ब्याज व्यय	4172.11	5481.85	31.4
शुद्ध ब्याज आय	2169.35	2479.24	14.3
गैर–ब्याज आय या अन्य आय	637.05	732.90	15.0
शुद्ध कुल आय	2806.40	3212.14	14.5
परिचालन व्यय	1299.41	1383.30	6.5
परिचालन लाभ	1506.99	1828.84	21.4
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (कर के अतिरिक्त)	827.51	972.68	17.5
कर के पूर्व लाभ	679.48	856.16	26.0
कर हेतु प्रावधान	155.51	223.63	43.8
शुद्ध लाभ	523.97	632.53	20.7
लाभांश (%)	22	24 (प्रस्तावित)	

2011-12 में बैंक की कुल आय (कुल ब्याज आय एवं गैर ब्याज आय) में सुधार हुआ और यह ₹ 8693.99 करोड़ रहा, पूर्ववर्ती वर्ष में यह राशि ₹ 6,978.51 करोड़ थी। इस तरह इस वर्ष इस आय में ₹ 1715.48 करोड़ की वृद्धि हुई।

गर ब्याज आय में ₹ 95.85 करोड़ (15.0%) की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह राशि ₹ 637.05 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 732.90 करोड़ हो गई। 2011-12 में बैंक की कुल आय में गैर ब्याज आय का कुल हिस्सा 9.2% था। यह गैर ब्याज आय (शेयरों की खरीद बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 438.60 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 515.38 करोड़ हुई। इस तरह इसमें 17.5% की वृद्धि हुई।

(Amount in ₹/crore)			
	2010-11	**2011- 12**	**Change in %**
Interest Income	6341.46	7961.09	25.5
Interest Expenditure	4172.11	5481.85	31.4
Net Interest Income	2169.35	2479.24	14.3
Non - Interest Income or Other Income	637.05	732.90	15.0
Net Total Income	2806.40	3212.14	14.5
Operating Expenses	1299.41	1383.30	6.5
Operating Profit	1506.99	1828.84	21.4
Provisions & Contingencies (Excl.Tax)	827.51	972.68	17.5
Profit before Tax	679.48	856.16	26.0
Provision for Tax	155.51	223.63	43.8
Net Profit	523.97	632.53	20.7
Dividend (%)	22	24 (proposed)	

The total income (total of interest income and non-interest income) of the bank improved to ₹8,693.99 crore during the year 2011-12 from ₹6,978.51 crore in the previous year recording a rise of ₹1,715.48 crore i.e. 24.6%.

Non-interest income increased by ₹95.85 crore (15.0%) from ₹637.05 crore in the financial year 2010-11 to ₹732.90 crore in the financial year 2011-12. The share of total Non-Interest Income to total Income stood at 8.4% for the year 2011-12. The Non-Interest Income (excluding Trading Profit) increased from ₹438.60 crore in FY 2010-11 to ₹515.38 crore in FY 2011-12 recording a growth rate of 17.5%.

बैंक के कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री
Hon'ble Union Finance Minister at Bank's Programme

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार, श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई., की उपस्थिति में 4 अक्टूबर 2011 को पश्चिम बंगाल, बीरभूम में आयोजित ऋण सुपुर्दगी शिविर में लाभार्थियों को ऋण संवितरित करते हुए।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, in the presence of Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, disbursing loans to the beneficiaries at a credit delivery camp organised at Mirati, Birbhum, WB on 4th October, 2011.

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, बैंको के वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन पर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, at the Review meeting of banks on implementation of Financial Inclusion Plan in West Bengal, Sikkim & North Eastern States.

कुल शुद्ध आय (शुद्ध ब्याज आय एवं गैर ब्याज आय) जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 2,806.40 करोड़ थी वह वित्तीय वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 3,212.14 करोड़ हो गयी। इस तरह इसमें 14.5% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में परिचालनगत व्यय में 6.5% की वृद्धि हुई और यह ₹ 1383.30 करोड़ रहा। इसकी तुलना में 2010-11 में यह राशि ₹ 1299.41 करोड़ रही।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आय अनुपात की लागत (शुद्ध परिचालन आय का परिचालन व्यय) वित्तीय वर्ष 2010-11 में पड़ी लागत 46.30% से घटकर 43.06% हो गई।

3. कीमत-लागत अंतर का विश्लेषण

(राशि ₹/करोड़ में)

	2010 - 11	2011 - 12	वृद्धि	
			पूर्णांक में	%
कुल ब्याज आय	6341.46	7961.09	1619.63	25.54
कुल ब्याज व्यय	4172.11	5481.85	1309.74	31.39
शुद्ध ब्याज आय	2169.35	2479.24	309.89	14.28
निधियों पर प्रतिफल	8.87%	9.81%		
निधियों की लागत	5.81%	6.77%		
ब्याज की कीमत-लागत अंतर	3.06%	3.04%		

4. परिचालन लाभ

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक का परिचालन लाभ ₹ 1828.84 करोड़ रहा इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह ₹1506.99 करोड़ था। इस तरह इसमें ₹321.85 करोड़ (21.4%) की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आस्तियों की उपयोगिता का अनुपात (औसत कार्यशील निधियों के परिचालन लाभ का प्रतिशत) 2.02% रहा जबकि इसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में यह 1.89% था।

The Net Total Income (Net Interest Income plus Non interest Income) has increased from ₹2,806.40 crore in the financial year 2010-11 to ₹3,212.14 crore in the financial year 2011-12 recording a growth of 14.5%.

The operating Expenses have shown an increase of 6.5% during the financial year 2011-12 and stood at ₹1,383.30 crore as compared to ₹1,299.41 crore in 2010-11.

The Cost to Income ratio (Operating expenses to Net Operating Income) has come down from 46.30% for the financial year 2010-11 to 43.06% in the financial year 2011-12.

3. Spread Analysis

(Amount in ₹ Crore)

	2010 - 11	2011 - 12	Growth	
			Absolute	%
Total Interest Income	6341.46	7961.09	1619.63	25.54
Total Interest Expended	4172.11	5481.85	1309.74	31.39
Net Interest Income	2169.35	2479.24	309.89	14.28
Yield on Funds	8.87%	9.81%		
Cost of Funds	5.81%	6.77%		
Interest Spread	3.06%	3.04%		

4. Operating Profit

The Bank has registered an Operating Profit of ₹1,828.84 crore during the financial year 2011-12 as compared to ₹1,506.99 crore in the financial year 2010-11 registering an increase of ₹321.85 crore (21.4%).

The Asset Utilisation Ratio (percentage of Operating Profit to Average Working Funds) stood at 2.02.% for the financial year 2011-12 compared to 1.89% for the previous year.

वित्तीय समावेशन (ऋण सुपुर्दगी शिविर)/ Financial Inclusion (Credit Delivery Camp)

श्री भास्कर सेन, सी.एम.डी.यु.बी.आई 22.07.2011 को पूर्व मेदिनीपुर के मेछेदा में आयोजित ऋण सुपुर्दगी शिविर में एक लाभार्थी को ऋण-मंजूरी के कागजात सौंपते हुए ।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, handing over Loan sanction letter to a beneficiary at a Credit Delivery Camp organised at Mecheda , Purba Medinipur on 22.07.2011

श्री भास्कर सेन, सी.एम.डी., यु.बी.आई 21.08.2011 को हुगली स्थित मोगरा के डिगसुई साधना बंग विद्यालय में आयोजित ऋण सुपुर्दगी शिविर को संबोधित करते हुए। मंच पर उपस्थित हैं डॉ.रत्ना दे नाग (माननीया सांसद, हुगली), श्री असीम माजी (माननीय विधायक, बालागढ़) तथा बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI addressing at a Credit Delivery Camp at Digsui Sadhana Banga Vidyalaya, Mogra, Hooghly on 21.08.2011 in the presence of Dr. Ratna Dey Nag, Hon'ble MP, Hooghly, Shri Ashim Maji, Hon'ble MLA, Balagarh.

5. प्रावधान

वर्ष 2011-12 में ऋण हानि, मानक आस्तियों पर प्रावधान, कराधान एवं अन्य हेतु कुल ₹1,196.31 करोड़ का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस मद में यह राशि ₹983.02 करोड़ थी।

6. शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक का शुद्ध लाभ ₹632.53 करोड़ रहा। इसके तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 यह राशि ₹ 523.97 करोड़ थी।

7. शुद्ध मालियत एवं जोखिम भारित निधि अनुपात पूंजी

31 मार्च 2012 को बैंक की शुद्ध मालियत में सुधार हुआ और यह ₹ 4,938.95 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च 2011 को यह ₹ 4363.24 करोड़ थी।

31 मार्च 2012 को बैंक की जोखिम भारित निधि अनुपात पूंजी (सीआरएआर) 10.48% (बेसेल I) रही जबकि 31 मार्च 2011 को यह 11.16% थी। यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट 9% के मानदंड से काफी उपर हैं। बेसेल II के मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2012 को जोखिम भारित निधि अनुपात पूंजी (सीआरएआर) 12.69% रही।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 31 मार्च 2012 को बेसेल II के अंतर्गत जोखिम भारित निधि अनुपात पूंजी (सीआरएआर) के संघटक टीयर I और टीयर II क्रमश: 8.79% और 3.90% रहे जबकि 31 मार्च 2011 को यह क्रमश 8.90% और 4.15% था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ईक्विटी पर प्रतिलाभ 13.16% प्रति शेयर अर्जन ₹ 15.79 और प्रति शेयर बही मूल्य ₹114.53 रहा। पिछले वर्ष यह क्रमश: 12.86%, ₹14.38 और ₹102.89 था।

5. Provisions

The Provision for Loan Losses, Provision on Standard Assets, Taxation and others aggregated to ₹1,196.31 crore in the financial year 2011-12 as compared to ₹983.02 crore in the financial year 2010-11.

6. Net Profit

The Bank registered a Net Profit of ₹632.53 crore for the financial year 2011-12 compared to ₹523.97 crore in the financial year 2010-11.

7. Net Worth and CRAR

The Net Worth of the Bank improved to ₹4,938.95 crore as on 31st March, 2012 from ₹4,363.24 crore as on 31st March, 2011.

The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 10.48% (Basel I) as on 31st March, 2012 as against 11.16% as on 31st March, 2011 which is much above the norm of 9% stipulated by Reserve Bank of India. The CRAR as per Basel II guidelines works out to 12.69% as on 31st March 2012.

The Tier-I & Tier-II components of CRAR under Basel II are 8.79% & 3.90% respectively as on 31st March 2012 compared to 8.90% & 4.15% respectively as on 31st March, 2011. The Return on Equity, Earnings Per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2011-12 stood at 13.16%, ₹15.79 and ₹114.53 respectively, against 12.86%, ₹14.38 and ₹102.89 respectively for the previous year.

वित्तीय समावेशन (ऋण सुपुर्दगी शिविर) / Financial Inclusion (Credit Delivery Camp)

स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, सचिव, रामकृष्ण मिशन, सारदापीठ, बेलूर मठ श्री भास्कर सेन, सी.एम.डी.,यु.बी.आई की उपस्थिति में 27.08.2011 को हावड़ा के बेलूर मठ स्थित आर. के. एम. एस. एस. एस. एम. के परिसर में एफ.एल.सी.सी. का उद्घाटन करते हुए।

Swami Divyanandaji Maharaj, Secretary, Ramkrishna Mission, Saradapith, Belur Math in the presence of Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, inaugurating FLCC at RKMSSSM, Belur Math, Howrah on 27.08.2011.

श्री भास्कर सेन,सी.एम.डी.,यु.बी.आई 29.11.2011 को गुवाहाटी मे आयोजित ऋण सुपुर्दगी शिविर में एक लाभार्थी को स्मार्ट कार्ड प्रदान करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, handing over Smart Card to a beneficiary at a Credit Delivery Camp held at Guwahati on 29.11.2011.

8. शाखा विस्तार

2011-12 में इस बैंक की 83 शाखाएं खोली गई। इसी के साथ 31.03.2012 को इसके शाखाओं की कुल संख्या 1680 हो गई जो देश के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं। कुल शाखाओं में से 664 ग्रामीण शाखाएं हैं (39.5%), 310 अर्ध शहरी शाखाएं हैं (18.5%), 384 शहरी शाखाएं है (22.8%) और 322 महानगरीय शाखाए हैं (19.2%)। इस बैंक के 4 विस्तार पटल भी हैं। 2011-12 में खोली गई शाखाओं की राज्यवार संख्या निम्नवत् है।

राज्यवार	2011-12 के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या	राज्यवार	2011-12 के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या
असम	4	पश्चिम बंगाल	28
मेघालय	1	अंदमान और निकोबार	1
मणिपुर	1	ओड़ीशा	5
त्रिपुरा	5	दिल्ली	1
बिहार	3	चंडीगढ़	1
झारखंड	5	मध्य प्रदेश	2
हरियाणा	2	पंजाब	2
राजस्थान	2	उत्तर प्रदेश	6
छत्तीसगढ़	3	महाराष्ट्र	4
तमिलनाडु	3	कर्नाटक	2
आंध्र प्रदेश	2	**कुल**	**83**

केंन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीणा ने 27.02.2012 को सवाई माधोपुर जिले में भादोटी शाखा का उद्घाटन किया। राजस्थान में यह हमारे बैंक की पहली ग्रामीण शाखा है। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हमारे बैंक की 16 शाखाएं बैंक रहित ऐसे गावों में खोली गई हैं जहाँ की आबादी 2000 से अधिक हैं। इस वर्ष बैंक के 25 खुदरा ऋण केंद्र और 11 सेवा शाखाएं खोली गई। कुल 1680 शाखाओं में से 785 शाखाएं (46.7%) अखिल भारतीय स्तर पर 68 अल्प संख्यक समुदाय केंद्रित क्षेत्रों में खोली गई हैं और कुल शाखा नेटवर्क का 58% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गयी हैं ताकि अखिल भारतीय स्तर पर हम अपने बैंक की सेवा उपलब्ध करा सकें।

8. Branch Expansion

With the opening of 83 branches during the year 2011-12, the total number of branches stands at 1680 as on 31.03.2012 spreading across all the States of the country consisting of 664 Rural (39.5%), 310 Semi-urban (18.5%), 384 Urban (22.8%) and 322 Metro (19.2%) branches. The Bank has also 4 Extension Counters. State wise position of opening of branches during 2011-12 are as under:

State	No. of branches opened during 2011-12	State	No. of branches opened during 2011-12
Assam	4	West Bengal	28
Meghalaya	1	Andaman & NI	1
Manipur	1	Orissa	5
Tripura	5	Delhi	1
Bihar	3	Chandigarh	1
Jharkhand	5	Madhya Pradesh	2
Haryana	2	Punjab	2
Rajasthan	2	Uttar Pradesh	6
Chhatisgarh	3	Maharashtra	4
Tamil Nadu	3	Karnataka	2
Andhra Pradesh	2	**TOTAL**	**83**

Bhadoti branch (1st Rural branch of Rajasthan State) of Swaimadhopur District was inaugurated by Sri Namo Narayan Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance on 27.02.2012. The Bank has opened 16 branches in unbanked villages having population 2000+ under Financial Inclusion Plan. The Bank has also opened 25 Retail Loan Hubs and 11 Service Branches during the year. Out of 1680 branches, 785 branches (46.7%) are located in 68 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country and 58% of the total branch networks are in rural and semi-urban areas to serve our country in the hinterland.

क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन / Inauguration of Regional Offices

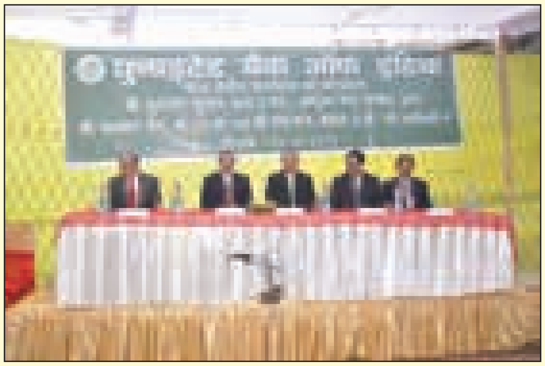

श्री भुवनेश कुमार, आई. ए. एस, आयुक्त, मेरठ मंडल, श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई., बैंक के उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ में 32 वें क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

Shri Bhuvnesh Kumar, I.A.S, Commissioner, Meerut Division and Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI inaugurating the 32nd Regional Office of the bank at Meerut, UP on 21.11.2011.

श्री निखिल कुमार चौधरी, लोक सभा के माननीय सांसद, श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई., 24.03.2012 को बिहार स्थित कटिहार में बैंक के 33 वें क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

Shri Nikhil Kumar Choudhary, Hon'ble M.P. (Lok Sabha) and Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI inaugurating the 33rd Regional Office of the bank at Katihar, Bihar on 24.03.2012.

शाखाओं पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं उनकी निगरानी करने के लिए बैंक के 3 और क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। 25.04.2011 को बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय, 21.11.2011 को मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय और 27.02.2012 को कटिहार क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। 31.03.2012 को कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 33 हो गई।27.02.2012 से पटना क्षेत्रीय कार्यालय को विभाजित करके कटिहार क्षेत्र बना।

9. सरकारी व्यवसाय

यह बैंक विभिन्न प्रकार के सरकारी व्यवसाय कार्य-कलाप करता हैं जैसे-प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण, सीबीइसी के अंतर्गत धन वापसी भुगतान, राज्य व्यवसाय कर आदि। यह काम ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन दोनो ही माध्यमों से किया जाता हैं। सरकारी जमा का संग्रहण जैसे पीपीएफ, एससीएसएस, बचत बॉन्ड का संग्रहण भी किया जाता हैं। सरकारी निधियों का संचलन, जैसे राज्य सरकार राजकोष लेन-देन, विभागीकृत मंत्रालयों का लेखा, स्कूली शिक्षकों के वेतन का भुगतान और विभिन्न प्रकार के पेंशनों का भुगतान भी किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कर -संग्रह के रूप में कुल ₹8642.41 करोड़ का व्यवसाय हुआ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सरकारी व्यवसाय से एजेंसी कमीशन के रूप में बैंक को प्राप्त कमीशन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

यवसाय का प्रकार	अर्जित टर्न ओवर कमीशन(टी ओ सी) (करोड़/ ₹) में
कर	2.62
पेंशन	15.12
स्कूल का वेतन	31.59
राजकोष	8.10
पीपीएफ, एससीएसएस, बॉन्ड एवं एसडीएस	0.38
डीएमए	0.66
कुल	58.47

The Bank has opened three Regional Offices at Bangalore, Meerut and Katihar on 25.04.2011, 21.11.2011 and 27.02.2012 respectively for better control and monitoring of the branches. Total number of Regions stands at 33 as on 31.03.2012. Bihar Region has been bifurcated into Patna Region and Katihar Region on and from 27.02.2012.

9. Government Business

The Bank undertakes different types of Government Business Activities e.g. collection of Direct Taxes (CBDT), Indirect Taxes (CBEC), Payment of refund under CBEC, State Commercial Taxes etc., both on-line and off-line; collection of Government Deposit e.g. PPF, SCSS, Savings Bond; Handling Government Fund e.g. State Government Treasury transactions, Departmentalised Ministries Accounts, Payment of School Teachers' Salary and different types of pension. Total Tax collection during the financial year 2011-12 was to the tune of ₹8,642.41 crore.

Agency commission earned from Government business during Financial year 2011-12 was as follows:

BUSINESS TYPE	Turn Over Commission (TOC) Earned (₹crore)
TAX	2.62
PENSION	15.12
SCHOOL SALARY	31.59
TREASURY	8.10
PPF,SCSS, BOND & SDS	0.38
DMA	0.66
TOTAL	58.47

कारपोरेट सामाजिक दायित्व / Corporate Social Responsibility

श्री भास्कर सेन, सी.एम.डी.,यु.बी.आई. पद्मश्री पंडित अजय चक्रवर्ती, प्रतिष्ठित गायक, श्री जयदेव मुखर्जी, सचिव धरमपुर एस.के.यू.एस.लि., की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गाईघाटा ब्लॉक में अर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, in the presence of Padmashri Pandit Ajoy Chakraborty, Eminent Vocalist, Shri Joydev Mukherjee, Secretary, Dharampur SKUS Ltd., inaugurated Arsenic Treatment Plant at Gaighata Block, 24 Pgs. (N), WB.

14.09.2011 को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की कृषनगर शाखा में नोटों को सिक्के में बदलने वाली मशीन का उद्घाटन करती हुई नदिया की आई.ए.एस. ए.डी.एम (सामान्य) डॉ.(श्रीमती) रश्मि कमल। पास में खड़े हैं नदिया क्षेत्र के डी.जी.एम. एवं सी.आर.एम श्री प्रसून कुमार साहा।

Inauguration of a Coin Vending Machine at Krishnagar Branch, Nadia,WB on 14.09.11 by Dr (Mrs) Rashmi Kamal, IAS ADM (Gen.), Nadia in the presence of Shri Prasun Kumar Saha , DGM &CRM, Nadia Region.

भारतीय नागरिकों के लिए **नई पेंशन योजना** एवं असंगठित क्षेत्र के लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए **स्वावलंबन योजना** के कार्यान्वयन हेतु पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकार ने हमारे बैंक को **प्वाइंट ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी)** के रूप में पंजीकृत किया हैं।

पेंशन भुगतान से संबंधित सारे कामों को पूरा करने के लिए प्रधान कार्यालय के सरकारी लेन-देन विभाग के तहत 01.09.2010 से हमारे बैंक में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) ने काम करना शुरु कर दिया हैं। समस्त केंद्र सरकार राजकोष नामत: केंद्रीय सिविल, राजनीतिक, प्रतिरक्षा,रेलवे, टेलीकॉम/बीएसएनएल के तहत लगभग हमारी 1300 शाखाओं में 1 लाख पेंशनभोगी खातों में संबंधित काम सीपीसीसी विभाग कर रहा है। बैंक के वेवसाइट पर ऑनलाइन पेंशन शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध करा दी गई है। पेंशन भोगियों का मांग-पत्र सभी शाखाओं में और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

शाखा स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को इसके प्रति चेतनशील बनाने के लिए और उनको संबंधित जानकारी देने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक की ओर से नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण/कार्यशाला	कार्यक्रमों की संख्या	स्थान
सरकारी व्यवसाय और नकदी प्रबंधन	40	कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता और नदिया
नई पेंशन योजना (एनपीएस)	1	कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता
सीपीपीसी	26	कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता एवं 24 क्षेत्र

For implementing **New Pension Scheme(NPS)** for all citizens of India and **Swavalamban Yojana** for unorganized sector and economically disadvantaged people, the Bank has been registered as **Point of Presence (POP)** by the **Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)**.

Central Pension Processing Centre (CPPC) has been operationalized in our Bank on 01.09.2010 under Govt. Transaction Deptt., Head Office for undertaking all works relating to pension payment . At present nearly one (1) lakh pensioners' accounts in about 1300 branches under all central Govt. Treasuries viz. Central Civil, Political, Defence, Railway, Telecom/BSNL are being handled by CPPC. On-line pension grievance redressal mechanism is available on Bank's website. Pensioners' Charter has been displayed in all branches and also on Bank's Website.

To sensitize the ground level functionaries and impart knowledge amongst them, Training Programmes and Workshops are being organised regularly by the Bank. During the financial year 2011-12, following Training Programmes / Workshops were conducted by the Bank.

Training / Workshop	No. of Programmes	Place
Government Business & Cash Management	40	Staff Training College, Kolkata and Nadia Region
New Pension System (NPS)	1	Staff Training College, Kolkata
CPPC	26	Staff Training College, Kolkata and 24 Regions

शाखाओं का उद्घाटन / Inauguration of Branches

सांगली,महाराष्ट्र में 1600वीं शाखा का उद्घाटन। शाखा का उद्घाटन यु.बी.आई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन द्वारा, यु.बी.आई के उ.म.प्र. श्री वी.एस.खुटवड तथा सांगली, मिरज एवं कुपवाडा नगर निगम के महपौर (मेयर) श्री इद्रीस नाइकवाडी की मौजूदगी में किया गया।

Inauguration of 1600th branch at Sangli, Maharashtra by Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, in the presence of Shri Idris Naikwadi, Mayor of Sangli, Miraj and Kupwada Municipal Corporation.

आसफ अली रोड शाखा, नई दिल्ली का उद्घाटन युबीआई एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन द्वारा यु.बी.आई के उ.म.प्र. श्री वी गंदोत्रा की मौजूदगी किया गया।

Inauguration of Asaf Ali Road Branch, New Delhi by Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI in the presence of Shri V. Gandotra, DGM & CRM, New Delhi Region - UBI.

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भदोटी शाखा का उद्घाटन माननीय वित्त-राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री नमो नारायण मीणा द्वारा युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सेन तथा बैंक के नई दिल्ली क्षेत्र के उ.म.प्र. एवं मु.क्षे.प्र. श्री वी गंदोत्रा की मौजूदगी में 27.02.2012 को किया गया।

Inauguration of Bhadoti Branch at Sawai Madhopur Distt., Rajasthan by Shri Namoh Narayan Meena, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India in the presence of Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI on 27.02.2012.

10. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ पूरे कॉरपोरेट जगत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व दिन ब दिन बढ़ना जा रहा हैं। इन वर्षों में युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया नें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉरपोरेट अभिशासन के माध्यम से बैंक के वित्तीय कार्यकलापों में प्राथमिकता क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकासमूलक सहायता, औद्योगिक विकास और आधारभूत विकास के साथ-साथ अपने आंतरिक कार्य-कलापों में एकीकृत कर लिया हैं। दीर्घकालिक बैंकिंग, परिवेश, सामाजिक प्रतिबद्धता, मानव संसाधन विकास और हित-धारकों से जुड़ाव हमारे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के आंधार स्तंभ हैं। अति लघु, लघु, मध्यम उद्यमों (एसएमएमई) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित शिक्षा ऋण का महत्तवपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव हम स्वीकार करते हैं। दायित्वशील बैंकिंग के साथ-साथ आर्थिक लाभ और वातावरण का संरक्षण हमारे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। उदाहरण के लिए हम ऐसे किसी उद्योग को ऋण नही देते जिस उद्योग के कारण वायु मंडल की ओजोन परत का क्षय होता हो। हम उन्हीं औद्योगिक इकाईयों को ऋण देते हैं जिन्होने प्रयोजन के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। हमारे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के ढांचे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और भी विस्तारित करना और उसे अधिक प्रभावी बनाना। यह काम ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में तथा समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं, अल्प संख्यकों और पिछड़े वर्ग के सुविधा एवं साधन विहीन वर्ग के लोगों को अतिलघु ऋण प्रदान करते हुए किया जाता हैं।

10. Corporate Social Responsibilities – CSR Activities

CSR has been assuming greater importance in the corporate world, including the banking sector. Over the years, we at United Bank of India, have integrated CSR principles with the Bank's financial, promotional and development assistance to the Priority Sector, industrial growth, infrastructure development, as well as our own internal functioning through good corporate governance practices. Our CSR pillars are Sustainable Banking, Environment, Social Commitments, Human Resources Development and Stakeholders Engagements.

We acknowledge that lending to MSME sector, Priority Sector including Education Loans has significant sustainability impact. Responsible banking, along with realization of economic benefits and protection of environment form an integral part of our CSR strategy. For instance, we do not provide credit to Ozone depleting industries. We extend credit to industrial units only after they obtain 'No Objection Certificate' from the Pollution Control Board, wherever required.

An important plank of our CSR framework has been to widen and deepen the process of financial inclusion by way of purveying micro credit to the disadvantaged sections, such as women, minorities and backward classes in rural, unorganized and weaker section of the society.

11. युनाइटेड बैंक ग्रामीण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (युबीआरसेटी)

इस वर्ष बैंक ने एक और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोला है। इसी के साथ 31.03.2012 को हमारे बैंक द्वारा खोले गए ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 11 हो गई है। 30.11.2011 को असम के मोरी गॉव में युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोला गया।

11. United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI)

Bank has set up one more RSETI during the current year taking the total RSETIs set up by the bank as on 31.03.2012 to 11. The RSETI opened during the year 2011-12 is as follows:

शाखाओं का उद्घाटन / Inauguration of Branches

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया श्री बलराम मंडल, उप महाप्रबंधक एवं मु.क्षे.प्र. हुगली क्षेत्र की उपस्थिति में डिगसुई शाखा, हुगली, पश्चिम बंगाल का उद्घाटन करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI inaugurating the Digsui branch in Hooghly, WB in the presence of Shri Balaram Mandal, DGM & CRM, Hooghly Region, UBI.

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने 23 नवम्बर 2011 को नदिया में कल्याणी स्थित सेंट्रल पार्क शाखा का उद्घाटन कल्याणी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो.आलोक कु. बनर्जी तथा यु.बी.आई के उ.म.प्र. श्री प्रसून साहा की मौजूदगी में किया।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI inaugurating the Central Park Branch at Kalyani, Nadia in presence of Prof. Alok K. Banerjee, Hon'ble Vice Chancellor, University of Kalyani, and Shri Prasun Saha, DGM & CRM, Nadia Region, UBI.

श्री दीपक नारंग, ,कार्यपालक निदेशक, यु.बी.आई. बंगलोर स्थित महालक्ष्मीपुरम शाखा का उद्घाटन श्री पी.रामचंद्रन, महाप्रबंधक, एम.एम.टी.सी.लि., बंगलोर तथा श्री दयाराम अग्रवाल, प्रख्यात भवननिर्माता की मौजूदगी में करते हुए।

Shri Deepak Narang, ED-UBI inaugurating the Mahalakshmipuram Branch, Bangalore in the presence of Sri P. Ramachandran, GM, MMTC Ltd, Bangalore and Sri Dayaram Agarwal, a renowned builder.

इस बैंक ने ऐसे संस्थानों के लिए शीर्षस्थ नीति निर्माता के रूप में युनाइटेड बैंक ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार न्यास (युबीरूडसेट) की स्थापना की है। यह न्यास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानो के कार्य कलापों की समीक्षा तिमाही आधार पर करता हैं। ऐसी पिछली समीक्षा 11.03.2012 को युबीरूडसेट की न्यासी बोर्ड की बैठक में की गई थी।

31.03.2012 तक इन संस्थानों में 18064 ग्रामीण युवकों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 13939 प्रशिक्षार्थियों ने खुद का रोजगार शुरु कर दिया है और 965 मजदूरी पर काम कर रहे हैं। खुद के रोजगार में लगे 13939 प्रशिक्षार्थियों में से 7292 प्रशिक्षार्थियों को हमारे बैंक ने ऋण दिया है।

ये संस्थान प्रशिक्षणोत्तर सहायता (एस्कोर्ट सेवा) उपलब्ध कराते हैं और साथ ही ये हमारे बैंक की शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता करते हैं ताकि प्रशिक्षणार्थी खुद अपना व्यवसाय शुरु कर सके।

- **वित्तीय साक्षरता सह ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)**

समाज के गरीब वर्ग के लोगों को वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह सेवा देने के लिए बैंक की ओर से 10 वित्तीय साक्षरता सह ऋण सलाह केंद्र खोले गए हैं। ये सलाह केंद्र पश्चिम बंगाल के 24 परगना (दक्षिण), उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और हावड़ा जिले में, असम के कछार एवं मोरीगॉव जिले में खोले गए हैं।

- **युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास प्रतिष्ठान (युबी एस इ डी एफ)**

युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास प्रतिष्ठान की स्थापना 30 मार्च 2007 को की गई इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास कार्य-कलाप का संप्रवर्तन एवं उन्हे आगे बढ़ाना तथा समाज के कमजोर एवं अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को सहायता देना है। यह उद्देश्य बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट

- United Bank Rural Self Employment Training Institute (United R-SETI), Morigaon, Assam- opened on 30.11.2011
  Bank has set up United Bank Rural Development and Self Employment Trust (UBRUDSET) as apex policy making body of the institutes. The Trust reviews functioning of RSETIs on quarterly basis. The last such review was undertaken on 11.03.2012 at the meeting of Board of Trustees of UBRUDSET.

  Up to 31.03.2012 these institutes have imparted training to 18064 rural youths/women of which 13939 trainees are self employed and 965 trainees are wage employed. Out of 13939 self employed trainees 7292 trainees have got loans from banks.

  The institutes are providing post training support (Escort service) including arrangement of loan from our bank branches to enable the trainees to set up their own venture.

- **FLCC**
  Bank has also set up 10 Financial Literacy cum Credit Counselling Centres (FLCCs) in the districts of South 24-Parganas, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Howrah in West Bengal, Cachar and Morigaon in the state of Assam, South Tripura and Dhalai in Tripura, Ukhrul & Imphal East in Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society.

- **United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)**

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken

कार्यक्रम / Events

पेट्रापोल एल.सी.एस. के रास्ते निर्यात की संभावनाएं विषय पर एक वार्ता बैठक के दौरान श्री अनुप कुमार पुजारी, महानिदेशक, विदेशी व्यापार, श्री सलीम गंगाधरन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, एवं श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया।

Shri Anoop K. Pujari, DGFT, Shri Salim Gangadharan, RD-RBI, Kolkata & Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI during an Interactive Meet on Export Opportunities through Petrapole LCS.

श्री डी.सुब्बाराव,गवर्नर,आर.बी.आई., श्री भास्कर सेन, सी. एम. डी.-यु.बी.आई की मौजूदगी में आर.बी.आई. गुवाहाटी द्वारा 30 नवम्बर 2011 को आयोजित असम स्थित मोरीगाँव जिले के डोंगाबोरी गाँव में एक वित्तीय आउटरिच शिविर को संबोधित करते हुए ।

Shri D. Subbarao, Governor, RBI in the presence of Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI addressing at a Financial Outreach Camp organized by RBI, Guwahati on 30.11.2011 at Dongabori Village, Morigaon, Assam.

श्री भास्कर सेन, सी.एम.डी., यु.बी.आई., यु.बी.आई के पूर्व-ई.डी. श्री एस.एल.बंसल, तथा बी.ए.जी.आई.सी. के सी.एम.ओ. श्री तपन सिंघल की मौजूदगी में 17.12.2011 को युनाइटेड सुरक्षा योजना पालिसी के अंतर्गत एक लाभार्थी को दावा का चेक प्रदान करते हुए ।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, in the presence of Shri S.L. Bansal, the then ED, UBI & Shri Tapan Singhel, CMO-BAGIC, distributing Claim Cheque to a beneficiary under United Suraksha Yojana Policy on 17.12.2011.

सामाजिक दायित्व के निर्वहण के लिए, 18 दिसंबर 2006 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निर्धारित किया था।

by the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 18th December, 2006, towards discharging corporate social responsibility of the Bank.

इस प्रतिष्ठान ने कई कल्याणकारी कार्य-कलापी को अंजाम दिया है और इस कार्य में कुल ₹89.24 लाख लगाए हैं। वर्षवार खर्च का ब्यौरा निम्नवत् है:

The Trust has undertaken a series of welfare activities involving total assistance of ₹ 89 lac. The year wise breakups of the assistance are furnished below:

वर्ष	इकाईयों की संख्या	सहायता राशि (₹ लाख) में
2007-08	8	6.50
2008-09	8	7.21
2009-10	7	8.05
2010-11	16	49.39
2011-12	6	17.40

YEAR	NO. OF UNITS	AMOUNT OF ASSISTANCE (₹ in lac)
2007-08	8	6.50
2008-09	8	7.21
2009-10	7	8.05
2010-11	16	49.39
2011-12	6	17.40

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं है: मणिपुर के उखरूल जिले में मुइरी गॉव और हैमली खाँग हुंगहुंग में दो नलकूप लगवाना, 24 परगना (दक्षिण)जिले में दक्षिण कामरपोल नि:शुल्क प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं की छत को पक्का करवाना और 24 परगना उत्तर जिले के चालताबेड़िया में एक आवासीय कृषक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करवाना शामिल है।

Some of the important projects are, installation of two water hand pumps in Muirei village and Hamlei Khong Humdung at Ukhrul District of Manipur State,construction of concrete roof of the class rooms of Dakshin Kamarpole F.P.School at 24 Parganas (South) district and construction of one Residential Farmers' Training Centre, Chaltaberia, 24 Parganas (North) district etc.

12 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप 2011-12 में बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 26 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है और वहां पाई गई कमियों को दूर करने की सलाह दी गई है। 04.07.2011 को बैंक के प्रधान

12. Progressive use of Official Language

In pursuant to the Official Language Policy of the Government so many measures were taken for implementation of the Official Language Policy in the Bank during the year 2011-12. 26 Regional Offices of the Bank were inspected by the Official

पुरस्कार / Awards

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई. ईआइआइएलएम द्वारा आयोजित समारोह में नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, receiving Leadership Award at a function organised by EIILM, Kolkata.

2010-11 में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए न. रा. का. स (बैंक) कोलकाता (संयोजक-यु.बी.आई) भारत सरकार के राजभाषा सचिव से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

TOLIC (Bank), Kolkata (Convener - UBI) receiving 1st Prize from the Secretary, Department of Official Language, Govt. of India for excellent performance in implementation of Official Language Policy during 2010 – 2011.

कार्यालय में इस बैंक के राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सितंबर – अक्टूबर 2011 में हिन्दी दिवस/हिन्दी माह में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने की प्रेरणा मिल सके। इस वर्ष तीन दिवसीय 10 हिन्दी कार्यशालाएं एवं दो दिवसीय 13 हिन्दी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिसका आयोजन कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अपने स्तर पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया। प्रवीण एवं प्राज्ञ की कक्षाएं भी आयोजित होती रहीं। परिणाम स्वरूप इस वर्ष कुल 80 अधिकारियों/कर्मचारियों ने निर्धारित हिन्दी परीक्षाए पास कीं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता का संयोजक होने के नाते छमाही आधार पर बैंक की ओर से दो बैठकें आयोजित की गईं। संघ की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंक को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से 2010-11 के लिए प्रथम पुरस्कार (राजभाषा शील्ड) से सम्मानित किया गया है। 09.09.2012 को पटना में आयोजित समारोह में बैंक को यह पुरस्कार दिया गया। यह बैंक 'युनाइटेड दर्पण' नाम की त्रैमासिक राजभाषा गृह पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से करता है। बैंक का वेबसाइट द्विभाषिक है। 31.03.2012 तक बैंक के 16100 कंप्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर लगवा दिए गए हैं। 762 एटीएम स्क्रीन भी द्विभाषिक सुविधायुक्त हैं। सीबीएस प्रणाली को द्विभाषिक सुविधा सम्पन्न बनाने का काम प्रगति पर है और आशा है, जून 2012 तक यह काम पूरा हो जाएगा। बैंक के पोर्टल पर राजभाषा से संबंधित विभिन्न फॉर्म एवं अग्रेषण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

13. प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

इस बैंक की ओर से 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को प्रायोजित किया गया है। इन बैंकों के नाम हैं बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (पश्चिम बंगाल), असम ग्रामीण विकास

Language Department, Head Office and necessary suggestions were given for achieving the targets and eradication of shortfall. All India conference and review meeting of Official Language Officers of the Bank was held on 04-07-2011 at Bank's Head Office. During September-October, 2011 Hindi Competitions and other programmes were organized on the occasion of Hindi Day/ Hindi Month with a view to motivate the employees towards using Hindi in day to day official works. 10 Nos. of Hindi Workshops (each for 03 days) and 13 nos. of Hindi Software training programmes (each for 02 days) were organized at Bank's Staff Training College, Kolkata. In addition to this, Hindi workshops were also organized by different Regional Offices. Hindi Training Classes (Praveen & Pragya courses) are conducted. Consequently, 80 Officers / Employees passed Hindi Examination during the year. Being the convener of Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata, our Bank organized two meetings on half yearly basis . Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language has awarded our Bank with 1st Prize (Rajbhasa Shield) for commendable performance in implementing the Official Language Policy of the Union during the year 2010-11. The Bank received the prize in the Official Language Conference of East Region held on 09-02-2012 at Patna. For wide publicity of the Official Language, the Bank is publishing a Hindi magazine 'United Darpan' regularly on quarterly basis. Bank's Website is bilingual. 16100 Computers were installed with Hindi Software as on 31.03.2012. 762 ATMs screen are also bilingual. Process of bilingualization of Finacle in CBS System is in progress and expected to be completed by June 2012. Various types of forms related to Official Language and format of forwarding letters have been uploaded on Bank's portal.

13. Performance of Sponsored Regional Rural Banks

The Bank has four sponsored RRBs viz., Bangiya Gramin Vikash Bank in West Bengal, Assam Gramin Vikash Bank in Assam,

समारोह / Celebrations

14 मार्च 2012 को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए।

United Bank of India celebrating International Women's Day on 14th March 2012 at its Head Office, Kolkata.

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई., 18.12.2011 को बैंक के संस्थापना दिवस पर संस्थापकों को माल्यार्पण करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, garlanding the founders of the Bank on the Bank's 62nd Foundation Day on 18.12.2011.

बैंक (असम), त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (त्रिपुरा) और मणिपुर ग्रामीण बैंक (मणिपुर)। इन चारों बैंको के व्यवसाय की समग्र स्थिति निम्नवत् है:

(राशि ₹/ करोड़ में)				
	स्थिति		समाप्त वर्ष में विकास का (%)	
	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012
शाखाओ की कुल संख्या	1054	1093	1.0	3.7
कुल व्यवसाय	18,680	21,839	21.0	16.9
जमा	12,716	14,470	18.3	13.8
अग्रिम	5,964	7,369	27.3	23.6

उपर्युक्त चारों प्रायोजित बैंकों की सभी शाखाओं में 13.08.2011 से कोर बैंकिंग समाधान सेवा (सीबीएस) शुरु हो गई है। यह काम इसके लिए निर्धारित तारीख से काफी पहले पूरा कर लिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के ग्राहको के लिए प्रायोजित बैंकों के जरिए एनईएफटी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने भी उनको आबंटित सभी 2362 गॉवों में अपनी शाखाए खोली हैं जिनकी आबादी 2000 से अधिक है।

14. निदेशक - मंडल का गठन

निदेशक-मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुरूप किया गया है जो कॉरपोरेट अभिशासन की जरुरतों के अनुरूप है।

इस वर्ष निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण करने वालों में शामिल हैं-श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक, श्री संदीप कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक, श्री सुनील गोयल, सनदी लेखाकार संवर्ग में अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक, श्री पीयूष कांति घोष, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, श्री हिरण्य बोरा और श्री किरण बी. बाडोदरिया, गैर-कार्यालयीन निदेशक। निदेशक-मंडल इन सबों का हार्दिक स्वागत करता है।

Tripura Gramin Bank in Tripura & Manipur Rural Bank in Manipur. The combined aggregate business positions of all the four-sponsored RRBs are as follows:

(Amount in ₹ crore)				
	Position as on		Growth (%) during the year ended on	
	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012
Total No. of Branches	1054	1093	1.0	3.7
Total Business	18,680	21,839	21.0	16.9
Deposit	12,716	14,470	18.3	13.8
Advance	5,964	7,369	27.3	23.6

The four sponsored RRBs have migrated all their branches to CBS platform by 13.08.2011 well before the targeted date. NEFT facility through sponsor bank is available to the customers of RRBs. Under Financial Inclusion Plan the RRBs have also covered all the 2362 villages with population above 2000 allotted to them.

14. Constitution of Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970, which satisfies the requirements of Corporate Governance.

Shri Deepak Narang, Executive Director, Shri Sandeep Kumar, GoI Nominee Director, Shri Sunil Goyal, Part-time Non-official Director under CA category, Shri Pijush Kanti Ghosh, Officer Employee Director, Shri Hiranya Bora and Shri Kiran B Vadodaria, Non-official Directors joined the Board during the year and the Board of Directors extends warm welcome to all of them. Shri S. L. Bansal, the preceding Executive Director of the Bank was promoted as the Chairman & Managing Director of Oriental

समीक्षा बैठक / Review Meeting

श्री राकेश सिंह, अतिरिक्त, सचिव (वि.सें.), वित्तमंत्रालय, भारत सरकार, श्री संदीप कुमार, निदेशक (वि.स. और क्षे.ग्रा.बैं.) वित्तीय मंत्रालय और इस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, कोलकाता में, उत्तर पूर्वी राज्यों में बैंकिग सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

Shri Rakesh Singh, IAS, Addl. Secretary (FS), Ministry of Finance, Govt. of India presided the Review Meeting on the Progress of Banking Facilities in the States of North-Eastern Region in the presence of Shri Sandeep Kumar , Director (FI & RRB) , Ministry of Finance & senior officials of the banks in Kolkata

श्री राकेश सिंह, अतिरिक्त, सचिव (वि.सें.), वित्तमंत्रालय, भारत सरकार, श्री संदीप कुमार, निदेशक (वि.स. और क्षे.ग्रा.बैं.) वित्तीय मंत्रालय और इस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, गुवाहाटी में, उत्तर पूर्वी राज्यों में बैंकिग सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

Shri Rakesh Singh, IAS, Addl. Secretary (FS), Ministry of Finance, Govt. of India presided the Review Meeting on the Progress of Banking Facilities in the States of North-Eastern Region in the presence of Shri Sandeep Kumar, Director (FI & RRB), Ministry of Finance & senior officials of the banks in Guwahati

इस बैंक के पूर्ववर्ती कार्यपालक निदेशक श्री एस.एल. बंसल ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत हो गए हैं। यह निदेशक मंडल इस नए पद पर उनकी सफलता की कामना करता है।

श्री संजीव कुमार जिंदल, भारत सरकार के नामित निदेशक और डॉ. नयना शर्मा, गैर-कार्यालयीन निदेशक इस वर्ष पद मुक्त हुए हैं। निदेशक मंडल बोर्ड के कार्य-कलापों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है एवं उनकी सराहना करता है।

Bank of Commerce during the year. The Board wishes a success in his new assignment.

Shri Sanjeev Kumar Jindal, GoI Nominee Director and Dr. Naina Sharma, Non-official Director vacated their offices during the year. The Board places on record its sincere gratitude and profound appreciation for the valuable contribution made by them towards smooth functioning of the Board.

31 मार्च 2012 को निदेशक मंडल

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकत्व की प्रकृति	पदभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.03.2010
2.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	01.03.2012
3.	श्री संदीप कुमार	नामित निदेशक, भा.स.	गैर-कार्यपालक	02.12.2011
4.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	भा.रि.बैंक की नामित निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	30.07.2010
5.	श्री सुनील गोयल	सनदी लेखाकार वर्ग गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	22.07.2011
6.	श्री श्रेणिक सेट	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	06.10.2010
7.	श्री हिरण्य बोरा	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	05.04.2011
8.	श्री किरण बी. वादोदरिया	गैर-कार्यालयीन निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	28.11.2011
9.	श्री पीयूष कांति घोष	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	19.12.2011
10.	श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	13.01.2010
11.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	27.11.2010

Board of Directors as on March 31, 2012:

Sl.No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director	Executive	01.03.2010
2.	Shri Deepak Narang	Executive Director	Executive	01.03.2012
3.	Shri Sandeep Kumar	Nominee - GOI	Non-Executive	02.12.2011
4.	Smt. Surekha Marandi	Nominee - RBI	Non-Executive Independent	30.07.2010
5.	Shri Sunil Goyal	Non-Official Director under CA category	Non-Executive Independent	22.07.2011
6.	Shri Srenik Sett	Non-Official Director	Non-Executive Independent	06.10.2010
7.	Shri Hiranya Bora	Non-Official Director	Non-Executive Independent	05.04.2011
8.	Shri Kiran B Vadodaria	Non-Official Director	Non-Executive Independent	28.11.2011
9.	Shri Pijush Kanti Ghosh	Officer Employee Director	Non-Executive	19.12.2011
10.	Shri Soumitra Talapatra	Workmen Director	Non-Executive	13.01.2010
11.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	Non-Executive Independent	27.11.2010

ताल-मेल व्यवस्था / Tie-Ups

यू.बी.आई. ने श्री रत्न राज बज्राचार्या, सी.ई.ओ., जी.बी.एल-नेपाल, श्री भास्कर सेन - सी.एम.डी.(यु.बी.आई), श्री सी. के. घीमीरे (माननीय महावाणिज्य दूत-नेपाल), श्री सी. पी. धकाल, अध्यक्ष-जी. बी. एल-(नेपाल) की उपस्थिति में भारत-नेपाल विप्रेषण सेवा प्रदान करने लिए ग्लोबल बैंक लि.के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

UBI signed MoU with Global Bank Ltd. (Nepal) for offering Indo-Nepal Remittance services in the presence of Shri Ratna Raj Bajracharya, CEO, GBL-Nepal, Shri Bhaskar Sen-CMD (UBI), Shri C.K. Ghimire (Hon'ble Consulate General-Nepal), Shri C.P.Dhakal Chairman-GBL (Nepal).

यु.बी.आई ने वेस्टर्न यूनियन के तहत पॉल मर्चेंट्स लि. के साथ आवक विप्रेषण सेवा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर उपस्थित हैं यु.बी.आई के पूर्व-ई.डी. श्री एस. एल. बंसल एवं पॉल मर्चेंट्स लि. की व्यापार प्रमुख सुश्री अरूणा सिंह।

UBI signed MoU with Paul Merchants Ltd. for offering Inward Remittance services under Western Union, in the presence of Shri S.L Bansal, the then ED, UBI and Ms. Aruna Singh, Business Head-Paul Merchants Ltd.

श्री भास्कर सेन-सी.एम.डी (यु.बी.आई) की उपस्थिति में श्री ए.नंदा, महाप्रबंधक - यु.बी.आई एवं श्री एस.नागनाथ, प्रेसीडेंट एवं सी.आई.ओ., डी.एस.पी. ब्लैकरोक यु.बी.आई की शाखाओं से म्यूचूअल फंड के वितरण योजना के करार-पत्रों का आदान प्रदान करते हुए।

Shri A.Nanda , General Manager-UBI & Shri S. Naganath, President & CIO, DSP Blackrock, in the presence of Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI, exchanging agreement papers for distribution of schemes of DSP Blackrock Mutual Fund from UBI branches.

नदेशक मंडल और समिति की बैठकें

2011-12 में निदेशक-मंडल 11 अवसरों पर एकत्रित हुआ। समिति की बैठकों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया हुआ है :

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति	18 बैठकें
निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति	10 बैठकें
शेयरधारक समिति	04 बैठकें
निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति	04 बैठकें
अधिक मूल्य की धोखाधड़ी की समीक्षा हेतु गठित विशेष समिति	03 बैठकें
ग्राहक सेवा समिति	04 बैठकें
निदेशकों की पदोन्नति समिति	– x
पारिश्रमिक समिति	01 बैठक
उच्चाधिकार प्राप्त समिति	05 बैठकें
निदेशक मंडल की सू.प्रौ. उप – समिति	03 बैठकें
नामन समिति	– x
55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु विशेष समिति	– x

15. निदेशकों का दायित्व विवरण

निदेशक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वार्षिक लेखा को तैयार करने में

- लागू होने योग्य लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और यदि कोई तथ्यात्मक व्यतिक्रम हुआ हैं तो उसकी समुचित व्याख्या दी गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग -निर्देशों को अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों का निरंतर उपयोग किया जाता हैं।
- वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2012 की समाप्ति पर बैंक के कामों और उसे हुए मुनाफे का सही और साफ-सुथरा स्वरूप दिखे-इसके लिए युक्ति-संगत और विवेक-पूर्ण निर्णय एवं प्राकलन किए गए हैं।

Board & Committee Meetings

During 2011-12 the Board of Directors met 11 times. The details of Committee Meetings are as under –

Management Committee of the Board of Directors	– 18 meetings
Audit Committee of the Board of Directors	– 10 meetings
Shareholders Committee	– 4 meetings
Risk Management Committee of the Board of Directors	– 4 meetings
Special Committee to Review High Value Frauds	– 3 meetings
Customer Service Committee	– 4 meetings
Director's Promotion Committee	– x
Remuneration Committee	– 1 meeting
High Powered Committee	– 5 meetings
IT Sub-Committee of Board	– 3 meetings
Nomination Committee	– x
Special Committee to Monitor Officers above 55 years	– x

15. Director's Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of Annual Accounts for the year ended 31st March 2012 –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year ended on 31st March 2012.

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ / Other Important Events

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु. बी. आई. इन्डो म्यामां सीमा व्यापार हेतु 8 दिसम्बर 2011 को मोन्या चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के शिष्ट मंडल के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI addressing during an interactive meet with delegates from Monwya Chamber of Commerce, Myanmar on 8th December, 2011 for Indo-Myanmar border trade.

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु.बी.आई., 01.03.2012 को इस बैंक के कार्यपालक निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण कर रहे श्री दीपक नारंग, का स्वागत करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI greeting Shri Deepak Narang, ED-UBI on his assuming the charge as Executive Director of the Bank w.e.f. 01.03.2012.

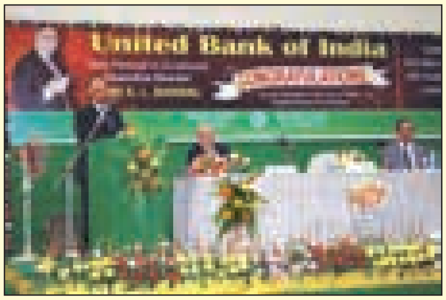

श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यु. बी.आई., श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक, यु.बी.आई की उपस्थिति में अपने पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस.एल बंसल को ओ.बी.सी. में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर जाते समय आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए।

Shri Bhaskar Sen, CMD-UBI addressing at the farewell of Shri S. L. Bansal, Ex-ED, UBI on his elevation to the post of CMD-OBC in the presence of Shri Deepak Narang, ED-UBI.

भारत में बैंक अभिशासन के लिए लागू प्रावधानों एवं कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख –रखाव का समुचित और भरपूर ध्यान रखा गया है और यह लेखा प्रचलित आधार पर तैयार किया गया है।

16. प्रस्तावित लाभांश

निदेशक मंडल ने 05 मई 2012 को आयोजित बैठक में अंतिम लाभांश 24% की दर से अर्थात् ₹10 अंकित मूल्य के प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर ₹ 2.40 की दर से बैंक के उन सभी शेयरधारकों को लाभांश दिए जाने की अनुशंसा की है जिनके नाम लेखाबंदी की तारीख को सदस्यों की बही में दर्ज है, बशर्ते शेयरधारकों और उपयुक्त नियामक प्राधिकारियों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाए। इससे लाभांश और लाभांश–कर के रूप में ₹189.03 करोड़ खर्च होंगे।

17. अभिस्वीकृति

यह निदेशक–मंडल हितधारकों से प्राप्त संरक्षण एवं उनके सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है। यह उन बहुमूल्य मार्ग–निर्देशों और उत्कृष्ट समर्थन को भी अपने अभिलेख में प्रस्तुत करना चाहता है जो उसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, अन्य नियामक एजेंसियों और राज्य–स्तरीय वित्तीय संस्थानों से मिला है। यह निदेशक मंडल हर स्तर पर कार्यरत अपने कर्मचारियों की प्रशंसनीय सेवाओं की भी प्रशंसा करता है।

कृते निदेशक मंडल

(भास्कर सेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 05 मई, 2012

- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with applicable provisions of laws governing Banks in India and accounts have been prepared on a going concern basis.

16. Proposed Dividend

The Board at its meeting held on May 5th 2012 has recommended, subject to the approval of the shareholders and appropriate regulatory authorities, final dividend at the rate of 24% i.e. ₹2.40 per equity share of face value of ₹10/- each, to all equity shareholders of the Bank whose name appear on the Register of Members on the date of the Book Closure. This will entail an outgo of ₹189.03 crore on account of Dividend and Dividend Tax.

17. Acknowledgement

The Board of Directors wishes to place on record its appreciation to the patronage and cooperation received from all the stakeholders. The Board also likes to place on record the valuable guidance and excellent support extended by the Reserve Bank of India, Government of India, State Government of West Bengal, other regulatory agencies and all other State level financial institutions. The Board of Directors appreciates the commendable services of the employees at all levels.

For and on behalf of the
Board of Directors

(Bhaskar Sen)
Chairman & Managing Director

Place : Kolkata
Date : 5th May, 2012

बैठक
Meeting

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल 29 जुलाई 2011 को भाषा भवन, कोलकाता में का असाधारण महासभा में भाग लेते हुए।

The Board of Directors of UBI at Annual General Meeting held on 29th July, 2011 at Bhasha Bhavan, Kolkata.

27 मार्च 2012 को भाषा भवन, कोलकाता में आयोजित असाधारण महासभा का दृश्य।

The Extraordinary General Meeting held on 27th March, 2012 at Bhasha Bhavan, Kolkata.

प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण

1. 2011-12 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति

1.1 03 मई 2011 को घोषित वार्षिक मौद्रिक नीति पिछले वर्ष की तुलना में भिन्न रूप में प्रस्तुत की गई। वर्ष 2010-2011 हेतु मौद्रिक नीति का लक्ष्य सतत् विश्वव्यापी अनिश्चितता के माहौल मे वसूली को पोषित करना था। यह आपूर्ति अन्य मुद्रास्फीति के गिरावट को रोकने का प्रयास था। 2011-12 की अंतिम तिमाही में मुद्रा स्फीति का पुनरुत्थान चिंता का विषय हो गया था। तीन ऐसे प्रमुख कारण थे जिसने 2011-12 हेतु मौद्रिक नीति एंव दृष्टिकोण को नया रूप दिया।

- विश्व स्तर पर वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे एवं वर्ष के दौरान इसमें बढोत्तरी हुई। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उच्चत्तर मुद्रास्फीति बनी रहेगी बल्कि बदतर होने की भी संभावना है।
- विगत कुछ माह के दौरान सकारात्मक पूर्वानुमानों (प्रोजेक्शन) को भी पीछे छोड़ते हुए हेडलाइन एवं कोर मुद्रास्फीति आगे बढ़ी। इसके फलस्वरूप, अपेक्षाओं को गलत होने की संभावना बन जाती है।
- इसके अलावा उपर्युक्त कारकों के विपरित जैसे मांग की सामान्य वजह से भी मूल्य में कमी की संभावना बनती है एवं वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। नीति निर्धारण में इस विपरित लक्षण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

1.2 वर्ष 2011-2012 के लिए मुद्रानीति के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित थे–

- ऐसे ब्याज दर वातावरण को बनाए रखना जिससे मुद्रास्फीति सामान्य रहे एवं मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश रहे।
- मूल्य स्थिरता के वातावरण को बनाए रखना जिससे कि मध्यम रूप से विकास होता रहे एवं इसके साथ वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे।
- चलनिधि (लिक्विडिटी) का प्रबंध करना है ताकि यह विशाल पैमाने पर संतुलित रह सकें और इसके फलस्वरूप न तो इतनी अधिक मात्रा में अधिशेष हो कि मुद्रा संचरण कम हो जाये और न तो इतना अधिक घाटा हो कि निधि प्रवाह अवरुद्ध हो जाए।

1.3 चलनिधि (लिक्विडिटी) समायोजन सुविधा (एल ए एफ) के अंतर्गत रेपो दर 6.75% से 7.32% होने से 30 आधार प्वाइंट में वृद्धि हुई। तदनुसार, नई परिचालन प्रक्रिया के अनुसार एल ए एफ के तहत रिवर्स रेपो दर 6.25% समायोजित किया गया था। मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एम एस एफ) दर, जिसका निर्धारण रेपो दर से ऊपर 100 आधार प्वाइंट में किया जाता है उसकी गणना 8.25% की गई थी। बैंक दर को 6% पर अपरिवर्तित रखा गया था। तदनुरूप आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) को अनुसूचित बैंकों के सकल मांग एवं समय देयता (एन डी टी एल) के 6% पर अपरिवर्तित रखा गया था।

कुछ अन्य उपाय सम्मिलित किए गए:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2011 से बचत ब्याज की दर 3.5% से 4.0% करने का निर्णय लिया
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने मालेगम समिति द्वारा अनुशंसित माइक्रो वित्त संस्थाओं (एम एफ आइ) के विनियमों के ढांचे को स्वीकार कर लिया है।

MANAGEMENT DISCUSSUION AND ANALYSIS

1. MONETARY POLICY OF THE RBI FOR 2011-12

1.1 The Annual Monetary Policy for 2011-12 announced on May 3, 2011was set in conditions significantly different from those a year ago. For 2010-11, the goal for monetary policy was to nurture the recovery in the face of persistent global uncertainty, while trying to contain the spill-over of supply side inflation. The resurgence of inflation in the last quarter of 2010-11 became a matter of concern. Three factors have shaped the outlook and monetary strategy for 2011-12.

- Global commodity prices may remain firm, and may well increase further over the course of the year. This suggests that higher inflation will persist, and may indeed get worse.
- Headline and core inflation have significantly overshot even the most pessimistic projections over the past few months. This raises concerns about the expectations becoming unhinged.
- Another factor, countering the above forces, is the likely moderation in demand, which should help reduce pricing power and the extent of pass-through of commodity prices. This contra trend cannot be ignored in the policy calculation.

1.2 The overall stance of the monetary policy in 2011-12 was intended to:

- Maintain an interest rate environment that moderates inflation and anchors inflation expectations.
- Foster an environment of price stability that is conducive to sustaining growth in the medium-term, coupled with financial stability.
- Manage liquidity to ensure that it remains broadly in balance, with neither a large surplus diluting monetary transmission nor a large deficit choking off fund flows.

1.3 The repo rate under liquidity adjustment facility(LAF) was increased by 50 basis points from 6.75% to 7.25%. Accordingly, as per the new operating procedure, the reverse repo rate under LAF, determined with a 100 basis points spread below repo rate, was adjusted at 6.25%. The Marginal Standing Facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 basis points above the repo rate, was calibrated at 8.25%. The Bank rate was kept unchanged at 6%. Similarly, the Cash Reserve Ratio (CRR) was also kept unchanged at 6% of net demand and time liabilities (NDTL) of scheduled banks.

Some of the other measures included:

- Reserve Bank of India decided to increase the savings bank deposit interest rate from 3.5% to 4.0% with effect from 3rd May, 2011.
- Reserve Bank of India broadly accepted the framework

- एम एफ आई के रूप में कार्यरत एन बी एफ सी सहित सभी एम एफ आई को दिनांक 1अप्रैल 2011 से बैंक ऋण को प्राथमिक सेक्टर ऋण के वर्गीकरण के योग्य मान लिया गया है। बशर्ते कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए विनियम के अनुरूप हो।
- मालेगन समिति द्वारा यथा अनुशंसित रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के उधार वर्गीकरण की समीक्षा हेतु समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया।
- मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों को बैंक की सुविधा देने के वृहत्तर उद्देश्य से वित्तीय समावेशन अभियान चलाया गया था। 72,800 गाँवों को इस कोटि में चिह्नित किया गया है। बैंको को यह परामर्श दिया गया कि कम से कम 25% नई शाखाओं को वर्ष 2011-2012 के दौरान 5- टियर एवं 6 टियर केन्द्रो में खोला जाए।
- सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पावधि की बिक्री को पांच दिन से बढ़ाकर अधिकतम तीन माह कर दिया गया है।
- एफ आई आई को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के 10% तक निरस्त करने एवं पुन: बुक करने की अनुमति दी जाएगी।
- विशेष कोटि के गैर निष्पादन अग्रिमों एवं पुनर्गठित अग्रिमों पर अपेक्षित प्रावधान में वृद्धि की जाएगी।
- ऋणमूलक म्यूचुअल फंड के चलनिधि (लिक्विडिटी) योजना में बैंको द्वारा निवेश किया जाएगा, बशर्ते कि पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को नेटवर्थ का 10% विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा (प्रडेंशियल कैप) हो।

2 घरेलू आर्थिक परिदृश्य

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2010-11 के दौरान 8.6% अनुमानित वृद्धि हुई। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सी एस ओ) द्वारा 2011-2012 के लिए 6.9% की जी डी पी विकास की अग्रिम अनुमानित दर भारतीय रिजर्व बैंक के बेस लाइन प्रोजेक्शन 7% के निकट है। जी डी पी वृद्धि 2011-2012 की तीसरी तिमाही में 6.1% रही जो दूसरी तिमाही में 6.9% थी एवं तदनुरूप 2010-11 की तीसरी में 8.3% थी। ऐसा मुख्यत मंद औद्योगिक वृद्धि के कारण हुआ जो दूसरी तिमाही में 2.8% था और तीसरी तिमाही में 0.8% हो गया। सेवा क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक रही (2011-12 की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में विकास दर 8.7% रही)। सम्पूर्ण रूप से जी डी पी विकास अप्रैल दिसम्बर 2011 के दौरान कम होकर 6.9% हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तदनुरुप अवधि में 8.1% था। मांग क्षेत्र की तरफ सकल स्थिर पूँजी निर्माण 2011 -12 की दूसरी तिमाही में संकुचित (दूसरी तिमाही में - 0.4%) एवं (तीसरी तिमाही में - 1.2%) हो गया। सरकारी अंतिम खपत व्यय में वृद्धि हुई। वह दूसरी तिमाही में 6.1% एवं तीसरी तिमाही में 4.4% थी। प्राइवेट अंतिम खपत में वृद्धि होकर दूसरी तिमाही में 2.9% एवं तीसरी तिमाही में 6.2% हुई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 (अप्रैल - फरवरी) के दौरान कम होकर 3.5% हो गया जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में तदनुरुप अवधि में 8.1% था। पूंजी माल एवं मध्यवर्ती माल सेक्टर में क्रमश: 1.8% एवं 0.9% का नकारात्मक विकास हुआ वहीं उपभोक्ता आधारित सेक्टर में विकास की दर घटकर 2.7% हो गई। इन प्रवृतियों से स्पष्ट होता हैं कि जैसा कि जी डी पी के अग्रिम प्राक्कलन में चौथी तिमाही में 4 से 6.9% वृद्धि का अनुमान था, उसकी तुलना में विकास कम हुआ है।

of regulations of Micro Finance Institutions (MFIs) recommended by the Malegam Committee.

- Bank loans to all MFIs, including NBFCs working as MFIs on or after April 1, 2011 were made eligible for classification as priority sector loans if, and only if, they conform to the regulations formulated by the Reserve Bank.
- As recommended by the Malegam Committee, the Reserve Bank has also decided to appoint a Committee to review the priority sector lending classification.
- A broad goal driving financial inclusion initiative was set to provide banking access to all villages with population over 2000 by March 2012. 72,800 villages were identified into this category. Banks were advised to ensure that at least 25% of the new branches being opened during the year 2011-12 are located in tier 5 and tier 6 centres.
- Period of short sale in government securities was extended from five days to a maximum of three months.
- FIIs will be allowed to cancel and rebook up to 10% of the market value of the portfolio as at the beginning of the financial year.
- Provisioning requirements on certain categories of non-performing advances and restructured advances will be enhanced.
- Investments by banks in liquid schemes of debt oriented mutual funds will be subject to a prudential cap of 10% of their net worth as on March 31 of the previous year.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

Gross Domestic Product (GDP)

The Indian economy is estimated to have grown by 8.6% during 2010-11. The advance estimate of the GDP growth of 6.9% for 2011-12 by the Central Statistics Office (CSO) is close to Reserve Bank's baseline projection of 7.0%. GDP growth moderated to 6.1% during Q3 of 2011-12 from 6.9% in Q2 and 8.3% in the corresponding quarter of 2010-11. This was mainly due to moderation in industrial growth from 2.8% in Q2 to 0.8% in Q3. The services sector held up relatively well (with growth being 8.7% in both Q2 and Q3 of 2011-12). Overall, GDP growth during April-December 2011 slowed significantly to 6.9% from 8.1% in the corresponding period of the previous year. On the demand side, gross fixed capital formation contracted in Q2 (-0.4%) and Q3 (-1.2%) of 2011-12. The government final consumption expenditure increased by 6.1% in Q2 and 4.4% in Q3. Private final consumption increased by 2.9% in Q2 and 6.2% in Q3.

Growth in the index of industrial production (IIP) decelerated to 3.5% during 2011-12 (April-February) from 8.1% in the corresponding period of the previous year. In terms of use-based classification, while capital goods and intermediate goods sectors registered negative growth of 1.8% and 0.9%, respectively, the growth of the consumer durables sector decelerated to 2.7%. These trends suggest that activity may have expanded slower than 6.9% in Q4 implied in the advance estimates of GDP.

क्षेत्रवार वृद्धि

आर बी आई के क्षेत्रवार आंकडे यह दर्शाते है कि पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में 2011-12 में विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को बैंक द्वारा क्रेडिट ऑफटेक में कमी आयी है। 2011-12 में सेवा क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में वर्ष 2010-11 के 23.9% की तुलना में मात्र 14.7% की वृद्धि हुई है। सेवाओं के भीतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाली कंपनियों एवं वाणिज्यिक स्थावर संपदा में ऋण वृद्धि काफी कम हुई। पूर्व वर्ष में 54% के लगभग उच्च वृद्धि के बाद 2011-12 में वित्त कंपनियों के क्रेडिट में मात्र 26.3% वृद्धि हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर सतर्कता में वृद्धि करते हुए हाल ही में आर बी आई ने ऐसी कंपनियों पर शिकंजा कसा जो पूर्ववर्ती 10% ब्याज दर के बदले 7.5% पर गोल्डलोन की पेशकश करने लगीं। वाणिज्यिक भू-संपदा के क्षेत्रों में बैंक ऋण मे 2011-12 में 7.8% की वृद्धि हुई जो 2010-11 में 21.4% थी। इसके विपरित खुदरा व्यापारियों को बैंक ऋण प्रदान करने में 12.4% की तीव्र वृद्धि हुई जो 2010-11 में 5.8% थी। 2011-12 के दौरान आर्थिक विकास में मदी थी तथापि कंपनियों को दिए जाने वाले बैंक ऋण में 17.0% की वृद्धि हुई है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में 20.6% थी। विनिर्माता कंपनियों के क्षेत्र में, आधार भूत सुविधाओं के लिए ऋण ऑफटेक में सबसे ज्यादा गिरावट हुई एवं ऐसी परियोजनाओं में ऋण मात्र 17.6% बढ़ा जबकि 2010 - 11 में 38.6% था।

मुद्रास्फीति

2010-2011 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति में वृद्धि चिंता का विषय था। 2011-12 के दौरान मुद्रास्फीति का परिदृश्य काफी चुनौती पूर्ण रहा। 2011-12 में मुद्रास्फीति मुख्यत: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित ट्रेजेक्टरी के इर्दगिर्द घूमती रही। मार्च 2012 में 6.9% की मुद्रास्फीति रिज़र्व बैंक के 7.0% के अनुमान के काफी निकट थी। सामयिक गिरावट के बाद खाद्य मुद्रास्फीति में पुन: वृद्धि हुई। प्रोटीन आधारित मदों पर मुद्रास्फीति दो अंको में बनी रही। कच्चे तेल की कीमत भी काफी बढ़ी रही। थोक मूल्य सूचकांक पैमानों पर आधारित मुद्रास्फीति एवं साथ-साथ गैर खाद्य विनिर्माण उत्पादनों पर आधारित मुद्रास्फीति में मार्च 2012 तक सामान्यतया कमी थी। दिसम्बर-जनवरी के दौरान मुद्रास्फीति खाद्य की कीमत में गिरावट के कारण कम हुई। हालांकि आगामी दो माह में मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण था वस्तुओं की मांग में कमी।

मुद्रा आपूर्ति

निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) एवं बजटकृत सरकारी उधारों का स्रोत आवश्यकताओं के संतुलन को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के लिए एम 3 विकास को 16% रखा गया जो कि कालांतर में 15.5 हो गया। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) वृद्धि जो कि 2011-12 के प्रारंभ में 17% थी एवं यह मीयादी जमा में तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। इसे वर्ष के दौरान माडरेट करके मार्च 2012 के अंत में 13% किया गया, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के सांकेतिक ट्रेजेक्टरी 15.5% से कम है। यह दर्शाता है कि इस वर्ष के दौरान प्राथमिक चलनिधि (प्राइमरी लिक्विडिटी) सख्त थी एवं ऋण की मांग कम थी।

बैंकिंग एवं ब्याज दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2011-2012 की वार्षिक मौद्रिक नीति में यह पूर्वानुमान लगाया था कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के सकल जमा में 17% और गैर

Sectoral Growth

Credit offtake by banks to companies offering various services showed a marked deceleration in 2011-12 compared with the previous financial year, the RBI's sectoral data showed. Banks' lending to the services sector grew by just 14.7% in 2011-12 compared with 23.9% in 2010-11. Within services, loans to companies offering financial services and commercial real estate grew the slowest. Credit to finance companies grew just 26.3% in 2011-12 after growing at a scorching pace of around 54% the previous year. Showing increased vigilance over non-banking finance companies, the RBI recently curbed banks' exposure to companies offering gold loans to 7.5% from 10% earlier. Bank loans to commercial real estate grew by 7.8% in 2011-12 against 21.4% in 2010-11. In sharp contrast, bank loan to retail traders grew at a faster rate of 12.4% as against 5.8% in 2010-11. Reflecting the slowdown in the economic growth during 2011-12, bank credit to companies grew by 17.0%, down from 20.6% the previous year. Among manufacturing companies, credit offtake to infrastructure was hit the most and loans to such projects grew by just 17.6% during 2011-12 as against 38.6% in 2010-11.

Inflation

The resurgence of inflation in the last quarter of 2010-11 was a matter of concern. During the year 2011-12 the inflation scenario remained challenging. Inflation in 2011-12 evolved broadly along the trajectory projected by the Reserve Bank of India. The March 2012 inflation at 6.9% was close to Reserve Bank's indicative projection of 7.0%. Food inflation, after a seasonal decline, has risen again. Inflation in respect of protein-based items remain in double digits. Crude oil prices also remain high. Headline WPI inflation as well as non-food manufactured products inflation moderated significantly by March 2012. During December-January, inflation softened on account of a decline in food prices. However, in the following two months, inflation softening was driven largely by moderation in the core components reflecting a slowdown in demand.

Money Supply

Keeping in view the need to balance the resource requirements of the private sector and budgeted government borrowings, M_3 growth for 2011-12, was placed at 16% which was subsequently reduced to 15.5%. Money supply (M_3) growth, which was 17% at the beginning of the financial year 2011-12, reflecting strong growth in time deposits, moderated during the course of the year to about 13% by end-March 2012, lower than the Reserve Bank's indicative trajectory of 15.5%, mirroring both tightness in primary liquidity and lower credit demand during most part of the year.

BANKING AND INTEREST RATES

Reserve Bank of India in its Annual Monetary Policy for the year 2011-12 projected 17% growth in aggregate deposit and 19%

खाद्य ऋणों में 19% की वृद्धि होगी। वर्ष 2011-2012 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में सकल जमा में 17.4% की वृद्धि हुई और यह 61.12,480 करोड़ रहा। वर्ष 2010-2011 में यह विकास 15.9% था। अनुसूचित बैंकों के कुल ऋणों में 19.3% की वृद्धि हुई और यह रू.47,04,790 करोड़ रहा जबकि 2010-2011 में यह 21.5% था। ऋण एवं सकल जमा में विस्तार के कारण वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात वर्ष 2011-2012 में 84.3% रहा। अनुसूचित बैंकों का ऋण जमा अनुपात 30 मार्च 2012 को 76.9% था जो विगत वर्ष 75.7% था। अनुसूचित बैंकों का गैर खाद्य ऋण वर्ष 2011-2012 के दौरान 19.3% विस्तार के साथ रू.46,25,000 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष 17.1% था।

growth in non-food credit for Scheduled Commercial Banks. In the year 2011-12, aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a growth of 17.4% to reach ₹61,12,480 crore against a growth of 15.9 per cent in 2010-11. The total credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) recorded a growth of 19.3% and reached ₹47,04,790 crore compared to 21.5% growth during the year 2010-11. Due to expansion of credit and aggregate deposits, incremental CD Ratio stood at 84.3% during 2011-12. Credit Deposit Ratio of Scheduled Commercial Banks stood at 76.9 per cent as on March 30, 2012 against 75.7 per cent a year ago. Non-food credit of Scheduled Commercial Banks expanded by 19.3% to ₹46,25,000 crore during 2011-12 against 21.3% a year ago.

2011-12 के दौरान चलनिधि (लिक्विडिटी) की स्थिति मंद रही हैं। चलनिधि (लिक्विडिटी) की दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी चलनिधि प्रदान करने की कार्रवाई की। आरक्षित नकदी निधि अनुपात दो चरणो में 25 आधार बिंदु कम किया गया जो 4.75% हुआ (28 जनवरी 2012 से 50 बी पी एस एवं 10 मार्च 2012 से 75 बी पी एस)। इस तरह सिस्टम में 80,000 करोड़ रू. प्राइमरी चलनिधि डाली गयी। वर्ष 2011-2012 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रमश 5 चरणों में रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट को 175 आधार बिंदु बढ़ाकर 6.75% से 8.50% एवं 5.75% से 7.50% करते हुए मुद्रा नीति को कठोर किया। मार्जिनल स्टैडिंग सुविधा (एम एस एफ) दर 7 मई 2011 से 8.25% थी, रेपो दर से 100 बैसिस प्वाइट ऊपर होकर 9.50% हुई।

Liquidity conditions remained in a deficit mode through 2011-12. In order to mitigate the liquidity tightness, the Reserve Bank took steps to inject primary liquidity. The Cash Reserve Ratio (CRR) was reduced by 125 basis points in two phases to 4.75% (50bps wef 28th January, 2012 and 75 bps wef 10th March 2012), injecting primary liquidity of about Rs.80,000 crore in the system. During the year 2011-12 Reserve Bank of India tightened Monetary Policy by raising Repo rate and Reverse repo rate by 175 bps from 6.75% to 8.50% and from 5.75% to 7.50% respectively in 5 phases. Marginal Standing Facility (MSF) rate which was at 8.25% effective from 7th May, 2011, determined with a spread of 100 basis points above the repo rate, stood calibrated at 9.50%.

3 बाह्य क्षेत्र

समस्याग्रस्त यूरोपीय संघ एवं यूएस में मुख्य बाजार से कम मांग के बावजूद मर्कैन्टाइज निर्यात ने विगत वर्ष 2011-2012 के 300 विलियन पाउंड के लक्ष्य को पार कर लिया। सम्पूर्ण निर्यात डालर के सदर्भ में 21% की वृद्धि लेकर 303.7 बिलियन डालर हुआ जब कि पिछले वर्ष में 251.1 बिलियन डालर थी। तथापि, निर्यात 32.15% बढकर 488.6 बिलियन डालर हुआ।

व्यापार घाटा 2011-2012 में पूर्व वर्ष की तुलना में 56% ज्यादा रहा एवं 2011-2012 में रिकार्ड 184.9 बिलियन पर पहुँच गया क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ। अनुमान से भी अधिक व्यापार घाटा लगभग जी डी पी के 10.6% है एवं यह मुख्यत: तेल आयात में बढ़ोत्तरी की वजह से है।

2011 - 2012 मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में भारत के चालू खातो के घाटे को जीडीपी का 4% तक पहुँचने की संभावना है। यह स्थिति कम से कम आठ वर्षो में सबसे बदतर है। यह वाणिज्य में काफी अंतर होने के कारण है। भारत का चालू घाटा (सीएडी) जो कि 2010-2011 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% था, यह बढ़कर 2011-2012 की अक्टूबर - दिसम्बर तिमाही में जीडीपी का 4.3% हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 2011 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़कर यूएस डालर 53.7 बिलियन (जीडीपी का 4.0%) हुआ जो कि अप्रैल-दिसम्बर 2010 में यूएस डालर 39.6 बिलियन (जीडीपी का 3.3%) था। यह व्यापार में अधिक कमी को दर्शाता है। यद्यपि अप्रैल - दिसम्बर 2011 में एफडीआई का प्रवाह पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि से ज्यादा था तथा पोर्टफोलियों का प्रवाह कम था जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस साल समग्र पूंजी का आगमन कम हुआ। फलस्वरुप अप्रैल-दिसम्बर 2011 में आरक्षतियों में से आहरण यूएस डालर 7.1 बिलियन तक रहा है जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में यूएस डालर

3. EXTERNAL SECTOR

Merchandise exports for the fiscal 2011-12 crossed the targeted $300 billion, despite a sluggish demand from key markets in crisis-hit European Union and the US. The overall exports were up 21 per cent in dollar terms to $303.7 billion as against previous year's $251.1 billion. However, imports grew 32.15 per cent to $488.6 billion.

Trade deficit during 2011-12 grew 56% over previous year and touched a record high at $184.9 billion for 2011-12 as imports outpaced exports by a huge margin. This higher-than-expected trade deficit is about 10.6 per cent of the GDP and is mainly on account of bloating oil imports.

India's current account deficit is expected to touch 4% of GDP in the 2011-12 fiscal year that ended in March, the worst in at least eight years because of a widening trade gap. India's current account deficit (CAD), which was 2.6% of gross domestic product in the 2010-11 fiscal year, widened to 4.3% of GDP in the October-December quarter of 2011-12. During April-December 2011, the current account deficit (CAD) widened to US$ 53.7 billion (4.0 per cent of GDP) from US$ 39.6 billion (3.3 per cent of GDP) in April-December 2010, largely reflecting a higher trade deficit. Even though net FDI inflows were higher in April-December 2011 than in the comparable period of the previous year, portfolio flows were lower, resulting in a decline in overall capital inflows as compared with the previous year. Consequently, there was a drawdown of reserves to the extent of US$ 7.1 billion during April-December 2011 in contrast to an accretion of US$ 11.0 billion in the

11.0 बिलियन जमा हुआ था।

4. वर्ष 2011 - 2012 में बैंक का कार्य निष्पादन

मुख्य बिंदु

कुल व्यवसाय ₹1,52,989 करोड़ हुआ जिसमें वर्षवार 16.1% की वृद्धि हुई।

- कुल जमा राशि ₹ 77,845 करोड़ से बढकर ₹ 89,116 करोड़ हुई। इसमे वर्षचार 14.5% की वृद्धि हुई।
- कुल ऋण ₹ 53,934 करोड़ से बढ़कर ₹ 63,873 करोड़ हुआ। उसमें वर्षवार 18.4% की वृद्धि हुई।
- मार्च 2012 के अंत में ऋण – जमा अनुपात 71.7% रहा।
- सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2012 के अंत में 3.41% रहा।
- शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2012 को 1.72% था।
- परिचालनगत लाभ ₹1,828.84 करोड़ हुआ और इसमें विगत वर्ष की तुलना में 21.4% की वृद्धि हुई।
- शुद्ध लाभ में 20.7% की वृद्धि हुई और यह ₹ 632.53 करोड़ हुआ।
- आस्तियों पर प्रतिफल 0.70% रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.69% रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय विगत वर्ष के ₹ 8.60 करोड़ से बढकर ₹ 9.71 करोड़ हो गया।
- 31 मार्च 2012 को शाखाओं की कुल संख्या 1680 रही।
- 31 मार्च 2012 को ए टी एम की कुल संख्या 802 रही।

4.1 जमा संग्रहण

वर्ष 2011-12 में बैंक की कुल जमा राशि ₹77,845 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹89,116 करोड़ रही और इस तरह इसमें 14.5% की वृद्धि हुई। जमा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से बैंक ने खुदरा जमाओं, खासकर 'कासा' जमा पर विशेष जोर दिया। इस प्रक्रिया में बैंक ने जमा प्रमाण पत्रों समेत थोक जमा की काफी बड़ी राशि छोड़ दी है। कुल जमा में कासा का अंश कम से कम 40% रखने पर जोर दिया गया था। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही बैंक के कासा हेतु आक्रामक प्रचार-अभियान चलाया गया। ब्याज दरों में वृद्धि का माहौल रहने के बावजूद बैंक के बचत जमा में 14.5%, चालू जमा में 14.2%, कासा जमा में 14.4% की वृद्धि हुई। कासा का अंश 31 मार्च 2012 को बैंक के कुल जमा का 40.8% था।

4.2 ऋण विनियोजन:

बैंक के कुल पोर्टफोलियों में रू. 9939 करोड़ की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2012 को रू. 63,873 करोड़ रहा। इस तरह इस वित्तीय वर्ष में 18.4% की वृद्धि हुई। ऋण जमा का अनुपात 31 मार्च 2012 को 71.7% रहा। ऋण में यह बढोत्तरी प्राथमिक तौर पर आधारभूत संरचना और बृहद स्तरीय उद्योगों जैसे सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पाद में अधिक ऋण दिए जाने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त बैंक के विभिन्न खुदरा उत्पादों के जोरदार विपणन, अतिलघु लघु एवं मध्यम उद्यम (एम एश एम ई) लघु एवं मध्यम उद्यम और कृषि ऋण पर भी इस वर्ष विशेष ध्यान दिया गया। बैंक के खाद्येत्तर ऋण में ₹ 9,695 करोड़ की वृद्धि हुई और यह रू. 62,551 करोड़ हो गया। इस तरह इसमें 18.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2011 के अंत में खाद्य ऋण ₹1,078 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2012 को बढ़कर रू. 1322 करोड़ हो गया।

corresponding period of the previous year.

4. PERFORMANCE OF THE BANK : 2011-12

Performance Highlights

- Total business at ₹1,52,989 crore registered a y-o-y growth of 16.1%
- Total deposits increased from ₹77,845 crore to ₹89,116 crore registering a growth of 14.5% on y-o-y basis
- Total advances increased from ₹53,934 crore to ₹63,873 crore recording a growth of 18.4% on y-o-y basis
- Credit Deposit ratio stood at 71.7% at the end of March 2012
- Gross NPA ratio stood at 3.41% as on 31.03.2012
- Net NPA ratio stood at 1.72% as on 31.03.2012
- Operating profit stood at ₹1828.84 crore up by 21.4% over last year
- Net profit up by 20.7% to ₹632.53 crore
- Return on Assets (RoA) stood at 0.70%
- Capital Adequacy Ratio stood at 12.69%
- Business per employee increased to ₹9.71 crore from ₹8.60 crore last year
- Total number of branches stood at 1680 as on 31st March 2012
- Total number of ATMs of the Bank stood at 802 as on 31st March 2012

4.1 DEPOSIT MOBILISATION

During the year 2011-12, Total Deposits of the Bank increased from ₹77,845 crore as on 31st March, 2011 to ₹89,116 crore as on 31st March, 2012 registering a growth of 14.5 per cent. With a view to reduce the cost of deposits, the Bank had given thrust to mobilize retail deposits specially CASA deposits. In the process, the Bank shed a substantial amount of bulk deposits including certificates of deposits. Thrust had also been given to keep the share of CASA deposits to total deposits not below 40%. From the very beginning of the financial year , the Bank had aggressively launched CASA Deposit Campaign. In spite of rising interest rate scenario, Bank's Savings deposits grew by 14.5 per cent, Current Deposits grew by 14.2 per cent and CASA deposits grew by 14.4 per cent. Bank's share of CASA deposits to total deposits stood at 40.8 per cent as on March 31, 2012 .

4.2 CREDIT DEPLOYMENT

The total credit portfolio of the Bank went up by ₹9,939 crore and reached ₹63,873 crore as on March 31, 2012, registering a growth of 18.4 % during the fiscal. Credit deposit ratio stood at 71.7 % as on March 31, 2012. Growth in credit has been achieved primarily through high growth of credit to infrastructure sector and large scale industries like Cement and Petroleum products. In addition, intense marketing of Bank's various retail credit products. MSME, SME and agricultural lending also received focused attention during the year. Bank's non-food credit increased by ₹9,695 crore to ₹62,551 crore, recording a growth of 18.3 %, while food credit increased to ₹1,322 crore as on March 31, 2012 from ₹1,078 crore at the end of March, 2011.

4.2.1 खुदरा ऋण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया उनमें से खुदरा ऋण एक है। अर्थ व्यवस्था में मंदी एवं ब्याज दर में तीव्रता के माहौल को ध्यान में रखकर बैंक में खुदरा ऋण में वृद्धि एवं अनर्जक आस्तियों में कमी पर जोर दिया। खुदरा ऋण 31 मार्च 2011 को ₹ 7,753 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2012 को बढकर ₹8,175 करोड़ हो गया। इस ऋण में वृद्धि एवं अन्य खुदरा ऋणों के अतिरिक्त आवास ऋण (15%), कार ऋण (14.36%), व्यक्तिगत ऋण (12.27%) और शिक्षा ऋण (18.35%) में वृद्धि की बदौलत हुँ।

बैंक ने खुदरा ऋणों को अधिक ग्राहकोनुकूल बनाकर एवं रणनीतिक तालमेल व्यवस्था के द्वारा खुदरा ऋण का विकास सुनिश्चित करने पर बहुत ध्यान दिया है।

बैंक ने 01.01.2011 को अपना पहला खुदरा ऋण केंद्र (रिटेल हब) (केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र) कलकत्ता उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बिधान नगर में खोला है ताकि खुदरा ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे 25 केंद्र 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत खोले गए। इससे खुदरा ऋणों के प्रस्तावों के मूल्यांकन, उसकी संस्वीकृति और संवितरण की गति तेज होगी और इस ऋण की संपूर्ण प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी लाई जा सकेगी। सभी हब खुदरा ऋण के लिए एल ए पी एस (स्वचालित ऋण प्रसंस्करण पद्धति) का उपयोग कर रहे हैं जिससे ऋण संस्वीकृति के समय में कटौती हो रही है एवं टी ए टी (टर्न एराउंड टाइम) के मापदंड का अनुपालन हो रहा है। संस्वीकृति, संवितरण एवं विकास के क्षेत्र में पूर्व वर्ष की समतुल्य अवधि में खुदरा ऋण देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने पात्रता युक्त ग्राहकों के शिक्षा ऋण के क्षेत्र में ब्याज सब्सिडी एवं आवास ऋण योजना पर ब्याज अनुदान देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं तथा इन योजनाओं का पर्याप्त प्रचार किया गया है।

4.2.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण:

31 मार्च 2011 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण ₹17,751 करोड़ या जो 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹22,258 करोड़ हो गया। इस तरह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें 25.4% की वृद्धि हुई। बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 41.27% है जबकि इसके लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 40% है।

कृषि ऋण

बैंक का कृषि ऋण 31 मार्च 2011 को ₹5,712 करोड़ या जो कि 31 मार्च 2012 तक बढकर ₹8,144 करोड़ हो गया। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस ऋण में 42.6% की वृद्धि हुई। 31.03.2012 को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 15.10% हिस्सा कृषि क्षेत्र में दिया गया।

मध्यम एवं लघु उद्यमों को ऋण

मध्यम एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र के ऋण में रू. 1,929 करोड़ (मार्च 2011 में यह राशि रू. 7,228 करोड़ थी जो मार्च 2012 में रू. 9,157 करोड़ हो गई) की वृद्धि हुई इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 26.7% की वृद्धि हुई। 31.03.2012 तक समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 16.98% भाग मध्यम एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में दिया गया।

4.2.1 RETAIL CREDIT

Retail credit has been one of the major focused areas of the Bank during the financial year 2011-12. Keeping in view the recession in the economy and high interest rate regime, Bank gave emphasis to quality growth of Retail Credit and Reduction of NPA. Retail Credit increased from ₹7,753 crore as on 31st March 2011 to ₹8,175 crore as on 31st March 2012. This growth has been driven by increase in Housing Loan (15%), Car Loan (14.36%), Personal Loan (12.27%) and Education Loan (18.35%) besides other retail loans.

Focused attention has been given by the Bank to ensure necessary boost in the growth of retail credit by making the retail products more customer-friendly and through strategic alliances.

Bank set up its first Retail Hub (Central Processing Centre) at Bidhannagar under Kolkata (North) Region on 1st January, 2011 for processing of retail credit proposals. During the current financial year another 25 HUBs were established in 21 Regions. The Hubs accelerates appraisal, sanction and disbursal of retail loans reducing thereby response time. All the HUBs are using LAPS (Lending Automation Processing System) for processing of retail loans, thereby drastically reducing the response time and maintaining strict TAT (Turn Around Time) norms. In the areas of sanction, disbursement and growth, there has been substantial improvement in delivery of retail loans compared to corresponding period of the previous year . During the financial year Bank has taken proactive steps to credit Interest Subsidy on Education Loans and Interest Subvention on Housing Loans to eligible borrowers and gave adequate publicity to these schemes.

4.2.2 PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank's lending to the Priority Sector has increased from ₹17,751 crore as at 31st March 2011 to ₹22,258 crore as at 31st March 2012, registering a growth of 25.4%. The Priority Sector advances accounted for 41.27% of the Adjusted Net Bank Credit as against national target of 40%.

Agriculture Lending:

Lending to Agriculture Sector has increased from ₹5,712 crore as at 31st March 2011 to ₹8,144 crore as at 31st March 2012, registering a growth of 42.6%. The percentage share of lending to Agriculture constitutes 15.10% of the Adjusted Net Bank Credit as on 31st March 2012.

Lending to MSE

Lending under MSE sector has been increased by ₹1,929 crore (from ₹7,228 crore in March 2011 to ₹9,157 crore in March 2012) representing a growth of 26.7% on a Y-o-Y basis. The percentage share of lending to MSE sector is 16.98% of ANBC as on 31.03.2012.

कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण

31 मार्च 2011 तक जहाँ इस क्षेत्र में ₹5,143 करोड़ का ऋण दिया गया था वहीं 31 मार्च 2012 तक इस क्षेत्र में ₹7,617 करोड़ ऋण दिया गया। इस तरह इस क्षेत्र में 48.1% की वृद्धि हुई। 31.03.2012 तक समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 14.12% भाग कमजोर वर्ग के लोगो को ऋण स्वरूप दिया गया, जबकि इसका राष्ट्रीय लक्ष्य 10% है।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2011 को अंत तक इस वर्ग में ₹2,679 करोड़ का ऋण दिया गया था। मार्च 2012 के अंत में यह राशि बढ़कर ₹3,346 करोड़ हुई। इस तरह इसमें 24.9% की वृद्धि हुई। 31.03.2012 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण का 15.03% अंश अल्प संख्यक समुदायों को दिया गया।

महिला लाभार्थियों को ऋण

महिला लाभार्थियों को वर्ष 2011-12 में दी गई ऋण राशि में ₹757 करोड़ की वृद्धि हुई। (यह राशि 31.03.2011 तक ₹2,451 करोड़ थी और 31.03.2012 को ₹3,208 करोड़) हो गई। इस तरह इसमें 30.9% की वृद्धि हुई। 31.03.2012 को महिला लाभार्थियों को 5.95% ऋण दिया गया जबकि इसका राष्ट्रीय लक्ष्य 5% है।

किसान क्रेडिट कार्ड:

भारत सरकार की पहल पर हमारे बैंक ने 01.12.2012 से बैंक के सेवा क्षेत्र में सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने हेतु विशेष ग्रामीण ऋण अभियान चलाया। 2011-12 में बैंक की ओर से ₹555 करोड़ की ऋण सीमा के कुल 157,613 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2010-11में 64510 के.सी.सी. जारी हुए थे जिसके अंतर्गत ₹287 करोड़ का संवितरण हुआ। 31.03.2012 तक 3,63,375 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना बाकी था जिसकी कुल उधार सीमा ₹1,013 करोड़ थी। 31.03.2011 तक 242484 के.सी.सी. जारी हुए जिसकी राशि ₹638 करोड़ थी। 2011-12 में केसीसी की संख्या में 50% और राशि में 59% की वृद्धि दर्ज की गई।

स्वयं सहायता समूह

2011-12 में बैंक ने 13749 स्वयं सहायता समूहों से ऋण संपर्क स्थापित किया और ₹142.51 करोड़ का ऋण दिया जबकि 2010-11 में 10,700 स्वयं सहायता समूहों से ऋण संपर्क किया गया था और ₹65.58 करोड़ का ऋण दिया गया था।

मार्च 2011 और मार्च 2012 में स्वयं सहायता समूहों की स्थिति निम्नवत रही:

अवधि तक	बचत लिंकेज		ऋण लिंकेज	
	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)
मार्च, 2011	104567	108.00	64151	245.79
मार्च, 2012	112352	123.62	77900	388.30

Lending to Weaker Section:

Lending to weaker section increased from ₹5,143 crore as at 31st March 2011 to ₹7,617 crore as at 31st March 2012, representing a growth of 48.1%, The share of weaker section to ANBC stands at 14.12% as on 31st March 2012 against a national target of 10%.

Lending to Minority Community:

Bank's lending to Minority Communities increased from ₹2,679 crore as at end of March 2011 to ₹3,346 crore as at the end of March 2012 achieving a growth of 24.9%. The share of lending to Minority Communities in the Priority Sector lending of the Bank stands at 15.03% as on 31st March 2012.

Lending to Women Beneficiaries:

Lending to women beneficiaries has increased by ₹757 crore during 2011-12 (from ₹2,451 crore as on 31.03.2011 to ₹3,208 crore as on 31.03.2012) representing a growth of 30.9%. As on 31.03.2012, the percentage share of lending to women beneficiaries stands at 5.95% of ANBC as against national target of 5%.

Kisan Credit Card:

In accordance with Government of India initiatives, the Bank has successfully organized Special Rural Lending Campaign for issuance of Kisan Credit Card (KCC) to all eligible farmers in the service area of our bank branches from 1st December 2011. The Bank has issued 157613 fresh KCCs during 2011-12 with credit limits of ₹555 crore against 64510 numbers of KCCs with disbursement of ₹287 crore during 2010-11. As on 31.03.2012 the outstanding number of KCCs issued was 363375 with aggregate credit limit of ₹1,013 crore against an amount of ₹638 crore to 242484 KCC holders as on 31.03.2011. The growth of KCC in number and amount during the year 2011-12 are 50% and 59% respectively.

Self Help Group:

During 2011-12 the Bank has established credit linkages with 13749 SHGs providing credit of ₹142.51 crore as compared to credit linkages of 10700 SHGs with an amount of ₹65.58 crore during 2010-11.

Outstanding position of SHGs as on March'11 and March'12 are as under:

As on	Savings Linkage		Credit Linkage	
	No	Amount (₹ cr.)	No	Amount (₹ cr.)
March 2011	104567	108.00	64151	245.79
March 2012	112352	123.62	77900	388.30

विभेदक ब्याज दर (डी आर आई)

31.03.2011 तक इस वर्ग में ₹13.26 करोड़ का ऋण दिया गया था जो 31.03.2012 को समाप्त वर्ष में बढकर रू. 20.49 करोड़ हुआ। इस तरह इसमें 54.50% की वृद्धि दर्ज की गई।

4.2.3 अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम

31.03.2012 तक इस क्षेत्र में बैंक ऋण की मुख्य बातें निम्नवत है:

- 31.03.2012 तक बैंक ने एम एस ई क्षेत्र में कुल 9157 करोड़ रूपए ऋण दिया है जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 16.98% हैं।31.03.2011 को यह 16.91% था।
- इस क्षेत्र में मार्च 2011 में बैंक ने ₹7,228 करोड़ ऋण दिया था जबकि 31 मार्च 2012 को यह बढ़कर ₹9,157 करोड़ हो गया। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 26.7% की वृद्धि हुई।
- बैंक माइक्रो ऋण 31.03.2011 तक ₹ 4,538 करोड़ था जो 31.03.2012 को बढ़कर ₹6,040 करोड़ हुआ। इस तरह इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33.1% की वृद्धि हुई।
- बैंक का लघु उद्यम ऋण 31.03.2011 को ₹2,690 करोड़ था जो 31.03.2012 को बढ़कर ₹3,117 करोड़ हो गया। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 15.9% की वृद्धि हुई।
- 31.03.2012 तक अति लघु एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण का 65.96% भाग अति लघु उद्यमों को दिया गया जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य 55% है।
- अति लघु एवं लघु उद्यम ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संघटक हैं और 31.03.2012 तक समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 16.98% और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 41.14% भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है।
- 31.03.2012 बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र को कुल रू. 9727 करोड़ का ऋण दिया है। इसमें वर्ष दर वर्ष 18.4% की वृद्धि हुई हैं।

अति लघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

यह बैंक अति लघु एवं लघु उद्यमों के लि ऋण गारंटी निधि न्यास का सदस्य है जो बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के अति लघु एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराता हैं।

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 की समरूपी अवधि में इस ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे बैंक का कार्यनिष्पादन नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़)

मार्च 2011 तक उपलब्धि				मार्च 2012 तक उपलब्धि			
इस वर्ष		संचयी		इस वर्ष		संचयी	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
7237	261.80	14860	554.83	7860	361.54	22651	909.62

Differential Rate of Interest (DRI)

Advance under DRI Scheme which was ₹13.26 crore as on 31.03.2011 increased to ₹20.49 crore as on 31.03.2012 registering a growth of 54.5%.

4.2.3 MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

The highlights of the Bank's lending to MSE Sectors as on 31.03.2012 are as under:

- Bank's total credit to MSE sector as on 31.03.2012 stood at ₹9,157 crore which accounts for 16.98% Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against 16.91% as on 31.03.2011.
- Bank's credit to MSE sector has increased from ₹7,228 crore as on March 2011 to ₹9,157 crore as on 31.03.2012 representing a year-on-year growth of 26.7%.
- Bank's credit to micro sector has increased from ₹4,538 crore as on 31.03.11 to ₹6,040 crore as on 31.03.12 representing a year-on-year growth of 33.1%.
- Bank's credit to small enterprises has increased from ₹2,690 crore as on 31.03.11 to ₹3,117 crore as on 31.03.2012 representing a year-on-year growth of 15.9%.
- The share of lending to Micro Enterprise to total of Micro & Small Enterprises as on 31.03.2012 stands at 65.96% as against target of 55% stipulated by RBI.
- Credit to Micro and Small Enterprise which are the constituents of Priority Sector constitutes 16.98% of ANBC and 41.14% of Priority Sector Lending of the Bank as on 31.03.2012.
- Bank's total credit to MSME sector as on 31.03.2012 stands at ₹9,727 crore representing Year on Year growth of 18.4%.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Bank is one of the Member Lending Institutions (MLI) of Credit Guarantee Fund Trust of Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to make available credit to Micro and Small Enterprises without collateral security and or third party guarantee. The coverage of MSE advances of the Bank under Credit Guarantee Scheme for the year ended on March, 2012 vis-à-vis corresponding period of 2010-11 FY is furnished below:

(₹ Crore)

Achievement up to March 2011				Achievement up to March 2012			
During the year		Cumulative		During the year		Cumulative	
No. of A/c.	Amount	No. of A/c.	Amount	No. of A/c.	Amount	No. of A/c.	Amount
7237	261.80	14860	554.83	7860	361.54	22651	909.62

विशेष एम एस एम ई (अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम) शाखाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक ने 2011-12 में अपनी 16 और शाखाओं को विशेषीकृत एम एस एम ई शाखा के रूप में नामित किया। इस प्रकार ऐसी शाखाओं की संख्या 57 हुई। 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ऐसी शाखाओं का बकाया विशेष एम एस एम ई ऋण ₹ 1418.68 करोड़ था।
ऐसी विशेषीकृत एम एस एम ई शाखाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, एम एस एम ई ऋण सर्वधन पर ध्यान केन्द्रित करने और समूह वित्तपोषण के उद्देश्य से कुछ और शाखाओं की पहचान किए जाने की पहल की गई हैं।

विभिन्न ताल - मेल व्यवस्था के अंतर्गत प्रगति

2011-12 की अंतिम छमाही में बैंक ने कई ख्याति प्राप्त वाहन विनिर्माताओं/डीलरों जैसे वाल्वो आइचर, यू एस जी ओटोमोबाइल्स (पं. बंगाल के लिए फोर्स मोटर्स के डीलर), अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स आदि के साथ और ऑफ-ग्रिड सोलर इंस्ट्रुमेंटस का व्यवसाय करनेवाले, कीर्ति सोलर कंपनी के साथ ताल-मेल व्यवस्था की। इसका मुख्य उद्देश्य था वाहन क्षेत्र में ऋण प्रदान किए जाने की विशाल संभाव्यता का लाभ उठाना और यथा समय अधिक से अधिक शाखाओं में पूरे-वर्ष ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त रणनीति के मद्देनजर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस क्षेत्र में ₹181.00 करोड़ का नया ऋण संवितरित किया।

4.3 आस्ति गुणवत्ता

बैंक आय-निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता रहा है। इस वर्ष अनर्जक आस्तियों में ₹1,144 करोड़ की कमी लायी गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹1000 करोड़ थी। प्रतिशत आधार पर देखे तो बैंक की सकल अनर्जक आस्ति 31 मार्च 2012 को 3.41% रही जबकि पिछले वर्ष यह 2.51% थी। पूर्ण रूप में देखे तो सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2012 को ₹2,176 करोड़ रही। बैंक का शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 31 मार्च 2012 को 1.72% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 1.41% था। समग्रत: 31 मार्च 2012 को शुद्ध अनर्जक आस्ति ₹1,076 करोड़ रही। इस वर्ष 19463 वसूली शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें ₹98.15 करोड़ की वसूली हुई जबकि पिछले वर्ष ₹103.09 करोड़ की वसूली हो सकी थी। वर्ष के दौरान सरफेसी एक्ट 13 (2) के तहत 2472 खातों में नोटिस जारी की गई तथा सरफेसी संबंधित मुकदमों से ₹227.27 करोड़ वसूली हुई। बैंक ने आस्ति वसूली कंपनियों को आस्तिया बेचे जाने की भी नीति बनायी है छोटी - छोटी अनर्जक आस्तियों और बट्टे खाते में पड़ी राशियों की वसूली तेज करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना भी शुरु की गई है। बैंक की वसूली नीति में संशोधन किया गया ताकि मौजूदा अनर्जक आस्ति खातों में तत्काल निपटान किया जा सके। मौजूदा एन पी ए मामलों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय प्रधानों को ज्यादा अधिकार दिया गया है।

4.4 राजकोष परिचालन

समीक्षागत वर्ष के दौरान बढ़ती ब्याज दर के परिप्रेक्ष्य में निवेश संविभाग के समक्ष उच्चतर बाजार जोखिम स्तर को बनाए रखने पर था। इस लिए राजकोष का विशेष बल निवेश पर समग्र अर्जन बढ़ाने तथा विगत वर्ष के व्यापार लाभ स्तर को बनाए राखने पर था।

Special MSME Branches

As per RBI instruction, Bank has designated 16 more branches as specialized MSME Branch in 2011-12 taking the total number of such branches to 57, keeping in view the potentiality of the areas. During the financial year ended 31.03.2012 the outstanding MSME Advances of these branches were ₹1,418.68 crore. Steps have been initiated to identify some more potential branches for cluster financing and give focused attention to augment MSME advances in order to increase the number of Specialized MSME Branches.

Progress under various Tie-ups

Bank has entered into tie-up arrangement during the last half year of 2011-12 with different renowned Vehicle Manufacturers/Dealers like Volvo Eicher, USG Automobiles (Dealer of Force Motors for West Bengal), Ashok Leyland, Tata Motors, etc. and also with Kirti Solar, a company dealing with off-grid Solar Instruments. The tie-up arrangements were made to tap the huge potential lying in the Transport Sector and to provide sustained credit flow throughout the year through as many number of branches as possible.

The Bank has disbursed fresh advances of ₹181.00 crore during the financial year 2011-12 from these tie-ups.

4.3 ASSET QUALITY

The Bank has been complying with RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Reduction in NPA achieved during the year was for ₹1,144 crore as against ₹1,000 crore during the previous year. In percentage term, gross NPA Ratio of the Bank stood at 3.41% as on 31.03.2012 as against 2.51% during the previous year. In absolute term, Gross NPA stood at ₹2,176 crore as on 31.03.2012. Net NPA ratio of the Bank stood at 1.72% as on 31.03.2012 as against 1.42% during the previous year. In absolute term, net NPA stood at ₹1,076 crore as on 31.03.2012. During the year, 19463 Recovery Camps were organized and cash recovery made in the recovery camps during the year was ₹98.15 crore as against ₹103.09 crore during the previous year. Notices were issued in 2472 accounts under 13(2) of SARFAESI Act and an amount of ₹227.27 crore recovered from SARFAESI cases during the year 2011-12. The Bank has also framed policy for sale of assets to ARCs. Further, to boost recovery from small NPAs and written off accounts, an incentive scheme has been introduced. Bank's Recovery Policy has been revised to facilitate quick settlement in existing NPA accounts. The Regional Heads were empowered with more powers to settle all existing NPAs.

4.4 TREASURY OPERATIONS

In the rising interest scenario that was prevalent during the year under review, the investment portfolio was subjected to higher market risk. The focus of the Treasury therefore was on improvement of overall yield on investment and maintaining the

31.03.2012 तक बैंक का सकल निवेश ₹29,247 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह ₹26,409 करोड़ था। एस एल आर निवेश में वृद्धि आयी और यह ₹19,176 करोड़ से बढ़कर ₹22,767 करोड़ हो गया। इस तरह से लगभग 18.7% की वृद्धि हुई। बैंक को वर्ष के दौरान निवेश पर बिक्री/रिडेम्पशन पर लाभ के रूप में ₹ 217.52 करोड़ की आय हुई तथा इस तरह सामान्य राशि से 9.6% की वृद्धि हुई। इस वर्ष बैंक के घरेलू निवेश पोर्टफोलियो में आय 7.73% बढ़कर 7.82% हुई।

व्यवसाय प्रक्रिया रि-इंजिनीयरिंग (बीपीआर) के अंतर्गत बैंक के राजकोष के संदर्भ में दो प्रमुख विकास समीक्षा वर्ष के दौरान हुए बैंक की राजकोष संबधी गतिविधियां जो पहले विभागीय ढ़ांचे के अंतर्गत थी, उसे ब्रांच ढ़ांचे के अंतर्गत कर दिया गया तथा ऐसा करने के लिए एक नया इटीग्रेटेड ट्रेजरी बांच युनाइटेड टावर, कोलकाता में स्थापित किया गया। संयोगवश, किसी भी संस्था का कोलकाता में यह एकमात्र एवं प्रथम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ब्रांच है। आगे बैंक ने रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक ईटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सोल्यूशन (आईटीएमएस) क्रियान्वित किया है ताकि दोनों घरेलू फॉरेक्स सेगमेंट के तथा संबंधित जोखिम प्रबंधन पहलू के कोष परिचालन की संपूर्ण कार्यवाही पूर्णत: स्वचालित एवं एकक रूप से सुनिश्चित की जा सके।

4.5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग :

बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देश भर मे फैले 47 प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से किया जाता है तथा बैंक का एफ.सी.एन.आर. व्यवसाय 193 नामित शाखाएं करती है। बैंक की सभी शाखाएं एन.आर.इ/एन.आर.ओ. जमा स्वीकार करती हैं। बैंक एन.आर.आई. सेवाओं पर पूरा ध्यान दे रहा है एवं चयनित शाखाओं के एनआरआई सेल द्वारा एनआरआई की आवश्यकताए पूरी की जाती हैं।

2011-12 के दौरान फॉरेक्स के मामले में बैंक ने ₹13,950 करोड़ का मर्चेंट टर्नओवर एवं 2,27,275 करोड़ रूपए अंतर बैंक टर्न ओवर किया है। फॉरेक्स परिचालन के सभी क्षेत्रों में परिचालन की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है एवं तदुपरांत फॉरेक्स परिचालन से विनिमय आय पूर्व वर्ष के रू.23.88 करोड़ से बढ़कर रू.56.88 करोड़ हो गई है। मर्चेंट लेनदेन के सीधे प्रसंस्करण (एस.टी.पी.) का कार्यान्वयन इस वर्ष सभी पदनामित प्राधिकृत डीलर शाखाओं ने कार्यान्वित किया।

यह बैंक एक्सचेंज के माध्यम से मुद्रा वायदा (करेंसी फ्यूचर) कारोबार करने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज (एम. सी. एक्स.-एस. एक्स.) तथा एन. एस. ई. का कारोबारी सह समाशोधन सदस्य बन गया है। बैंक ने विभिन्न प्रकार के वित्त उत्पाद पेश किए हैं ताकि सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके एवं उनके विदेशी विनिमय लेनदेन के लिए स्पर्धात्मक एक्सचेंज दर प्रदान किया जा सके। निर्यात ऋण रूपया के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में भी प्रदान किया जाता है ताकि निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने में सहूलियत हो।

बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय ढ़ाका (बांग्लादेश) में है। अभी तक अनछुए विदेशी बाजार में प्रवेश करने के प्रयास में बैंक ने यागौन, म्यांमा में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं म्यामा के विनियामक प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त होने पर कार्यालय आरंभ हो जाएगा।

trading profit level of the previous year. As on 31.03.2012, Bank's Gross Investment stood at ₹ 29,247 crore compared to ₹ 26,409 crore at the end of previous year. The SLR investment has increased from ₹19,176 crore to ₹ 22,767 crore thus registering a growth of approx 18.7%. During the year, the Bank earned ₹217.52 crore as profit on Sale/Redemption on investment witnessing a moderate growth of 9.6%. The Yield on Domestic Investment portfolio of the Bank increased from 7.73% to 7.82 % during the year.

Under the Business Process Reengineering (BPR), the Bank's Treasury witnessed two major developments during the year under review. The Treasury activities in the Bank, which was earlier undertaken through a departmental structure was converted in to a Branch Structure with setting up of a new Specialized "Integrated Treasury Branch" at United Tower, Kolkata. Incidentally, this happens to be the first & only Integrated Treasury Branch in Kolkata of any institution. Further, the Bank successfully implemented an Integrated Treasury Management Solution (ITMS) in a record time for ensuring total Automation & Integration of entire gamut of Treasury operation in both Domestic & Forex segment along with related risk management aspects.

4.5 INTERNATIONAL BANKING

Foreign Exchange business of the bank is carried out through 47 authorized dealer Branches spread all over India and 193 nominated branches handle the FCNR business of the Bank. NRE / NRO deposit are accepted at all branches of the Bank. The Bank is giving focused attention to NRI services and NRI cell at select branches cater to the requirement of NRI's.

During the year 2011-12 in Forex segment Bank achieved Merchant turnover of ₹ 13,950 crore and Inter-Bank turnover has been ₹2,27,275 crore. The scale of operation in all spheres of forex operation has attained a sizeable growth and consequently the exchange income from forex operation has gone up to ₹56.88 crore against ₹23.88 crore in the previous year. Straight through processing (STP) of merchant transactions is implemented from all designated authorized dealer branches during this year.

Bank has become trading–cum–clearing member in MCX-SX and NSE for undertaking Currency Future operation through the exchange. Bank offers a wide variety of Trade Finance Products to suit every customer's requirement and extend competitive exchange rate for their foreign exchange transaction. Export credit is extended in rupee as well as in foreign currency to enable exporters to compete in international market.

Bank has a Representative Office in Dhaka, Bangladesh. In an effort to venture into untapped overseas market Bank has decided to open a Representative Office in Yangon, Myanmar. Approval of RBI has already been received and the office will start functioning on receipt of permission from the regulatory authorities in Myanmar.

4.6 मर्चेंट बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक के मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग ने सात निर्गमों के मामले में डिबेंचर/बॉन्ड धारकों के न्यासी के रूप में काम किया। 2011-2012 के दौरान बैंक ने लोअर टियर II बॉन्ड के जरिए ₹ 200 करोड़ की उगाही की, आगे बैंक सेल्फ सर्टिफायड सिंडिकेट बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखा ताकि अवरूद्ध राशि समर्थित आवेदन (आस्बा) की सुविधा अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सके। बॉन्ड के जरिए रू. 200 करोड़ की उगाही की, आगे बैंक सेल्फ सर्टिफायड सिंडिकेट बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखा ताकि अवरूद्द राशि समर्थित आवेदन (आस्बा) की सुविधा अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सके।

4.7 जोखिम प्रबंधन

- इस बैंक की अपनी पुख्ता और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि जिस जोखिम की आशंका है वह परिभाषित जोखिम सीमा के भीतर है और उसकी क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूप से कर दी गई है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के ढ़ांचे मे जोखिम प्रबंधन संरचना, जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और अनुवर्तन प्रणाली शामिल हैं।
- बैंक के लिए जोखिम के सीमा की निर्धारण समग्रत जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है और बैंक में एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति है। यह समिति अन्य समितियों की तरह ही है, जैसे जोखिम प्रबंधन आंतरिक समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति। ये समितियाँ संबंधित जोखिम प्रबंधन के पर्यवेक्षण का काम देखती है।
- बैंक ने अपने विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधित करने एवं कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों का निर्माण एवं उनकी समीक्षा की है। बैंक द्वारा विकसित मुख्य नीतियाँ हैं- आई.सी.ए.ए.पी., परिचालनगत जोखिम प्रबंधन गत नीति व्यवसाय पथ निरुपण नीति आस्ति-देयता प्रबंधन नीति प्रकटीकरण नीति, ऋण लेखा परीक्षा नीति, तनाव जाँच नीति तथा ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन नीति।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस बैंक ने 31 मार्च 2009 से स्वयं को सफलता पूर्वक बेसेल-2 के ढांचे में ढाल लिया है यह परिवर्तन ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपना कर, परिचालनगत जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपना कर, विपणन जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपना कर किया गया है ताकि पूजी पर्याप्तता अनुपात की गणना हो सके। इस बैंक ने पूजी के जोखिम भारित आस्ति अनुपात की गणना तिमाही अंतराल पर बैसेल-1 और बैसेल-2 के समानांतर आधार पर की है। बैंक की पूजी की जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) का सारांश नीचे दिया गया है:

को 31.03.2012	बेसेल - II	बेसेल - I
टीयर 1 (%)	8.79	7.26
टीयर 2 (%)	3.90	3.22
सी आर ए आर (%)	12.69	10.48

4.6 MERCHANT BANKING

During the financial year 2011-12, Merchant Banking Division of the Bank has acted as trustees to debenture/bond holders in respect of seven Issues. The Bank raised Lower Tier II Bonds to the extent of ₹200 crore during 2011-12. Further, the Bank continued to act as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) to provide the facility of Application Supported by Blocked Amount (ASBA) in several issues.

4.7 RISK MANAGEMENT

- The Bank has a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. The Risk Management Architecture in the Bank comprises Risk Management Structure, Risk Management Polices and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.
- The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board level Committee named as Risk Management Committee of Board of Directors along with other committees like In-House Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee to supervise respective risk management functions.
- The Bank has formulated and reviewed various Board approved policies to measure, manage and mitigate various risks that the Bank is exposed to. The major policies developed by Bank are Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Asset Liability Management Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, Stress Testing Policy, and Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management.
- In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009 by adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing the capital adequacy ratio. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-II and Basel-I norms at quarterly interval. The CRAR of the Bank is summarized as under:

As on 31.03.2012	Basel - II	Basel - I
Tier 1 (%)	8.79	7.26
Tier 2 (%)	3.90	3.22
CRAR (%)	12.69	10.48

- बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.) तैयार की है ताकि वह अपने जोखिमों का मूल्यांकन कर सके और उन जोखिमों का प्रबंधन करने और जोखिमों को कम करने तथा जोखिमों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु तैयार की गई जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा कर सके।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक का आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) संबंधी प्रलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशनुसार पिलर-2 के अनुरूप निर्मित किया गया है और इन्हें आंतरिक मूल्यांकन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में आई सी ए ए पी प्रलेख के आधार पर पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तिमाही आधार पर की गई है।
- बैंक ने उन बड़े उद्योगों/क्षेत्रों का पोर्टफोलियों विश्लेषण भी किया है जिनमें उसका निवेश अधिक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उस उद्योग/क्षेत्र विशेष के प्रभाव और मौजूदा बाजार के परिदृश्य का भी अध्ययन किया जा सके। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों/उद्योगों का सघन पोर्टफोलियो विश्लेषण किया गया जिनमें बैंक ने अधिक परिमाण में निवेश किया है, ताकि इन क्षेत्रों की समग्र स्थिति को प्रबंधन/निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
- बैंक के समस्त ऋण पोर्टफोलियो का तिमाही आधार मैक्रोस्तर पर विश्लेषण किया गया जिनमें ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता और उसके समक्ष प्रतिलाभ, समस्त जोखिम प्रतिलाभ परिदृश्य, विवेकपूर्ण एवं पर्याप्त निवेश मानदंड, शुद्ध ब्याज आय (एन आई आई) एवं शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन आइ एम) आदि शामिल हैं।
- बैंक ने उधारकर्ताओं का रेटिंग माइग्रेशन विश्लेषण भी कराया है ताकि किसी निश्चित समय पर स्थिर दर, अपग्रेडेशन दर, डाउन ग्रेडेशन दर एवं डिफाल्ट दर का विश्लेषण किया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आधार दर शुरु किए जाने के साथ ही बैंक ने भा. रि. बैंक द्वारा सुझाए तरीके से तिमाही आधार पर अपनी आधार दर की समीक्षा की।
- बैंक के विभिन्न निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर है – यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवेश मानकों का विश्लेषण और बड़े उधारकर्ता खातों को जोखिम श्रेणी निर्धारण के बदलाव का विश्लेषण छमाही आधार पर किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निदेशों और भारतीय बैंक संघ की मानक तनाव जाँच नीति के अनुरूप बैंक ने अपनी नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम फॉरेक्स जोखिम तथा पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदत्ता पर ऋण जोखिम प्रभाव की तनाव जांच छमाही आधार पर की है।
- ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने और संबंधित नीतियों, पद्धतियों और अन्य सांविधिक जरूरतों का अनुपालन करने के लिए बैंक ने एक ऋण समीक्षा क्रियाविधि तैयार की है। ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बैंक ने 40.00 लाख रूपए से अधिक की उधार सीमा वाले खातों की लेखा – परीक्षा का काम शाखा विशेष में ही शुरु कर दिया है।
- बैंक ने अपनी वर्तमान पूंजी स्थिति की गणना लागू होनेवाले बेसेल–III ढ़ांचे के लिए पहले से ही कर ली है एवं यह देखा गया है कि बैंक ने उस ढ़ांचे में उल्लिखित बैंचमार्क के अनुरूप अपेक्षित अनुपात का रख–रखाव किया है।

- The Bank has put in place its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess both risks to which it is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy relative to its risks.
- ICAAP Document of the Bank for F.Y. 2011-12 was formulated in the line of RBI guidelines on Pillar-II & submitted to RBI after internal validation. Capital requirement on the basis of ICAAP document have been reviewed on quarterly basis during F.Y. 2011-12.
- Bank conducted portfolio analysis of major industries / sectors, where Bank's exposure is substantial, to study the impact of that particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and the prevalent market scenario. Compact Portfolio analyses of certain select sectors/industries where Bank is having substantial exposure was undertaken in order to present overview of these sectors to the Management/Board.
- Macro-level Analysis of the entire credit portfolio of the Bank covering the quality of the credit portfolio vis-à-vis return, overall risk return scenario, prudential and substantial exposure norms, NII & NIM etc. was carried out on quarterly basis.
- Bank has also conducted the rating migration analysis of its borrowers to analyze the stability rate, up gradation rate, down gradation rate and default rate for a given time horizon.
- With the introduction of Base Rate by RBI, the Bank reviewed its Base Rate as per methodology suggested by RBI on quarterly basis.
- Analysis of various exposure norms, to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board and analysis on migration of risk rating for large borrowal accounts had been undertaken on half-yearly basis.
- In line with RBI guidelines and model Stress Testing policy of IBA, the Bank conducted Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex risk and Credit Risk- impact on capital adequacy and profitability on half yearly basis.
- The Bank has put in place a Loan Review Mechanism to improve the quality of loan assets and to ensure adherence to the policies, procedures and other statutory requirements. The Bank also undertakes on-site credit audit for accounts having credit limit over Rs. 40.00 lacs to improve the quality of credit portfolio.
- Bank has already calculated its present capital position for the upcoming Basel III frame work and it is observed that Bank has maintained the required ratios in consonance with the benchmark as mentioned in this frame work.

- बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के उद्देश्य से आंतरिक रेटिंग आधार दृष्टिकोण (आई आर बी) अपनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं।

- बैंक ने परिचालनगत जोखिम के तहत पूंजी प्रभार की गणना हेतु अत्याधुनिक मापन दृष्टिकोण (ए. एम. ए.) लागू करने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टी. एस. ए.) अपनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन किया है।

- बैंक ने अपने ऋण समीक्षा कार्य को जोखिम श्रेणी निर्धारण कार्य से अलग किया है। ऋण खातों का आंतरिक जोखिम श्रेणी निर्धारण आईमेक्स रिस्क स्कोरर मॉडेल का उपयोग करते हुए किया है जो ऋण जोखिम के तहत पंजी प्रभार का हिसाब करने के लिए बुनियादी आंतरिक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए आदर्श आधार है।

- अपने राजकोष संबंधी कामों के नियंत्रण एवं अनुवर्तन हेतु बैंक ने अपनी निवेश नीति की समीक्षा की है। बैंक ने नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम की देखरेख के लिए आस्ति देयता प्रबंधन नीति तैयार की है। इसके तहत प्रबंधन संव्यवहार, पद्धतियों, विवेकपूर्ण जोखिम सीमाए, समीक्षा क्रिया–विधि और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल है। समय समय पर वित्तीय और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर इन नीतियों में संशोधन किया जाता है।

- बाजार जोखिम के तहत पूंजी की जरूरत का हिसाब करने और उसका प्रबंधन सतत् आधार पर करने के लिए बैंक ने एक एकीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली (आई. टी. एम. एस.) प्राप्त की है। इससे आंतरिक मानक दृष्टिकोण (आई एम ए) का प्रयोग करते हुए बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का हिसाब स्वचालित तरीके से करने की सुविधा भी मिलेगी। एकीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली (आई. टी. एम. एस.) में प्रयुक्त मॉडेल से बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी मजबूत होगी।

- बैंक जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण के एक भाग स्वरूप आस्ति देयता प्रबंधन (ए. एल. एम.) प्रणाली का उपयोग ब्याज दर संवेदनशीलता (गैप एनालिसिस) के विश्लेषण और परिपक्वता और नकदी विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए कर रहा है। जोखिम पर अर्जन और संशोधित अवधि जैसे उपकरणों का उपयोग ब्याज दर जोखिम प्रबंधन और शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार के लिए किया जाता है।
- बैंक ने एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए. एल. सी. ओ.) का गठन किया है जिसकी बैठक नियमित आधार पर होती है और बैंक में ब्याज दर परिदृश्य, जमा और ऋणों के उत्पाद मूल्यन, बढ़ती आस्ति एवं देयता की वांछित परिपक्वता प्रोफाइल तथा बैंक निधि की मांग, बैंक की आधार दर का निर्धारण, बैंक में नकदी प्रवाह, मुनाफा हेतु योजना और समग्रत: तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा की जाती है।
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ. आर. एम. सी.) का दायित्व यह है कि वह बैंक के परिचालगत जोखिमों की निगरानी करे। बैंक तिमाही आधार पर परिचालगत जोखिम पर हानि के आँकड़े जुटाता है और उसका विश्लेषण विभिन्न प्रमापों पर करता है तथा जहाँ जरुरत होती है वहाँ उसमें सुधार के उपाय करता है।

- कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु बैंक अपने अधिकारियों को एन. आई. बी. एम., आई. बी. ए., आई. डी. आर. बी. टी., निब्स कॉम, एस बी आई

- The Bank has also initiated steps to migrate to Internal Rating Based Approach (IRB) for calculation of Capital Charge for Credit Risk.

- As a step towards implementation of Advanced Measurement Approach (AMA) for computation of Capital Charge under Operational Risk, Bank submitted its application to RBI for migration to The Standardized Approach (TSA).

- Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts using IMaCS Risk Scorer Model is being undertaken which will serve as the ideal platform for migration to FIRB (Foundation Internal Risk Based) approach for calculation of capital charge under Credit Risk.

- The Bank has reviewed its Investment Policy to control and monitor its treasury functions. The Bank has also put in place an Asset Liability Management Policy to address the liquidity risk, interest rate risk. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised periodically in line with changes in financial and market conditions.

- In order to compute and manage capital requirement under Market Risk on an ongoing basis, Bank has procured an Integrated Treasury Management System (ITMS) which will also facilitate automated computation of capital charge for Market Risk using the IMA (Internal Models Approach). The model/s used in ITMS will further strengthen the internal control system of investment portfolio of the Bank.

- As a part of risk management & control the Bank is using the ALM system for studying and analyzing the Interest Rate Sensitivity (GAP Analysis), Maturity & Liquidity Analysis. Tools like Earning at Risk and Modified Duration are used for interest rate risk management and improving the Net Interest Margin.

- Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) which meets at regular intervals to review the interest rates scenario, product pricing for both deposits, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for bank funds, fixation of Bank's Base Rate, cash flows of the Bank, profit planning and overall balance sheet management.

- The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. The Bank collects and analyses loss data on operational risk based on different parameters on a quarterly basis and, wherever necessary, corrective steps are taken.

- Bank nominated its officers for various trainings/seminars on Risk Management at reputed

आदि ख्यातिलब्ध संस्थानों में, जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमीनारों में भी नामित करता है।

4.8 विपणन

बैंक के पास समर्पित विपणन दल है जिसका नेतृत्व वरिष्ठ कार्यपालक करते हैं। विपणन विभाग की प्रमुख गतिविधियां/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–

1. **खुदरा जमा एवं विशेषत: 'कासा' जमा का संग्रहण :–**

क) 31 मार्च 2012 तक कुल जमा ₹89,116 करोड़ था जिसमें खुदरा जमा ₹73,793 करोड़ था जो कुल जमा का 81.68% है।

ख) 31 मार्च, 2012 को 'कासा' ₹36,329 करोड़ था जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 14.44 % की वृद्धि है।

ग) 'कासा' संग्रहण बैंक का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान देशभर में विभिन्न 'कासा' अभियान चलाकर ₹16.05 लाख बचत खाते एवं 42000 चालू जमा खाता खोले गए। 31.03.2012 को 'कासा' जमा कुल जमा का 40.76% है।

2. **यू. एस. पी. लेखा**

युनाइटेड वेतन भुगतान योजना (यू. एस. पी.) के तहत बैंक कारपोरेट जगत को इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से वेतन भुगतान की सेवा प्रदान कर रहा है। हाल में वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के दिशा-निदेशानुसार राज्य सरकारी कर्मचारियों के खाते में सीधे वेतन संवितरण हेतु लगभग 1,50,000 वेतन खाते (यूनाइटेड वेतन भुगतान योजना) खोले गए।

3. **बाजार सर्वे एवं उत्पाद आशोधन**

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मौजूदा ग्राहकों को लेकर एक बाजार सर्वे किया गया जो ग्राहक संतोषजनक स्तर, विभिन्न प्रकार के ग्राहकों का खंड वर्गीकरण, उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा बैंक के ब्रान्ड-इमेज से संबंधित था। सर्वे के निष्कर्ष के आधार पर हम बदलती आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहक संतुष्टि स्तर को सुधार रहे है एवं मौजूदा उत्पाद संविभाग में आशोधन कर रहे हैं।

4.9 **परिसर**

परिसर विभाग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं साज-सज्जा संबंधी कार्यों के द्वारा शाखाओं/कार्यालयों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाकर बैंक के परिचालनगत उद्देश्यों में सुधार करने एवं बेहतर ग्राहक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी एवं प्रयोजनमूलक सहायता प्रदान कर रहा है। कल्याणी में बैंक की अपनी जमीन पर नये शाखा परिसर का निर्माण पूरा हो गया है एवं भा रि बैंक से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मुद्रा तिजोरी का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हैं। भुवनेश्वर में बैंक की अपने जमीन पर भवन का निर्माणकार्य प्रगति पर है। ओ सी एच स्ट्रीट शाखा परिसर में यूनाइटेड इ-जोन का शुभारंभ हो गया है एवं वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। मालदा क्षेत्र के अंतर्गत भुतनी शाखा को सौर उर्जाकरण हेतु पाइलट परियोजना के रूप में चयन किया गया है, जिसका कमीशन

institutions like NIBM, IBA, IDRBT, NIBSCOM, SBI etc for skill development.

4.8. MARKETING

The bank has a dedicated Marketing Team headed by a Senior Executive. Major activities/initiatives taken by the Marketing Department are as under:-

1. **MOBILIZATION OF RETAIL DEPOSITS WITH ENHANCED IMPORTANCE ON CASA MOBILIZATION:**

a) The total Deposit as on 31st March, 2012 is ₹89,116 Crore out of which retail deposit is ₹73,793 Crore, around 81.68 % of the total Deposit.

b) CASA stood at ₹36,329 Crore as on 31st March, 2012, a growth rate of 14.44% in comparison with previous year.

e) CASA Mobilization has been one of our thrust areas .During the FY 2011-12—a total of 16.05 Lacs Savings Account and 42,000 Current Account were opened during various CASA Campaigns nation Wide. As on 31.03.2012 our CASA deposits constitute 40.76%of our total Deposit.

2. **USP ACCOUNTS-** Under our United Salary Payment Schemes (USP) we have been rendering services to corporate for payment of salary through electronic mode. Recently in FY 2011-12, as per the guidelines of the State Government for disbursal of Salary directly to the accounts of the State Government employees, a total of about 1,50,000 salary accounts (United Salary Payment Scheme) were opened.

3. **MARKET SURVEY AND PRODUCT MODIFICATION: -** A Market Survey was conducted in the FY 2011-12 on our existing customers to find out Customer Satisfaction Level, Segment wise Distribution of Customers across various Demographics, Product & Technology Assessment and Brand Image of the Bank. Based on the findings of the survey we are taking measures to increase our Customer Satisfaction level and to modify of our existing product portfolio keeping pace with the changing needs of our customers.

4.9 PREMISES

Premises Department is playing a vital role in providing effective functional support to improve operational objectives of the Bank by ensuring pleasant ambience of the branches/ offices, providing better customer facilities and undertaking various constructional and refurbishment works at different locations. Construction of new branch premises at Bank's own land at Kalyani has been completed and after obtaining permission from RBI, construction of currency chest has been initiated. Construction of building at Bank's own land at Bhubaneswar is in progress. United e-Zone has been launched at OCH Street branch premises and is functioning successfully. Bhutni branch under Malda Region has been selected as a pilot project for solarisation which has already been commissioned and is under trial. Installation of HT

हो चुका है एवं परीक्षण के दौर में है। डाटा सेंटर के लिए 600 के. वी. ए. की एकांतिक विद्युत लाइन हेतु सी. इ. एस. सी. का एच. टी. ट्रांसफार्मर लगाया गया है।

4.10 सुरक्षा

बैंक की स्थायी सुरक्षा समिति समय-समय पर शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु आवधिक समीक्षा करती रही है। इस समीक्षा के तहत बैंक ने गैर सी. सी. एवं सी. सी. शाखाओं में सी. सी. टी. वी. स्थापित किया है ताकि उक्त संवेदनशील शाखाओं को लगातार निगरानी में रखा जा सके। इससे चौबीस घंटे शाखा परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की संदेहात्मक गतिविधि पर निगरानी रखी जा सकेगी एवं उसकी रिकार्डिंग की जा सकेगी।

इस वित्तीय वर्ष में बैंक मे 495 गैर सी. सी. शाखाओं में 90 दिनों की रिकार्डिंग सुविधा से युक्त सी. सी. टी. वी. के प्रतिष्ठापन हेतु निविदा आमंत्रित किया है। नई शाखाओं को भी सी. सी. टी. वी. एवं चेतावनी पद्धति से सुसज्जित किया गया है। इस पद्धति में 90 दिनों की सभी घटनाओं/गतिविधियों को रीयल टाइम आधार पर वीडियो रिकार्डिंग को पुन: प्राप्त करने की सुविधा है।

बैंक ने वेंडर को सभी मुद्रा चेस्ट शाखाओं में बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल पद्धति प्रतिष्ठापित करने का आदेश दिया है ताकि मुद्रा चेस्ट में कार्मिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित एवं रिकार्ड किया जा सके।

बैंक ने कैश-सेफ में रखे जाने वाले कैश की सुरक्षा एवं संरक्षा भी सुदृढ की है तथा 557 संवेदनश्वील शाखाओं में टाइम लॉक डिवाइस का प्रतिष्ठापन किया गया है। बैंक ने कोलकाता की 4 सी सी शाखाओं में इंटीग्रेटेड सुरक्षा सोल्यूशन (आई एस एस) भी चालू किया है जो कि किसी घटना की स्थिति में पुलिस के सीधे हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करता है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश दिया गया है।

बैंक ने नए भर्ती किए गए सशस्त्र गार्ड के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण प्रदान किया है ताकि वे आपातकाल के दौरान किसी स्थिति का सामना विश्वास के साथ कर सकें।

बैंक ने 16 सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की है जिन्हे आवश्यक प्रशिक्षण के बाद विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा गया है ताकि वे संबधित शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय का सुरक्षा संबंधी ख्याल रख सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार सभी शाखाओं को दोनों तरफ दृष्टब्य नोट काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं तथा ₹50 लाख एवं उसके अधिक के दैनिक औसत रोकड़ का कारोबार करनेवाली शाखाओं को नोट छंटाई मशीन दी गई है।

4.11 सूचना प्रौद्योगिकी

सी. बी. एस. प्लेटफार्म को समुन्नत करने एवं पूर्व वर्षों में कार्यान्वित आई. टी. आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के क्रम में 2011-12 के दौरान अनेक नयी पहलें की गई हैं। आंतरिक दक्षता, उपलब्धता, ग्राहक सेवा के साथ सूचना पर विशेष ध्यान दिया गया। एम आई एस परियोजना का प्रारंभ अनुपालन के केन्द्रीयकरण के साथ आंतरिक एम आई एस रिपोर्ट के केंद्रीकरण के लिए की ताकि शाखा स्रोत का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग हो एवं निर्णय की सूचना दी जाए। एम आई एस में आगे व्यवसाय इंटलीजेंस सोल्यूशन की वृद्धि की जाएगी जो कि डैसबोर्ड एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करेगी। बैंक ने एच आर एम एस सोल्यूशन क्रियान्वित किया है तथा पेरौल, छुट्टी प्रबंधन आदि को केन्द्रीकृत

Transformer of CESC for supply of dedicated 600KVA electrical line for data Centre has been made operational.

4.10 SECURITY

The Standing Security Committee of the Bank has been periodically reviewing the Security arrangements of the Branches from time to time. By way of such review the Bank has installed CC TV in Non-CC Branches and CC Branches in order to bring the aforesaid vulnerable Branches under the constant surveillance. This will facilitate monitoring and recording of any suspicious movement inside the Branch Premises round the clock.

This Financial year the Bank has invited tender for installation of CC TV with 90 days recording facility in 495 Non-CC Branches .Also newly opened Branches are equipped with CC TV and the alarm system at the inception stage. The system facilitates retrieval of video recording of all incidents/movements for past 90 days on real time basis.

The Bank has already placed order with a Vendor to install Biometric Access Control System in all Currency Chest Branches to restrict and record the entry and exit of personnel into the CurrencyChest.

The Bank has also strengthened security and safety arrangements of the cash kept in cash-safe by installing Time Lock Device in 557 Sensitive Branches in the past. The Bank has also introduced integrated Security Solution(ISS) in 4 CC Branches in Kolkata which facilitates direct intervention of Police in case of any eventuality in accordance with the instruction of Reserve Bank of India .

The Bank has also conducted training for newly recruited Armed Guards at various places in order to instill confidence in handling of situation during an emergency.

The Bank has recruited 16 Security Officers who were sent to various sensitive Regions after imparting proper Training in order to take care of Security aspects in the Branches of respective Regions.

According to the directives of Reserve Bank of India in connection with clean note policy, all the Branches have been provided with dual display Note Counting Machines. All the Currency Chest Branches and the Branches having daily average cash handling of ₹50 lac and above have been provided with Note Sorting Machines.

4.11 INFORMATION TECHNOLOGY

In order to leverage CBS platform and robust IT infrastructure implemented in preceding years, many new initiatives are taken during 2011-12. Internal efficiencies, availability, customer service as well as Information Security were the focus areas.MIS project was started with the purpose of centralization of compliance as well as internal MIS reports for creating a scope for much effective use of branch resources and informed decision making. The MIS will be further augmented by a Business Intelligence solution that will provide dashboards and analytical reports. Bank has also implemented HRMS solution and processes like payroll, leave management etc. are centralized

किया है ताकि दक्षता एवं कर्मचारी स्वयं सेवा में वृद्धि हो सके। बैंक ने स्थिर परिसम्पत्ति प्रबंधन माड्यूल को क्रियान्वित किया है जिससे कि केन्द्रीय रूप से मूल्यह्रास का प्रबंधन एवं संगणन किया जा सके।

ग्राहकों को कुशलतापूर्वक किसी भी समय, कहीं भी बैंकिंग सुविधा देने के लिए बैंक ने वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम जैसे ए टी एम, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग इत्यादि आरम्भ किया है। इस वर्ष 294 ए टी एम लगाए गए। ए टी एम की कुल संख्या 802 है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एन एफ एस, कैश ट्री, वीसा के माध्यम से दूसरे बैंक के ए टी एम सेवा की भी सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑन लाइन शॉपिंग, यूटिलिटी बिल भुगतान, रेलवे तथा हवाई जहाज टिकट, मोबाइल टॉप-अप लाइन, ए एस बी ए डीमेट होल्डिंग विस्तृत जानकारी आदि प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान बैंक मे सभी शाखाओं पर ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग चैनेल चालू किया है। वर्तमान में शेष राशि की जानकारी, अंतिम दस लेन देन का विवरण, चेक रोकना, निधि स्थानांतरण (अंत: एवं अंतर बैंक), मोबाइल टॉप-अप आदि सेवा प्रदान की गई है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ने लेन-देन चेतावनी पर आधारित रियल टाइम एस एम एस को भी प्रारम्भ किया है।

वर्ष के दौरान स्वीफ्ट (एस डब्ल्यू आई एफ टी) सुविधा भी सभी बी ग्रेड की ए डी शाखाओं में उपलब्ध करा दी गई है, एन ई एफ टी की सुविधा आर आर बी प्रायोजित बैंक के एन ई एफ टी गेटवे तक विस्तृत की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य के मॉडल को सरकारी व्यवसाय मॉडल में चालू किया गया है। ई लेखा, ई एस बी ए एवं इंडो नेपाल धन प्रेषण मॉडल को सी. एम. एस. में चालू किया गया है। केन्द्रीय एवं राज्य पेंशन को प्रणाली के अंतर्गत ले लिया गया है। समेकित राजकोष प्रबंधन (आई. टी. एम. एस.) को घरेलू एवं फॉरेक्स मॉडल के साथ लागू किया गया है। बैंक द्वारा संचालित सभी नौ क्लियरिंग क्षेत्रों में एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ई. सी. सी. एस.) क्रियान्वित की गयी है। बैंक ने चैन्नई में सी. टी. एस. सोल्यूशन लागू किया है तथा बंगलौर एवं कोयम्बटूर केंद्र में लागू करने के लिए तैयार है। सी. बी. एस. के लिए बैंक इंटरफेस साफ्टवेयर के विकास की प्रक्रिया मे भी है ताकि पास बुक, विवरण जैसी ग्राहक सेवाएं हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रदान की जा सकें।

बैंक के डब्ल्यू. ए. एन. आप्टीमाइजेशन सोल्यूशन सभी शाखाओं में लागू किया है ताकि नेटवर्क निष्पादन को सूधारा जा सके। बैंक ने वी एस ए टी लिंक को द्वितीय बैक-अप के रूप में चयनित इकहरे केन्द्र वाली शाखा पर लागू किया है ताकि केबल नही रहने, एक्सचेंज की विफलता आदि स्थिति में नेटवर्क की सुविधा मिलती रहे। कॉरपोरेट मेल संदेश पद्धति की सुविधा सभी जगह है एवं इस वर्ष इसे अपग्रेड किया गया है। सूचना के आदान-प्रदान, ज्ञान प्रबंधन एवं ऑन लाइन परीक्षा के लिए बैंक का इंट्रानेट पोर्टल का सदैव उपयोग किया जाता है। वी पी एन सुविधा अपग्रेडेशन की प्रक्रिया एवं आधारभूत सुविधा से युक्त बैंक ने अल्ट्रा स्माल शाखाओं को चालू किया है एवं इस तरह की अन्य शाखाओं को खोलने का कार्य प्रगति पर है।

आई टी पद्धति पर बढ़ती निर्भरता एवं इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनेल के माध्यम से लेनदेन में अत्यधिक वृद्धि की वजह से बैंक ने सूचना सुरक्षा को व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र के रूप मे चिन्हित किया है। सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन एवं साइवर धोखाधड़ी पर आर बी आई के दिशा निर्देश को बैंक ने सूचना के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप मे लिया है। आर बी आई अनुशंसा के साथ बैंक की नीति, प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश को जोड़ने के उद्देश्य से सूचना संरक्षा नीति को परिवरर्तित किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा गवर्नेंस की संरचना तैयार की गई है। आर बी आई के दिशा निर्देश में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए बैंक सदैव सचेष्ट है। बैंक नियमित रूप से क्रिटिकल आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर की आई एस सुरक्षा लेखा परीक्षण करता है एवं यह कार्य

leading to improved efficiencies and employee self-service. Bank has implemented Fixed Asset Management module for managing and calculating depreciation centrally.

Bank provides Anytime, Anywhere Banking facility to its customers through its alternate delivery channel initiatives like ATMs, Internet Banking, Telebanking etc. 294 new ATMs have been added during the year taking the total number of ATMs to 802. Bank has ATM sharing arrangements with networks like NFS, CashTree & VISA enabling customers access to ATM services at other banks' ATMs also. Further value have been added to Internet banking services during the year by enabling the same for online shopping, utility bill payment, railway & air ticketing, mobile top-up online ASBA demat holding details query etc. During the year Bank has launched a Mobile Banking Channel for its customers at all branches. At present services like balance query, last ten transaction view, stop cheque, fund transfer(intra & interbank), mobile top-up etc are enabled. Complying to mandatory requirements bank has put in place real-time SMS based transaction alerts for all transactions

During the year SWIFT facility is made available in all B- Category AD Branches, NEFT facility is extended to Bank sponsored RRBs through Bank's NEFT Gateway, West Bengal State tax module has been implemented in Government Business Module. E-lekha, E-ASBA and Indo-Nepal remittance modules have been implemented in CMS. Central and State Pensions are migrated to system. Integrated Treasury Management System (ITMS) has been implemented with domestic and forex modules. Express Cheque Clearing System (ECCS) is implemented in all nine clearing houses managed by Bank. Bank has implemented CTS solution at Chennai and ready for participation in Bangalore & Coimbatore centers. Bank is also in process of development of interface software for CBS for providing customer services like passbook, statements in Hindi and English.

Bank has implemented WAN optimization solution in all Branches to improve network performance. Bank has implemented VSAT links as second backup at selected single centre Branches to provide network connectivity in situations like cable cut, Exchange failure etc. Corporate Mail Messaging System covering all offices is in place and upgraded during the year. Bank's Intranet portal is used extensively for information sharing, knowledge management and online examinations. Bank has implemented Ultra Small Branches with secure VPN connectivity, process for upgradation & implementation of infrastructure for opening of more number of such Branches is in progress.

With the growing dependence on IT systems and exponential increase in transactions through electronic delivery channels, Bank has identified Information Security as the key area for sustenance of business. RBI guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds are taken as the guiding principles for management of Information Security in the Bank. To align Bank's policies, procedures and guidelines with RBI recommendation's, Information Security Policy is revamped, Information Technology and Security governance structure constituted. Bank is actively pursuing to mitigate gaps to fully comply RBI guidelines. Bank is regularly conducting IS Security audit of

नामिका बद्ध सी ई आर टी (स ई)एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने अपने वेवसाइट के लिए एंटी फिशिंग, एंटी फार्मिंग, एंटी ट्रोजन एवं एंटी मालवेयर संबंधित सेवाओं के लिए व्यावसायिक एजेंसी को लगाया है। बैंक ने ऑन साइट सुरक्षा परिचालन केंद्र चालू किया है जिससे केंद्रीकृत रूप से सूचना सुरक्षा स्थिति देखी जा सकेगी एवं आई एस सुरक्षा परिचालन केन्द्र को नियंत्रित किया जा सकेगा।

4.12 वित्तीय समावेशन :

2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित ग्रामों में बैंकिंग सेवाए प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में 12 राज्यों एवं 1 केन्द्र शासित क्षेत्र को शामिल कर बैंक को 1819 ग्राम आवंटित किए गए हैं। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक ने आई सी टी आधारित सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय प्रतिनिधि (बी सी) मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है। बैंक ने 33 ब्रिक एवं मोर्टर शाखा तथा बाकी 1786 बैंक रहित गांवों में बी.सी. मॉडल प्रदान करके निर्धारित लक्ष्य अर्थात 31 मार्च 2012 के पूर्व यह लक्ष्य 21 मार्च 2012 को प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में बैंक ने 58 गांवों में बैंकिंग आउट लेट भी खोला है जहां जनसंख्या 2000 से कम है। वित्तीय समावेशन योजना के तहत बैंक ने 7.18 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। बैंक सभी वित्तीय समावेशन (एफ आई) ग्राहकों को बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान कर रहा है। वित्तीय समावेशन के ग्राहकों को उनके दरवाजे पर सरकारी अनुदान वितरित करने तथा जमा एवं अग्रिम संबंधी सुविधाएं भी जाएंगी। बैंक ने स्मार्ट कार्ड के माध्यम से नकदी लेन-देन एवं एम. जी. एन. आर. ई. जी. ए. ('मनरेगा') पारिश्रमिक का भुगतान प्रारम्भ कर दिया है। व्यवसाय प्रतिनिधि अभिकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग व्यवसाय प्रस्तावों की खोज के लिए व्यवसाय मध्यस्थता के रूप में किया जा रहा है। इससे व्यवसाय प्रतिनिधि अभिकर्ता (बी सी ए) की व्यवहार्यता एवं निरंतरता बढ़ेगी।

वित्तीय साक्षरता में वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने 10 एफ एल सी सी केंद्र खोले हैं :- पश्चिम बंगाल में (4), त्रिपूरा में (2), असम में (2), एवं मणिपुर में (2) हैं। बैंक ने 156 अल्ट्रा लघु शाखाएं (यू. एस. बी.) खोले है जिन गांवों में बी. सी. आउटलेट पहले खोली गई हैं। बैंक अधिकारी सप्ताह में एक दिन निर्धारित तिथि को गैर नकदी लेन-देन अर्थात् शेष राशि ऋण प्रस्ताव, परिसम्पत्ति सत्यापन, शिकायत निवारण की जांच के लिए निरीक्षण करते है जहाँ बी सी ए अर्थात् व्यवसाय प्रतिनिधि अभिकर्ता अन्य दिनों में उसी स्थान से नकदीं लेन-देन करेंगे।

4.13 कार्मिक प्रशासन

बैंक के कुल कार्मिकों की संख्या 31 मार्च 2012 को 15,500 रही जबकि पिछले वर्ष यह 15,062 थी। बैंक के कर्मचारियों की उत्पादकता 31.03.2012 को बढ़कर ₹9.71 करोड़ हो गई जबकि 31.03.2011 को यह ₹8.60 करोड़ रूपए थी।

प्रभावी उत्तराधिकार योजना के रूप में 746 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 1,331 लिपिकों और 294 विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की बहाली की पहल की गई और सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को पूरा किया गया।

अंतर वेतनमान पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की गई जिसके अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके माध्यम से कुल 584 अधिकारियों को उनके संबंधित उच्च वेतनमान में पदोन्नति मिली।

critical IT infrastructure through Cert-in empanelled agency. Bank has engaged professional agency for providing Anti-Phishing, Anti-Pharming, Anti-Trojan and Anti-Malware Managed Services for Bank Websites. Bank is also implementing state of the art onsite Security Operations Centre (SOC) which will provide the centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

4.12 FINANCIAL INCLUSION

In order to extend banking services in the un-banked villages having population more than 2000, the bank was given allocation of 1819 villages across the country covering 12 states and 1 Union Territory. In order to achieve the above, Bank prepared the Financial Inclusion Plan envisaging ICT based solution through Business Correspondent (BC) model. The Bank achieved the above target by opening of 33 brick and mortar branches and rolling out BC Model in remaining 1786 un-banked villages within 21st March 2012 ahead of the stipulated date i.e. 31st March 2012. Besides, the Bank has also opened banking outlet in 58 villages having population of less than 2000 during the above period. Exploring the Financial Inclusion Plan, the Bank has acquired 7.18 lakh new customers. The Bank is providing Biometric Smart Cards to all our FI customers. The FI customers will be provided a range of deposit and advance products besides the disbursement of Government aids at the door step of the customers. The Bank has already started cash transactions and payment of MGNREGA wages through the Smart Cards. Services of the BC Agents are being utilised by engaging them as Business Facilitators for scouting of business proposals. This will also help increase the viability and sustainability of the BCAs.

In order to increase the Financial Literacy, the Bank has opened 10 FLCC centres in West Bengal (4), Tripura (2), Assam (2) and Manipur (2). The Bank has opened 156 Ultra Small Branches (USBs) in the villages where BC outlets have been opened. Branch officials will be visiting these branches once in a week on a pre-fixed day for non-cash transactions viz. Balance enquiry, loan proposal scrutiny, asset verification, grievance redressal, etc. Whereas the BCAs will conduct cash transactions from the same place in all other days.

4.13 PERSONNEL ADMINISTRATION

The total staff strength of the bank stood at 15500 as on March 31, 2012 as against 15062 last year. The staff productivity of the bank has increased to ₹9.71 crore as on 31.03.2012 from ₹8.60 crore as on 31.03.2011.

As a part of effective succession planning, process for recruitment of 746 Probationary Officers and 1331 clerks apart from 294 specialist officers were undertaken and successfully completed during the year.

Inter scale promotion process covering officers of all grades was successfully completed during the year through which a total of 584 have been promoted to their respective higher scale.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण

यह बैंक निर्दिष्ट संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ मे सरकारी मार्गनिर्देशों का अक्षरश: पालन करता रहा है। 31.03.2012 को इस बैंक की कुल कार्मिक संख्या में से 3,836 कार्मिक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हैं और यह कुल कार्मिक संख्या का 24.7% है। इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के 130 कर्मचारियों को परवर्ती उच्च संवर्ग में पदोन्नति किया गया जो वर्ष के दौरान प्रभावी कुल पदोन्नतियों की संख्या का 22.2% है। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के 23 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को एक मुश्त 1.50 करोड़ की अनुग्रह राशि दी गई।

सर्वोच्च प्रबंधन के साथ बैंक के अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद की तिमाही बैठकें नियमित आधार पर इस वर्ष भी हुई। इस वर्ग के संबंध में व्यक्तियों या संगठनों से प्राप्त सभी शिकायतों को बैंक ने दूर किया।

प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास

बैंकिंग टेक्नोलॉजी का विकास अत्यंत तेज गति से हो रहा है। परम्परागत बैंकिंग दक्षता को नयी टेकनोलॉजी आधारित दक्षता से पुनर्बल प्रदान करना बैंक की परम जरूरत है ताकि नई क्षमता विकसित हो। अपनी आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली की मात्रात्मक और गुणात्मक - दोनों ही क्षमता को बढ़ाने की पहलकदमी की गई है।
बैंक ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता स्थित अपने सी.बी.एस प्रशिक्षण केन्द्रों को पूर्णरुपेण प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में परिवर्तित कर दिया है। उन केन्द्रों पर पूर्ण दायित्व संकाय सदस्य नियुक्त किए गए हैं ताकि पूरे वर्ष नियमित आधार पर कक्षाएं चलायी जा सकें। इस वर्ष सरकारी लेन-देन, नकदी प्रबंधन, ग्रामीण ऋण का प्रभावी वितरण, अतिलघु उद्यम विकास, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विशेषीकृत विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था आई. आई. बी. एम. गुवाहाटी, एन. आई. आई. डी., फेडाई आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से की गई।

ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य है ऋण, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, राजकोष प्रबंधन विकास, जालसाजी-विश्लेषण, विदेशी विनिमय आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न अधिकारियों का समूह तैयार करना।

इस वर्ष कुल 6,314 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें 4,420 अधिकारी, 1,842 लिपिक और 52 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं। ये आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के कोलकाता स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिए गए।
बैंक ने इस वर्ष 04 अन्त: कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 90 कर्मचारियों ने भाग लिया। बैंक ने अपने 181 अधिकारियों को विभिन्न बाहरी केन्द्रों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा। वर्ष के दौरान कुल 11 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के 8 वैदेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

किसी भी बैंक का निदेशक मंडल किसी कॉर्पोरेट व्यवसाय के अस्तित्व की संरचना में एक महत्वपूर्ण संघटक होता है सूचना सम्पन्न निदेशक मंडल बेहतर प्रबंधन करता है। वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर, नियामक, नीति निर्माता और अकादमिक क्षेत्र के लोग समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श करें, इसके जरिए हुए अद्यतन चिंतन मनन से गैर कार्यालयीन निदेशकगण को परिचित होने का एक मंच और अवसर मिले-इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक संगठन का संप्रबर्तन किया है। इसका नाम है सेंटर फॉर एडवांस फिनांशियल रिसर्च एंड लार्निंग

Welfare of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees:

The Bank has been meticulously following the government guidelines for reservation in employment/promotion in respect of specific categories. The representation of SC/ST employees in total staff stood at 3836 as on 31.03.2012 constituting 24.7% of the total employees. During the year 130 employees belonging to SC/ST category were promoted to next higher cadre. They constituted 22.2% of total number of promotions effected during the year. Dependents of 23 deceased employees belonging to SC/ST category who died while in service were paid ex-gratia lump-sum amount to the tune of Rs. 1.50 crore during the financial year.

Quarterly meetings between the Top Management and SC/ST Employees Welfare Council of the Bank were held on regular basis during the year. Complaints received from individuals/organizations regarding SC/ST matters were looked into for early redressal of grievances.

Training & skill development

Banking technologies are evolving at a rapid pace. The prime need of the bank is to reinforce the traditional banking skills with the new technology based skills for developing new competencies. Major steps have been initiated to augment the capacity of the in house training system both quantitatively and qualitatively.

Bank has converted the CBS training centres in Delhi, Mumbai and Kolkata as full fledged training centres where full time faculties are being posted to conduct regular courses through out the year. For the specialised subjects like Government Transaction and Cash Management, Effective Delivery of Rural Credit, Micro Enterprises Development, Forex, etc. training has been arranged during the year under the auspices of reputed Institute like IIBM Guwahati, NIRD, FEDAI, etc.

Special Training Programmes were conducted with focus on creation of talent pool of officers in critical areas like Credit, Risk Management, Financial Inclusion, Treasury, Management Development, Fraud Analytics, Forex, etc.

During the year, 6314 employees comprising 4420 officers, 1842 clerks and 52 Subordinate Staff of the Bank attended in-house training programme conducted at the Bank's Staff Training College, Kolkata.

Bank has conducted 4 in-company Training Programmes during the year wherein 90 employees had participated. The Bank had sent 181 officer employees for 79 different external training programmes. During the year Bank had sent 11 senior officers for eight different overseas training programme.

The Board of any bank is a vital component in the structure of any corporate business entity. A well informed Board contributes to better management. In order to provide a forum for the non-official Directors to have the opportunity to acquaint themselves with the latest thinking amongst the financial sector practitioners, regulators, policy makers and academics on subject of current interest through meaningful discussion CAFRAL (Centre for Advanced Financial Research And Learning) - an organisation

(कैफराल) यह केन्द्र सम्मेलन, गोलमेज एवं विचार गोष्ठी आदि का आयोजन करता है जिसमें ऐसे निदेशक शरीक होते हैं।
उक्त केन्द्र ने बैंकों के गैर कार्यालयीन निदेशकों के लिए ऐसा पहला सम्मेलन दिसम्बर 2011 में आयोजित किया। इसमें हमारे बैंक के गैर कार्यालयीन निदेशक श्री सुनील गोयल, श्री सौमेन मजुमदार और श्री श्रेणिक शेठ ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध

बैंक ने वर्ष 2011-2012 में सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा जिससे बैंक के चतुर्दिक विकास और व्यवसाय विकास के लिए सकारात्मक परिवेश बना। बैंक के व्यावसायिक प्राथमिकताओं के विषय में सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु बने यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन के विषय स्तरों पर आवधिक बैठकें हुईं। साथ ही, कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण पर बल दिया गया।

एक कल्याणकारी कदम के रूप में कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति/पत्नी के स्वास्थ्य पर विचार करते हुए बैंक ने मौजूदा मेडीक्लेम बीमा योजना का नवीकरण कराया है। इनके अतिरिक्त बैंक ने इस वर्ष 03 (तीन) और अस्पतालों के साथ ताल-मेल की व्यवस्था की है यथा: बी पी पोद्दार हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च लि., ए. एम. आर. आई. वोमेन एंड चिल्ड्रेन हॉस्पिटल एवं फोर्टिस हॉस्पिटल। इस तरह मौजूदा कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती/प्रतियोगी दर पर अस्पताल में भर्ती होने/स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराने/इलाज कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे अस्पतालों की संख्या 71 हो गई-जिसके साथ ताल-मेल व्यवस्था (टाई-अप) की गई है।

बैंक ने एक योजना चालू की है जिसके तहत सभी अधिकारियों को फर्नीचर एवं फिक्सर्स उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यरत किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। बैंक ने महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु प्रधान कार्यालय में शिशुसदन (क्रेश) चालू किया है।

खेल-कूद को बढ़ावा

2011-12 के वार्षिक खेल-खूद कार्यक्रम का आयोजन बैंक की ओर से 15 जनवरी 2012 को, कोलकाता स्थित मोहनबागान एथलेटिक क्लब के मैदान मे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं अन्य शीर्ष कार्यपालकों की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। इसमे लगभग 3000 कर्मचारियों व भूतपूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सफल प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न एवं पुरस्कार प्रदान किए।

4.14 निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा

आंतरिक निरीक्षण एक अंत: स्थापित सतत् प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करता है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा हेतु बैंक की परिचालनात्मक इकाइयां ठीक से कार्य कर रही है। बैंक के निरीक्षण विभाग के पास आंतरिक निरीक्षकों की एक समर्पित टीम है जो विहित पद्धतियों प्रविधियों एवं मानकों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करती है। बैंकिंग प्रणाली के बदलते परिदृश्य के साथ समन्वय हेतु समय-समय पर निरीक्षण लेखा परीक्षा नीति मे संशोधन एवं आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा 1346 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) की गई।

समवर्ती लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा एवं सूचना आधारित लेखा परीक्षा पूरे वर्ष के दौरान शाखाओं/कार्यालयों द्वारा की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक

promoted by Reserve Bank of India, holds conferences, roundtables and seminars where such persons participate.

The first such conference for the non-official directors on the Boards of the bank was held in December 2011 by CAFRAL. Shri Sunil Goyal, Shri Saumen Majumder and Shri Srenik Sett non-official Directors of the Bank attended the conference.

Industrial Relations

The Bank has maintained harmonious industrial relations during the year 2011-12 culminating in creation of a positive atmosphere for all round growth and business development of the Bank. Periodical meetings at different tiers of management were held with the representatives of the Unions/ Associations for sharing of the information/ percolation of business priorities of the Bank. At the same time emphasis has been given on the redressal of the genuine grievances of the employees.

As a welfare measure, considering the aspects of Health Care for working employees along with dependant members of their families as also the retired employees of the Bank along with their spouse, the Bank has renewed the existing Medi-claim Insurance Schemes. Besides, the Bank has entered into tie- up arrangements with three more Hospitals viz. B P Poddar Hospital & Medical Research Ltd , AMRI Women & Children Hospital and Fortis Hospital during the year taking the total numbers of such arrangements to 71 Hospitals and Diagnostic Centres located all over India to meet hospitalization/ health check-up/ diagnostic requirements of employees/ retired employees at a concessional/ competitive rate.

The Bank has introduced a Scheme for providing furniture & fixtures to all officers. The financial assistance to the family in case of death of employee while in service has been increased. The Bank has also started a Crèche at Head Office premises for the welfare of women employees.

Promotion of Sports

The Annual Sports Meet of the Bank for the year 2011-2012 was organized on 15th January, 2012 at Mohun Bagan Athletic Club Ground, Kolkata in presence of the Chairman & Managing Director , Executive Director and other top executives of the Bank. Over 3000 employees, ex-employees and their family members participated in the Meet with

4.14 INSPECTION & AUDIT

Internal Inspection of all operational units of the Bank is carried out on a continuous basis to ensure their sound functioning for the safety and security of Bank's assets. A dedicated team of internal inspectors of Audit & Inspection Department is continuously engaged in inspection of Branches/Offices of the Bank as per a well-defined and Board approved Inspection/ Audit Policy for evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed procedures and norms as well as for enhancement of the operating efficiency to combat the risks involved in different functional areas. To cope with the changing scenario of the Banking system, inspection process is modified and necessary changes are incorporated in the Inspection / Audit Policy from time to time. During the year 2011–12, Risk Based Internal Audit (RBIA) of 1346 Branches have been conducted by the Bank.

Concurrent Audit, Revenue Audit & Information System Audit

ने 476 शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा, 838 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा तथा 170 शाखाओं में सूचना आधारित लेखा परीक्षा की गई। उक्त अवधि में 31.03.2011 का क्रमश: 69.95% एवं 60.64% बैंक व्यवसाय की समवर्ती लेखा परीक्षा एवं सूचना आधारित लेखा परीक्षा की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान 15 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के 9 विभागों का निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों में एवं प्रधान कार्यालय में भा. रि. बैंक द्वारा संचालित निरीक्षण/लेखा परीक्षा से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए.एफ.आई.) के रिपोर्ट की सभी टिप्पणियों/अभियुक्तियों का भी समय पर अनुपालन सुनिश्चित होता है।

4.15 अनुपालन

आर.बी.आई के निदेशानुसार एवं वर्तमान उचित प्रचलित परंपरा के अनुसार बैंक ने एक अनुपालन विभाग की स्थापना की है जिसका कार्य अनुपालन मदों को चिन्हित करना, मूल्यांकन करना एवं अनुपालन जोखिम को कम करना है। निदेशक मंडल ने अनुपालन नीति को अपनाया है एवं जमा एवं सेवा, अग्रिम, के.वाई.सी.-ए.एम.एल., बी.सी.एस.बी.आई. कोड अनुपालन मामलों की पहचान की गई है। बैंक के प्रत्येक टीयर में अनुपालन से संबंधित जोखिम दायित्व को परिभाषित किया गया है। रिपोर्टिंग पद्धति को भी चालू किया गया है जिससे निम्नांकित माध्यम से नियामक एवं सांविधिक अनुमोदन के मामलों का अनुपालन हो सके।

i. स्वत: प्रमाणीकरण
ii. पदनामित अनुपालन अधिकारियों द्वारा अनियत जाँच
iii. अनुपालन स्थिति को दर्शाते हुए शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक विवरण।

अनुपालन के प्रति कर्मचारियों में जागरुकता के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं। कंपनी अभिशासन के अंतर्गत निदेशक मंडल आवधिक रूप से अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा करता है ताकि विधि, नियमों एवं दिशा निर्देशों के सभी प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

4.16 कंपनी अभिशासन

बैंक कॉरपोरेट अभिशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करने एवं अपने हित धारकों (स्टेक होल्डर) जिनमें, शेयरधारक, कर्मचारी, सामान्य जनता, समाज संरक्षक, सरकार एवं नियामक शामिल हैं - से संबंधित अपनी जिम्मेदारी से प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रयत्नशील है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नैतिकता के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है जिसका उद्देश्य है संस्था के हितधारकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना।

बैंक कॉरपोरेट अभिशासन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक संस्था को मार्ग दर्शन एवं नियंत्रण के लिए सुपरिभाषित नैतिक मानदंड प्राप्त होते हैं तथा उसकी लाभार्जन क्षमता बढ़ती है। बैंक एक तरफ अपने शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत जागरूक है तथा दूसरी तरफ जिम्मेदारी के साथ अर्थ व्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं कॉरपोरेट अभिवृद्धि की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। यह प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और निष्ठा में विश्वास करता है। यह

are also conducted at the Branches/Offices through out the year. During the year 2011 – 12, Concurrent Audit at 476 branches, Revenue Audit at 838 branches and IS Audit at 170 branches have been conducted. Concurrent Audit and IS Audit so conducted during the said period covered 69.95% and 60.64% of Bank's business respectively as on 31.03.2011. Inspection of 15 Region Offices and 9 Departments at Head Office was also conducted during year 2011 – 12.

Inspection/Audit function also ensures timely compliance of all comments/observations of the reports of Annual Financial Inspection (AFI) conducted at different branches and Region Offices of the Bank as well as Head Office by Reserve Bank of India.

4.15 COMPLIANCE

In the line of RBI guidelines and as part of its ongoing sound practices, the bank has also set up a Compliance Department whose role is to co-ordinate the identification of compliance issues, assess and mitigation of compliance risk. Board adopted Compliance Policy has been framed and in activity wise areas like deposit and services, Advances, KYC-AML, BCSBI Codes, compliance issues are identified. Role responsibility as regards compliance functions is defined for every tier in the Bank. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through:

i) Self-certification,
ii) Random testing through Designated Compliance Officers,
iii) Quarterly statement by the Branches and Regional Offices, indicating the compliance status.

Comprehensive training programmes on compliance and designed to create awareness among the staff. Under Corporate Governance, the Board of Directors periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

4.16 CORPORATE GOVERNANCE

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Bank on one hand is extremely mindful about shareholder's values while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving

निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कॉरपोरेट उत्कृष्टता प्राप्त करने का इच्छुक है।

- राष्ट्र के सिद्धांतो एवं कानूनी ढाँचों के अंतर्गत शेयरधारकों के मूल्यों को बनाए रखना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करना।
- कर्मचारियों/ग्राहकों एवं पूरे समाज के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना।
- सकारात्मक, सक्रिय एवं पूर्वाग्रह मुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करना।

इस प्रकार बैंक अपने को शेयर धारकों एवं हितधारकों का न्यासी (ट्रस्टी) समझता है तथा उनके धनार्जन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। बैंक दक्ष एवं पारदर्शी कॉरपोरेट कार्यनीतियों, सक्रिय एवं सकारात्मक व्यवसाय योजना, प्रभावी नीतियों, कुशल एवं आसान प्रविधियों, दृढ़ नैतिक मानकों, कड़ी कानूनी जिम्मेदारियों एवं प्रबंधन मामलों में सर्वोपरि व्यसायिक दृष्टिकोण को अपना कर चलता है।

4.17 अदावी शेयर

अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नवत है:

01 अप्रैल 2011 तक बकाया /अदावी शेयरों की संख्या	7415
31 मार्च 2012 तक हिताधिकारियों को हस्तांतरित शेयर	308
31 मार्च 2012 तक बकाया/अदावी शेयरों की संख्या	7107

कृते निदेशक मंडल

भास्कर सेन

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 5 मई 2012
स्थान : कोलकाता

excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

- Upholding shareholder's values within the principles and legal framework of the Nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Thus the Bank considers itself a Trustee to the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The Bank adopts this through nimble & transparent corporate strategies, proactive business plans, effective policies, efficient and simplified procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and overall professional approach in managing its affairs.

4.17 UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under :

Shares outstanding/unclaimed as on 01.04.11 –	7415
Shares transferred to beneficiaries till 31.03.12 –	308
Shares outstanding/unclaimed as on 31.03.2012 –	7107

For and on behalf of the
Board of Directors

(Bhaskar Sen)
Chairman & Managing Director

Place : Kolkata
Date : 5th May, 2012

कंपनी अभिशासन 2011-12 पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों केप्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीति परायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान की श्रीवृद्धि करना।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नज़रिया :

इस बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहण से निर्देशित होना और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्य-सृजन करना है। बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरूरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है।

इस बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक वैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसकी बदौलत कोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन-उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है। एक ओर यह शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कारपोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। यह हर क्षेत्र के कार्यकलापों में उत्कृष्ट स्तर हासिल करने के लिए उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और सत्यनिष्ठा को मान्यता देता है। यह निम्नवत् कारपोरेट उत्कृष्टता की उद्घोषणा करना चाहता है :-

- निर्धारित सिद्धांतों की सीमा में भारत के कानूनी ढाँचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर ;
- ग्राहको को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और सेवाएं देकर ;
- कर्मचारियों, ग्राहको और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उद्घोषणा करके ;
- वस्तुत: सक्रिय और पूर्वग्रहमुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके।

इस तरह यह बैंक स्वयं को शेयरधारकों और पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसकी अभिरक्षा करते हुए देता है। यह बैंक इसे दक्ष और पारदर्शी कारपोरेट रणनीति, सक्रिय व्यवसाय योजना, प्रभावी नीतियों, सक्षम एवं सरल पद्धतियों, सख्त नैतिक मानदंडों, कड़ी कानूनी जिम्मेवारियों और समग्रत: पूरे काम का प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण की बदौलत करता है।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार किया गया है जो कंपनी अभिशासन की जरूरतों को पूरा करता है।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE - 2011 – 12

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance is guided by the Bank's obligations to its responsibilities and value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Bank on one hand is extremely mindful about shareholder's values while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

- Upholding shareholder's values within the principles and legal framework of the Nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Thus the Bank considers itself a Trustee to the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The Bank adopts this through nimble & transparent corporate strategies, proactive business plans, effective policies, efficient and simplified procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and overall professional approach in managing its affairs.

3. Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970, which concurs with the requirements of Corporate Governance.

3.13.1 मार्च 2012 को निर्देशक मंडल की संरचना :

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2012

कार्यपालक **EXECUTIVE**	दो **Two**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक **Chairman & Managing Director, Executive Director**
गन्र कार्यपालक NON-EXECUTIVE	नौ Nine	भारत सरकार द्वारा नामजद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामजद, कामगार कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी, सनदी लेखाकार वर्ग के अंतर्गत गैर कार्यालयीन, गैर कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यालयीन गैर कार्यपालक निदेशक (3) एवं शेयर धारक निदेशक Govt. of India Nominee, Reserve Bank of India Nominee, Workmen Employee, Officer Employee, Non Official Non Executive Director under CA category, Non Official Non Executive Directors (3) & Shareholder Director
कुल **TOTAL**	ग्यारह **Eleven**	

सभी निदेशक अपने क्षेत्र के विस्तृत और बहुविध ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अपना योगदान बैंक के विकास में करते हैं।

The Directors have been contributing by sharing their diversified knowledge, vast experience and proven expertise in their respective areas of specialization for the development of the Bank.

3.2 31 मार्च 2012 के निदेशक मंडल का विवरण :

3.2 Particulars of Board of Directors as on March 31, 2012:

क्र.सं. **Sl.No.**	निदेशक का नाम **Name of Director**	पदनाम **Designation**	निदेशकत्व की प्रकृति **Nature of Directorship**	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख **Date of Assuming Office**
1.	श्री भास्कर सेन Shri Bhaskar Sen	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	कार्यपालक Executive	01.03.2010
2.	श्री दीपक नारंग Shri Deepak Narang	कार्यपालक Executive Director	कार्यपालक Executive	01.03.2012
3.	श्री संदीप कुमार Shri Sandeep Kumar	नामिति – भारत सरकार Nominee – Govt. of India	गैर कार्यपालक Non-Executive	02.12.2011
4.	श्रीमती सुरेखा मरांडी Smt. Surekha Marandi	नामिति – भारतीय रिज़र्व बैंक Nominee –Reserve Bank of India	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	30.07.2010
5.	श्री सुनील गोयल Shri Sunil Goyal	सनदी लेखाकार वर्ग के गैर कार्यालयीन निदेशक Non - Official Director under CA Category	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	22.07.2011
6.	श्री श्रेणिक सेट Shri Srenik Sett	गैर कार्यालयीन निदेशक Non - Official Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	06.10.2010
7.	श्री हिरण्य बोरा Shri Hiranya Bora	गैर कार्यालयीन निदेशक Non - Official Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	05.04.2011
8.	श्री किरण बी वादोदरिया Shri Kiran B Vadodaria	गैर कार्यालयीन निदेशक Non - Official Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	28.11.2011
9.	श्री पीयूष कांति घोष Shri Pijush Kanti Ghosh	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	19.12.2011
10.	श्री सौमित्र तलापात्र Shri Soumitra Talapatra	कामगार निदेशक Workmen Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	13.01.2010
11.	श्री सौमेन मजुमदार Shri Saumen Majumder	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	गैर कार्यपालक स्वतंत्र Non-Executive Independent	27.11.2010

- श्री बिक्रमजित सोम, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सेक्रेटरी निदेशक मंडल के सचिव के रूप में काम करते हैं।
- कोई भी निदेशक परस्पर संबद्ध नहीं हैं।
- गैर कार्यपालक निदेशकों में श्री सौमेन मजुमदार के पास इस बैंक के 758 ईक्विटी शेयर हैं और श्री पीयूष कांति घोष के पास इस बैंक के 200 ईक्विटी शेयर हैं। अन्य किसी भी गैर कार्यपालक निदेशक के पास इस बैंक का एक

- Shri Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Board of Directors.
- None of the Directors is related inter-se.
- Among the non-executive directors, Shri Saumen Majumder holds 758 equity shares and Shri Pijush Kanti Ghosh holds 200 equity shares in the Bank. None of the other Non-

भी शेयर नहीं है।

Executive Directors is holding any share in the Bank.

- श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईआईबीआई लिमिटेड के भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। वे उपर्युक्त दोनों कम्पनियों के निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियों में भी शामिल हैं :
- Shri Bhaskar Sen, Chairman & Managing Director is also the Chairman & Managing Director of IIBI Ltd. and Director on the Board of National Insurance Co. Ltd. He is a part of the following Board level Committees in the aforesaid two companies –

आई आई बी आई लिमिटेड **IIBI Ltd.**		नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड **National Insurance Company Ltd.**	
शेयरधारक प्रतिभूति अंतरण समिति Shareholders' Securities Transfer Committee	अध्यक्ष Chairman	लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	अध्यक्ष Chairman
आई आई बी आई भविष्य निधि IIBI Provident Fund Committee of Administrator	पदेन Chairman Ex - officio	निवेश समिति Investment Committee	सदस्य Member
प्रशासक समिति Oversight Committee	अध्यक्ष Member	परिश्रमिक समिति Remuneration Committee	सदस्य Member
		मानव संसाधन समिति HR Committee	सदस्य Member
		जोखिम प्रबंधन Risk Management Committee	सदस्य Member

- श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक फिनांस लिमिटेड के बोर्ड में भी एक निदेशक हैं।
- श्री सुनील गोयल, सनदी लेखाकार वर्ग के अंतर्गत एक निदेशक, राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड के बोर्ड और गणेश कंसल्टेंट्स प्रा. लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं।
- श्री किरण की वादोदरिया सम्भाव मीडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक और एनर्जी डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं।

- Shri Deepak Narang, Executive Director is also a Director on the Board of Allbank Finance Ltd.
- Shri Sunil Goyal, Non-Official Director under CA category is also an Independent Director on the Board of Rajasthan Syntex Ltd. and Director of Ganesh Consultants Pvt. Ltd.
- Shri Kiran B Vadodaria is also the Chairman & Managing Director of Sambhaav Media Ltd., Joint Managing Director of Nila Infrastructure Ltd. and Director of Energy Dynamics Pvt. Ltd.

3.3इस वर्ष नियुक्त / नामित / चयित निदेशकों के विवरण

3.3. Particulars of Directors Appointed / Nominated / Elected during the year:

क्र.सं. Sl.No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम Designation	निदेशकत्व की प्रकृति Nature of Directorship	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख Date of Assumption of office
01.	श्री दीपक नारंग Shri Deepak Narang	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	01.03.2012
02.	श्री संदीप कुमार Shri Sandeep Kumar	नामिति – भारत सरकार Govt. of India Nominee Director	गैर कार्यपालक Non – Executive	02.12.2011
03.	श्री सुनील गोयल Shri Sunil Goyal	सनदी लेखाकार वर्ग के गैर कार्यालयीन निदेशक Non-Official Director under CA Category	गैर कार्यपालक Non – Executive	22.07.2011
04.	श्री हिरण्य बोरा Shri Hiranya Bora	गैर कार्यालयीन निदेशक Non-Official Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	05.04.2011
05.	श्री किरण बी वादोदरिया Shri Kiran B Vadodaria	गैर कार्यालयीन निदेशक Non-Official Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	28.11.2011
06.	श्री पीयूष कांति घोष Shri Pijush Kanti Ghosh	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	गैर कार्यपालक Non - Executive	19.12.2011

3.4 इस वर्ष सेवा निवृत्त / पदमुक्त निदेशकों से संबंधित विवरण :

3.4 Particulars of Directors Retired/ Vacated office during the Year

क्र.सं. **Sl.No.**	निदेशक का नाम **Name of Director**	पदनाम **Designation**	निदेशकत्व की प्रकृति **Nature of Directorship**	सेवा निवृत्ति / पदमुक्ति **Date of Retirement/ Vacation of office**
01.	श्री एस एल बंसल Shri S. L. Bansal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक Executive	28.02.2012
02.	श्री संजीव कुमार जिंदल Shri Sanjeev Kumar Jindal	भारत सरकार के नामिती निदेशक Govt. of India Nominee Director	गैर कार्यपालक Non – Executive	02.12.2011
03.	डॉ. नयना शर्मा Dr. Naina Sharma	गैर कार्यालयीन निदेशक Non-official Director	गैर कार्यपालक Non – Executive	14.07.2011

3.5 31.03.2012 को निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों से संबंधित जानकारी 3.5. Profile of Directors on the Board of the Bank as on 31.03.2012

नाम NAME	श्री भास्कर सेन **SHRI BHASKAR SEN**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	09.12.1952
उम्र AGE	59 वर्ष 59 years.
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी. कॉम (प्रतिष्ठा) प्रथम श्रेणी, सीएआईआईबी B.Com. (Hons. 1st Class), CAIIB.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 2010 को जारी अधिसूचना सं. एक सं. 9/12/2009 बीओआई देखें, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970/80 की धारा 9 उपधारा 3(क) के तहत इस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। Appointed as Chairman and Managing Director of the Bank by Government of India, under sub section 3(a) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 /1980 vide notification No. F.No.9/12/2009 - BO.I dated 25 th January 2010.
अनुभव EXPERIENCE	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने का अनुभव Employed in Nationalised Bank for more than 35 years.

नाम **NAME**	श्री दीपक नारंग **SHRI DEEPAK NARANG**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	29.03.1955
उम्र AGE	57 वर्ष 57 years
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	एम एस सी, सीएआईआईबी, सी एफ ए (इन्टर) M.Sc., C.A.I.I.B., C.F.A. (Inter)
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (क) के साथ पठनीय उपवाक्य 3(1) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपवाक्य 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 13 फरवरी 2012 को जारी अधिसूचना सं. 415/2010 बीओआई के अनुरूप श्री दीपक नारंग को 1 मार्च 2012 से 31 मार्च 2015 तक के लिए अथवा परवर्ती आदेश जारी होने तक (इन दोनों में जो भी पहले हो) कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है। Government of India in exercise of its powers conferred under section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 read with clauses 3(1) and 8(1) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and vide Notification 4/5/2010 - BO.I dated 13 th February 2012 appointed Shri Deepak Narang as Executive Director from March 1st 2012 till March 31, 2015 or until further order whichever is earlier.
अनुभव EXPERIENCE	श्री नारंग ने 02 जनवरी 1978 को इलाहाबाद बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण किया था। इसके बाद उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। अप्रैल 2006 में उनकी पदोन्नति महाप्रबंधक के पद पर हुई। वे 5 आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख रहे और प्रधान कार्यालय में ऋण विभाग, भा.रि.बैंक निरीक्षण विभाग और वसूली विभाग में विभाग के प्रमुख रहे। Shri Narang joined Allahabad Bank on 2nd January 1978 as a Management Trainee and thereafter was posted in various important positions in different capacities. He was promoted as General Manager in April 2006. Shri Narang headed 5 Zonal/Regional offices and also worked in Credit, RBI Inspection and Recovery Departments in the Head Office.

नाम NAME	श्री संदीप कुमार **SHRI SANDEEP KUMAR**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	12.09.1972
उम्र AGE	40 वर्ष 40 Years
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), आई आई टी कानपुर से, एम टेक (माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स में) और 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) में चुने गए। B. Tech (Electrical), M.Tech (Micro - Electronics) from IIT -Kanpur and I.A.S. (1997)
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारत सरकार ने 02.12.2011 को जारी अधिसूचना संख्या एफ न. 6/1/2010-बी.ओ.आई. के अनुरूप परवर्ती आदेश जारी होने तक श्री संदीप कुमार को बैंक के निदेशक मंडल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। Government of India vide Notification F.No.6/1/2010 - BO.I dated 02.12.2011 appointed Shri Sandeep Kumar as its representative on the Bank's Board till further orders.
अनुभव EXPERIENCE	श्री संदीप कुमार फिलहाल वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत है। इसके पहले वे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके है, जिनमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी / दिल्ली सरकार के निदेशक (शिक्षा), उत्पाद आयुक्त (दिल्ली सरकार) और दिल्ली सरकार के अतिरिक्त आयुक्त – व्यापार एवं कर विभाग आदि का पद शामिल है। ShriSandeep Kumar is presently posted as Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Before this assignment he managed several important portfolios including CEO of Chandigarh Housing Board, Director (Education) in Govt. of NCT/Delhi, Excise Commissioner, Govt. of NCT/Delhi, Additional Commissioner – Department of Trades & Taxes, Govt. of NCT/Delhi etc.

नाम NAME	श्रीमती सुरेखा मरांडी **SMT. SUREKHA MARANDI**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	27.07.1959
उम्र AGE	53 वर्ष 53 yrs.
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	स्नातकोत्तर (एम.ए) M.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 उपधारा 3 के वाक्यांश (ग) के अनुसरण में और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक। सरकार द्वारा 30.07.2010 को जारी अधिसूचना सं. एक 9/2/2007 - बीजी.आई. देखें। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। Reserve Bank of India nominated Director in terms of Clause (c) of subsection 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006 vide Govt. Notification No. F.No.9/2/2007-BO.I dated 30.07.2010. She is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	29 वर्षो से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत, संप्रति गुवाहाटी में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तैनात। Employed with RBI for last 29 years, presently posted in Guwahati as Regional Director.

नाम NAME	श्री सुनील गोयल **SHRI SUNIL GOYAL**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	23.09.1957
उम्र AGE	55वर्ष 55 years
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	कला एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर, एल एल बी, एफ सी ए, एफ आई सी डब्लू ए एवं एफ सी एस। इसके अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय एवं विधिक विषयों में डिप्लोमा प्राप्त। Post Graduate in Commerce and Arts, L.L.B., F.C.A., A.C.M.A. and F.C.S apart from holding Diplomas in various financial and legal subjects.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	श्री सुनील गोयल को भारत सरकार की ओर से सनदी लेखाकार वर्ग में अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक के रूप में नामित किया गया है और यह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) और राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विधि प्रावधान) योजना 1970 के उपवाक्य 9(2) के तहत किया गया है। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। Shri Sunil Goyal has been nominated as part-time non-official director under Chartered Accountant Category by Government of India under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970 and Clause 9(2) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	श्री गोयल 1980 से मेसर्स एस. आर गोयल ऐंड कंपनी में वरिष्ठ साझेदार हैं। उन्हें लेखांकन मानकों, लेखा परीक्षा मानकों, कारपोरेट कराधान, जोखिम आधारित नियंत्रण, बैंक लेखा परीक्षा, प्रबंधन लेखा-परीक्षा आदि में विशेषज्ञता प्राप्त है। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एल आई सी, जी आई सी, न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कं.लि., ओरिएंटलकंपनी लि., मेट लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. के सांविधिक लेखा-परीक्षक रहे हैं और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए सलाहकार का काम किया है। इनमें आई सी आई सी आई बैंक भी शामिल है। श्री गोयल भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नियंत्रक एवं महालेखाकार, कंपनी एफेयर्स विभाग, सेबी, आई आर डी ए एवं भारी उद्योग मंत्रालय के विभिन्न सलाहकार समितियों में रहे हैं। वे न्यूयार्क स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटंट्स के बोर्ड के सदस्य भी थे। इसी के साथ वे कनफेडरेशन ऑफ एशियन ऐंड पैशिफिक एकाउंटंट्स, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटस के सदस्य भी थे। वे भारत के तीन व्यावसायिक संस्थानों – आई सी ए आई, आई सी एस आई एवं आई सी डब्लू ए आई में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। Shri Goyal has been in practice since 1980 as a Senior Partner of M/s. S. R. Goyal & Co. His areas of specialization include Accounting Standards, auditing standards, corporate taxation, Risk - based controls, Bank Audit, Management Audit etc. He has been the statutory auditor of Union Bank of India, State Bank of Bikaner & Jaipur, Bank of Maharashtra, LIC, GIC, New India Assurance Co. Ltd., Oriental Insurance Co. Ltd., Metlife Insurance Co. Ltd. and consultant for various national and international companies including ICICI Bank Ltd. Shri Goyal has been on various advisory committees of Reserve Bank of India, Central Board of Direct Tax, C & AG, Department of Company Affairs, SEBI, IRDA and Ministry of Heavy Industries. He was member of the Board of International Federation of Accountants, New York, Confederation of Asian & Pacific Accountants, South Asian Federation of Accountants and held various important positions in the three Professional Institutes of our Country i.e. ICAI, ICSI and ICWAI.

नाम NAME	श्री श्रेणिक सेट **SHRI SRENIK SETT**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	21.08.1949
उम्र AGE	63 वर्ष 63 years
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी कॉम, एल एल बी B.Com., L.L.B
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	श्री श्रेणिक सेट अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक के रूप में 6 अक्टूबर 2010 को अधिसूचना सं. एफ 9/1/2006 बी ओ आई के जरिए नामित किए गए है। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। Shri Srenik Sett is the part-time non-official director of the Bank nominated vide Notification F.No.9/1/2006 – BO.I dated October 6, 2010. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	ख्यातिलब्ध पत्रकार एवं विज्ञापन विशेषज्ञ Shri Sett is a renowned journalist and advertising professional.

नाम NAME	श्री हिरण्य बोरा **SHRI HIRANYA BORA**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	24.12.1946
उम्र AGE	66 वर्ष 66 years
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	स्नातक कला (बी.ए.) B.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	श्री हिरण्य बरा सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति 5 अप्रैल 2011 को जारी अधिसूचना सं. 6/19/2010 बी.ओ.आई के मार्फत तीन वर्ष के लिए अथवा परवर्ती आदेश जारी होने तक (जो पहले हो) के लिए की गई है। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। Shri Hiranya Bora has been nominated by Government of India as Part-time Non-official Director vide Notification F. No. 6/19/2010-BO.I dated April 5, 2011, for a period of three years or until further order, whichever is earlier. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	श्री बरा पिछले चार दशक से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता रहे है। Shri Bora has been an active social worker for last 4 decades.

नाम NAME	श्री किरण बी. वादोदरिया **SHRI KIRAN B VADODARIA**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	18.08.1960
उम्र AGE	52 वर्ष 52 years
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी.ई. (मेकेनिकल) B.E. (Mechanical)
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	भारत सरकार की ओर से 28.11.2011 को जारी अधिसूचना सं.एफ नं. 6/50/2010-बी ओ.आई के मार्फत श्री वादोदरिया को अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक के रूप में तीन वर्षों के लिए अथवा परवर्ती आदेश तक के लिए (इन दोनें में जो पहले हो) नियुक्त किया गया है। श्री वादोदरिया बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। Government of India vide Notification F.No.6/50/2010-BO.I dated 28.11.2011 appointed Shri Vadodaria as part-time non-official director for a period of three years or until further order whichever is earlier. Shri Vadodaria is considered an Independent Director on the Board of the Bank.
अनुभव EXPERIENCE	श्री वादोदरिया अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े और फिलहाल मीडिया, आधारभूत संरचना और रियल इस्टेट कारोबार के क्षेत्र में संलग्न हैं। Shri Vadodaria has been associated in his family business and presently his business activities spread over media, infrastructure and real estate.

नाम NAME	श्री पीयूष कांति घोष **SHRI PIJUSH KANTI GHOSH**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	01.01.1955
उम्र AGE	57 वर्ष 57 years
शैक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	एम.कॉम., सी ए आई आई बी M.Com, C.A.I.I.B.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	श्री पीयूष कांति घोष को 19.12.2011 को जारी अधिसूचना सं. 6/10/2011 के जरिए अधिकारी कर्मचारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिए अथवा सेवानिवृत्ति या परवर्ती आदेश जारी होने तक (इनमें जो सबसे पहले हो) इस पद पर बने रहेंगे। Shri Pijush Kanti Ghosh has been appointed as an Officer Employee Director vide Notification 6/10/2011– Bo.I dated 19.12.2011 for a period of 3 year from the date of notification or until his superannuation or until further order whichever is earliest.
अनुभव EXPERIENCE	श्री घोष मंजे हुए बैंकर है। इन्होंने 1980 में इस बैंक में कार्यभार संभाला और शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर काम किया है। Shri Ghosh is a veteran banker, who joined the Bank in 1980 and has discharged his duties in various capacities in branches and administrative offices.

नाम NAME	श्री सौमित्र तलापात्र **SHRI SOUMITRA TALAPATRA**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	01.04.1955
उम्र AGE	57 वर्ष 57 years
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	स्नातक (बी.ए.) B.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9, उपधारा 3 के वाक्यांश (इ) के तहत और 13 जनवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ न. 9/38/2009-बी. ओ आई के जरिए 13.01.2010 से इस पद पर नियुक्त। Appointed as Workmen Employee Director under sub clause(e) of Sub Section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970 with effect from 13.01.2010 vide Government of India notification No.F.No.9/38/2009-BO-I dated 13th January 2010.
अनुभव EXPERIENCE	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 30 वर्षों से कार्यरत है। Employed in United Bank for more than 30 years.

नाम NAME	श्री सौमेन मजुमदार **SHRI SAUMEN MAJUMDER**
जन्मतिथि DATE OF BIRTH	26.12.1950
उम्र AGE	61 वर्ष 61 years
शौक्षणिक योग्यता QUALIFICATION	बी.कॉम. (आनर्स), एफ.सी.ए., एफ.सी.एम.ए., ए.सी.एस B.Com.(Hons.), F.C.A., F.C.M.A., A.C.S.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	श्री मजुमदार इस बैंक के शेयरधारक निदेशक है। इनका चयन 26 नवम्बर 2010 को आयोजित आसाधारण महा सभा में शेयरधारकों ने किया था और यह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप किया गया है। सूचीकरण करार के वाक्य खंड 49 के प्रयोजनार्थ उन्हें स्वतंत्र निदेशक समझा जाता है। Shri Majumder is the Shareholder Director of the Bank elected by the shareholders at the Extra-ordinary General Meeting of the Bank held on November 26, 2010 pursuant to the provision of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. He is treated as an Independent Director for the purpose of Clause 49 of the Listing Agreement.
अनुभव EXPERIENCE	वित्तीय प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, लेखा, लेखा-परीक्षा, निर्णय लेने एवं कारपोरेट समझौता वार्ता के क्षेत्र में पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी लेखा-परीक्षा फर्म में और उसके बाद एक विशालकाय बहुराष्ट्रीय एफ एम जी सी में 32 वर्षों से भी अधिक का अनुभव। संप्रति श्री मजुमदार दस वर्ष से व्यवसाय सलाहकार का काम कर रहे हैं। More than 32 years of corporate experience in the fields of financial management, general management, accounts, audit, decision making and corporate negotiations, first in a multi-national audit firm followed by a multi-national FMCG giant. Shri Majumder is presently into business consultancy for last 10 years

3.6 बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड की 11 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के वाक्य खंड 12 के तहत कम से कम 6 बैठकों का प्रावधान है।

04.04.11	29.04.11	17.06.11	30.07.11	16.09.11	31.10.11
26.11.11	29.12.11	31.01.12	03.03.12	27.03.12	

संबंधित निदेशकों के कार्यकाल में हुई बोर्ड की उपर्युक्त बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
1.	श्री भास्कर सेन	11	11	-
2.	श्री एस एल बंसल	9	9	-
3.	श्री दीपक नारंग	2	2	-
4.	श्री संजीव कुमार जिंदल	7	4	3
5.	श्री संदीप कुमार	4	2	2
6.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	11	10	1
7.	श्री सुनील गोयल	8	8	-
8.	श्री श्रेणिक सेठ	11	10	1
9.	श्री हिरण्य बोरा	10	9	1
10.	श्री किरण बी. वादोदरिया	4	4	-
11.	डॉ. नयना शर्मा	3	3	-
12.	श्री पीयूषकांति घोष	4	3	1
13.	श्री सौमित्र तलापात्र	11	10	1
14.	श्री सौमेन मजुमदार	11	11	-

4. बोर्ड की समितियाँ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुरूप बोर्ड ने निदेशकों की निम्नांकित समितियाँ गठित की है। ये समितियाँ अपने कार्य-क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी सेबी और भा.रि. बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार करती हैं।

1.	प्रबंधन समिति	7.	विभागीय पदोन्नति समिति
2.	लेखा परीक्षा समिति	8.	पारिश्रमिक समिति
3.	शेयर धारकों की समिति	9.	उच्चाधिकार समिति
4.	जोखिम प्रबंधन समिति	10.	बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति
5.	अधिक मूल्य की जालसाजियों की समीक्षा करनेवाली समिति	11.	नामांकन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति	12.	55 वर्ष के ऊपर आयु के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

3.6 Board Meetings

During the year under review, 11 Board Meetings were held on following dates as against a minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

04.04.11	29.04.11	17.06.11	30.07.11	16.09.11	31.10.11
26.11.11	29.12.11	31.01.12	03.03.12	27.03.12	

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenures are as under:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
1.	Shri Bhaskar Sen	11	11	-
2.	Shri S. L. Bansal	9	9	-
3.	Shri Deepak Narang	2	2	-
4.	Shri Sanjeev Kumar Jindal	7	4	3
5.	Shri Sandeep Kumar	4	2	2
6.	Smt. Surekha Marandi	11	10	1
7.	Shri Sunil Goyal	8	8	-
8.	Shri Srenik Sett	11	10	1
9.	Shri Hiranya Bora	10	9	1
10.	Shri Kiran B Vadodaria	4	4	-
11.	Dr. Naina Sharma	3	3	-
12.	Shri Pijush Kanti Ghosh	4	3	1
13.	Shri Soumitra Talapatra	11	10	1
14.	Shri Saumen Majumder	11	11	-

4. Committees of the Board

In line with the requirements of SEBI and RBI, the Board has constituted the undermentioned Committees of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines of SEBI and RBI.

1.	Management Committee	7.	Director's Promotion Committee
2.	Audit Committee	8.	Remuneration Committee
3.	Shareholders' Committee	9.	High Powered Committee
4.	Risk Management Committee	10.	IT Sub Committee of Board
5.	Committee to Review High Value Frauds	11.	Nomination Committee
6.	Customer Service Committee	12.	Special Committee to monitor officers above 55 yrs.

*बैक में एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और तीन महाप्रबंधक शामिल किए गए है। यह समिति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 5 दिसम्बर 2011 को जारी अधिसूचना सं.एफ नं.13/1/2006 के माध्यम से, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना 2010 में जोड़े गए वाक्यांश 13 ए के अनुसरण में बनाई गई है और 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी है।

* The Bank has framed Credit Approval Committee comprising Chairman & Managing Director, Executive Director and three General Managers pursuant to Clause 13A of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 inserted vide Notification F.No. 13|1|2006 dated December 5th, 2011 of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, which has been made effective w.e.f. April 1, 2012.

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशो के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार किया गया है।

इस समिति में सदस्य स्वरूप निम्नलिखित निदेशक है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	नामित निदेशक भा. रि. बैंक	संपूर्ण वर्ष
05.	श्री सुनील गोयल	सनदी लेखाकार वर्ग के गैर कार्यालयीन निदेशक	20.08.2011 से
06.	श्री श्रेणिक सेट	गैर कार्यालयीन निदेशक	25.10.2011 तक
07.	श्री हिरण्य बोरा	गैर कार्यालयीन निदेशक	26.10.2011 से
08.	श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक	26.10.2011 से
09.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	25.10.2011 तक

4.1.2 समीक्षा अवधि में बोर्ड की प्रबंधन समिति को कुल अठारह बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :

28.04.11	21.05.11	17.06.11	15.07.11	29.07.11	20.08.11
09.09.11	15.09.11	08.10.11	01.11.11	16.11.11	12.12.11
28.12.11	13.01.12	30.01.12	18.02.12	03.03.12	22.03.12

4.1.3. बोर्ड की प्रबधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
1.	श्री भास्कर सेन	18	18	-
2.	श्री एस एल बंसल	16	16	-
3.	श्री दीपक नारंग	2	2	-
4.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	18	17	1
5.	श्री सुनील गोयल	13	12	1
6.	श्री श्रेणिक सेठ	9	9	-
7.	श्री हिरण्य बोरा	9	8	1
8.	श्री सौमित्र तलापात्र	9	9	-
9.	श्री सौमेन मजुमदार	9	9	-

4.1 Management Committee of the Board

4.1.1. The Management Committee of the Board is constituted pursuant to Clause-13 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India.

The Management Committee comprises of the following Directors as members.

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year
05.	Shri Sunil Goyal	Non-official Director under CA Category	From 20.08.2011
06.	Shri Srenik Sett	Non-official Director	Up to 25.10.2011
07.	Shri Hiranya Bora	Non-official Director	From 26.10.2011
08.	Shri Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director	From 26.10.2011
09.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	Up to 25.10.2011

4.1.2. During the year under review, the Management Committee of the Board met eighteen times on the following dates:

28.04.11	21.05.11	17.06.11	15.07.11	29.07.11	20.08.11
09.09.11	15.09.11	08.10.11	01.11.11	16.11.11	12.12.11
28.12.11	13.01.12	30.01.12	18.02.12	03.03.12	22.03.12

4.1.3. The details of attendance of the Director Members are as below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
1.	Shri Bhaskar Sen	18	18	-
2.	Shri S. L. Bansal	16	16	-
3.	Shri Deepak Narang	2	2	-
4.	Smt. Surekha Marandi	18	17	1
5.	Shri Sunil Goyal	13	12	1
6.	Shri Srenik Sett	9	9	-
7.	Shri Hiranya Bora	9	8	1
8.	Shri Soumitra Talapatra	9	9	-
9.	Shri Saumen Majumder	9	9	-

4.1.4 प्रबंधन समिति के कार्य

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्यों पर विचार करने के लिए किया गया है जैसे - बड़े व्यवसाय का प्रस्ताव, नई जमा योजनाएं चालू करना, निधि-आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सीमाओं की मंजूरी, समझौता/बट्टा खाता में डालना, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों, परिसर, निवेश, दान इत्यादि की मंजूरी। समिति अनर्जक अस्तियों का संचलन, ट्रेजरी परिचालन तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा करती है। समिति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति से बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है।

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

4.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के प्रावधानो के अनुरूप तथा कंपनी अभिशासन की मूल बातों के संबंध में बैंक ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन किया जिसमें 7 निदेशकों के साथ एक गैर - कार्यपालक वित्तीय अनुभवों से युक्त स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं। बैंक ने मूलत: 26 जून, 1995 को अपने एसीबी का गठन किया था जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति निर्देश देती है तथा बैंक के वित्त एवं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन का पर्ववेक्षण करती है। इसके कार्यों में संगठन की निगरानी, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बैंक के अंतगंत निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा-परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों में संपर्क-कार्य शामिल हैं। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय जानकारी प्राप्त है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 30.07.2011 तक	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री सुनील गोयल	गैर कार्यालयीन निदेशक एवं 30.07.2011 तक समिति के अध्यक्ष	30.07.2011 से
03.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
04.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
05.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार द्वारा नामित	02.12.2011 तक
06.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार द्वारा नामित	02.12.2011 से
07.	श्री श्रेणिक सेठ	गैर कार्यालयीन निदेशक	पूरे वर्ष
08.	श्री हिरण्य बोरा	गैर कार्यलयीन निदेशक	30.07.2011 से
09.	डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यलयीन निदेशक	14.07.2011 तक
10.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	पूरे वर्ष

श्री बिक्रमजित सोम, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सेक्रेटरी निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम करते हैं।

4.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार प्रत्येक तिमाही में लेखा परीक्षा समिति की कम से कम एक बैठक की जानी चाहिए तथा वर्ष में छ: बैठकों से कम नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को एबीसी की दस बैठकें हुई :-

4.1.4. Functions of the Management Committee

Management Committee of the Board considers various business matters of material significance like large business proposals, new deposit schemes, sanction of limits – fund based & non-fund based, compromise/write-off, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The committee also reviews the performances in key areas like NPA movement, Treasury operations and such other important matters as are referred to it by the Board. The committee exercises such powers as may be delegated by the Board within the framework of different policies approved by it in consonance with RBI guidelines.

4.2 Audit Committee of the Board

4.2.1. As per the Reserve Bank of India directives and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank has constituted an Audit Committee of the Board (ACB) comprising 7 Directors with a non-executive independent Director having financial expertise as the Chairman of the Committee. The Bank originally formed its ACB on June 26, 1995 which was reconstituted from time to time.

The ACB provides directions on accounts, audit & inspection and reviews the financial and internal controls of the Bank. Its roles encompass monitoring the organisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and liaising with the auditors of the Bank and officers of Reserve Bank of India performing annual inspection. All the members of the Committee are financially literate.

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Smt. Surekha Marandi	RBI Nominee Director & Chairperson of the Committee up to 30.07.2011	Whole year
02.	Shri Sunil Goyal	Non-official Director & Chairman of the Committee from 30.07.2011	From 30.07.2011
03.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
04.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
05.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
06.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011
07.	Shri Srenik Sett	Non-official Director	Whole year
08.	Shri Hiranya Bora	Non-official Director	From 30.07.2011
09.	Dr. Naina Sharma	Non-official Director	Up to 14.07.2011
10.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	Whole year

Shri Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Audit Committee of the Board of Directors.

4.2.2. As per RBI requirement the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once a quarter and not less than six times a year. During the year the Audit Committee met ten times on the following dates –

29.04.2011	18.06.2011	30.07.2011	15.09.2011	08.10.2011
31.10.2011	30.12.2011	30 & 31.01.2012	28.02.2012	28.03.2012

4.2.3 निदेशक मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का व्यौरा (अपने कार्यकाल में) नीचे दिया गया है :

क्र स.	निदेशकों का नाम	अनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में शामिल	छुट्टी
01.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	10	10	-
02.	श्री सुनील गोयल	7	7	-
03.	श्री एस एल बंसल	9	9	-
04.	श्री दीपक नारंग	1	1	-
05.	श्री संजीव कुमार जिंदल	6	2	4
06.	श्री संदीप कुमार	4	3	1
07.	श्री श्रेणिक सेठ	10	10	-
08.	श्री हिरण्य बोरा	8	6	2
09.	डॉ. नयना शर्मा	2	2	-
10.	श्री सौमेन मजुमदार	10	10	-

4.2.4 लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवक्षण तथा वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।
- प्रबंधन के साथ तिमाही, छमाही और वार्षिक विवरण की समीक्षा करना। इसमें लेखांकन नीतियों एवं संव्यवहारों, लेखांकन मानकों का अनुपालन और अन्य विधिक जरूरतें शामिल हैं जिनका संबंध वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा (यदि हुई हो तो) की अर्हता से है, वित्तीय संस्थानों, संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन आदि से संबंधित स्टॉफ एक्सचेंज एवं कानूनी जरूरतों से है।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता दिखने / होने पर नियंत्रण - तंत्र को मजबूत करने हेतु सुझाव देना।
- वार्षिक / अर्धवार्षिक एवं तिमाही लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने के पहले लेखा नीतियों एवं व्यवहारोंमें परिवर्तन, मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के गुणों को केंद्र में रखकर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करना।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों की देखभाल करना।
- सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर उनसे चर्चा तथा अनुवर्तन करना।
- समिति मुख्यत: निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है :-
  - क) अंत्तर शाखा समायोजन लेखा
  - ख) अंतर शाखा खाता एवं नोस्ट्रो खाता की असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बही-संतुलन संबंधी बकाया कार्य
  - घ) जानसाजी एवं
  - ङ) मुख्य क्षेत्र एवं आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था

4.3 शेयर धारक समिति

4.3.1 सूचीकरण करार के उप वाक्य 49 के अंतर्गत स्टॉफ एक्सचेंज के साथ जैसा निर्धारित है और जिस पर बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया जाता है, कंपनी अभिशासन के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक के सभी शेयरधारकों के हित की सुरक्षा विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावना की दृष्टि से शेयरधारकों की समिति का गठन किया गया।

29.04.2011	18.06.2011	30.07.2011	15.09.2011	08.10.2011
31.10.2011	30.12.2011	30 & 31.01.2012	28.02.2012	28.03.2012

4.2.3. The details of attendance of Director Members are as below:

	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Smt. Surekha Marandi	10	10	-
02.	Shri Sunil Goyal	7	7	-
03.	Shri S. L. Bansal	9	9	-
04.	Shri Deepak Narang	1	1	-
05.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	6	2	4
06.	Shri Sandeep Kumar	4	3	1
07.	Shri Srenik Sett	10	10	-
08.	Shri Hiranya Bora	8	6	2
09.	Dr. Naina Sharma	2	2	-
10.	Shri Saumen Majumder	10	10	-

4.2.4. The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly, Half-Yearly and Annual Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualification in the audit report if any, compliance with Stock Exchanges and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions, etc.
- Reviewing the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting strengthening of control mechanism.
- Interacting with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual/half-yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report if any, etc;
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of Statutory Auditors and Internal Auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors significant findings and follow up thereon.
- Giving special focus on the follow up on:
  - a) Inter Branch Adjustment Accounts
  - b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
  - c) Arrears in balancing of books at various branches.
  - d) Frauds and
  - e) Major areas of housekeeping.

4.3 Shareholders' Committee

4.3.1. The Shareholders Committee was formed, as prescribed under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, with a view to uphold the principles of Corporate Governance and to safeguard the interest of all shareholders of the Bank, particularly the minority shareholders post the Initial Public Offer.

शेयर धारकों की समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	पूरे वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	डॉ. नयना शर्मा	गैर-कार्यालयीन निदेशक	14.07.2011 तक
05.	श्री हिरण्य बोरा	गैर-कार्यालयीन निदेशक	14.07.2011 से

 श्री बिक्रमजित सोम, सहायक निदेशक एवं कम्पनी सेक्रेटरी निदेशक मंडल की शेयरधारक समिति के सचिव के रूप में काम करते हैं।

4.3.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की शेयरधारक समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :

04.04.2011	30.07.2011	31.10.2011	31.01.2012

21 अप्रैल 2012 को बैठक आयोजित हुई जिसमें समिति ने 31 मार्च 2012 के व्यवसाय पर विचार-विमर्श किया और उसका अनुमोदन किया। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

4.3.3 निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री सौमेन मजुमदार	4	4	-
02.	श्री एस एल बंसल	4	4	-
03.	श्री दीपक नारंग	-	-	-
04.	डॉ. नयना शर्मा	1	1	-
05.	श्री हिरण्य बोरा	3	3	-

4.3.4 समिति के निम्नलिखित कार्य है :

क) शेयरों का हस्तांतरण एवं उनका उपविभाजन, पुनर्मूर्तीकरण एवं समेकन का काम यथाशीघ्र करना और वारंटों का पुनर्वैधीकरण।

ख) निदेशक शिकायत व्यवस्था का अनुवर्तन और एक समय बद्ध तरीके से उसका निवारण सुनिश्चित करना।

4.4 जोखिम प्रबंधन समिति: (आर एम सी बी ओ डी)

4.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 04 सितम्बर 2004 को हुआ जिसका उद्देश्य था एक सशक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना और क्रमश: एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन परिवेश की और बढ़ना।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	पूरे वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	भा.रि.बैंक द्वारा नामित	पूरे वर्ष
05.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 तक
06.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 से

The Shareholders Committee consists of the following Director Members –

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Dr. Naina Sharma	Non-official Director	Up to 14.07.2011
05.	Shri Hiranya Bora	Non-official Director	From 14.07.2011

 Shri Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Shareholders' Committee of the Board of Directors.

4.3.2. During the year under review, the Shareholders' Committee of the Board met four times on the following dates:

04.04.2011	30.07.2011	31.10.2011	31.01.2012

On April 21st 2012 the Committee met to consider and approve the business up to March 31, 2012. All members were present at the said meeting.

4.3.3. The attendance of Director Members is detailed below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri Saumen Majumder	4	4	-
02.	Shri S. L. Bansal	4	4	-
03.	Shri Deepak Narang	-	-	-
04.	Dr. Naina Sharma	1	1	-
05.	Shri Hiranya Bora	3	3	-

4.3.4. The functions of the Committee are as follows:-

a) Speedy disposal of transfer, sub-division, rematerialisation and consolidation of shares and revalidation of warrants.

b) Monitoring investor grievance mechanism and ensuring redressal thereof in a time-bound manner.

4.4 Risk Management Committee (RMCBOD):

4.4.1. The RMCBOD was formed in September 2004 pursuant to a RBI directive with the objective of devising a robust Risk Management Policy and gradually advancing to the Integrated Risk Management environment.

The Committee of the Board consists of the following members:

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year
05.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
06.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011

4.4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

30.07.2011	15.09.2011	30.12.2011	27.03.2012

4.4.3 जाखिम प्रबंधन समिति के निदेशको की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत है :–

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री भास्कर सेन	4	4	-
02.	श्री एस एल बंसल	3	3	-
03.	श्री दीपक नारंग	1	1	-
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	2	1	1
05.	श्री संदीप कुमार	2	1	1
06.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	4	4	-

4.4.4 उक्त समिति के निम्नलिखित कार्य है :

क) एक सशक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने के साथ – साथ बैंक की विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के कार्यपालकों के साथ उनका समन्वय करना।

ख) जाखिम की माप हेतु मार्ग निर्दश तैयार करना।

ग) जोखिम के सभी क्षेत्रों का प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग करना।

घ) यह सुनिश्चित करना कि जन-साधारण, व्यवस्था, परिचालन, सीमा और नियंत्रण से जुड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया समग्रत: बैंक की नीति से एकरूपना रखती हैं।

ङ) मजबूत वित्तीय मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जोखिम के परिकलन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी पद्धतियों को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करना।

4.5 अधिक राशि की धोखाधड़ी की समीक्षा के लिए विशेष समिति

रू. 1 करोड एवं इससे अधिक राशि की धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल की एक समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 तक
05.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 से
06.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	संपूर्ण वर्ष
07.	श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक	संपूर्ण वर्ष

4.5.2 समीक्षा वर्ष की संपूर्ण अवधि में इस समिति की कुल तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :–

04.04.2011	29.12.2011	31.01.2012

4.4.2. During the year under review, the RMCBOD met four times on the following dates:

30.07.2011	15.09.2011	30.12.2011	27.03.2012

4.4.3. The attendance of the Director Members is detailed

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri Bhaskar Sen	4	4	-
02.	Shri S. L. Bansal	3	3	-
03.	Shri Deepak Narang	1	1	-
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	2	1	1
05.	Shri Sandeep Kumar	2	1	1
06.	Smt Surekha Marandi	4	4	-

4.4.4. Functions of the Committee are as follows –

a) Devising a robust Risk Management Policy and develop a comprehensive strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees of Executives in the Bank.

b) Framing guidelines for risk measurement.

c) Managing and reporting in all the areas of risk.

d) Ensuring that risk management process encompassing people, systems, operations, limits and controls is consistent with the Bank's overall policy.

e) Ensuring implementation of strong financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

4.5. Special Committee to Review High Value Frauds

4.5.1. With a view to providing focused attention on monitoring of frauds involving amounts of ₹1 Crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The Committee of the Board consists of the following members:

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
05.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011
06.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	Whole year
07.	Shri Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director	Whole year

4.5.2. The Committee met three times during the year under review on the following dates:

04.04.2011	29.12.2011	31.01.2012

4.5.3उपर्युक्त बैठको में निम्नलिखित निदेशक सदस्य उपस्थित थे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री भास्कर सेन	3	3	-
02.	श्री एस एल बंसल	3	3	-
03.	श्री दीपक नारंग	-	-	-
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	1	1	-
05.	श्री संदीप कुमार	2	1	1
06.	श्री सौमेन मजुमदार	3	3	-
07.	श्री सौमित्र तलापात्र	3	3	-

4.5.4 समिति के कार्य:

- यदि व्यवस्था जनित किसी दोष के कारण धोखाधड़ी हुई हो तो उसकी पहचान करना और उस कमी या दोष को दूर करना।
- पुलिस / सीबीआई द्वारा की जा रही जाँच की प्रगति और वसूली की स्थिति का अनुवर्तन करना।
- हर प्रकार की धोखाधड़ी के मामले में कर्मचारियों की जवाबदेही की जाँच हर स्तर पर सुनिश्चित करना और यदि जरूरत पड़े तो तत्काल कार्रवाई पूरी करना।
- धोखाधड़ी की घटना फिर न हो – इसके लिए की गई निवारक कार्रवाई की प्रभावशक्ति की समीक्षा करना।

4.6 बोर्ड स्तरीय ग्राहक सेवा समिति

4.6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार हेतु बैंक में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है ताकि का उच्च स्तर बरकरार रहे।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं –

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	भा.रि.बैंक द्वारा नामित	संपूर्ण वर्ष
05.	डॉ. नयना शर्मा	गैर कार्यलयीन निदेशक	14.07.2011 तक
06.	श्री सौमेन मजुमदार	शेयरधारक निदेशक	16.09.2011 से
07.	श्री सौमित्र तलापात्र	कामगार कर्मचारी निदेशक	संपूर्ण वर्ष

4.6.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गी:

18.06.2011	16.09.2011	29.12.2011	27.03.2012

4.5.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri Bhaskar Sen	3	3	-
02.	Shri S. L. Bansal	3	3	-
03.	Shri Deepak Narang	-	-	-
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	1	1	-
05.	Shri Sandeep Kumar	2	1	1
06.	Shri Saumen Majumder	3	3	-
07.	Shri Soumitra Talapatra	3	3	-

4.5.4 Functions of the Committee –

- Identifying systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of frauds and putting in place the measures to plug the same.
- Monitoring progress of police/CBI investigations and recovery positions.
- Ensuring that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds, and staff-side actions if required, are completed quickly.
- Reviewing the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.

4.6 Board Level Customer Service Committee:

4.6.1. Customer Service Committee has been formed pursuant to directives of RBI, with a focus to improve the standards of customer service in the Bank and to maintain the high standards.

The Committee of the Board consists of the following Directors –

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year
05.	Dr. Naina Sharma	Non-official Director	Up to 14.07.2011
06.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	From 16.09.2011
07.	Shri Soumitra Talapatra	Workmen Employee Director	Whole year

4.6.2. The Committee met four times during the year under review on the following dates:

18.06.2011	16.09.2011	29.12.2011	27.03.2012

4.6.3 उपर्युक्त बैठक में निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री भास्कर सेन	4	4	-
02.	श्री एस एल बंसल	3	3	-
03.	श्री दीपक नारंग	1	1	-
04.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	4	4	-
05.	डॉ. नयना शर्मा	1	1	-
06.	श्री सौमेन मजुमदार	3	3	-
07.	श्री सौमित्र तलापात्र	4	4	-

4.6.4 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

- ग्राहकों से संबंधित प्रक्रिया और निष्पादन लेखा-परीक्षा पर गठित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- एक व्यापक जमा नीति के निर्माण की देख-रेख का काम - जिसमें खातेदार की मृन्यु के बाद उसके खाते में लेन - देन का मसला, उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि से संबंधित वार्षिक सर्वेक्षण और ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा - परीक्षा आदि शामिल करना।
- समय - समय पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित नए उपाय शुरू करना।
- हर वर्ग के ग्राकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के प्रयास करना।

4.7 विभागीय पदोन्नति समिति

4.7.1 वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग स्केल VI और इससे उपर के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 19 (2) के अनुसरण में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों (स्केल VI) के अनुशासनिक मामलों और उनकी पदोन्नति का काम देखती है।

इस समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 तक
05.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 से
06.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	भा.रि.बैंक द्वारा नामित	संपूर्ण वर्ष

4.7.2 इस वर्ष इस समिति की कोई बैंठक नहीं हुई।

4.7.3. समिति के कार्य :-

- सर्वोच्च कार्यपालक वर्ग स्केल VI से स्केल VII में पदोन्नति उनके कार्यनिष्पादन के समस्त मानदंडो का विधिवत् मूल्यांकन एवं संबंधित उम्मीदवार में उसकी क्षमता के आधार पर करना।

4.8 पारिश्रमिक

4.8.1 9 मार्च 2007 को वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. एफ नं. 21/1/2005 - बी ओ - आई के मार्फत प्राप्त निदेशों के अनुरूप पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करती है। यह प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन मातृका के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडो के अधीन है और निर्धारित लक्ष्यों की सूची के विवरण, गुणात्मक मानदंडो एवं न्यूनतम

4.6.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenures	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri Bhaskar Sen	4	4	-
02.	Shri S. L. Bansal	3	3	-
03.	Shri Deepak Narang	1	1	-
04.	Smt. Surekha Marandi	4	4	-
05.	Dr. Naina Sharma	1	1	-
06.	Shri Saumen Majumder	3	3	-
07.	Shri Soumitra Talapatra	4	4	-

4.6.4. The Functions of the Customer Service Committee :

- Overseeing the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer.
- Addressing the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of operations of a depositor's account after his death, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
- Introducing from time to time innovative measures for enhancing the quality of customer service; and
- Endeavouring to improve upon the level of customer satisfaction across all categories

4.7. Director's Promotion Committee

4.7.1. A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases and promotions of executives in SMG Scale-VI and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

The Committee of the Board consists of the following Directors –

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
05.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011
06.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year

4.7.2 There was no meeting of the Committee during the year.

4.7.4. Functions of the Committee –

- Promoting employees from 'Top Executive Grade – VI' to 'VII' after due assessment of all parameters of performance and potential of the concerned candidates.

4.8. Remuneration Committee

4.8.1. The Remuneration Committee has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F. No. 20/1/2005 – BO-I dated March 9th 2007, to deliberate on the Performance Linked incentives of whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent

मानदंडों पर निर्भर करता है जिनका आधार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुपालन की रिपोर्ट है।

निदेशक मंडल की इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	02-12-2011 तक
02.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	02.12.2011 से
03.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	नामित निदेशक भा. रि. बैंक	संपूर्ण वर्ष
04.	श्री श्रेणिक सेट	गैर-कार्यालयीन निदेशक	संपूर्ण वर्ष
05.	श्री सौमेन मजुमदार	शेययरधारक निदेशक	संपूर्ण वर्ष

4.8.2 समीक्षाधीन वर्ष में इस समिति की एक बैठक 30.07.2011 को हुई थी जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

4.8.3 2011-12 में अध्यक्ष एवं निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक (कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि सहित) का ब्यौरा निम्नवत् है:

	वेतन	प्रोत्साहन राशि
श्री भास्कर सेन	1503873.00	700000.00
श्री दीपक नारंग	102700.00	0.00
श्री एस एल बंसल	1186976.00	550000.00

4.8.4 समिति के कार्य –

- यह समिति बैंको के पूर्ण – कालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है जो कार्यनिष्पादन मातृका के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडों के अधीन होता है और निर्धारित लक्ष्यों की सूची के विवरण, गुणात्मक मानदंडों एवं न्यूनतम मानदंडों पर आधारित होता है। इसका आधार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुपालन की विभिन्न रिपोर्ट होती है जो पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जड़ी प्रोत्साहन राशि की पात्रता को निर्धारित करनी है।

4.9 उच्चाधिकार प्राप्त समिति :

4.9.1 यह समिति बैंक कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों (सतर्कता और सतर्कता से इतर दोनों ही) की समीक्षा के लिए गठित की गई है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक	28.02.2012 तक
03.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	01.03.2012 से
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 तक
05.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 से
06.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	नामित निदेशक भा. रि. बैंक	संपूर्ण वर्ष

on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year.

The Committee of the Board consists of the following Directors –

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director & Chairman of the Committee	Up to 02-12-2011
02.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director & Chairman of the Committee	From 02.12.2011
03.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year
04.	Shri Srenik Sett	Non-official Director	Whole year
05.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	Whole year

4.8.2. The Committee met once during the year under review on 30.07.2011 at which all the members were present.

4.8.3. The details of remuneration, including performance linked incentive paid to Chairman & Managing Director and Executive Director during the year 2011-2012, are given below:

	Salary	Incentive
Bhaskar Sen	1503873.00	700000.00
Deepak Narang	102700.00	0.00
S. L. Bansal	1186976.00	550000.00

4.8.4. Functions of the Committee –

- Evaluating performance of the wholetime directors of the Bank in respect of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on Statement of Intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports for determining eligibility of the wholetime directors to Performance Linked Incentive in respect of concerned Previous Year.

4.9. High Powered Committee:

4.9.1. This committee has been constituted to review disciplinary cases against the employees of the Bank involving both vigilance and non-vigilance cases.

The Committee consists of the following members –

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri S. L. Bansal	Executive Director	Up to 28.02.2012
03.	Shri Deepak Narang	Executive Director	From 01.03.2012
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
05.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011
06.	Smt. Surekha Marandi	Reserve Bank of India Nominee Director	Whole year

4.9.2 समीक्षाधीन वर्ष में इस समिति की पाँच बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :

04.04.2011	17.06.2011	16.09.2011	31.10.2011	31.01.2012

4.9.3 उपर्युक्त बैठक में निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नक्त हैं :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री भास्कर सेन	5	5	-
02.	श्री एस एल बंसल	5	5	-
03.	श्री दीपक नारंग	-	-	-
04.	श्री संजीव कुमार जिंदल	4	2	2
05.	श्री संदीप कुमार	1	-	1
06.	श्रीमती सुरेखा मरांडी	5	5	-

4.9.4 समिति के कार्य

- अनुशासनत्मक कार्यवाही के प्रत्येक चरण को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में हुई प्रगति का अनुवर्तन करना।
- विभागीय जाँच प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए निदेश जारी करना।
- निरोधक सतर्कता जाँच की दिशा में की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

4.10 निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति

4.10.1 इस समिति का गठन कार्यालयों की आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी समिति के कार्यों, सू.प्रौ. संबंधी कार्यों की समीक्षा करने तथा तक तकनीकी उन्नयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने एवं सू.प्रौ. संबंधी नए उत्पादों को शुरू करने के लिए किया गया है।

इसमें निम्नलिखित सदस्य है :

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री एस एल बंसल	कार्यपालक निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	28.02.2012 तक
02.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	01.03.2012 से
03.	डॉ. नयना शर्मा	गैर-कार्यलयीन निदेशक	14.07.2011 तक
04.	श्री श्रेणिक सेट	गैर-कार्यलयीन निदेशक	17.06.2011 से
05.	श्री सौमेन मजुमदार	शेययरधारक निदेशक	17.06.2011 से

4.10.2 समीक्षाधीन वर्ष में इस समिति की तीन बैंठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :

18.06.2011	31.10.2011	18.02.2012

4.10.3 उपर्युक्त बैठक में निदेशक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कितनी बैठको में भाग लिया	अनुपस्थिति हेतु छुट्टी
01.	श्री एस एल बंसल	3	3	-
02.	श्री दीपक नारंग	-	-	-
03.	डॉ. नयना शर्मा	1	1	-
04.	श्री श्रेणिक सेट	2	2	-
05.	श्री सौमेन मजुमदार	2	2	-

4.9.2. The Committee met five times during the year under review on the following dates:

04.04.2011	17.06.2011	16.09.2011	31.10.2011	31.01.2012

4.9.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri Bhaskar Sen	5	5	-
02.	Shri S. L. Bansal	5	5	-
03.	Shri Deepak Narang	-	-	-
04.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	4	2	2
05.	Shri Sandeep Kumar	1	-	1
06.	Smt. Surekha Marandi	5	5	-

4.9.4. Functions of the Committee –

- Monitoring the progress being made for expeditious completion of each stage of the disciplinary proceedings.
- Issuing directions for ensuring timely completion of departmental enquiries.
- Reviewing actions taken towards preventive vigilance checks.

4.10. IT Sub Committee of Board:

4.10.1. This committee has been constituted to review functioning of in-house IT-Committee of Executives, IT related activities and to issue guidelines for technical up-gradation and introduction of new IT related products.

The Committee consists of the following members –

Srl. No	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri S. L. Bansal	Executive Director & Chairman of the Committee	Up to 28.02.2012
02.	Shri Deepak Narang	Executive Director & Chairman of the Committee	From 01.03.2012
03.	Dr. Naina Sharma	Non-official Director	Up to 14.07.2011
04.	Shri Srenik Sett	Non-official Director	From 17.06.2011
05.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	From 17.06.2011

4.10.2. The Committee met three times during the year under review on the following dates:

18.06.2011	31.10.2011	18.02.2012

4.10.3. The attendance of the Director Members is detailed below:

Srl. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
01.	Shri S. L. Bansal	3	3	-
02.	Shri Deepak Narang	-	-	-
03.	Dr. Naina Sharma	1	1	-
04.	Shri Srenik Sett	2	2	-
05.	Shri Saumen Majumder	2	2	-

4.10.4 **समिति के कार्य:**

- कार्यपालकों की आंतरिक आई-टी समिति के कार्यों की समीक्षा करना।
- कार्यपालकों की सीबीएस संचालन समिति के कार्यों की समीक्षा करना।
- बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और आवश्यक मार्ग-निर्देश देना।

4.11.नामन समिति

4.11.1 इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार वांछित संख्या में शेयरधारकों द्वारा नामित उम्मीदवारों में से उपयुक्त और समुचित उम्मीदवार का निर्धारण करने के लिए किया गया है जो शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक होंगे।

इस समिति में डॉ. नयना शर्मा, गैर कार्यालयीन निदेशक श्री संजीव कुमार जिंदल, भारत सरकार के नामित निदेशक और श्री श्रेणिक सेट, गैर कार्यालयीन निदेशक हैं। डॉ. शर्मा और श्री जिंदल निदेशक पद पर अब नहीं रहे और वे पद खाली पड़े हैं। परवर्ती शेयरधारक निदेशक के चुनाव के पहले इस समिति का गठन फिर से किया जाएगा।

4.11.2 चूंकि समीक्षाधीन वर्ष में कोई चुनाव नहीं हुआ है अत: इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.11.4 समिति के कार्य:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य स्वरूप नामित उमीदवारो में से उपयुक्त समुचित उम्मीदवार का निर्णय करना।

4.12 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

4.12.1. इस समिति का गठन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों अथवा 30 वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों (इन दोनों में जो पहले हो) के काम की समीक्षा के लिया गया है।

इस समिति का पुनर्गठन 29 दिसम्बर 2011 को हुआ था जिसमें संप्रति निम्नलिखित सदस्य है:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री भास्कर सेन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	संपूर्ण वर्ष
02.	श्री संजीव कुमार जिंदल	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 तक
03.	श्री संदीप कुमार	भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशक	02.12.2011 से
04.	श्री सौमेन मजुमदार	शेययरधारक निदेशक	29.12.2011 से

4.12.2 समीक्षावर्ष में इस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई।

4.12.3 इस समिति के कार्य:

- जिन कर्मचारियों की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है अथवा जिन्होंने बैंक में कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो (जो पहले हुआ हो) उसकी पात्रता की समीक्षा करना।

4.10.4. Functions of the Committee –

- Reviewing functioning of in-house IT Committees of Executives.
- Reviewing functioning of CBS – Steering Committee of Executives.
- Overseeing IT – activities of the Bank and giving necessary guidance.

4.11. Nomination Committee

4.11.1. The Committee was constituted for the purpose of determination of the 'Fit & Proper' status, as per the prescribed RBI guidelines in this regard, of the candidates nominated by the requisite number of shareholders for the Directorship of the Bank as representative of the shareholders.

The Committee consisted of Dr. Naina Sharma – Non – Official Director, Shri Sanjeev Kumar Jindal – Govt. of India Nominee Director and Shri Srenik Sett – Non – Official Director. Dr. Sharma and Shri Jindal have since vacated their office of directorship and those vacancies have not been filled up yet. The Committee will be reconstituted before the next election of shareholder director.

4.11.2. There being no election during the year under review, the Committee did not meet.

4.11.4. Functions of the Committee

- Deciding 'Fit & Proper' status of the candidates nominated to be contenders for the membership on the Board of Directors of the Bank as per prescribed criteria of Reserve Bank of India.

4.12 Special Committee to Monitor Officers above 55 Years

4.12.1. The Committee has been formed to review the employees who have attained the age of 55 years or completed a continuous period of 30 years in service, whichever is earlier.

The Committee was reconstituted on 29th December 2011 and currently consists of the following members:

Srl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Shri Bhaskar Sen	Chairman & Managing Director & Chairman of the Committee	Whole year
02.	Shri Sanjeev Kr. Jindal	Govt. of India Nominee Director	Up to 02.12.2011
03.	Shri Sandeep Kumar	Govt. of India Nominee Director	From 02.12.2011
04.	Shri Saumen Majumder	Shareholder Director	From 29.12.2011

4.12.2. There was no meeting of the Committee during the year under review.

4.12.3. Functions of the Committee –

- Reviewing the suitability of employees in service of those who have attained the age of 55 or have

5. **अधिमानी आबंटन से निर्गम प्राप्यों का उपयोग**

ईक्विटी शेयरो के अधिमानी आबंटन के जरिए बैंक की टीयर। पूंजी में वृद्धि के लिए बैंक ने प्रति शेयर रू. 10.00 अंकित मूल्य के 1.65,78.299 शेयर रू. 69.74 की वर्धित दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को जारी किए गए हैं. जिनका सकल मूल्य रू. 132.20 करोड है। बैंक ने 29 फरवरी 2012 को शेयरधारकों को जारी सूचना के जरिए यह बता दिया है कि इस तरह उगाही गई निधि का उपयोग टीयर 1 के तहत पर्याप्त पूंजी के रख.रखाव के लिए किया जाएगा ताकि अपनी आस्तियों की संवृद्धि को बनाए रखने का लक्ष्य हासिल हो सके।

6. **लेखा पद्धति में परिवर्तन:**

बैंक के वित्तीय विवरण परंपरागत लागत करार के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधानों, विनियामक / आर बी आई दिशानिर्देशों के अनुरूप लेखा मानकों (लेखामानक नियम 2006) / भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्दांतों तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा को अपनाया गया है। आर बी आई दिशा-निर्देशों, सी.ए.आई. के लेखा मानकों एवं लेखा पद्धति का विस्तृत प्रकटीकरण 31 मार्च 2012 तुलनपत्र की अनुसूची 17 एवं 18 में किया गया है।

7. **जोखिम प्रबंधन नीति:**

बैंक में जोखिम मूल्यांकन करने एवं जोखिम कम करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग है तथा बैंक के कार्यों के विविध पक्षों को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन नीतियाँ बनाई गई हैं। जाखिम प्रबंधन विषयक सभी नीतियाँ एवं पहलें बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाती है।

8. **आचरण संहित**

8.1 बैंक के सभी निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आचरण संहिता तथा सूचीकरण करार में निर्धारित बैंक द्वारा बनाई गई आचरण संहिता के अनुरूप काम करते हैं। बैंक के महाप्रबंधक स्तर के सभी अधिकारी भी सूचीकरण करार में निर्धारित बैंक द्वारा बनायी गई आचरण संहिता के अनुरूप काम करते हैं। इसका पाठ हमारे बैंक के बैवसाइट www.unitedbankofindia.com पर उपलब्ध है।

8.2 सभी निदेशकों और महाप्रबंधकों ने इस अचार संहिता के अनुपालन किए जाने की पुष्टि की है।

9. **बैठक शुल्क :**

भारत सरकार के नामिती निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक को छोड़कर गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में सहभागिता करने के लिए शुल्क के रूप में प्रति बैठक ₹ 10,000 तथा बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैंठक में भाग के लिए शुल्क के रूप में प्रति बैठक ₹ 5,000 दिए जाते हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

प्रयोजन के अनुरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, शेयर बाज़ारो के साथ सूचीकरण शेयर करार, कंपनी रजिस्ट्रार के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा अंतरण प्रक्रिया इत्यादि की निगरानी हेतु श्री बिक्रमजित सोम, कंपनी

completed 30 years of total service in the Bank, whichever is earlier.

5. Usage of Issue Proceeds from the Preferential Allotment

The Bank has issued 1,65,78,299 Equity Shares of Face Value of ₹10/- each at a premium of ₹69.74 per share to Life Insurance Corporation of India aggregating ₹132.20 crore to augment its Tier – I Capital through Preferential Allotment of Equity Shares. The Bank in its Notice to shareholders dated February 29, 2012 had communicated that the funds raised through the issue shall be utilized in order to achieve sustainable growth in its assets and to maintain adequate Tier – I Capital. Accordingly the Bank has taken appropriate steps to comply with the stated mandates.

6. Changes in Accounting Treatment

The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention. They conform to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise statutory provisions, regulatory/RBI guidelines, accounting standards notified under Companies (Accounting Standard Rules 2006), guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the Banking Industry in India. Detailed disclosure as per RBI guidelines/ applicable Accounting Standards and accounting treatments are given in Schedules 17 & 18 of the Balance Sheet drawn as on March 31, 2012.

7. Risk Management Policy

The Bank has an Integrated Risk Management Department to assess and mitigate risk and lay down risk management policies touching upon various aspects of Bank's functioning. All risk management policies and initiatives are placed before the Board of Directors through Risk Management Committee of the Board.

8. Code of Conduct

8.1. All the Directors of the Bank are governed by the Code of Conduct prescribed by Reserve Bank of India, and also the Code of the Conduct framed by the Bank as prescribed in the Listing Agreement. All the officers in the rank of General Manager of the Bank are also governed by the Bank's Code of Conduct framed by the Bank as prescribed in the Listing Agreement. The text of the same is available on the website of the Bank – www.unitedbankofindia.com.

8.2. All the Directors and General Managers have affirmed their compliance with the applicable Code of Conduct.

9. Sitting Fees

The Non-Executive Directors, other than the Government of India Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director, are given sitting fees of ₹10,000/- each for attending every Board Meeting and ₹5000/- each for attending every Committee Meeting of the Board.

10. Compliance Officer

Shri Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities &

सेक्रेटरी, अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

11. शेयर अंतरण प्रणाली एवं निदेशकों की शिकायत का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान एवं निवेश संबंधी सभी कार्य कलापों का ध्यान रखा जाता है और उनका प्रसंस्करण किया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयर अंतरण विधिवत् निर्धारित अवधि में और उनके दर्ज किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर प्रभावी हो जाए। बोर्ड ने एक शेयर धारक समिति का गठन किया है जो शेयरधारों से संबंधित सभी मामलों एवं उनकी शिकायतों का ध्यान रखती है। यह समिति नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती है जिसमें शेयरों के लेन देन से संबंधित नेमी किस्म के मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

बैंक ने मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है। इसके कार्यों में अन्य मदों के साथ साथ शेयर अंतरण का प्रंसस्करण, लाभांश का भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध का रेकॉर्ड रखना, उनकी शिकायतों का समाधान करना तथा शेयरों के निर्गम संबंधी अन्य कार्य शामिल हैं। निदेशक निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार के पास शेयरों केअंतरण / अनुरोध / शिकायतें दर्ज करा सकते हैं छ

मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59 सी, चौरंगी रोड, तृतीय तल
कोलकाता 700020
टेलीफोन (033) 228905040
फैक्स (033) 22890539
ई मेल kolkata@linkintime.co.in

निवेशकों की सुविधा हेतु शेयरधारकों से शेयर अंतरण तथा उनकी शिकायतों के संबंध में अनुरोध कोलकाता स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित पते पर स्वीकार किए जाते हैं :

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चतुर्थ तल
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता 700 001
टेलीफोन (033) 22483857
फैक्स (033) 22489391
ई मेल : investers@unitedbank.co.in
वेबसाइट : www.unitedbankofindia.com

शेयरधारको की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई एवं शिकायतों का तत्काल निवारण बैंक की परम चिंता है तथा इसे पूर्णत: सुनिश्चित किया जाता है।

11.1 शेयर अंतरण प्रणाली

बैंक के सामान्य शेयरों के अंतरण के मामलों की देख-रेख शेयर अंतरण एजैंट मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है। जब कभी मूर्त रूप में रखे हुए शेयर को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होता है तो उसकी संवीक्षा की जाती है और यदि वह ठीक - ठाक पाया जाता है तब उसका प्रस्संकरण किया जाता है और अनुमोदन के लिए उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में भेज दिया जाता है।

शेयरों के अंतरण / अमूर्तीकरण / पुनर्मूर्तीकरण / विभाजन / प्रतिस्थापन / समेकन के अनुरोध की सूची अनुमोदन हेतु शेयरधारक समिति के समक्ष रखी जाती है। शेयरधारक समिति की बैठकें सामान्यत: प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में होती है।

Exchange Board of India, Listing Agreement with Stock Exchanges, Registrar of Companies as may be applicable and for monitoring the share transfer process etc.

11. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period of 1 month from the date of lodgement. The Board has constituted Shareholders' Committee to take care of all issues pertaining to shareholders including grievances. The Committee is required to meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides routine deliberations pertaining to transaction in shares.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. as its Registrar & Transfer Agent whose duties include inter-alia processing of Share transfers, dividend payments, recording of Shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Share. The Investors may lodge transfers/requests /complaints with the Registrar at the following address:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.
59C , Chowringhee Road , 3rd floor
Kolkata – 700020
Tel: (033) 2289 0540
Fax: (033) 2289 0539
Email: kolkata@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances/complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Kolkata at the following address:

Share Department & Investors' Grievance Cell
United Bank of India, 4th Floor,
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata-700 001
Tel.: (033) 22483857
Fax: (033) 22489391
E-mail: investors@unitedbank.co.in
Website: www.unitedbankofindia.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is ensured in totality.

11.1. Share Transfer System:

Transfers of Bank's Equity Shares are taken care of by the Registrar & Share Transfer Agent – M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. In the cases of share transfer requests in physical form, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialisation/ rematerialisation / split/ replacement/ consolidation, as the case may be, are placed before the Shareholders' Committee of the Board for approval. The meetings of the Shareholder's

समिति ने महाप्रबंधक एवं कंपनी सेक्रेटरी स्तर के उपयुक्त प्राधिकारी को यह अधिकार दे रखा है कि वे उन शेयरों के अंतरण / प्रेषण / उपविभाजन / विभाजन / पुनर्मूर्तीकरण इत्यादि के लिए प्राप्त अनुरोधों को आवश्यक अनुमोदन दें जिन्हें समिति की दो बैठको के बीच प्राप्त किया गया है और परवर्ती बैठक में उनका अनुसमर्थन किया गया है। बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयरों का अंतरण / पुनर्मूर्तीकरण आदि को प्रभावी करता है।

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा शेयर अंतरण से संबंधित जारी की गई और शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के उपवाक्य 47 तथा सेबी (डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट) विनियम 2003 के विनियम 55 ए के अनुसार बैंक स्टॉक एक्सचेंज के प्रमाण पत्र भेजता है जो शेयर रजिस्ट्रार के यहाँ से वहाँ के संबंधित कंपनी सेक्रेटरी ने जारी किया हुआ। होता है। इसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई होती है कि सभी प्रमाण पत्र विधिवत् वितरित कर दिए गए हैं और बैंक की शेयर पूंजी के समाधान से संबंधित बैंक तिमाही विवरण की भी पुष्टि की जाती है।

11.2 प्राप्त शिकायतों उनके निवारण एवं लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या

शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राप्त करता है और बैंक में प्राप्त शिकायतें मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट को भेज दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त अनुरोधों / शिकायतों और उनके निवारण का ब्यौरा नीचे दिया हुआ है :

	01.04.2011 तक	इस वर्ष प्राप्त	इस वर्ष निवारितें	31.03.2012 लंबित
क) शिकायतों / अनुरोधों की संख्या	शून्य	19	19	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रखी गई। 31 मार्च 2012 को हमारे पास कोई शेयर अंतरण अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च 2012 को 7107 शेयर उचंत खाते में पड़े थे। इस खाते का सृजन इसीलिए किया गया था कि यदि किसी तकनीकी कारण से शेयरों का अंतरण आबंटिती के खाते में न हुआ हो तो उन्हें इसी उचंत खाते में रखा जाए।

01.04.2011 को उचंत खाते में पड़े शेयरों का संख्या	7415
01.04.2011 से 31.03.2012 तक शेयरधारको के खाते में अंतरित शेयरो की संख्या	308
31.03.2012 को उचंत खाते में पड़े शेष शेयरों की संख्या	7107

आवश्यक अनुपालन की शर्तों के अधीन यह बैंक इस उचंत खाते में पड़े शेष सभी शेयरों को शेयरधारकों को अंतरित करने कि लिए सभी यथोचित कदम उठा रहा है।

Committee are generally held at the beginning of each quarter. The requisite authority has been delegated by the Committee to the officers in the ranks of General Managers and Company Secretary to issue necessary approvals to the requests for transfer/ transmission/ sub-division/ split/ rematerialisation etc. received in between two Committee Meetings and to have those cases ratified at the subsequent Committee Meeting. On receipt of the necessary approval from the Bank, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., effects the transfers, rematerialisation etc.

A report on share transfers effected by the R&T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and Regulation 55A of the SEBI (Depositories & Participants) Regulations 2003, the Bank submits to the Stock Exchanges the Certificate by the Practicing Company Secretary received from the Registrar confirming that all the share certificates have been duly delivered and a Quarterly Statement on Reconciliation of Share Capital of the Bank respectively.

11.2. Number of complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. and those received by the Bank are forwarded to them for resolutions. The details of requests/complaints received and resolved during Financial Year 2011-12 are as follows:

	Pending as on 01.04.11	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.12
a) No. of complaints / requests	Nil	19	19	Nil

None of the above complaints was pending for more than one month. As on March 31, 2012, no share transfer requests were pending at our end.

As on March 31, 2012, 7107 shares were lying in the Suspense Account, created for the purpose of keeping the shares that could not be transferred to the allottees' accounts due to technical reasons.

Shares lying in the Suspense Account as on 01.04.11	7415
Shares transferred to shareholders during the year 01.04.11 to 31.03.12	308
Balance shares lying in the Suspense Account as on 31.03.2012	7107

The Bank is taking all reasonable steps to ensure that the balance shares lying in the Suspense Account are transferred subject to necessary compliances to the shareholders at the earliest.

12. शेयरधारकों से प्रकटीकरण, संवाद एवं संबंध

बैंक के साथ इसके संप्रवर्तको / निदेशको, प्रबंधन एवं उनकी सहायक कंपनियों और / अथवा रिश्तेदारों के बीच वस्तुगत रूप में कोई महत्त्वपूर्ण लेन - देन नहीं है जिससे बैंक के हित के साथ किसी विवाद की संभावना हो। 31 मार्च 2012 को तुलन पत्र (अनुसूची 18) के लेखा पर टिप्पणी में ए एस 18 के अनुसार बैंक से संबधित पार्टी के लेन - देन को प्रकट किया गया है।

बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी सभी विषयों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में किसी स्टॉफ एक्सचेंज या सेबी की ओर से इस बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया गया है, न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई। यह बैंक संबंधित और वांछनीय विधि के अनुरूप वार्षिक महासभा का आयोजन करेगा एवं यदि निदेशक मंडल की अनुशंसा के साथ-साथ शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हुआ तो सभी पात्र शेयर धारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर उनके लाभांश का भुगतान करेगा।

सभी शेयर धारकों को बैंक से संबंधित सूचना मुख्यत: वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है जिसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय का संबोधन, निदेशकों की रिपोर्ट, कंपनी अभिशासन रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा पूंजी पर्याप्तता आदि का खुलासा किया गया होता है। शेयरधारकों को तिमाही, छमाही एवं वार्षिक निष्पादन की सूचना समाचार पत्रों, स्टॉफ एक्सचेंज को सूचना देकर, प्रेस द्वारा जारी सूचना के द्वारा और बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com के जरिए भी दी जाती है।

इस वर्ष बैंक के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन निम्नलिखित समाचार पत्रों में कराया गया है।

12. Disclosure, communication and relationship with shareholders

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/Directors, Management, their Subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large. The Related Party Transactions of the Bank as per AS-18 are disclosed in the Notes on Accounts (Schedule 18) to the Balance Sheet as on March 31, 2012.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI during the financial year 2011-12. The Bank will conduct the Annual General Meeting in accordance with relevant requirements of law and pay dividend to the eligible shareholders, if recommended by the Board and approved by the shareholders, within the statutory time frame.

Information relating to the Bank is sent to the shareholders mainly through the Annual Report which includes the Chairman's address, the Directors' Report, Report on Corporate Governance, Audited Accounts, Cash Flow Statement, disclosure on Capital Adequacy etc. The shareholders are also informed about the quarterly, half-yearly and annual performances of the Bank through publication in newspapers, reporting to the stock exchanges, press releases and also through Bank's website (www.unitedbankofindia.com).

During the year the financial results of the Bank, were published in the following newspapers:

अवधि **Period**	दैनिक का नाम **Name of the Daily**		प्रकाशन की तिथि **Date of Publication**
	अंग्रेजी English	बेंगला Bengali	
जून 2011 की समाप्त तिमाही Quarter ended June 2011	फाईनैशियल एक्सप्रेस Financial Express	आजकल Aajkaal	01.08.2011
सितंबर 2011 की समाप्त तिमाही/छमाही में Quarter/ Half Year ended September 2011	फाईनैशियल एक्सप्रेस Financial Express	आजकल Aajkaal	02.11.2011
दिसम्बर 2011 की समाप्त तिमाही में Quarter ended December 2011	इकोनॉमिक टाइम्स The Economic Times	आजकल Aajkaal	01.02.2012
मार्च 2012 की समाप्त तिमाही / छमाही में Quarter/ Year ended March 2012	इकोनॉमिक टाइम्स The Economic Times	आनंदबाजार पत्रिका Anandabazar Patrika	06.05.2012 (प्रस्तावित/Proposed)

13. अधिदेशात्मक तथा गैर - अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

13.1 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के उपवाक्य 49 के प्रावधानों के अनुरूप बैंक ने लागू होने योग्य सभी अधिदेशात्मक एवं गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

13.2 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं जिस जिस सीमा तक कार्यान्वित की गई हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

13. Mandatory and Non-Mandatory requirements

13.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

13.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	गैर-अधिदेशात्मक/NON – MANDATORY REQUIREMENTS	अनुपालन/COMPLIANCES
13.2.1	गत्र कार्यपालक अध्यक्ष की यह पात्रता होनी चाहिए कि वह कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रख सकें और अपने कर्तव्य के निष्पादन में आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे सकें। A non-executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	इस बैंक के प्रधान कार्यपालक अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ने की है। अत: यह अपेक्षा यहाँ लागू नहीं है। The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.
13.2.2	सभी शेयरधारकों के पास वित्तीय कार्य निष्पादन की घोषणा की छमाही पिरोर्ट और इसके साथ-साथ पिछले छह महीने की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का सारांश भेजा जाना चाहिए। The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, should be sent to each shareholder	बैंक के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया जाता है, स्टॉक एक्सचेंजों में इसकी सूचना भेजी जाती है और इसे बैंक के वेबसाइट पर भी दे दिया जाता है। Bank's Financial Results are published in Newspapers, intimated to Stock Exchanges and also uploaded on the Bank's Website.
13.2.3.	**सचेतक नीति:** यह बैंक अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसमें किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधड़ी अथवा बैंक की आचरण संहिता या नीति का उल्लंघन होने पर प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट दे सके और सचेतक कर्मचारी को उत्पीड़ित न किया जाए -- इसके लिए उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जा सके। Whistle Blower Policy: The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's Code of Conduct or ethics and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	इस बैंक में सचेतक नीति लागू की जा चुकी है। The Bank has in place a Whistle Blower Policy.

14. शेयर धारकों को सूचना

14.1 समीक्षाधीन वर्ष में बैंक की वार्षिक महासभा शुक्रवार 29 जुलाई 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबैडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में आयोजित की गई।

14.2 समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के ओर से अपने शेयर धारको के लिए एक असाधारण महासभा का आयोजन किया गया। मंगलवार 27 मार्च 2012 को पूर्वाहन 10.30 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में वह महासभा आयोजित की गई जिसमें विशेष संकल्प के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा इसकी योजना को ईक्विटी शेयरों का आबंटन अधिमानत: करने का अनुमोदन किया गया। शेयरधारकों ने इस विशेष संकल्प को पर्याप्त बहुमत से पारित किया।

बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष में डाक से मत - पत्र भेजने की पहल नहीं की।

14. Shareholders' Information

14.1. During the year under review the Bank held its Annual General Meeting on Friday, July 29th 2011 at 11.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata – 700027.

14.2. During the year under review the Bank has held one Extra-Ordinary General Meeting of its Shareholders, on Tuesday, March 27th 2012 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata – 700027 to approve by special resolution, the Preferential Allotment of Equity Shares to Life Insurance Corporation of India or its schemes. The shareholders passed the special resolution with thumping majority.

The Bank has not initiated any Postal Ballot during the year under review.

14.3 बैंक का वित्तीय वर्ष 01.04.2011 से 31.03.2012 तक है।

14.4 वित्तीय वर्ष 2012-13 का संभावित कैलेंडर :

तिमाही / छमाही / वार्षिक	प्रकाशन का समय
30 जून 2012	जुलाई 2012 के अंत तक
30 सितंबर 2012 की तिमाही	अक्टूबर 2012 तक
31 दिसंबर 2012	जनवरी 2013 तक
31 मार्च 2013	मई 2013 में

14.5 **खाताबंदी और रेकॉर्ड की तारीख**

उद्देश्य Purpose	खाता बंदी (अवधि) Book Closure (Period)	रेकॉर्ड की तारीख Record Date
वार्षिक महासभा एवं अंतिम लाभांश की घोषणा	16.07.2011 से 29.07.2011 (दोनों दिनों सहित)	अप्रयोज्य Not Applicable

14.6 बैंक के शेयरों का सूचीकरण 18 मार्च 2010 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में हुआ :

14.3 Financial Year of the Bank is from 01.04.11 to 31.03.12.

14.4 Tentative Financial Calendar for FY 2012-13

Quarter/ Half Year/ Annual	**Publication by**
June 30, 2012	End of July, 2012
September 30, 2012	End of October, 2012
December 31, 2012	End of January, 2013
March 31, 2013	In the month of May, 2013

14.5 Book Closure & Record Date

Purpose	Book Closure (Period)	Record Date
Annual General Meeting & Declaration of Final Dividend.	16.07.2011 to 29.07.2011 (Both days inclusive)	Not Applicable

14.6 The Bank's shares got listed on March 18, 2010 on the following Stock Exchanges:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी 1, जी ब्लॉक बांद्रा- कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई-400051 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, Block-G Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051.	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टावर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई - 400001 Bombay Stock Exchange Limited. Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
स्क्रिप कोड: UNITEDBANK Scrip Code: UNITEDBNK	स्क्रिप कोड: 533171, स्क्रिप आई डी UNITEDBANK Scrip CODE: 533171; Scrip Id –UNITEDBNK

वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान दोनों एक्सचेंजों को समय पर कर दिया जाएगा।

15. शेयर संबंधित सूचना

15.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर अतिवार्यत: आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना) में आवंटित किए गए तथा इनकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंजों में अमूर्त रूप में की गई। इनका अमूर्तीकरण राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड एवं केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड में किया जा सकता है। बैंक को अमूर्तीकृत ईक्विटी शेयरों के लिए आई एस आई एन कोड सं. आईएनई 695 A01019 आबंटित किया गया है। तथापि बैंक में शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है और शेयरधारक चाहें तो अपना शेयर मूर्त रूप में भी रख सकते हैं। इस के लिए उन्हें अपनी इलेक्ट्रोनिक धारिता को पुन: मूर्त रूप में बदलना पड़ेगा। शेयरों का नकदीकरण सामान्य रूप में होता है क्योंकि इनकी खरीद बिक्री देश के दो बड़े स्टॉक एकसचेंजों में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजों में होती है।

प्रैक्टिस कर रहे किसी कंपनी सेक्रेटरी द्वारा सचिवालयी लेखा परीक्षा के संबंध में बैंक ने सेबी की जरुरतों का अनुपालन किया है ताकि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) - इन दोनों ही निक्षेपागारों में कुल स्वीकृत पूंजी के समाधान का प्रयोजन पूरा हो सके एवं बैंक की कुल निर्गत एवं सूचीबद्ध पूंजी के साथ-साथ सेबी के निर्देशों के तहत अन्य मामलों में भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

The annual listing fees to both the exchanges have been paid up to date.

15. Share Related Information

15.1 Dematerialisation of Securities

The Bank's shares were compulsorily allotted in the IPO and are traded on the Exchanges in dematerialised mode and can be dematerialised with National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. The Bank has been allotted ISIN Code No.INE 695A01019 for the Dematerialised Equity Shares. However, the dematerialisation of Bank's shares is not mandatory and the shareholders can keep their shares in physical form also by conversion of their electronic holding through rematerialisation. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with on the two premier Stock Exchanges of the country i.e. BSE and NSE.

The Bank has ensured compliance of SEBI requirements, with regard to secretarial audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practicing Company Secretary.

31.03.2012 तक ईक्विटी शेयर धारकों द्वारा अमूर्त (डीमैट) रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्न प्रकार है।

Particulars of shares in Demat form held by the Equity shareholders as on 31.03.12 are as under:

अमूर्त रूप में (डीमैट) DEMAT	शेयरधारकों की संख्या No. of Holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का प्रतिशत % - age Holding
सीडीएसएल में/In CDSL	22771	299689303	83.02
एनएसडीएल में/In NSDL	42732	44729670	12.39
मूर्त रूप में/Physical	26	16579947	4.59
कुल/Total	65529	360998920	100.00

15.2 एलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएँ (ईसीएस)

ईसीएस लाभांश/ब्याज आदि के भुगतान की एक अभिनव पद्धति है जहाँ निवेशकों को देय राशि सीधे उनके/उनकी बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक ने शेयरधारकों को ईसीएस सुविधा प्रदान की है।

ईसीएस अधिपत्र का फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे पंजीकार एवं अंतरण एजेंट को भेजा जा सकता है। शेयर धारकों के निर्देश पर किसी भी समय ईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प छोड़ा जा सकता है।

15.3 वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए लाभांश:

बैंक ने 2011-12 के दौरान रू. 10/- के प्रत्येक इंक्विटी शेयर पर रू. 2.20/- की दर से लाभांश का भुगतान किया है जो 2010-11 का अंतिम (फाइनल) लाभांश है। इसका अनुमोदन बैंक की गत वार्षिक महासभा में शेयरधारकों ने किया था।

बैंक ने भारत सरकार को 7.75% की दर से अधिमानी लाभांश का भुगतान किया है जो 31 मार्च 2012 को 80000 (अस्सी हजार) बकाया स्थाई असंचयी अधिमानी शेयरों पर मौजूदा रेपो रेट से एक प्रतिशत अधिक है और यह उक्त अधिमानी शेयरों के निर्गम की शर्तों के अनुरूप है।

15.4 बैंक की शेयर पूंजी:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 को धारा 3(2ए) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु. 3000 करोड़ होगी जो रु. 10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयर में कुल 300 करोड़ पूर्णत: प्रदत्त शेयर में विभाजित की हुई होगी।

बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी रु. 360.998 करोड़ है जिसे 10 रु. प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों में कुल 360.998 करोड़ शेयरों में विभाजित किया हुआ है। इसमें भारत सरकार के पास 29.44 करोड़ ईक्विटी शेयर हैं और यह बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक (81.557%) है।

मार्च 2012 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस बैंक के 1,65,78,299 ईक्विटी शेयरी की खरीद अधिमानी आबंटन के आधार पर कर ली और रू. 132.20 करोड की पूंजी लगाई। यह राशि बैंक की स्थाई पूंजी का अंश होगी।

15.2 Electronic Clearing Services (ECS)

ECS is a novel method of payment of dividend/interest, etc., whereby the amount due to an investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders to avail the ECS facility.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholder.

15.3. Dividend paid by the Bank during the year 2011 -12

The Bank has paid dividend at the rate of ₹2.20/- per equity share of ₹10/- each during 2011-12 being the Final Dividend for the year 2010-11 approved by the shareholders at the Bank's latest AGM.

The Bank has also paid to the Government of India Preference Dividend at the rate of 7.75% being 1% above the prevailing Repo Rate on 80000 (Eighty Thousand) outstanding Perpetual Non-Cumulative Preference Shares as on 31st March 2012 as per the terms of issue of the said preference shares.

15.4. Share Capital of the Bank

As per section 3(2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act) 1970, as amended, the Authorised Capital of the Nationalised Bank shall be ₹3000 crore divided into 300 crore fully paid equity shares of ₹10/- each.

The issued, subscribed and paid-up capital of the Bank is ₹360.998 crore divided into 36.0998 crore equity shares of ₹10/- each in which the Government of India holds 29.44 Crore Equity Shares and is the major shareholder (81.557%) of the Bank.

The Life Insurance Corporation of India infused capital of ₹132.20 crore in March 2012 by subscribing to the preferential allotment of 1,65,78,299 equity shares of the Bank. This will be a part of core Capital of the Bank.

तदनुरूप 31 मार्च 2012 को बैंक की वर्तमान पूंजी संरचना निम्नवत् है।

	(रू. करोड़)
प्राथिकृत शेयर पूंजी	रु. 3000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी:	
प्रत्येक ईक्विटी शेयर रू. 10 के 360998920 ईक्विटी शेयर:	रू. 360.998
80000 स्थाई, असंचयी, अधिमानी शेयर	रू. 800.00
कुल प्रदत्त पूंजी	1160998

Accordingly the present Capital Structure of the Bank as on 31st March 2012 is as follows:

	(₹crore)
Authorised Share Capital	3000.00
Issued, Subscribed and Paid-up Capital:	
360998920 Equity Shares of ₹10/- each:	₹ 360.998
80000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares:	₹ 800.00
Total Paid up Capital:	₹ 1160.998

सारणी 1 : 31.03.2012 को श्रेणीवार ईक्विटी शेयरो का वितरण

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2012

	श्रेणी/Category	**रखे गए शेयरों की संख्या/No. of shares held**	**शेयरों का प्रतिशत (%)/Percentage of shareholding**
क)/**A.**	संप्रवर्तक धारिता/**Promoters' Holding**		
1.	संप्रवर्तक भारतीय संप्रवर्तक (जीओआई) विदेशी संप्रवर्तक Promoters - Indian Promoters (Govt of India) - Foreign Promoters	294420621 ----	81.557 ----
2.	मिलकर कार्य करते हुए व्यक्ति Persons Acting in Concert	----	----
	उप-योग/**Sub-Total**	**944206212**	**81.557**
ख)/**B.**	गैर संप्रवर्तक धारिता/**Non-Promoters' Holding**		
3.	संस्थानिक निवेश/Institutional Investors		
	क)/a) म्युचुअल फंड एवं यूटीआई/Mutual Funds & UTI	8643505	1.624
	ख)/b) बैंक / वित्तीय संस्थान/Banks/Financial Institutions,	117171	0.031
	ग)/c) बीमा कंपनियां/Insurance Companies	17227185	4.772
	घ)/c) विदेशी संस्थागत निवेशक/ FIIs	3783312	1.048
	उप-योग/**Sub-Total**	**26992018**	**7.477**
ग)/**C.**	अन्य/**Others**		
	क)/a) कंपनी निकाय/Bodies Corporate	24319925	6.737
	ख)/b) क्लियरिंग सदस्य/Clearing Members	523970	0.145
	ग)/ c) भारतीय जनता/Indian Public	14316644	3.966
	घ)/d) एनआरआई/NRIs	351168	0.097
	ङ)/e) एनआरएन/NRN	59548	0.016
	च)/f) ट्रस्ट/Trusts	15026	0.004
	उप-योग/**Sub-Total**	**39586281**	**10.966**
	कुल योग/**Grand Total**	**360998920**	**100.00**

(बैंक के पास आंशिक रूप से प्रदत्त कोई शेयर नहीं है)

(The Bank does not have any partly-paid shares)

सारणी 2: 31.03.2012 को कूल विदेशी शेयर धारिता

Table 2: Total Foreign Shareholding as on 31.03.2012

क्रम सं. Sl.No.	विवरणी Particulars	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयर जमा पूँजी का प्रतिशत Percentage of Shareholdings
1.	जीडीआर एवं एडीआर धारिता/GDR & ADR holding	----	----
2.	विदेशी प्रायोजक/Foreign Promoters	----	----
3.	विदेशी सांस्थनिक निवेश/Foreign Institutional Investors	3783312	1.048%
4.	विदेशी म्यूचुअल फंड/Foreign Mutual Funds	----	----
5.	एनआरआईएस/NRIs	351168	0.097
6.	एनआरएन/NRN	59548	0.016
7.	विदेशी बैंक/Foreign Banks	----	----
8.	विदेशी नागरिक / ओसीबी/Foreign National/OCB	----	----
	कुल/Total	**4194028**	**1.161%**

सारणी 3: जिन शेयर धारको के पास 31.03.2012 को 1% से अधिक ईक्विटी शेयर है, उनकी सूची

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the Bank as on 31.03.2012

क्रम सं. Sl.No.	शेयरधारको के नाम Name of shareholders	रखे गए शेयरी की संख्या Number of Shares held	शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of Shareholdings	श्रेणी Category
1.	भारत के राष्ट्रपति/President of India	294420621	81.557	भारतीय संप्रवर्तक/Indian Promoter
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम/Life Insurance Corporation of India	17221031	4.770	बीमा कंपनी(पीएसयू)/Insurance Company (PSU)
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड एलआईसी लिमिटेड/HDFC Standard L.I.C. Ltd.	11798197	3.26	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीमा कंपनी (प्रइवेट) Insurance Company (Private)

15.5 शेयर – बाजार मूल्य से संबंधित आँकड़े

2011-12 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचैंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के ईक्विटी शेयरों के मूल्य में माहवार उतार – चढ़ाव।

15.5. Market Price Data

The monthly high and low market prices of Bank's equity shares on BSE and NSE for the year 2011-12: -

माह Month	बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज Bombay Stock Exchange		नेशनल स्टॉक एक्सचेंज National Stock Exchange	
	मासिक उच्च मूल्य (रू) Monthly High (₹)	मासिक निम्नमूल्य (रू) Monthly Low (₹)	मासिक उच्च मूल्य (रू) Monthly High (₹)	मासिक निम्नमूल्य (रू) Monthly Low (₹)
अप्रैल 2011/April 2011	114.10	103.50	113.95	101.15
मई 2011/May 2011	111.50	93.55	110.65	94.00
जून 2011/June 2011	102.40	90.00	102.45	90.65
जुलाई 2011/July 2011	99.80	93.20	99.70	93.10
अगस्त 2011/August 2011	95.50	71.05	95.40	71.05
सितंबर 2011/September 2011	81.90	72.50	81.80	73.80
अक्टूबर 2011/October 2011	77.10	70.25	76.95	70.10
नवंबर 2011/November 2011	75.00	56.00	75.20	56.10
दिसंबर 2011/December 2011	62.50	46.05	61.95	45.60
जनवरी 2012/January 2012	71.95	45.55	71.40	45.80
फरवरी 2012/February 2012	87.15	68.25	86.90	68.20
मार्च 2012/March 2012	75.30	67.50	75.80	68.10

बैंक के शेयरों में सूचकांक के साथ-साथ उतार - चढ़ाव

Movement of Bank's Share vis-à-vis Index:

सूचकांक की तुलना

Index Comparison

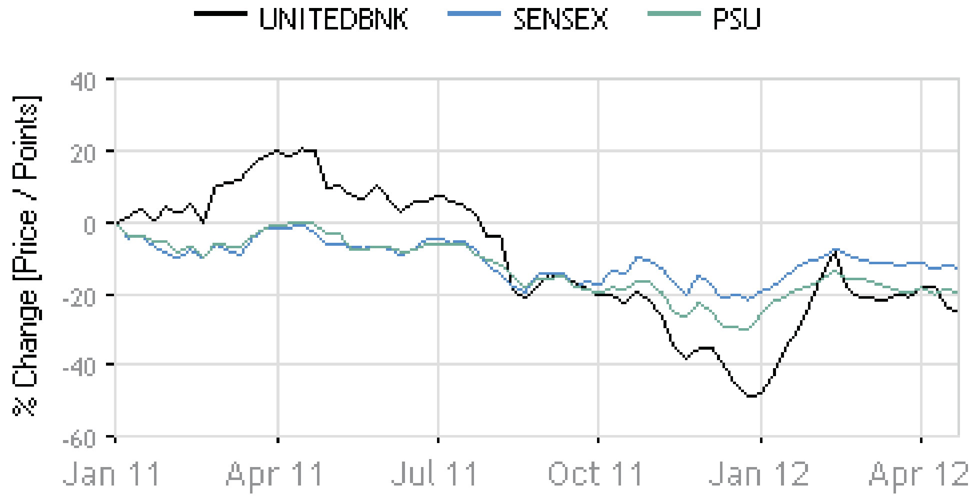

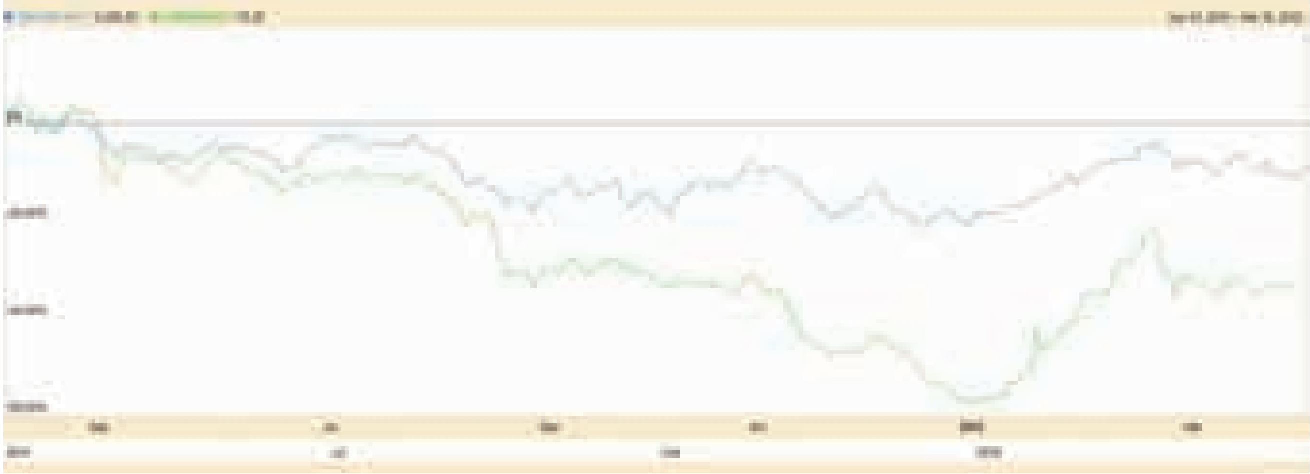

15.6 31.03.2012 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शेयरधारिता का मूल्यवार वितरण

15.6. Value wise Distribution of Share holding of United Bank of India as on 31.03.2012.

सामान्य मूल्य के शेयरों अथवा SHARE OR DEBENTURE HOLDING OF NOMINAL VALUE OF		शेयर / डिबेंचर धारको की संख्या SHARE/DEBENTURE HOLDERS		शेयर / डिबेंचर की राशि SHARE/DEBENTURE AMOUNT	
रू./(₹)	रू./(₹)	संख्या/Number	कुल प्रतिशत/% to Total	रू./(₹)	कुल का प्रतिशत % to Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Upto -	5,000	61375	93.661	78622410	2.178
5,001 -	10,000	2322	3.543	18992190	0.526
10,001 -	20,000	1053	1.607	15446660	0.428
20,001 -	30,000	277	0.423	6985480	0.194
30,001 -	40,000	106	0.162	3743820	0.104
40,001 -	50,000	86	0.131	4016740	0.111
50,001 -	1,00,000	140	0.214	10231250	0.283
1,00,001 and above		170	0.259	3471950650	96.176
कुल/TOTAL		**65529**	**100.000**	**3609989200**	**100.000**

15.7. 31 मार्च, 2012 को बकाया एडी आर/जीडीआर/परिवर्तनीय लिखत नहीं है।

15.7. There is no outstanding ADR/ GDR/ Warrant/ Convertible Instrument as on March 31, 2012.

15.8. पत्राचार का पता –

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700 001

15.8. Address for Correspondence –

United Bank of India
Share Department & Investors' Grievance Cell,
United Tower, 4th Floor
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

कृते निदेशक मंडल

दिनांक : मई 5, 2012
स्थान : कोलकाता

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For & on behalf of the Board of Directors

Date: May 5th, 2012
Place: Kolkata

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
शेयर विभाग एवं निदेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी,
कोलकाता – 700 001

घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कि बैंक के निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (यथा-महाप्रबंधक) के लिए बैंक की आचार संहिता का निर्धारण किया है और उक्त संहिता को बैंक की वेबसाइट पर गया दे दिया गया है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : मई 5, 2012

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Declaration

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank (i.e. General Managers) and the said code is posted on the Bank's website. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

Date: May 5, 2012

निदेशक मंडल
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
कोलकाता - 700 001

सूचीकरण करार के खंड 49 V के सीइओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते है कि

क) हमने अपनी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए नकदी प्रवाह विवरणी एवं वित्तीय विवरणी की समीक्षा कर ली हैं :

i) इन विवरणी में किसी तरह की गलत बयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिए गए हैं, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।

ii) इन विवरणों में बैंक के कार्यकलापों को सही एवं साफ-सुथरे रुप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों, विनियमों तथा मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया गया हैं।

ख) हमारी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के मुताबिक पूरे वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई लेन देन नहीं किया जो कपट पूर्ण हो, गैर कानूनी ही या जिसमें बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो।

ग) हम एतद्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं लागू रखने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं।

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से सबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन किया हैं एवं उसे सही पाया हैं। नेमी किस्म की जो कुछ कमिया लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति ने हमारी जानकारी में लाई हैं, उनका समाधान कर दिया गया हैं।

घ) हम इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि

I) इस वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं।

ii) इस वर्ष लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही किया गया हैं।

iii) इस वर्ष विभिन्न शाखाओं में धोखाधड़ी के ऐसे 15 मामलों की सूचना मिली जिसमें शाखा से सबंधित कर्मचारी शामिल थे अव्रूर ₹ 120.50 लाख की धोखाधड़ी हुई थी। इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को दी गई। उक्त राशि में से कुल ₹ 43.23 लाख की वसूली हो पाई।

आर. के. महांति
महाप्रबंधक (राजकोष)
कॉर्पोरेट लेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

भास्कर सेन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख 05 मई 2012
स्थान : कोलकाता

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001.

CEO/CFO Certification under Clause 49 (V) of the Listing Agreement

We hereby certify that –

a. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for year 2011-12 and that to the best of our knowledge and belief:

i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. these statements together, present a true & fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws, regulations and guidelines.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violating Bank's Code of Conduct.

c. We hereby accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting.

We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have found the same to be in order. Whatever minor routine deficiencies were found have been brought to the notice of the Auditors and the Audit Committee and duly addressed.

d. We further confirm that –

i. there has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year.

ii. there has not been any significant change in accounting policies during the year.

iii. 15 cases of frauds involving the employees of the various Branches of the Bank involving an amount of ₹120.50 lacs were detected during the year and reported to the appropriate authority. ₹43.23 lacs was recovered out of the said amount.

R. K. Mohanty
General Manager - Treasury
Corporate Accounts &
International Banking

Bhaskar Sen
Chairman & Managing Director

Dated: May 5th, 2012
Place : Kolkata

कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने 31मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जाँच कर ली है जिसका उल्लेख बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हुए सूचीकरण करार के उपवाक्य 49में किया गया है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जाँच कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो कोई लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचनाओं के आधार पर :

क) हम प्रमाणित करते है कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में किए गए उल्लेख के अनुरूप अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

ख) हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि शेयर धारक समिति के पास उपलब्ध अभिलेखों और बैंक की शेयरधारक समिति एवं इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक के विरूद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं पड़ी है।

हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का - जिसकी बदौलत प्रबंधन ने बैंक के काम-काज का संचालन किया है।

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by United Bank of India for the year ended 31st March, 2012 as stipulated in Clause 49 of the Listing agreement of the Bank with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of our opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements.

b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders' Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance regarding the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted upon the affairs of the Bank.

कृते मेसर्स, जार्ज रीड ऍंड कं.	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल ऍंड कं.	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऍंड कं.
M/s. George Read & Co.	M/s. D. K. Chhajer & Co.	M/s. M. Choudhury & Co.	M/s. M.C. Bhandari & Co.	M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.	M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
एफ आर एन 302208 ई	एफ आर एन 304138 ई	एफ आर एन 302186 ई	एफ आर एन 303002 ई	एफ आर एन 001770 सी	एफ आर एन 000220 एन
FRN 302208E	FRN 304138E	FRN 302186E	FRN 303002E	FRN 001770C	FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा)	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार)	(सी.ए. डी. चौधुरी)	(सी.ए. नीरज जैन)	(सी.ए. मनोज अग्रवाल)	(सी.ए .अनुप मेहता)
(CA Rajiv Panja)	(CA Abhimanyu Kumar)	(CA D. Choudhury)	(CA Neeraj Jain)	(CA Manoj Agrawal)	(CA Anup Mehta)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता सं. 057393	सदस्यता सं. 213872	सदस्यता सं. 052066	सदस्यता सं. 064393	सदस्यता सं. 076918	सदस्यता सं. 093133
Membership No. 057393	Membership No. 213872	Membership No. 052066	Membership No. 064393	Membership No. 076918	Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च 2012 के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा कर ली है। इस लेखा-परीक्षा में 31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता एवं समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट लेखा-नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण योग्य सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में 20 ऐसी शाखाओं के विवरण हैं जिनकी लेखा-परीक्षा हमने की है और 1032 शाखाएं ऐसी है जिनकी लेखा-परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है। हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया गया है। इस तुलन-पत्र, में उन 33 क्षेत्रीय कार्यालयें 596 शाखाओं और 1 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के लाभ-हानि खाते और नकदी प्रवाह को भी शामिल किया गया है जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं है। जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है उनमें कुल अग्रिमों का 1.92 प्रतिशत, जमा का 19.11 प्रतिशत, ब्याज आय का 3.10 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 13.51 प्रतिशत शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इस वित्तीय विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुरूप तैयार करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में उन आंतरिक नियंत्रणों का खाका तैयार करना उन्हें कार्यान्वित करना और उनको बनाए रखना शामिल है जो इस वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करने के लिए प्रासंगिक है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त हो-चाहे वह गलत विवरण किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि हम लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने जो लेखा-परीक्षा की है वह इंसटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुरूप है। उन मानकों के लिए जरूरी है कि हम आचार-नीति का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका निष्पादन इस तरह करें ताकि यह वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त है या नहीं-इसके बारें में एक युक्तियुक्त आश्वासन हासिल हो सके।

4. लेखा-परीक्षा में इस कार्य को निष्पादित करने की पद्धति शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों की राशि और प्रकटीकरण संबंधी लेखा-परीक्षा साक्ष्य हासिल हो सकें। चयनित पद्धति लेखा-परीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों से संबंधित तथ्यपरक गलत विवरण के जोखिमों की समीक्षा भी शामिल होती है-चाहे वह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी भूल के कारण।

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying Financial Statements of United Bank of India as at March 31, 2012 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1032 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 33 Regional Offices, 596 Branches and 1 Staff Training College which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 1.92 per cent of gross advances, 19.11 per cent of deposits, 3.10 per cent of interest income and 13.51 per cent of interest expense.

Management's Responsibility For The Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. The responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors

उन जोखिमों की समीक्षा करते हुए लेखा-परीक्षक उस आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जो वित्तीय विवरणों के लिए उस बैंक की तैयारियों और साफ-सुथरी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होते हैं ताकि उन परिस्थितियों में लेखा-परीक्षा की पद्धतियों की समुचित रूपरेखा बनाई जा सके। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत उपयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल रहता है और प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन प्राक्कलन की युक्तियुक्तता भी। इसी के साथ वित्तीय विवरणों की समग्रत: प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते है।

6. लेखा परीक्षा संबंधी मानक 706 "इम्फैसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ" के अनुसार अपने विचारों के अर्हकर (क्वालिफाइंग) न होते हुए हम निम्नलिखित पर ध्यान दिलाना चाहेंगे :

   अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 2.3-जो "कर्मचारी हित" लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छूट के लिए दी गई अनुमति के फलस्वरूप इस बैंक द्वारा 268.39 करोड़ रूपए की पेंशन और उपदान देयता को आस्थगित रखे जाने से संबंधित है।

विचार

7. हमारे विचार से-जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है, हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप :

   i यह तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों के साथ पठित, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्ण और सुस्पष्ट है, इसमें सभी विवरण समाहित किए गए है और यह समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि यह इस बैंक के 31 मार्च 2012 तक के काम-काज का सही सही और साफ सुथरा चित्र प्रदर्शित करें।

   ii विशिष्ट नीतियों और उससे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित यह लाभ-हानि लेखा बैंक के उस लाभ को सही-सही दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है : और

   iii नकदी प्रवाह विवरण इस वर्ष की नियत तिथि को नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र क्रमश: 'क' और 'ख' में तैयार किए गए है।

9. ऊपर के पैरा। से 5 निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की जरूरतों के अनुरूप तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की जरूरत के मद्देनजर हम यह रिपोर्ट देते है कि :

consider the internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 "Emphasis of Matter Paragraph", without qualifying our opinion, we draw attention to Note No. 2.3 in Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹268.39 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits".

Opinion

7. In our opinion, as shown by the books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. the Balance Sheet, read with the significant accounting policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   ii. the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon, shows a true balance of the profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report On Other Legal And Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the limitations of disclosure required therein we report that:

i लेखा-परीक्षा के लिए प्रयोजनीय सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमें मिले है और हमारी जानकारी में और हमारे विश्वास के अनुसार वे संतोषजनक पाए गए है।

ii बैंक के जितने भी लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

iii बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त पाई गई।

10. हमारे विचार से तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है।

i. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

ii. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

iii. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं.	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऍंड कं.
M/s. George Read & Co.	M/s. D. K. Chhajer & Co.	M/s. M. Choudhury & Co.	M/s. M.C. Bhandari & Co.	M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.	M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
एफ आर एन 302208 ई	एफ आर एन 304138 ई	एफ आर एन 302186 ई	एफ आर एन 303002 ई	एफ आर एन 001770 सी	एफ आर एन 000220 एन
FRN 302208E	FRN 304138E	FRN 302186E	FRN 303002E	FRN 001770C	FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा)	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार)	(सी.ए. डी. चौधुरी)	(सी.ए. नीरज जैन)	(सी.ए. मनोज अग्रवाल)	(सी.ए .अनुप मेहता)
(CA Rajiv Panja)	(CA Abhimanyu Kumar)	(CA D. Choudhury)	(CA Neeraj Jain)	(CA Manoj Agrawal)	(CA Anup Mehta)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता सं. 057393	सदस्यता सं. 213872	सदस्यता सं. 052066	सदस्यता सं. 064393	सदस्यता सं. 076918	सदस्यता सं. 093133
Membership No. 057393	Membership No. 213872	Membership No. 052066	Membership No. 064393	Membership No. 076918	Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

31 मार्च, 2012 का तुलन–पत्र

एवं

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा

Balance Sheet as on 31st March, 2012

and

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012

31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

पूंजी एवं देयताएं
CAPITAL & LIABILITIES

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
पूंजी Capital	1	1160,99,89	1144,42,06
प्रारक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus	2	4418,68,63	3877,25,66
जमाराशियां Deposits	3	89116,26,24	77844,80,04
उधार राशियां Borrowings	4	4920,19,25	4411,53,59
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	2394,25,26	2762,51,21
कुल / TOTAL :		**102010,39,27**	**90040,52,56**

भास्कर सेन Bhaskar Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	संदीप कुमार Sandeep Kumar निदेशक Director	श्रीमती सुरेखा मरांडी Mrs. Surekha Marandi निदेशक Director	सुनील गोयल Sunil Goyal निदेशक Director	श्रेनिक सेठ Srenik Sett निदेशक Director	
डी. नारंग D. Narang कार्यपालक निदेशक Executive Director	हिरण्य बोरा Hiranya Bora निदेशक Director	किरण बी वादोदरिया Kiran B. Vadodaria निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	सौमेन मजुमदार Saumen Majumder निदेशक Director	पी. के. घोष P. K. Ghosh निदेशक Director
	आर. के. महांति R. K. Mohanty महाप्रबंधक General Manager	ए. नन्दा A. Nanda महाप्रबंधक General Manager	पी. के. दत्ता P. K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	डी. सिन्हा D. Sinha उप महाप्रबंधक Dy. General Manager	

31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

आस्तियां
ASSETS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां Cash and balances with Reserve Bank of India	6	5091,78,94	5943,15,24
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2185,46,16	1384,58,74
निवेश Investments	8	29058,79,65	26258,94,63
अग्रिम Advances	9	63043,29,38	53502,43,71
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	805,00,10	818,87,05
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	1826,05,04	2132,53,19
कुल / TOTAL :		**102010,39,27**	**90040,52,56**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	11997,56,17	8157,37,03
उगाही हेतु बिल Bills for collection		3016,60,24	2275,42,42
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी Notes on Accounts	18		

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार
As per our separate report of even date annexed

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं.	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऍंड कं.	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल ऍंड कं.	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऍंड कं.
M/s. George Read & Co.	M/s. D. K. Chhajer & Co.	M/s. M. Choudhury & Co.	M/s. M.C. Bhandari & Co.	M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.	M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
एफ आर एन 302208 ई	एफ आर एन 304138 ई	एफ आर एन 302186 ई	एफ आर एन 303002 ई	एफ आर एन 001770 सी	एफ आर एन 000220 एन
FRN 302208E	FRN 304138E	FRN 302186E	FRN 303002E	FRN 001770C	FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा)	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार)	(सी.ए. डी. चौधुरी)	(सी.ए. नीरज जैन)	(सी.ए. मनोज अग्रवाल)	(सी.ए .अनुप मेहता)
(CA Rajiv Panja)	(CA Abhimanyu Kumar)	(CA D. Choudhury)	(CA Neeraj Jain)	(CA Manoj Agrawal)	(CA Anup Mehta)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता सं. 057393	सदस्यता सं. 213872	सदस्यता सं. 052066	सदस्यता सं. 064393	सदस्यता सं. 076918	सदस्यता सं. 093133
Membership No. 057393	Membership No. 213872	Membership No. 052066	Membership No. 064393	Membership No. 076918	Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

अनुसूची 1 / SCHEDULE 1

पूंजी
CAPITAL

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
प्राधिकृत पूंजी **AUTHORISED CAPITAL**		**3000,00,00**	**3000,00,00**
ईक्विटी शेयर पूंजी **Equity Share Capital**	-		-
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) **Perpetual Non Cummulative Preference Shares(PNCPS)**	-		-
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी 360998920 [पूर्ववर्ती वर्ष 344420621) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का [294420621 सहित (पूर्ववर्ती वर्ष में 294420621) प्रत्येक ईक्विटी शेयर ₹ 10/- का (भारत सरकार के पास)] **ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL** 360998920 (Previous Year 344420621) Equity Shares of ₹10/- each (including 294420621 (Previous Year 294420621) held by GOI] (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 1(क) देखें) (Refer Note 1(a) of Schedule 18)		360,99,89	344,42,06
80000 (पूर्ववर्ती वर्ष में 80000) बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) प्रत्येक शेयर ₹1,00,000/- का भारत सरकार के पास 80000 (Previous Year 80000) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 1,00,000/- each held by GOI		800,00,00	800 ,00 ,00
कुल / TOTAL :		**1160,99,89**	**1144,42,06**

अनुसूची 2 / SCHEDULE 2

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष
RESERVES & SURPLUS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. सांविधिक प्रारक्षित निधि / Statutory Reserves		
अथ शेष / Opening Balance	457,40,45	326,41,15
जोड़ : लाभ हानि लेखा से अंतरण / Add: Transfer from Profit & Loss Account	158,13,25	130,99,30
उप योग / SUB-TOTAL :	**615,53,70**	**457,40,45**
II. पूंजी प्रारक्षित निधि / Capital Reserves		
क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि		
a) Revaluation Reserve		
अथ: शेष / Opening Balance	658,43,25	451,64,05
जोड़ वर्ष के दौरान / Addition during the year	-	219,74,28
घटाव : इस वर्ष का समायोजन / Less : Adjustment during the year	(70,06)	-
घटाव : लाभ-हानि लेखा में अंतरण / Less : Transfer to Profit & Loss Account	(16,99,30)	(12,95,08)
	640,73,89	658,43,25
ख) अन्य		
b) Others / अथ: शेष		
अध शेष / Opening Balance	1490,57,60	1471,84,63
जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण / Add: Transfer from Profit & Loss Account	4,87,13	18,72,97
	1495,44,73	1490,57,60
उप योग [(क)+ (ख)] / SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**2136,18,62**	**2149,00,85**
III. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
अथ: शेष / Opening Balance	541,72,02	261,71,00
जोड़: इस वर्ष का योग / Add: Addition during the year	115,61,71	280,01,02
उप योग / SUB TOTAL	**657,33,73**	**541,72,02**
IV. क) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित		
IV. a) Revenue and Other Reserves		
राजस्व प्रारक्षित / Revenue Reserve		
अथ: शेष / Opening Balance	729,12,34	511,23,76
घटाव : पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित समायोजन / Less: Adjustment in respect of earlier year	–	(12,73)
जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण / Add:Transfer from Profit & Loss Account.	280,50,24	218,01,31
उप योग / SUB-TOTAL (a)	**1009,62,58**	**729,12,34**
ख) निवेश प्रारक्षित लेखा		
b) Investment Reserve Account		
अथ: शेष / Opening Balance	-	13,65,00
घटाव : पिछले वर्ष के संबंध में समायोजन / Less: Adjustment during the year	-	(13,65,00)
उप योग / SUB-TOTAL (b)	**-**	–
उप योग [(क)+ (ख)] / SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**1009,62,58**	**729,12,34**
V. लाभ-हानि लेखा में शेष / Balance in Profit & Loss Account	**–**	–
कुल / TOTAL (I + II + III+IV+V)	**4418,68,63**	**3877,25,66**

अनुसूची 3 / SCHEDULE 3

जमा
DEPOSITS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

			31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
क A	I. I.	**माँग जमा** **Demand Deposits**		
		i) बैंकों से i) From Banks	817,95,95	542,33,75
		ii) अन्य से ii) From Others	8922,85,87	7986,18,53
	II. II.	**बचत बैंक जमा** **Savings Bank Deposits**	26588,65,54	23217,48,42
	III. III.	मीयादी जमा **Term Deposits**		
		i) बैंकों से i) From Banks	1664,86,78	1644,45,07
		ii) अन्य से ii) From Others	51121,92,10	44454,34,27
		कुल / **TOTAL :**	**89116,26,24**	**77844,80,04**
ख B		i) भारत की शाखाओं में जमा i) Deposits of branches in India	89116,26,24	77844,80,04
		ii) भारत के बाहर शाखाओं में जमा ii) Deposits of branches outside India	—	—
		कुल / **TOTAL :**	**89116,26,24**	**77844,80,04**

अनुसूची 4 / SCHEDULE 4

उधार
BORROWINGS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. भारत में उधार **I. Borrowings in India**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक i) Reserve Bank of India	520,00,00	500,00,00
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	–	–
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ iii) Other Institutions & Agencies #	4268,59,25	3507,33,59
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ **II. Borrowings outside India**	131,60,00	404,20,00
कुल / TOTAL :	**4920,19,25**	**4411,53,59**
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार राशियाँ Secured borrowings included in I&II above	520,00,00	500,00,00
# टीयर II पूँजी हेतु अधीनस्थ ऋण सहित # Including Subordinated Debts for Tier II Capital	1725,00,00	1525,00,00

अनुसूची 5 / SCHEDULE 5

अन्य देयताएं एवं प्रावधान
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. I.	देय बिल Bills Payable	377,68,86	399,90,63
II. II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-Office Adjustments (net)	71,55,78	62,55,74
III. III.	उपचित ब्याज Interest accrued	343,66,16	337,55,57
IV. IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions against Standard Assets	351,86,00	265,25 ,00
V. V.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध) Deferred Tax Liability (net)	–	–
VI. VI.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including Dividend Tax)	189,02,40	156,23,60
VII. VII.	अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)	1060,46,06	1541,00,67
	कुल / TOTAL :	**2394,25,26**	**2762,51,21**

अनुसूची 6 / SCHEDULE 6

भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	348,16,35	283,72,74
II. II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खाते में i) In Current Account	4743,62,59	5659,42,50
	ii) अन्य खातों में ii) In Other Accounts	–	–
	कुल / TOTAL :	**5091,78,94**	**5943,15,24**

अनुसूची 7 / SCHEDULE 7

बैंकों में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. भारत में **I. In India -**		
i) बैंकों में जमा i) Balances with Banks		
a) चालू खातों में a) In Current Accounts	79,08,01	117,96,23
b) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	–	–
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय ii) Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में a) With Banks	1100,00,00	–
b) अन्य संस्थानों में b) With other Institutions	–	–
उप – योग / **SUB-TOTAL :**	**1179,08,01**	**117,96,23**
II. भारत के बाहर– **II. Outside India -**		
i) बैंकों में जमा i) Balances with Banks		
a) चालू खातों में a) in Current Accounts	1006,38,15	1266,62,51
b) अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	–	–
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि ii) Money at Call and Short Notice	–	–
उप – योग / **SUB-TOTAL :**	**1006,38,15**	**1266,62,51**
कुल / **TOTAL :**	**2185,46,16**	**1384,58,74**

अनुसूची 8 / SCHEDULE 8

निवेश
INVESTMENTS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2012 को As on 31.03.2011
I.	भारत में निवेश (सकल)		
I.	**Investments in India (Gross)**	29246,70,21	26408,86,01
	घटाव : एनपीआई, मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation	(187,90,56)	(149,91,38)
	शुद्ध / NET	**29058,79,65**	**26258,94,63**
	विश्लेषण / Break-up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	i) Government Securities	22676,29,40	19123,42,12
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
	ii) Other Approved Securities	28,37,72	40,60,92
	iii) शेयर		
	iii) Shares	292,29,11	308,18,10
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स		
	iv) Debentures and Bonds	2274,59,59	2156,32,65
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम		
	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	–	–
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड सीपी, सीडी आदि)		
	vi) Others (Mutual Fund, CP, CD, etc.)	3787,23,83	4630,40,84
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**29058,79,65**	**26258,94,63**
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**		
II.	**Investments outside India (Gross)**	71	71
	घटाव : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान Less : Provision for depreciation	(71)	(71)
	शुद्ध / NET	–	–
	विश्लेषण /Break-up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियों (स्थानीय प्राधिकरण महित)		
	i) Government Securities (including local authorities)		
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम		
	ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	–	–
	iii) अन्य निवेश		
	iii) Other investments	–	–
	उप-योग / SUB-TOTAL :	–	–
	कुल (I और II) / TOTAL (I & II)	**29058,79,65**	**26258,94,63**

अनुसूची 9 / SCHEDULE 9

अग्रिम
ADVANCES

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
क. A.	i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल i) Bills Purchased and Discounted	2085,47,54	2492,80,43
	ii) नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	17393,24,91	12877,49,32
	iii) मीयादी ऋण iii) Term Loans	43564,56,93	38132,13,96
	कुल / TOTAL :	**63043,29,38**	**53502,43,71**
ख. B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋण संबंधी अग्रिम सम्मिलित) i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	48765,45,03	41112,07,99
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1976,08,51	1661,26,03
	iii) बेजमानती iii) Unsecured	12301,75,84	10729,09,69
	कुल / TOTAL :	**63043,29,38**	**53502,43,71**
ग. C.	**I.** **भारत में अग्रिम** **I.** Advances in India		
	i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र i) Priority Sector	22158,59,97	17087,90,62
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र ii) Public Sector	5233,47,34	3582,02,77
	iii) बैंक iii) Banks	3,67,01	8,57,56
	iv) अन्य iv) Others	35647,55,06	32823,92,76
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**63043,29,38**	**53502,43,71**
	II. भारत के बाहर अग्रिम **II. Advances outside India**		
	i) बैंकों से प्राप्त i) Due from Banks	–	–
	ii) अन्य से प्राप्त ii) Due from Others	–	–
	क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल a) Bills Purchased and Discounted	–	–
	ख) समूहित ऋण b) Syndicated Loans	–	–
	ग) अन्य c) Others	–	–
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**–**	**–**
	कुल (I और II) / TOTAL (I & II)	**63043,29,38**	**53502,43,71**

अनुसूची 10 / SCHEDULE 10

अचल आस्तियाँ
FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2012 को As on 31.03.2011
I. I.	**परिसर (पट्टे पर ली हुई सहित)** **Premises (Including Leasehold)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर पुनर्मूल्यांकित At cost/revalued as on 31st March of preceding year	786,36,63	566,33,33
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / Revaluation during the year	–	219,74,28
	वर्ष के दौरान योग / Additions during the year	5,62,44	34.91
		791,99,07	**786,42,52**
	घटाव: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Less:Deductions during the year	(5,61,38)	(5,89)
	तिथि तक मूल्य ह्रास / Depreciation to date	(136,97,27)	(118,42,46)
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**649,40,42**	**667,94,17**
II. II.	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर** **Capital Work-in-Progress**	**13,28,30**	**1,83,86**
III. III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	561,30,92	526,20,42
	वर्ष के दौरान योग / Additions during the year	55,57,69	42,62,41
		616,88,61	568,82,83
	घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Less:Deductions during the year	(3,05,51)	(7,51,91)
	तिथि तक मूल्य ह्रास / Depreciation to date	(481,68,20)	(424,38,22)
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**132,14,90**	**136,92,70**
IV.	**अमूर्त आस्तियाँ** **Intangible Assets**		
	सॉफ्टवेयर Software		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of preceding year	44,35,15	27,99,45
	वर्ष के दौरान योग Additions during the year	6,95,18	16,35,70
		51,30,33	44,35,15
	घटाव: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year		
	आज तक ऋण परिशोधन Amortisation to date	(41,13,85) –	(32,18,83) –
	उप-योग / SUB-TOTAL :	**10,16,48**	**12,16,32**
	कुल (I+II+III+IV) / TOTAL (I+II+III+IV)	**805,00,10**	**818,87,05**

अनुसूची 11 / SCHEDULE 11

अन्य आस्तियाँ
OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-Office Adjustments (net)	–	–
II. II.	उपचित ब्याज Interest accrued	640,51,73	524,85,57
III. III.	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध) Tax Paid in advance/Tax deducted at source (Net)	583,58,81	446,94,97
IV. IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and Stamps	4,23,82	3,41,92
V. V.	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	14,53
VI. VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध) Deferred Tax Assets (Net)	9,57,00	17,20,00
VII. VII.	अन्य Others	588,13,68	1139,96,20
	कुल / TOTAL	**1826,05,04**	**2132,53,19**

अनुसूची 12 / SCHEDULE 12

आकस्मिक देयताएं
CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2011 को As on 31.03.2011
I. I.	बैंक पर दावे, जिन्हें यह कर्ज नहीं मानता Claims against the bank not acknowledged as debts	5,54,32	4,25,61
II. II.	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता Liability for partly paid investments	23,11,55	24,19,17
III. III.	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5684,35,82	3588,14,04
IV. IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :		
क) a)	भारत में In India	2981,18,57	2581,23,63
ख) b)	भारत के बाहर Outside India	562,92,93	280,25,21
ग) c)	बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त (भारत में) BG invoked but not paid (in India)	4,78,87	4,61,01
V.	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध) Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	2674,84,26	1583,71,91
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	60,79,85	90,96,45
	कुल / TOTAL :	**11997,56,17**	**8157,37,03**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		अनुसूची Schedule	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
I. I.	आय **INCOME**			
	अर्जित ब्याय Interest Earned	13	7961,09,31	6341,45,70
	अन्य आय Other Income	14	732,90,39	637,05,33
	कुल / TOTAL :		8693,99,70	**6978,51,03**
II. II.	व्यय **EXPENDITURE**			
	खर्च हुआ ब्याज Interest Expended	15	5481,85,59	4172,11,28
	परिचालनगत व्यय Operating Expenses	16	1383,29,74	1299,40,54
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and Contingencies		1196,31,35	983,02,03
	कुल / TOTAL :		8061,46,68	**6454,53,85**
III. III.	लाभ **PROFIT**			
	इस वर्ष शुद्ध लाभ Net Profit for the year		632,53,02	523,97,18
	कुल / TOTAL :		**632,53,02**	**523,97,18**

भास्कर सेन
Bhaskar Sen
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

संदीप कुमार
Sandeep Kumar
निदेशक
Director

श्रीमती सुरेखा मरांडी
Mrs. Surekha Marandi
निदेशक
Director

सुनील गोयल
Sunil Goyal
निदेशक
Director

श्रेनिक सेठ
Srenik Sett
निदेशक
Director

डी. नारंग
D. Narang
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

हिरण्य बोरा
Hiranya Bora
निदेशक
Director

किरण बी वादोदरिया
Kiran B. Vadodaria
निदेशक
Director

एस. तलापात्र
S. Talapatra
निदेशक
Director

सौमेन मजुमदार
Saumen Majumder
निदेशक
Director

पी. के. घोष
P. K. Ghosh
निदेशक
Director

आर. के. महांति
R. K. Mohanty
महाप्रबंधक
General Manager

ए. नन्दा
A. Nanda
महाप्रबंधक
General Manager

पी. के. दत्ता
P. K. Dutta
महाप्रबंधक
General Manager

डी. सिन्हा
D. Sinha
उप महाप्रबंधक
Dy. General Manager

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	अनुसूची Schedule	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
IV. विनियोजन **IV. APPROPRIATIONS :**			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		158,13,25	130,99,30
आरक्षित पूंजी मे अंतरण / Transfer to Capital Reserve		4,87,13	18,72,97
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend :		–	–
ईक्विटी / Equity		86,63,98	75,77,25
पी एन सी पी एस / PNCPS		76,00,00	58,65,58
लाभांश पर कर / Tax on Dividend		26,38,42	21,80,77
राजस्व आरक्षित विधि में अंतरण Transfer to Revenue Reserve		280,50,24	218,01,31
तुलन-पत्र में जमाराशि अग्रेषित Balance carried forward to Balance Sheet		–	–
कुल / TOTAL :		**632,53,02**	**523,97,18**
प्रति शेयर मूल्य एवं मिश्रित आय (रू.) Basic & Diluted Earning per Share (Rs.)		15.79	14.38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी/Notes on Accounts	18		

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार
As per our separate report of even date annexed

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं.
M/s. George Read & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 302208 ई
FRN 302208E
(सी.ए. राजीव पांजा)
(CA Rajiv Panja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 057393
Membership No. 057393

कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऐंड कं.
M/s. D. K. Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 304138 ई
FRN 304138E
(सी.ए. अभिमन्यु कुमार)
(CA Abhimanyu Kumar)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 213872
Membership No. 213872

कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऐंड कं.
M/s. M. Choudhury & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 302186 ई
FRN 302186E
(सी.ए. डी. चौधुरी)
(CA D. Choudhury)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 052066
Membership No. 052066

कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऐंड कं.
M/s. M.C. Bhandari & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 303002 ई
FRN 303002E
(सी.ए. नीरज जैन)
(CA Neeraj Jain)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 064393
Membership No. 064393

कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल ऐंड कं.
M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 001770 सी
FRN 001770C
(सी.ए. मनोज अग्रवाल)
(CA Manoj Agrawal)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 076918
Membership No. 076918

कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऐंड कं.
M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफ आर एन 000220 एन
FRN 000220N
(सी.ए .अनुप मेहता)
(CA Anup Mehta)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 093133
Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

अनुसूची 13 / SCHEDULE 13

अर्जित ब्याज
INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा **I.** Interest / Discount on Advances/Bills	6033,65,48	4633,91,03
II. निवेश पर आय **II.** Income on Investments	1878,37,14	1672,93,87
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज **III.** Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	15,54,06	9,94,02
IV. अन्य **IV.** Others	33,52,63	24,66,78
कुल / TOTAL :	**7961,09,31**	**6341,45,70**

अनुसूची 14 / SCHEDULE 14

अन्य आय
OTHER INCOME

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	182,96,32	174,05,89
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ		
घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि		
II. Profit on sale of Investments	217,51,70	198,44,65
Less : Loss on sale of Investments	-	-
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		
घटाव: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
III. Profit on revaluation of Investments	-	-
Less : Loss on revaluation of Investments	-	-
IV. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ		
घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	8,82	51,15
Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(3,49)	(4,30)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ		
घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि		
V. Profit on exchange transactions	56,87,78	23,88,12
Less : Loss on exchange transactions	-	-
VI. भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/in India	-	-
VII. विविध आय		
VII. Miscellaneous Income	275,49,26	240,19,82
कुल / TOTAL :	**732,90,39**	**637,05,33**

अनुसूची 15 / SCHEDULE 15

व्यय किए गए ब्याज
INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
I. I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	5100,64,39	3849,55,11
II. II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings	83,90,60	66,20,59
III. III.	अन्य Others	297,30,60	256,35,58
	कुल / TOTAL :	**5481,85,59**	**4172,11,28**

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

परिचालनगत व्यय

OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में)
(₹ in thousand)

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
I. I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	891,18,55	814,35,85
II. II.	किराया, कर एवं बिजली Rent, Taxes and Lighting	93,78,32	88,95,14
III. III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing and Stationery	25,55,01	19,33,18
IV. IV.	विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	7,06,86	9,02,51
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण		
V.	Depreciation on Bank's property	86,68,64	113,27,62
	Less : Transfer from Revaluation Reserve	(16,99,30)	(12,95,08)
		69,69,34	**100,32,54**
VI. VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1,03,41	89,38
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)		
VII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	10,68,98	10,78,11
VIII. VIII.	विधि प्रभार Law Charges	2,69,81	2.24,30
IX. IX.	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	17,48,77	18,28,27
X. X.	मरम्मत और रख-रखाव Repairs and Maintenance	10,80,52	8,58,89
XI. XI.	बीमा Insurance	72,53,76	68,11,27
XII. XII.	अन्य व्यय Other Expenditure	180,76,41	158,51,10
	कुल / TOTAL :	**1383,29,74**	**1299,40,54**

अनुसूची 17

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियाँ परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, "लाभकारी कारोबार वाले संस्थान" की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परिपाटी, लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी प्रयोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों (ए एस)/मार्गदर्शी नोटों/उद्घोषणाओं और बैंकिंग उद्योग में विद्यामान चलन के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं तथा रिपोर्टिंग अवधि के आय-व्यय पर विचार करने के उद्देश्य से प्रबंधन को प्राक्कलन एवं अनुमान करना होता है। प्रबंधन यह समझता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत हैं।

3. आय और व्यय निर्धारण

3.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।

3.2 अर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों पर वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष वसूली हुई राशि प्रथमत: अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है। संदिग्ध, हानि आस्तियों और वाद के अधीन तथा डिक्री हो चुकेखातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमत: बकाया शेंष स्वरूप विनियोजित किया गया है।

3.3 जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप मे वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

3.4 कमीशन (सरकारी लेन-देन एवं बैंक एश्योरेंश को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है।

3.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

4.1 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित बंद हुई दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the "Going Concern" concept and conform to the generally accepted accounting practices in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), applicable mandatory Accounting Standards (AS) / Guidance Notes / pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in the banking industry.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering in the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

3.1 The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is accounted for on realization. The amount realized/ recovered during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized/recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

3.3 Unrealized income on advances classified as NPA is reversed.

3.4 Income from Commission (except on Government Transactions and Banc assurance), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

3.5 Performance linked incentive to whole time directors is accounted for on cash basis.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

4.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India

व्यापारी संघ द्वारा घोषित फारवार्ड दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है।

4.2 आय एवं व्यय की मदों को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।

4.3 गांरटी के साथ-साथ स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है।

4.4 विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर ए एस 11 के अनुसार बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण अभिन्न वैदेशिक परिचालन स्वरूप किया गया है।

4.5 आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है।

4.6 परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है।

5. निवेश

5.1 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में निर्धारित है :-

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ग) शेयर
घ) डिबेंचर एवं बॉन्ड
ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम
च) अन्य

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की निम्नांकित श्रेणियाँ बनाई गई है :-

क) परिपक्वता तक धारित इसमें परिपक्वता तक धारण के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ख) व्यापार हेतु धारित - इसमें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ग) बिक्री के लिए उपलब्ध इसमें उक्त क एवं ख से इतर निवेश शामिल है।

5.3 निवेश ग्रहण की लागत का निर्धारण :

क) प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रोत्साहनों को प्रतिभूति की लागत से काटा जाता है।

ख) प्रतिभूतियों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।

ग) प्रतिभूतियों के ग्रहण/विक्रय की तिथि तक उपचित ब्याज अर्थात खंड अवधि के ब्याज को लाभ-हानि खाते में जमा/प्रभारित किया गया है।

(FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

4.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rates announced by FEDAI.

4.4. Representative Office of the Bank has been classified as 'Integral Foreign Operation', in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

4.5. Foreign currency transactions relating to 'Integral Foreign Operation' are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

4.6. Foreign currency non-monetary items that are carried in terms of historical costs are reported using the exchange rates on the dates of transactions.

5. INVESTMENTS

5.1 For the purpose of disclosure in the Financial Statements, the investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 as under:

a) Government Securities
b) Other approved securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Joint Ventures
f) Others

5.2 The Investment portfolio of the Bank is categorized, in accordance with the RBI guidelines, into:

a) "Held to Maturity" comprising Investments acquired with an intention to hold till maturity.
b) "Held for Trading" comprising Investments acquired with an intention to trade.
c) "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above.

5.3 In determining acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, Commission and Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities,
(b) Brokerage, Commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses and
(c) Interest accrued upto the date of acquisition/ sale of securities i.e., broken period interest is credited/ charged to Profit and Loss Account.

5.4 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव्स एशोसिएसन (एफ आई एम ए डी ए) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार किया गया है :

क) परिपक्वता तक धारित

(i) परिपक्वता तक धारित वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है। जब बही मूल्य अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक होता है तो प्रिमियम को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिया जाता है।

(ii) आर आई डी एफ एस टी सी (पुनर्वित्त निधि), एम एस एम ई (पुनर्वित्त), सीडबी, एम एस एम ई (जोखिम पूँजी) सिडबी, ग्रामीण आवास विकास निधि, एन एच बी, अतिलघु वित्त विकास एवं ईक्विटी फंड – नाबार्ड में (शेयर के रूप में वर्गीकृत) में किए गए निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है।

(iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

(iv) उद्यम पूंजी में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

ख) "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध"

क	सरकारी प्रतिभूतियों 1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ 2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफ आई एम एम डी ए द्वारा प्रकाशित कीमत पर। एफ आई एम एम डीए/भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश अनुसार आधार प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
ख	बट्टाकृत लिखत (ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र	वहन लागत पर
ग	बॉन्ड एवं डिबेंचर	एफ आई एम एम डी ए/आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त ऋण विस्तृति को जोड़ते हुए परिपक्वता तक प्रतिफल (वाई टी एम) होने के आधार पर।
घ	इक्विटी i) कोट की गई ii) कोट नहीं की गई	बाजार मूल्य पर अंतिम तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पूराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रूपए पर।
ङ	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया है तो बाजार मूल्य पर अथवा एफ आई एम एम डी ए / भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार आधार अर्जन वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर (मार्क अप) को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर

5.4. Investments are valued as per RBI/ Fixed Income Money Market & Derivatives Association (FIMMDA) guidelines, on the following basis:

a) "Held to Maturity"

i) Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.

ii) Investments in RIDF, STC (Refinance Fund), MSME (Refinance) SIDBI, MSME (Risk Capital) SIDBI, Rural Housing Development Fund-NHB, Micro Finance Development and Equity Fund-NABARD (classified as shares) are valued at carrying cost.

iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

iv) Investments in venture capital is valued at carrying cost.

b) "Held for Trading" and "Available for Sale"

a)	Govt. Securities 1. Central Govt. Securities 2. State Govt. Securities	At prices published by FIMMDA On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the Base Yield Curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
b)	Discounted Instruments (Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits)	At carrying cost
c)	Bonds and Debentures	On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate Credit Spread on the Base Yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
d)	Equity i) Quoted ii) Un-quoted	At market price At break-up value, as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re 1/- per company.
e)	Preference Shares	At market price, if quoted or on yield to maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the base yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.

च	प्रतिभूति प्राप्ति/उद्यम पूंजी निधि	एफ आई एम डी ए/भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर
छ	म्यूचुअल फंड	यदि कोट किया हुआ है तो बाजार मूल्य पर तथा कोट नहीं किया गया है तो पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर

5.5 विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप उपर्युक्त तीन वर्गों में से जिसमें भी प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया है उसपर आय निर्धारण नहीं किया गया।

5.6 "व्यापार के लिए धारित" श्रेणि से प्रतिभूतियों का स्थानांतरण भा.रि. बैक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है।

5.7 "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप मासिक आधार पर अथवा यथा प्रावधान इससे भी कम अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित की जाती है।

5.8 लागत एवं अंकित मूल्य में अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

5.9 किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है किन्तु 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन प्रारक्षित पूँजी खाता में किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिशेष / घाटे का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) पद्धति अपनाई जाती है।

5.10 विक्रय हेतु धारित श्रेणी में धारण अवधि का हिसाब करने के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ (एफ आई एफ ओ) पद्धति लागू की गई है।

5.11 सभी निवेश उपर्युक्त प्रावधानीकरण/आय के अवनिर्धारण (डिरिकॉगनिशन) के अध्यधीन हैं। यह एन पी आई वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप है। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।

6. अस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (ए आर सी) / प्रतिभूतीकरण कम्पनी <u>(एस सी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ</u>

यदि वित्तीय आस्तियाँ ए आर सी/ए सी को अधिक शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर हुई है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया है बल्कि उसे उपलब्ध अधिशेष (यदि है) को समायोजित करने के बाद उस कमी को लाभ और हानि खाते के नामे लिखा गया है। आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी प्रतिभूतिकरण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक, खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निमाण

f) Security Receipt/Venture Capital Fund	At Net Asset Value (NAV) as per FIMMDA/RBI guidelines.
g) Mutual Funds	At Market Price, if quoted and at re-purchase price/ NAV if unquoted.

5.5. As per prudential norms, in respect of securities included in any of the above three categories where interest/principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized.

5.6. Shifting of securities from and to "Held for Trading" category is done in accordance with RBI guidelines with the approval of Board of Directors.

5.7. The individual scripts in the "Held for Trading" and "Available for Sale" category are marked to market at the monthly or at more frequent intervals as provided for.

5.8. Income from Zero Coupon Bonds, being the difference between cost and face value, is recognized on a time proportion basis.

5.9. Profit or Loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss Account. In case of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

5.10. For the purpose of calculating holding period in case of "Held for Trading" category, FIFO method is applied.

5.11. Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of RBI for NPI Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

6. <u>FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC)</u>

In the case of financial assets sold to ARC / SC, if the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV), the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/ SC. If the sale is at a price below the NBV, the shortfall after adjusting the available surplus if any, is debited to the Profit and Loss Account. The sale of financial assets to ARC/SC is

कम्पनी/प्रतिभूतिकरण कं. द्वारा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर या ऐसी वित्तीय आस्तियों के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है। बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुरूप गैर-एस एल आर के संबंध में भारतीय रिज़र्ब बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड लागू किए गए हैं। ए आर सी/एस सी को बेची गई बट्टाखाताकृत आस्तियों के मामले में नकदी आगम को आय माना गया है।

7. अग्रिम

7.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक एवं अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है।

7.2 अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और ऋण गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे के रूप में किया गया है।

7.3 अर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान 'अन्य देयता एवं प्रावधान' शीर्ष के तहत प्रदर्शित है।

7.4 अग्रिमों का पुनर्गठन एवं तत्संबंधी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देश के अनुरूप किया गया है।

8. अचल आस्तियाँ और मूल्य ह्रास

8.1 परिसर (इसमें पट्टे पर लिए गए परिसर भी शामिल है) और अन्य अचल आस्तियों तथा चल रहे पूंजीगत कार्य की परम्परागत लागत पर लिया गया है। पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित में जमा किया गया है।

8.2 पट्टे पर ली हुई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया जाता है।

8.3 कम्प्यूटर एवं स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) के अतिरिक्त अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दर पर और निर्दिष्ट तरीके से अवलिखित मूल्य पद्धति (रिटेन डाऊन वैल्यू मेथड) से परवर्ती पूर्ण अंक मे लेने के बाद किया गया है। आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग का मूल्य ह्रास पुनर्मूल्यांकित निधि से समायोजित किया गया है।

8.4 कम्प्यूटरों, स्वचालित ट्रेलर मशीनों (ए टी एम) एवं साफ्टवेयरों पर मूल्यह्रास का हिसाब उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर, सीधी रेखा पद्धति से 33.33% भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार की दर से किया गया है।

8.5 अचल आस्तियों पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है तो उसे अनर्जक आस्तियों पर लेखांकन मानक ए.एस-28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है।

9. कर्मचारियों को सुविधाएं

9.1 कर्मचारियों के लाभों को पहचान कर्मचारी लाभ के अंतर्गत ए एस-15 के अनुसार की गई है।

9.2 कर्मचारियों को दी जानेवाली अल्पावधिक सुविधाओं की माप लागत पर की गई है।

recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/SC for such sale or the net value of such financial assets. The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable. In case of written off Assets sold to ARC/SC, the cash proceeds are recognized as income.

7. ADVANCES

7.1. Advances are classified as Performing / Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.

7.2. Non-performing assets are stated net of provisions and claims received from credit guarantee institutions.

7.3 Provision held for performing assets is shown under the head 'Other Liabilities and Provisions'.

7.4. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

8.1. Premises (including leasehold), other fixed assets and Capital work in progress, are stated at historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to Revaluation Reserve.

8.2 Leasehold assets are amortized over the period of lease.

8.3. Depreciation on assets other than computers and Automated Teller Machines (ATMs) is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule XIV to the Companies Act, 1956 after rounding off to next absolute number. Depreciation on the revalued portion of the assets is adjusted from Revaluation Reserve.

8.4. Depreciation on computers, ATMs and amortization of software are accounted for on straight-line method @ 33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

8.5. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS -28 on "Impairment of Assets".

9. EMPLOYEE BENEFITS

9.1 Employee Benefits are recognized in accordance with AS – 15 on "Employee Benefits".

9.2 Short term employee benefits are measured at cost.

9.3 कर्मचारियों को दी जानेवाली दीर्घावधिक सुविधाएँ तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएँ जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बट्टा आधार पर की गई है।

9.4 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है। जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनकी पेंशन निधि का अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है।

9.5 तुलन-पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएँ वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहाँ भी लागू होने योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ/हानि के रूप में दर्शाया गया है।

9.6 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित अतर्कालीन देयता को पाँच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

9.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के "अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपदान सीमा बढ़ोतरी-विवेकपूर्ण नियमक आचरण संबंधी व्यय" में पाँच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है।

10. कराधान

कर का प्रावधान "आय पर कर का हिसाब" के अंतर्गत ए एस-22 के अनुसार चालू एवं आस्थगित करों-दोनों के लिए किया गया है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

लेखांकन मानक (ए एस) 29 के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी चिह्नित करता है जब पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके। इस वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

12. शुद्ध लाभ

निम्नलिखित के लेखांकन के बाद ही शुद्ध लाभ किया गया है :-

क) कराधान का प्रावधान
ख) मानक आस्तियों पर प्रावधान करना
ग) भा. रि. बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों एवं मूल्यह्रास पर प्रावधान।
घ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान करना।

9.3 Long term employee benefits and post retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.

9.4 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

9.5 Long Term employee benefits recognized in the Balance Sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit and Loss Account.

9.6 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.

9.7 In terms of RBI circular, expenditure on "Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment" is being amortized over a period of five years.

10. TAXATION

Provision for tax is made for both current and deferred taxes in accordance with AS – 22 on "Accounting for Taxes on Income".

11. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with AS-29 on the above, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

12. NET PROFIT

The Net Profit is arrived at after accounting for the following:

a) Provision for Taxation.
b) Provision on Standard Assets.
c) Provision for NPAs and Depreciation on investments as per prudential norms of RBI.
d) Other usual and necessary provisions.

31.03.2012 को यह अनुसूची- 17 का अंश है
This is the part of Schedule - 17 as on 31.03.2012

भास्कर सेन Bhaskar Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	संदीप कुमार Sandeep Kumar निदेशक Director	श्रीमती सुरेखा मरांडी Mrs. Surekha Marandi निदेशक Director	सुनील गोयल Sunil Goyal निदेशक Director	श्रेनिक सेठ Srenik Sett निदेशक Director	
डी. नारांग D. Narang कार्यपालक निदेशक Executive Director	हिरण्य बोरा Hiranya Bora निदेशक Director	किरण बी वादोदरिया Kiran B. Vadodaria निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	सौमेन मजुमदार Saumen Majumder निदेशक Director	पी. के. घोष P. K. Ghosh निदेशक Director
	आर. के. महांति R. K. Mohanty महाप्रबंधक General Manager	ए. नन्दा A. Nanda महाप्रबंधक General Manager	पी. के. दत्ता P. K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	डी. सिन्हा D. Sinha उप महाप्रबंधक Dy. General Manager	

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार
As per our separate report of even date annexed

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं. M/s. George Read & Co.	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऐंड कं. M/s. D. K. Chhajer & Co.	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऐंड कं. M/s. M. Choudhury & Co.	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऐंड कं. M/s. M.C. Bhandari & Co.	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल ऐंड कं. M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऐंड कं. M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302208 ई FRN 302208E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 304138 ई FRN 304138E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302186 ई FRN 302186E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 303002 ई FRN 303002E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 001770 सी FRN 001770C	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 000220 एन FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा) (CA Rajiv Panja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 057393 Membership No. 057393	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार) (CA Abhimanyu Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 213872 Membership No. 213872	(सी.ए. डी. चौधुरी) (CA D. Choudhury) भागीदार Partner सदस्यता सं. 052066 Membership No. 052066	(सी.ए. नीरज जैन) (CA Neeraj Jain) भागीदार Partner सदस्यता सं. 064393 Membership No. 064393	(सी.ए. मनोज अग्रवाल) (CA Manoj Agrawal) भागीदार Partner सदस्यता सं. 076918 Membership No. 076918	(सी.ए .अनुप मेहता) (CA Anup Mehta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 093133 Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

अनुसूची 18

टिप्पणियां – जो 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखा का अंश हैं

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

1.1 पूंजी

क)

1.1 **Capital**

a)

₹ करोड़ में
₹ in crore

	बेसल-I Basel-I		बेसल-II Basel-II	
मद Items	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
i) सी आर ए आर (%) i) CRAR (%)	10.48%	11.16%	12.69%	13.05%
ii) सी आर ए आर – टीयर I पूंजी (%) ii) CRAR-Tier I capital (%)	7.26%	7.61%	8.79%	8.90%
iii) सी आर ए आर – टीयर II पूंजी (%) iii) CRAR-Tier II Capital (%)	3.22%	3.55%	3.90%	4.15%
iv) बैंक में भारत सरकार के शेयर धारण का प्रतिशत iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank's equity capital	81.56%	85.48%	81.56%	85.48%
v) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जारी करके उगाही गई राशि v) Amount raised by issue of Innovative Perpetual Debt Instrument	NIL	NIL	NIL	NIL
vi) टीयर-II पूंजी के रूप में उगाही गई गौण ऋण की राशि vi) Amount of subordinated debt raised as Tier-II Capital (₹ in crore)	1725.00	1525.00	1725.00	1525.00

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने सेबी (आई सी डी आर) विनियमन 2009 के अध्याय VII के अंतर्गत अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक के रू. 10/- मूल्य के प्रति शेयर को रू. 79.74 प्रति शेयर के हिसाब से कुल रू. 132.20 करोड़ के 1,65,78,299 इक्विटी शेयर खरीदे। शेयरधारकों ने 27 मार्च, 2012 को आयोजित बैंक की असाधारण महासभा में एक विशेष संकल्प लेकर निर्गम का अनुमोदन किया।

ग) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने प्रतिभूति रहित गौण प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉन्डों के निर्गम द्वारा निजी नियोजन (प्लेसमेंट) पर निचले टीयर-II पूंजी के रूप में रूपये 200 करोड़ भी उगाहा।

b) Life Insurance Corporation of India (LIC) subscribed to ₹1,65,78,299 Equity Shares of ₹10/- each of the Bank at a price of ₹79.74 per share aggregating to ₹132.20 crore through preferential allotment under Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The shareholders approved the issue by a special resolution at the Extraordinary General Meeting of the Bank convened for the purpose on 27th March 2012.

c) During the year ended 31st March 2012, the Bank has also raised ₹200 Crore as lower Tier-II Capital on private placement basis through issuance of unsecured subordinate redeemable non-convertible Bonds.

1.2 निवेश ₹ करोड़ में

मदें	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
1 निवेशों का मूल्य		
I) निवेशों का सकल मूल्य	29246.71	26408.87
क) भारत में	29246.70	26408.86
ख) भारत से बाहर	0.01	0.01
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान*	187.91	149.92
क) भारत में	187.90	149.91
ख) भारत से बाहर	0.01	0.01
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
क) भारत में	29058.80	26258.95
ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
2 निवेशों पर मूल्यह्रास विषयक प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) आरंभिक शेष	149.92	535.51
ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	183.62	151.83
iii) घटाव : वर्ष के दौरान अतिशय प्रावधान का बट्टा खाता करण/प्रतिलेखन	145.63	537.42
iv) अंतिम शेष	187.91	149.92

*मूल्यह्रास के प्रावधान में एन पी आई प्रावधान शामिल है।

1.2 Investments ₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2011
1 Value of Investments		
I) Gross Value of Investments	29246.71	26408.87
a) In India	29246.70	26408.86
b) Outside India	0.01	0.01
ii) Provision for Depreciation	187.91	149.92
a) In India	187.90	149.91
b) Outside India	0.01	0.01
iii) Net Value of Investments		
a) In India	29058.80	26258.95
b) Outside India	0.00	0.00
2 Movement of provisions held towards depreciation on investments		
I) Opening balance	149.92	535.51
ii) Add: Provisions made during the Year	183.62	151.83
iii) Less: Write-off/Write-back of exces provision during the year	145.63	537.42
iv) Closing balance	187.91	149.92

*Provision for Depreciation includes NPI provision.

1.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में):
1.2.1 Repo transactions (in face value terms) :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31.03.2012 तक बकाया Outstanding as on 31.03.2012
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under Repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ I) Government securities	100.00 (50.00)	2250.00 (1800.00)	591.84 (438.63)	400.00 (500.00)
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under Reverse Repo				
I) सरकारी प्रतिभूतियाँ I) Government securities	25.00 (50.00)	1100.00 (1500.00)	24.70 (29.18)	1100.00 (0.00)
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं / Figures in bracket represent Previous Year's figures.

1.2.2 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग / 1.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

(I) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन / (i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

क्र.सं S.No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की सीमा Extent of 'Private Placement'	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	400.71 (370.41)	400.71 (370.41)	0.00 (0.00)	0.00 (0.16)	0.00 (0.16)
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	279.34 (253.07)	279.34 (238.82)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3	बैंक Banks	671.06 (1902.99)	671.06 (1902.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4	निजी कंपनियां Private Corporate	1046.24 (791.43)	1046.24 (791.43)	0.00 (0.00)	0.00 (5.30)	0.00 (5.30)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint ventures	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी) Others (MF/CP/CD)	4082.34 (3915.52)	4082.34 (3915.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.36)	0.00 (0.36)
7	मुद्राहास /एनपीआई हेतु Provision held towards Depreciation / NPI	29.83 (10.18)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल (1 से 6) - (7) Total (1 to 6) - (7)	**6449.86 (7223.24)**	**6479.69 (7219.15)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (5.82)**	**0.00 (5.82)**

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं / Figures in bracket represent Previous Year's figures.

(ii) अनर्जक गैर-एस एल आर निवेश: / (ii) Non-performing Non-SLR Investments:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
आरंभिक शेष Opening balance	10.18	17.02
01 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि / योग Additions during the Year since 1st April	60.00	0.00
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी/ह्रास Reductions during the Year	10.17	6.84
अंतिम शेष Closing balance	60.01	10.18
कुल प्रावधान **Total provisions held**	**29.83**	**10.18**

1.2.3 (क) परिपक्वता तक धारित (एच टी एम) श्रेणी के अंतर्गत बैंक का एस एल आर निवेश 18577.65 करोड़ था (विगत वर्ष 16126.68 करोड़) जो भा. रि. बैंक द्वारा निर्धारित मांग और समय देयता (डी टी एल) की 25% सीमा (विगत वर्ष 25%) के सापेक्ष 21.94% (विगत वर्ष 21.03%) था।

(ख) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष में बैंक ने भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार ए एफ एस से एच टी एस श्रेणी में बही मूल्य पर निवेश का 1745.88 करोड़ (अंकित मूल्य) (विगत वर्ष 3536.08 करोड़) अंतरित किया है तथा 35.78 करोड़ (विगत वर्ष 130.29 करोड़) के मूल्यहास का प्रावधान किया है।

1.2.3 (a) Banks SLR investments under 'Held to Maturity' (HTM) category was ₹18577.65 crore (Previous Year: ₹16126.68 crore) representing 21.94% (Previous Year : 21.03%) of Demand and Time Liability (DTL) as against ceiling of 25% (Previous Year: 25%) prescribed by RBI.

(b) During the Year ended 31.03.2012 the Bank has shifted ₹1745.88 crore (Face Value) (Previous Year: ₹3536.08 crore) of investments at Book Value (BV) from AFS to HTM category in terms of RBI guidelines and has provided depreciation of ₹35.78 crore (Previous Year: ₹130.29 crore).

1.3 व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स)

1.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

1.3 Derivatives

1.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(i) (i)	विनिमय व्यवस्था का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
(ii) (ii)	करार के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियाँ बाध्यतायें पूरी करने में चूक जाती हैं तो उससे होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
(iii) (iii)	विनिमय करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक (जमानत) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
(iv) (iv)	विनिमय से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
(v) (v)	विनिमय बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	NIL	NIL

1.3.2 विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नी

1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

₹ करोड़ में / ₹ in crore

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(i) (i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
(ii) (ii)	मार्च को बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखितवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii) (iii)	बकाया अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv) (iv)	बकाया एवं अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

1.3.3 व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण :

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने व्यापार (अंतरपणन) और बचाव के उद्देश्य से मुद्रा वायदे में व्युत्पन्नी लेनदेन किया है।

क) व्युत्पन्नी लेनदेनों के जोखिम प्रबंधन संगठन के तीन कार्य क्षेत्र हैं, जैसे- i) फ्रॉन्ट ऑफिस (लेनदेनों के लिए); मिड-ऑफिस (जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग) के लिए और iii) बैक ऑफिस (निपटान, लेखा-समाधान एवं लेखांकन के लिए)

ख) मिड - ऑफिस द्वारा जोखिम उपाय, रिपोटिंग एवं निगरानी कार्य किए जाते है। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी ओ डी) के माध्यम से व्युत्पन्नी लेनदेन समेत बैंक के समग्र जोखिम उपाय, निगरानी एवं रिपोर्टिंग कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च इकाई है। बैंक आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति, एलको, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ आर एम सी) तथा निवेश विषयक आंतरिक समिति (आई सी आई) के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की आंतरिक रूप से निगरानी करता है।

ग) बोर्ड ने एकीकृत ट्रेजरी नीति का अनुमोदन किया जिसमें ऋण जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम एवं व्युत्पन्नी लेनदेन संबंधी विपणन जोखिम से बचाव करने / उसे कम करने हेतु अंतर्निहित बचाव उपायों की पहचान की गई है। ग्राहकों से संबंधित व्युत्पन्नी लेनदेन काउंटरपार्टी बैंकों से समान रकम एवं समान अवधि के लिए एकैक आधार पर प्रारक्षित है तथा ऐसे लेनदेन के लिए बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं होता है। हालांकि समीक्षाधीन वर्ष में बैंक ने अपने पोर्टफोलियों के बचाव हेतु किसी व्युत्पन्नी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया है।

घ) यह नीति बचाव एवं गैर-बचाव लेनदेनों, आय पहचान के लिए लेखांकन तथा विशिष्ट संविदाओं के लिए मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करती है। आप निर्धारण विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ए एस-II तथा समय-समय पर भा. रि. बैंक / एफ इ डी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। एकीकृत ट्रेजरी नीति भी ऋण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न सीमाएँ निर्धारित करती है, जैसे-ग्राहक स्तर की सीमाएँ, व्यापार सदस्य स्तर की सीमाएँ, शुद्ध मुक्त स्थिति सीमाएँ।

1.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives:

A) Qualitative Disclosures

The Bank has undertaken derivative transactions in currency futures for trading (arbitrage) & hedging purposes.

a. Risk management organization of derivative transactions has been segregated in to three functional areas namely, i) Front Office (for undertaking transaction); ii) Mid-Office (for risk management and reporting) and iii) Back Office (for settlement, reconciliation and accounting).

b. The risk measurement, reporting and monitoring function is undertaken by the mid-office. The Board of Directors is the apex body to oversee the overall risk measurement, monitoring and reporting functions of the Bank including derivative transaction through Risk Management Committee of the Board (RMCBOD). The bank also internally monitors risk management through in-house Risk management Committee, ALCO, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Internal Committee on Investment (ICI).

c. The Board approved integrated Treasury Policy prescribes identification of underlying hedge items for hedging /mitigating credit risk, operational risk and market risk arising out of derivative transactions. The customer related derivative transaction are covered with counter party banks, on back to back basis for identical amounts and tenure and the bank does not carry market risk for such transactions. However, during the year under review, bank has not used any derivative product to hedge its own portfolio.

d. The policy prescribes accounting for hedge and non-hedge transactions, income recognition and valuation procedure for outstanding contracts. The income recognition is done as per (AS-11) on "The Effects of changes in Foreign exchange Rates" and the guidelines issued by RBI / FEDAI from time to time. The integrated Treasury Policy also prescribes various limits such as Client Level Limits, Trading Member Level Limits, Net Open Position Limits for credit risk mitigation.

B. परिमाणात्मक प्रकटीकरण
B. Quantitative Disclosures

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	
क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	मुद्रा व्युत्पन्नी Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्नी Interest rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्नी Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्नी Interest rate Derivatives
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन)				
	क) बचाव हेतु				
	ख) व्यापार हेतु				
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित (1)				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)				
(ii)	Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	ऋण निवेश (2)				
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01)				
	क) बचाव व्युत्पन्नों पर				
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर				
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	वर्ष के दौरान देखी गई 100* पीवी01 का अधिकतम एवं व्युत्पन्न				
	क) बचाव पर				
	ख) व्यापार पर				
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

1.4 आस्ति गुणवत्ता

1.4 Asset Quality

1.4.1 अनर्जक आस्तियां

1.4.1 Non-Performing Assets

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(I) (i)	शुद्ध अग्रिम का कितना (%) शुद्ध अनर्जक आस्ति है Net NPAs to Net Advances (%)	1.72	1.42
(ii) (ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव Movement of NPAs (Gross)		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	1355.78	1372.30
ख) b)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग Addition during the Year	1964.22	984.15
ग) c)	वर्ष के दौरान कमी Reductions during the Year	1143.58	1000.67
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	2176.42	1355.78
(iii) (iii)	बकाया अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार) Movement of Net NPAs		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	757.41	778.55
ख) b)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग Addition during the Year	1228.87	564.97
ग) c)	वर्ष के दौरान कमी Reductions during the Year	910.73	586.11
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	1075.55	757.41
(iv) (iv)	बकाया एवं अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) a)	आरंभिक शेष Opening Balance	598.37	593.75
ख) b)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग Provisions made during the Year	689.95	419.18
ग) c)	वर्ष के दौरान कमी/योग Write off / Write back of excess provisions	232.85	414.56
घ) d)	अंतिम शेष Closing Balance	1055.47	598.37

1.4.2 पुनर्गठित खातों के विवरण
1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

₹ करोड़ में / ₹ in crore

		सीडी आर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्गठन SME Debt Restructuring	अन्य Others	योग Total
पुनर्गठित मानक ऋण Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	14 (8)	1696 (2240)	7820 (9448)	9530 (11696)
	बकाया राशि Amount outstanding	670.63 (569.91)	158.01 (125.43)	1499.50 (1165.84)	2328.14 (1861.18)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	56.07 (40.33)	0.99 (2.27)	14.80 (14.14)	71.86 (56.74)
पुनर्गठित अवमानक ऋण Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0 (0)	1001 (1193)	2789 (3164)	3790 (4357)
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00 (0.00)	45.19 (32.14)	389.62 (130.86)	434.81 (163.00)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 (0.00)	0.04 (1.23)	57.16 (3.36)	57.20 (4.59)
पुनर्गठित संदिग्ध ऋण Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1 (0)	2096 (2186)	7271 (8784)	9368 (10970)
	बकाया राशि Amount outstanding	1.88 (0.00)	64.64 (60.55)	276.72 (82.64)	343.24 (143.19)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 (0.00)	0.00 (1.77)	11.07 (3.22)	11.07 (4.99)
योग TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	15 (8)	4793 (5619)	17880 (21396)	22688 (27023)
	बकाया राशि Amount outstanding	672.51 (569.91)	267.84 (218.12)	2165.84 (1379.34)	3106.19 (2167.37)
	त्याग (उचित मूल्य में न्यूनीकरण) Sacrifice (diminution in the fair value)	56.07 (40.33)	1.03 (5.27)	83.03 (20.72)	140.13 (66.32)

1. अधित्याग सहित उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किए गए हैं।
2. वर्ष के दौरान पुर्नगठित आस्तियों पर ₹10 लाख एवं अधिक की मानक आस्तियों तथा ₹1 करोड़ एवं अधिक की अनर्जक आस्तियों हेतु 31.03.2012 तक आर्थिक त्याग के परिमाण का संगणन एन पी वी पद्धति द्वारा किया गया है। शेष आस्तियों के संबंध में बकाया राशि के 5% की दर से आर्थिक त्याग किया गया है।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शते हैं।

1. The above disclosures, including sacrifice, are as compiled and certified by the Bank's Management.
2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV Method as on 31.03.2012 for Standard Assets of ₹10 lacs and above and for NPA of ₹1 crore and above. For the remaining assets, economic sacrifice has been provided @ 5% of outstanding balance.
3. Figures in brackets represent Previous Year's figures.

1.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेंची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
1.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(I) (I)	खातों की संख्या No. of accounts	NIL	NIL
(ii) (ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	NIL
(iii) (iii)	कुल प्रतिफल Aggregate consideration	NIL	NIL
(iv) (iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त पप्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) (v)	शुद्ध बही मूलय पर कुल लाभ (हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	NIL	NIL

1.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

1.4.4 Details of Non-performing financial assets purchased/sold

a) Details of Non-performing financial assets purchased

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
1. (क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(ख) (b)	कुल बकाया Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की सं. Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
ख) (b)	कुल बकाया Aggregate Outstanding	NIL	NIL

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

a) Details of Non-performing financial assets sold

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
1. वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की सं./No. of accounts sold	NIL	NIL
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate considerations received	NIL	NIL

1.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान
1.4.5 Provision on Standard Assets

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision towards Standard Assets	351.86	265.25

1.5 व्यवसाय अनुपात
1.5 Business Ratios

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	मदे Item	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(i) (ii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत Interest Income as a percentage to Working Funds	8.81%	7.96%
(ii) (ii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर-ब्याज आय का प्रतिशत Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.81%	0.80%
(iii) (iii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचनलागत लाभ का प्रतिशत Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.02%	1.89%
(iv) (iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.70%	0.66%
(v) (v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹करोड़ में) Business (Deposits plus advances) per employee (₹in Crore)	9.71	8.60
(vi) (vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाख में) Profit per employee (₹in Lacs)	4.08	3.48

1.6 आस्ति देयता प्रबंधन
1.6 Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता-ढांचा
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

₹ करोड़ में / ₹ in crore

आस्तियां/ देयताएं **Assets/ Liabilities**	1 दिन **Day 1**	2 सं 7 दिन **2 to 7 days**	8 से 14 दिन **8 to 14 days**	15 से 28 दिन **15 to 28 days**	29 दिन से 3 माह तक **29 days to 3 months**	3 माह से अधिक व 6 माह तक **Over 3 months & up to 6 months**	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक **Over 6 months & up to 1 Year**	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक **Over 1 Year & up to 3 Years**	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक **Over 3 Year & up to 5 Year**	5 वर्ष से अधिक **Over 5 Year**	कुल **Total**
जमा **Deposits**	568.36 (398.66)	1582.11 (2061.94)	1993.82 (2140.66)	1626.39 (2375.31)	8343.74 (6791.73)	4198.03 (4672.10)	10947.47 (11397.10)	15365.96 (12518.52)	8251.29 (6456.15)	36239.09 (29032.63)	**89116.26** **(77844.80)**
अग्रिम **Advances**	1729.64 (368.12)	4358.75 (3338.29)	863.38 (244.57)	275.29 (1189.51)	5123.35 (4430.36)	4229.48 (2037.49)	4337.00 (4274.52)	24122.36 (20803.55)	8076.18 (7814.96)	9927.86 (9001.07)	**63043.29** **(53502.44)**
निवेश **Investments**	26.92 (49.46)	328.26 (266.34)	24.45 (49.58)	239.65 (160.79)	949.46 (994.29)	389.04 (469.42)	921.51 (883.14)	3891.08 (2149.43)	3977.08 (3724.93)	18311.35 (17511.57)	**29058.80** **(26258.95)**
उधार **Borrowings**	0.00 (500.00)	404.28 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	112.80 (404.20)	675.84 (1083.75)	662.44 (189.01)	789.58 (332.33)	1082.19 (627.09)	1193.06 (1275.16)	**4920.19** **(4411.54)**
विदेशी मुद्रा आस्तियां **Foreign Currency Assets**	1373.64 (1475.10)	623.17 (336.98)	43.07 (123.58)	79.79 (79.20)	3287.80 (1333.59)	1400.50 (419.35)	1241.32 (399.00)	0.00 (0.45)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**8049.29** **(4167.25)**
विदेशी मुद्रा देयताएं **Foreign Currency Liabilities**	239.30 (149.07)	1574.64 (1549.00)	153.74 (126.05)	64.91 (54.84)	3338.93 (1479.39)	1499.85 (451.49)	1170.96 (355.20)	3.06 (6.07)	3.21 (0.76)	0.00 (0.00)	**8048.60** **(4171.87)**

बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित/The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं / Figures in bracket represent Previous Year's figures.

1.7 निवेश

1.7. Exposures

1.7.1स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

1.7.1 Exposure to Real Estate Sector

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	श्रेणी Category	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
क) a)	**प्रत्यक्ष निवेश** **Direct Exposure**		
i)	**आवासीय बंधक** **Residential Mortgages –**		
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है तो उस पर व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	2992.16	2546.53
	of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	2278.23	2005.47
ii)	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा** **Commercial Real Estate** – वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु परिवारी आवासीय भवन, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	1080.09	1076.59
iii)	बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. a.	आवासीय Residential	NIL	NIL
b. b.	वाणिज्यिक स्थावर संपदा Commercial Real Estate.	NIL	NIL
ख) b)	**अप्रत्यक्ष निवेश** **Indirect Exposure**		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3575.30	3417.56
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश **Total Exposure to Real Estate Sector**	**9925.78**	**9046.15**

बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित

As compiled and certified by the Bank's Management

1.7.2 पूंजी बाजार में निवेश
1.7.2 Exposure to Capital Market

₹ करोड़ में / ₹ in crore

	विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
(I) (i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नही है, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश। Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.	314.06	249.82
(ii) (ii)	शेयरों / बोंन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर-जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बोंन्डों, परिवर्तनीय डिबैंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम। Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	-	-
(iii) (iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती है। Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	6.34	2.61
(iv) (iv)	शेयरों को संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरो/इक्विटीमूलकम्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है। Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	10.09	15.61
(v) (v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटिया। Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	25.56	33.27
(vi) (vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष में प्रोमोटरों के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण। Loan sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	-
(vii) (vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण। Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	-	-
(viii) (viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं। Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	-	-
(ix) (ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण। Financing to stock brokers for margin trading	-	-
(x) (x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत-दोनों) में कुल निवेश All exposures to venture capital funds (both registered and un registered)	56.97	64.56
	पूंजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	**413.02**	**365.87**

बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित
As compiled and certified by the Bank's Management

1.7.3 जोखिम श्रेणी के अनुसार देशी निवेश

बैंक ने विभिन्न देशों में 31 मार्च 2012 तक के अपने जोखिम निवेश का विश्लेषण किया है तथा वैसा निवेश बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेसहोल्ड सीमा से कम है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार इस निवेश के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

1.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2012 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure.

जोखिम श्रेणी के हिसाब से देशी निवेश की स्थिति निम्नांकित है :
The position of risk category-wise country exposure is given below:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2012 को निवेश (शुद्ध) Exposure (net) as at 31.03.2012	31.03.2012 को किए गए प्रावधान Provision held as at 31.03.2012	31.03.2011 को निवेश (शुद्ध) Exposure (net) as at 31.03.2011	31.03.2011 को किए गए प्रावधान Provision held as at 31.03.2011
नगण्य / Insignificant	2698.38	0.00	2419.60	0.86
निम्नस्तरीय / Low	809.00	0.00	713.55	0.00
सामान्य / Moderate	101.17	0.00	47.76	0.00
उच्च / High	2.32	0.00	1.41	0.00
बहुत अधिक / Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
नियंत्रित / Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र / Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / **Total**	**3610.87**	**0.00**	**3182.32**	**0.86**

1.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल समूह) उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2011-2012 में बैंक ने समूह उधारकर्ता को ऋण देने में विवेकपूर्ण निवेश सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है किंतु एक खाते में एकल उधारकर्ता सीमा का अतिक्रमण किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by theBank

During the Financial Year 2011-12, the Bank has not exceeded the prudential exposure limit in respect of lending to Group Borrower but the bank has exceeded the Single Borrower limit in one account, the details of which are as under

₹ करोड़ में / ₹ in crore

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एस बी एल SBL		
	निवेश की सीमा Limit of Exposure	स्वीकृत सीमा Sanctioned Limit	31.03.2012 तक बकाया Outstanding as on 31.03.2012
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड Bhusan Power & Steel Ltd.	985.89	1032.01	829.30

1.7.5 अमूर्त संपार्श्विक के सापेक्ष अप्रतिभूत अग्रिम :
1.7.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	31.03.2012 तक As on 31.03.2012	31.03.2011 तक As on 31.03.2011
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि जैसे प्रभारों के रूप में अमूर्त प्रतिभूतियों पर अंतर्गत कुल अग्रिम Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	534.30	713.94
अधिकार शेयरों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि जैसे प्रभारों के रूप में अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority, etc.	717.18	1232.58

1.8 विविध

1.8 Miscellaneous :

वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान की गई राशि / Amount of Provision made for Income Tax during the Year :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण Particulars	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	216.00	145.00

1.9 वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में लेखांकन मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण।

2.1 इस अवधि में शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों (ए एस-5) में परिवर्तन।

पूर्ववर्तीअवधि का ऐसा कोई लाभ / हानि मद नहीं था जिसका ए एस-5 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षित था।

2.2 राजस्व निर्धारण (ए एस - 9)

राजस्व का निर्धारण अनुसूची 17 में प्रकटित लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.3 कर्मचारी लाभ (ए एस -15)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प दिए जाने एवं उपदान (ग्रेच्यूटी) सीमा में वृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी. बी. सी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09 फरवरी 2011 के प्रावधानों के अनुसार रू. 447.31 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रभावी 05 वर्षों की अवधि में चुकाई जा रही है। तद्नुसार रू. 89.46 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं जो 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की आनुपातिक राशि है। (विगत वर्ष 89.46 करोड़)। 31 मार्च 2012 तक अपरिशोधित देयता रू 268.39 करोड़ है। (विगत वर्ष रू 357.85 करोड़)।

1.9 During the year no penalty was imposed by RBI

2. Disclosures as per Accounting Standards (AS) in terms of RBI guidelines:

2.1 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in the Accounting Policies (AS-5)

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS-5.

2.2 Revenue Recognition (AS-9)

Revenue is recognized as per the Accounting Policy disclosed in Schedule 17.

2.3 Employees Benefits (AS-15)

In terms of the provisions of RBI Circular no.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits, ₹447.31 crore is being amortized over a period of five years with effect from Financial Year 2010-11. Accordingly ₹89.46 crore has been charged to the Profit and Loss account being the proportionate amount for the year ended 31st March, 2012 (₹89.46 crore for the previous year). The unamortized liability as at 31st March,2012 stands at ₹268.39 crore (Previous Year ₹357.85 crore).

₹ करोड़ में / ₹ in crore

क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन a) Change in the present value of the obligations	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	अन्य लाभ Other Benefits *
वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of obligation as at the beginning of the Year	1861.99	558.26	164.45
ब्याज लागत / Interest cost	152.94	43.52	8.97
चालू सेवा लागत / Current Service cost	91.14	23.60	16.05
प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	125.45	92.50	109.45
बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ) / Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	47.10	20.26	97.89
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य / Present value of Obligations at the end of the Year	2027.72	553.14	177.89
ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन b) Change in Fair Value of Plan Asset			
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	1515.63	307.26	109.45
योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected Return on Plan Asset	143.98	28.58	10.40
नियोजक का अंशदान / Employer's contribution	260.87	159.25	11.00
प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	125.45	92.50	109.45
बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ)/ Actuarial Loss/(Gain) on Obligations	(38.21)	11.42	110.05
वर्ष के अंत तक बाध्यता का उचित मूल्य / Fair Value of Obligations at the end of the Year	1756.82	414.01	131.45
ग) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आकलित मूल्य c) Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year			
वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य / Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	1756.82	414.01	131.45
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता / Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	270.90	139.12	3.06
घ) लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय d) Expenses Recognized in Profit and Loss			
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	91.14	23.60	16.05
ब्याज लागत / Interest Cost	152.94	43.52	8.96
योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल / Expected return on Plan Asset	143.98	28.58	10.40
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि / Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	85.31	8.83	(12.17)
लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय / Total Expenses recognized in Profit and Loss Account	185.41	47.37	2.44
ङ) तुलन पत्र की तिथि को मुख्य बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) e) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)			
बट्टा दर / Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर			
Expected rate of return on Plan Assets	9.50%	9.30%	9.50%
प्रयोग की गई पद्धति / Method Used	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति / Projected Unit Credit Method		

* अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है।

नोट : उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एकचुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है।

* Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC/LTC.

Note: The above statement is based on the report of the Actuary.

2.4 खंड रिपोर्टिंग (ए एस–17)

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है: "ट्रेजरी परिचालन" और "बैंकिंग परिचालन" प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है।

भाग क : व्यवसाय खंड

2.4 Segment Reporting (AS-17)

The Banks operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

Part A: Business Segments

₹ करोड़ में / ₹ in crore

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी परिचालन Treasury Operations		बैंकिंग परिचालन Banking Operations						कुल Total	
			कार्पोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations			
विवरण Particulars	**31.03.12 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.12**	**31.03.11 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.11**	**31.03.12 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.12**	**31.03.11 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.11**	**31.03.12 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.12**	**31.03.11 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.11**	**31.03.12 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.12**	**31.03.11 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.11**	**31.03.12 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.12**	**31.03.11 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.11**
राजस्व Revenue	2111	1871	4220	3290	2258	1735	71	57	8660	6953
परिणाम Result	194	324	1213	1143	1257	888	71	22	2735	2377
अवावंटित व्यय Unallocated expenses									906	870
परिचालन लाभ Operating Profit									1829	1507
आयकर Income Taxes									224	156
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/loss									-	-
शुद्ध लाभ Net Profit									**633**	**524**
अन्य सूचना Other Information										
खंड आस्तियाँ Segment Assets	30159	27644	47307	38364	15736	15137	-	-	93202	81145
अनावंटित आस्तियाँ Unallocated Assets									8808	8895
कुल आस्तियाँ Total Assets									**102010**	**90040**
खंड देयताएँ Segment Liabilities	30159	27644	47307	38364	15736	15137	-	-	93202	81145
अनावंटित देयताएँ Unallocated Liabilities									8808	8895
कुल देयताएँ Total Liabilities									**102010**	**90040**

भाग ख : भौगोलिक खंड – चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

2.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18)

2.5.1 संबधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध

अनुषंगी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

(i) असम ग्रामीण बैंक
(ii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक
(iii) मणिपुर ग्रामीण बैंक
(iv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

5.5.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(I) श्री भास्कर सेन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii) श्री एस. एल. बंसल, कार्यपालक निदेशक*
(iii) श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक**

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक:

2.5 Related Party Disclosures (AS-18)

2.5.1 Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Associates (Regional Rural Bank)

i. Assam Gramin Vikash Bank
ii. Bangiya Gramin Vikash Bank
iii. Manipur Rural Bank
iv. Tripura Gramin Bank

2.5.2 Key Management Personnel

(i) Mr. Bhaskar Sen. - Chairman and Managing Director
(ii) Mr.S.L.Bansal - Executive Director*
(iii) Mr. Deepak Narang - Executive Director **

Remuneration Paid to Key Management Personnel:

क्रमं सं. Sl. No	नाम Name	पदनाम Designation	मदें# Item#	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 (in ₹)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (in ₹)
1.	श्री भास्कर सेन (01.03.10 को कार्यभार ग्रहण) Mr. Bhaskar Sen (From 01.03.10)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Mg. Director	वेतन और परिलब्धियां Salary and emoluments	#22,03,873.15	#13,14,568.25
2.	श्री दीपक नारंग (01.03.2012 से) Mr. Deepak Narang**(From 01.03.12)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियां Salary and emoluments	1,02,700.00	NIL
3.	श्री एस. सी. गुप्ता (28.02.2010 तक) Mr. S. C. Gupta (Up to 28.02.2010)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Mg. Director	वेतन और परिलब्धियां Salary and emoluments	NIL	#6,54,466.00
4.	श्री एस. एल. बंसल (28.02.2012 तक) Mr. S. L. Bansal* (Up to 28.02.2012)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियां Salary and emoluments	#17,36,976.26	11,36,747.50
5.	श्री टी. एम. भसीन (31.03.2010) तक) Mr. T.M. Bhasin (Up to 31.03.2010)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	वेतन और परिलब्धियां Salary and emoluments	NIL	#7,86,550.40

नकदी आधार पर निष्पादनयुक्त प्रोत्साहत राशि सहित / #Including performance linked incentive on cash basis.

नोट: (क) ए एस-18 के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए अनुषंगियों के साथ लेन-देन को प्रकट नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन के बारे में किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है।

Note: (a) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18, which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties, which are State Controlled Enterprises.

(ख) प्रमुख प्रबंधन को देय/से प्राप्य शेष निम्नलिखित है :

(b) The balance payable to/receivable from Key Management Personnel is given below:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2011
देय / Payable	NIL	NIL
प्राप्य / Receivable	NIL	NIL

(ग) संबंधित पार्टियों को / से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता / प्रतिलेखन नहीं किया गया।

(c) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.

(घ) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

(d) No provision is required in respect of dues to related parties.

2.6 पट्टा (ए एस – 19)

2.6. Leases (AS-19) :

क) पट्टा – किराए का निर्धारण संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते के व्यय के रूप में की जाती है।

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

ख) परिचालित पट्टे के लिए भविष्य में भुगतानयोग्य पट्टा किराया

b) Future Lease Rent Payable for operating lease:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2012 तक As At 31.03.2012	31.03.2011 तक As At 31.03.2011
1.	1 वर्ष से अधिक नहीं / Not later than 1 year	39.12	39.66
2.	1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं / Later than 1 year but not later than 5 years	139.03	144.14
3.	5 वर्ष से अधिक / Later than 5 years	129.93	139.76
	कुल योग / TTotal	308.08	323.56
	लाभ एवं हानि में प्रभारित राशि / Amount charged to Profit & Loss Account	42.41	39.16

i) भावी पट्टा किराया एवं किराए में वृद्धि का निर्धारण सहमत शर्तो पर होता है।

i) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

ii) प्रथम पट्टा–अवधि की समाप्ति पर सामान्यतया बैंक को पूर्व निर्धारित आगामी अवधि के लिए पट्टे को बढ़ाने का विकल्प रहता है।

ii) At the expiry of the initial lease term, generally the bank has an option to extend the lease for a further pre determined period.

2.7 प्रति शेयर आय (ए एस–20) :

2..7 Earnings per Share (AS-20) :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2011
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ (₹ करोड़ में) Net Profit after tax available for Equity Share Holders (₹ in Crore)	544.20	455.79
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या / Weighted Average number of Equity Shares	34,45,56,508	31,69,67,591
प्रतिशेयर (रूपये) मूल एवं हल्की आय / Basic and Diluted Earnings per Share(₹)	15.79	14.38
प्रतिशेयर (रूपये) सामान्य मूल्य / Nominal Value per Share(₹)	10.00	10.00

2.8 समेकित वित्तीय विवरण (ए एस 21)/समेकित वित्तीय विवरणों (ए एस–23) में सहायक संस्थाओं में निवेश का लेखा।

2.8 Consolidated Financial Statement (AS-21)/ Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements (AS-23)

बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस–21 और एएस–23 लागू नहीं होता।

The Bank does not have any subsidiary and as such, AS-21 and AS-23 are not applicable.

2.9 आय पर करों हेतु लेखा (ए एस–22)

2.9 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य संघटक

Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows:

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
आस्थगित कर आस्तियाँ/Deferred Tax Assets	9.57	19.35
कर्मचारियों के लाभ/Employees benefits	2.38	14.85
अन्य मदें/Other items	2.67	4.50
स्थायी आस्तियों पर मूल्य ह्रास/Depreciation on Fixed Assets	4.52	-
आस्थगित कर देयताएँ/Deferred Tax Liabilities	-	2.15
स्थायी आस्तियों पर मूल्य ह्रास/Depreciation on fixed assets	-	2.15

2.10 आस्तियों की हानि (ए एस-28)
2.10. Impairment of Assets (AS-28)

स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है। अत: प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
There is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.

2.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ (ए एस-29)
2.11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

लेखा के अंश वाले नोट के उपयुक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है।
Movements in significant Provisions have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

3. अतिरिक्त प्रकटीकरण
3. Additional Disclosures

3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं
3.1 Provision and Contingencies

₹ करोड़ में / ₹ in crore

लाभ एवं हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditures in Profit and Loss Account	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for depreciation on Investment	79.14	132.60
अनर्जक आस्तियों (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान Provision towards NPA(Loans and Advances)	689.95	419.18
मानक आस्ति हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	86.61	48.35
आयकर हेतु प्रावधान / Provision made towards Income Tax	216.00	145.00
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ Other Provisions and Contingencies		
- कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान (ए एस-15) - Provision for Employee Benefit (AS-15)	144.00	240.33
- डी टी एस पर आयकर हेतु प्रावधान - Provision against Income on DTA	10.40	11.16
- अन्य प्रावधान - Provision for Others	(29.79)	(13.60)
कुल / Total	**1196.31**	**983.02**

3.2 अस्थिर प्रावधान
3.2 Floating Provisions:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
क) आरंभिक शेष / a) Opening Balance	157.48	157.48
ख) वर्ष के दौरान किए गए / b) Made during the Year	NIL	NIL
ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी / c) Draw down during the Year	NIL	NIL
(घ) अंतशेष (क+ख-ग) / d) Closing balance (a+b-c)	157.48	157.48

3.3 रिज़र्व से आहरण द्वारा कमी
3.3 Draw Down from Reserves:

There was no Draw down from reserves during the year.
वर्ष के दौरान रिजर्व से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई।

3.4 शिकायतों का प्रकटीकरण:
3.4 Disclosure of complaints :

क) ग्राहक शिकायतें

a) Customer Complaints

(क) (a)	वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the Year	144
(ख) (b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the Year	3257
(ग) (c)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the Year	3283
(घ) (d)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the Year	118

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

(क) (a)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the beginning of the Year	1
(ख) (b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year	6
(ग) (c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the Year	4
(घ) (d)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the Year	3

3.5 बैंक द्वारा जारी सांत्वना पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेताओं को ऋण सुविधा देने हेतु बैंक ने रू. 806.00 करोड़ के 189 एल ओ सी जारी किए।

ख) 31.03.2012 तक रू. 493.17 करोड़ के 112 बकाया एल ओ सी हैं।

3.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.03.2012 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 69.15% है जिसका संगणन बैंक द्वारा किए गए कुल तकनीकी बट्टा खाताकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है।

3.5 Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank

a) During the current financial year the Bank has issued 189 nos LoCs amounting to ₹806.00 crore for providing Buyers Credit facility.

b) There are 112 nos. of outstanding LoCs as on 31.03.2012 amounting to ₹493.17 crore.

3.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31.03.2012 is 69.15 %, which is calculated taking into account the total technical write offs made by the Bank.

3.7 बैंकएश्योरेंश व्यवसाय :
3.7 Bancassurance Business:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
जीवन बीमा व्यवसाय / Life Insurance Business	10.07	19.68
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय / Non Life Insurance Business	3.53	5.87
म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	0.17	0.04
अन्य / Others	NIL	NIL

3.8 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों एवं एन पी ए का संकेंद्रीकरण
3.8 Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs:

3.8.1 जमाओं का संकेंन्द्रीकरण
3.8.1 Concentration of Deposits

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा Total Deposits of twenty largest depositors	5386	6174
बैंक के कुल जमाओं के सापेक्ष 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.04%	7.90%

3.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रीकरण
3.8.2 Concentration of Advances

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	14976.25	11928.49
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	23.45%	22.11%

3.8.3 निवेशों का संकेंन्द्रीकरण
3.8.3 Concentration of Exposures

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों का कुल निवेश Total Exposure to twenty largest borrowers/Customers	16184.65	14654.62
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	15.20%	15.25%

3.8.4 एन पी ए का संकेंन्द्रीकरण :
3.8.4 Concentration of NPAs :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश Total Exposure to top four NPA accounts	585.52	154.96

3.9 क्षेत्रवार एन पी ए
3.9. Sector – wise NPAs:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के मुकाबले एन पी ए का प्रतिशत-31.03.2012 Percentage of NPAs to Total Advance in that sector – 31.03.2012	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के मुकाबले एन पी ए का प्रतिशत-31.03.2011 Percentage of NPAs to Total Advance in that sector – 31.03.2011
1. 1.	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप Agriculture and Allied activities	3.68%	5.60%
2. 2.	उद्योग (अतिलघु एवं लघु, मझौले एवं बड़े) Industry(Micro and Small, Medium and Large)	2.65%	2.32%
3.	सेवाऐं / Services	5.08%	1.74%
4.	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	2.88%	2.81%

3.10 एन पी ए संचरण:
3.10 Movement of NPAs:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
1 अप्रैल को सकल एन पी ए Gross NPAs as on 1st April	1355.78	1372.30
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए) Additions (Fresh NPAs) during the Year	1964.22	984.15
उप-योग (क) Sub-total (A)	3320.00	2356.45
घटाव: Less:		
(i) उन्नयन (i) Upgradations	579.64	286.17
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त) (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	331.09	299.94
(iii) बट्टे खाते (iii) Write offs	232.85	414.56
उप-योग (ख) Sub-total (B)	1143.58	1000.67
31 मार्च को सकल एन पी ए (क-ख) Gross NPAs as on 31st March (A-B)	2176.42	1355.78

3.11 विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व :
3.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue:

₹ करोड़ में / ₹ in crore

विवरण / Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
कुल आस्तियाँ / Total Assets	NIL	NIL
कुल एन पी ए / Total NPAs	NIL	NIL
कुल राजस्व / Total Revenue	NIL	NIL

3.12 तुलन पत्र बाह्य एस पी वी प्रायोजित (जिनको लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है)
3.12 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per Accounting norms)

31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012 एस पी वी प्रायोजित का नाम Name of the SPV sponsored		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011 एस पी वी प्रायोजित का नाम Name of the SPV sponsored	
देशी Domestic NIL	विदेशी Overseas NIL	देशी Domestic NIL	विदेशी Overseas NIL

3.13 क) रू. 1.88 करोड़ लागत की एक संपत्ति के पंजीयन की औपचारिकता लंबित है। 31.03.2012 तक डब्लू डी वी रू. 1.24 करोड़ है। (विगत वर्ष 1.31 करोड़)

ख) परिसर के अंतर्गत रू. 15.53 करोड़ की पट्टाकृत संपत्ति शामिल है। (परिशोधन का शुद्ध) (विगत वर्ष 17.43 करोड़)

3.14 निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2.40 (24%) के लाभांश की अनुशंसा की है जो शेयर धारकों के अनुमोदन पर निर्भर है।

4. जहाँ आवश्यक समझा गया है वहां विगत वर्ष के आंकड़ो का पुनर्गठन किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना की जा सके।

3.13 a) Registration formalities are pending in case of one property costing ₹1.88 crore, WDV as on 31.03.2012 ₹1.24 crore (Previous Year ₹1.31crore).

b) Premises include leased properties amounting to ₹15.53 crore (net of amortization) (Previous Year: ₹17.43 crore).

3.14 The Board of Directors has recommended dividend of ₹2.40 (24%) per equity share for the year ended 31st March 2012 subject to approval of the shareholders

4. Previous Year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

भास्कर सेन Bhaskar Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	संदीप कुमार Sandeep Kumar निदेशक Director	श्रीमती सुरेखा मरांडी Mrs. Surekha Marandi निदेशक Director	सुनील गोयल Sunil Goyal निदेशक Director	श्रेनिक सेठ Srenik Sett निदेशक Director	
डी. नारांग D. Narang कार्यपालक निदेशक Executive Director	हिरण्य बोरा Hiranya Bora निदेशक Director	किरण बी वादोदरिया Kiran B. Vadodaria निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	सौमेन मजुमदार Saumen Majumder निदेशक Director	पी. के. घोष P. K. Ghosh निदेशक Director
	आर. के. महांति R. K. Mohanty महाप्रबंधक General Manager	ए. नन्दा A. Nanda महाप्रबंधक General Manager	पी. के. दत्ता P. K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	डी. सिन्हा D. Sinha उप महाप्रबंधक Dy. General Manager	

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

As per our separate report of even date annexed

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं. M/s. George Read & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302208 ई FRN 302208E	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऐंड कं. M/s. D. K. Chhajer & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 304138 ई FRN 304138E	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऐंड कं. M/s. M. Choudhury & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302186 ई FRN 302186E	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऐंड कं. M/s. M.C. Bhandari & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 303002 ई FRN 303002E	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल ऐंड कं. M/s. Ramesh C. Agrawal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 001770 सी FRN 001770C	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऐंड कं. M/s Dinesh Mehta & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 000220 एन FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा) (CA Rajiv Panja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 057393 Membership No. 057393	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार) (CA Abhimanyu Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 213872 Membership No. 213872	(सी.ए. डी. चौधुरी) (CA D. Choudhury) भागीदार Partner सदस्यता सं. 052066 Membership No. 052066	(सी.ए. नीरज जैन) (CA Neeraj Jain) भागीदार Partner सदस्यता सं. 064393 Membership No. 064393	(सी.ए. मनोज अग्रवाल) (CA Manoj Agrawal) भागीदार Partner सदस्यता सं. 076918 Membership No. 076918	(सी.ए .अनुप मेहता) (CA Anup Mehta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 093133 Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण / CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012		(Rs.in '000)			
		For the year ended			
		31st March 2012		31st March 2011	
क A	परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	कर के पश्चात शुद्ध लाभ **Net Profit after Tax**	6,325,302		5,239,718	
	योग : आयकर / Add: Income Tax	2,160,000		1,450,000	
	कर के पूर्व लाभ / Profit before Tax	8,485,302		6,689,718	
	समायोजन के लिए **Adjustment for**				
	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	696,934		1,132,762	
	घटाव पुनर्मूल्यन अरिक्षिति से निकाली गयी राशि / Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(176,936)		(129,508)	
	स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध) / Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	(533)		(4,685)	
	निवेश हेतु मूल्यह्रास/प्रावधान (शुद्ध) / Depreciation/Provision for Investments (Net)	1,044,286		1,257,147	
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	866,100		483,500	
	एन. पी. ए अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for NPA Advances	6,899,500		4,362,100	
	अन्य प्रावधान (शुद्ध) / Other Provisions (Net)	993,249		2,277,456	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज / Interest on Subordinated Bonds	1,483,590		1,432,875	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालनगत लाभ **Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities**	20,291,492		17,501,365	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं मे शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन **Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities**				
	निवेश में ह्रास/वृद्धि / Decrease/(Increase) in Investment	(28,789,893)		(3,238,149)	
	अग्रिमों में ह्रास/वृद्धि / Decrease/(Increase) in Advances	(102,308,067)		(116,086,072)	
	जमाओं मे वृद्धि/ह्रास / Increase/(Decrease) in Deposits	112,714,620		96,644,785	
	ऋणों मे वृद्धि/ह्रास / Increase/(Decrease) in Borrowings	3,086,566		19,711,978	
	अन्य आस्तियों में ह्रास/वृद्धि / Decrease/(Increase) in Other Assets	3,484,815		(5,248,834)	
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ह्रास / Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(6,122,719)		(589,716)	
	राजस्व आरक्षिति में वृद्धि/ह्रास / Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	-		(137,773)	
	परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी **Cash Generated from Operating Activities**	2,356,814		8,557,584	
	कर (चुकाया गया)/वापसी / Tax (Paid)/ Refund	(2,580,000)		(1,680,000)	
	परिचालनगत क्रियाकलापों (क) से शुद्ध नकदी **Net Cash from Operating Activities (A)**		(223,186)		6,877,584
ख B	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवा **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	अचल आस्तियाँ (शुद्ध) / Fixed Assets (Net)	(557,706)		(609,384)	
	निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी **Net Cash from Investing Activities (B)**		(557,706)		(609,384)
ग C	वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	शेयर पूंजी जारी करके / Issue of Share Capital	165,783		279,898	
	शेयर प्रिमीयम / Share Premium	1,156,171		2,800,102	
	सरकार (पी एन सी पी एस) से पूंजी / Capital from Government(PNCPS)	-		2,500,000	
	अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके / Subordinate Bonds Issued	2,000,000		-	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज / Interest on Subordinated Bonds	(1,483,590)		(1,432,875)	
	उन पर संदत्त लाभांश एवं कर / Dividend and tax there on paid	(1,562,360)		(915,909)	
	वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी **Net Cash from Financing Activities (C)**		276,004		3,231,216
घ D	नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग) **Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		(504,888)		9,499,416
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year**				
	नकदी शेष / Cash in hand	2,837,274		2,988,139	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि / Balances with Reserve Bank of India	56,594,250		44,082,043	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	13,845,874	73,277,398	16,707,800	63,777,982
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी तुल्य **Cash and Cash equivalents at the end of the year**				
	नकदी शेष / Cash in hand	3,481,635		2,837,274	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि / Balances with Reserve Bank of India	47,436,259		56,594,250	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	21,854,616	72,772,510	13,845,874	73,277,398

टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।
Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.

यह 31.03.2012 को नकदी प्रवाह विवरणी का एक भाग है
This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2012

भास्कर सेन Bhaskar Sen अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	संदीप कुमार Sandeep Kumar निदेशक Director	श्रीमती सुरेखा मरांडी Mrs. Surekha Marandi निदेशक Director	सुनील गोयल Sunil Goyal निदेशक Director	श्रेनिक सेठ Srenik Sett निदेशक Director	
डी. नारांग D. Narang कार्यपालक निदेशक Executive Director	हिरण्य बोरा Hiranya Bora निदेशक Director	किरण बी वादोदरिया Kiran B Vadodaria निदेशक Director	एस. तलापात्र S. Talapatra निदेशक Director	सौमेन मजुमदार Saumen Majumder निदेशक Director	पी. के. घोष P. K. Ghosh निदेशक Director
	आर. के. महांति R. K. Mohanty महाप्रबंधक General Manager	ए. नन्दा A. Nanda महाप्रबंधक General Manager	पी. के. दत्ता P. K. Dutta महाप्रबंधक General Manager	डी. सिन्हा D. Sinha उप महाप्रबंधक Dy. General Manager	

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार
As per our separate report of even date annexed

कृते मेसर्स, जार्ज रीड एंड कं. M/s. George Read & Co.	कृते मेसर्स, डी. के. छाजर ऐंड कं. M/s. D. K. Chhajer & Co.	कृते मेसर्स, एम. चौधुरी ऐंड कं. M/s. M. Choudhury & Co.	कृते मेसर्स, एम. सी. भंडारी ऐंड कं. M/s. M.C. Bhandari & Co.	कृते मेसर्स, रमेश सी. अग्रवाल M/s. Ramesh C. Agrawal & Co.	कृते मेसर्स, दिनेश मेहता ऐंड कं. M/s Dinesh Mehta & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302208 ई FRN 302208E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 304138 ई FRN 304138E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 302186 ई FRN 302186E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 303002 ई FRN 303002E	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 001770 सी FRN 001770C	सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफ आर एन 000220 एन FRN 000220N
(सी.ए. राजीव पांजा) (CA Rajiv Panja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 057393 Membership No. 057393	(सी.ए. अभिमन्यु कुमार) (CA Abhimanyu Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 213872 Membership No. 213872	(सी.ए. डी. चौधुरी) (CA D. Choudhury) भागीदार Partner सदस्यता सं. 052066 Membership No. 052066	(सी.ए. नीरज जैन) (CA Neeraj Jain) भागीदार Partner सदस्यता सं. 064393 Membership No. 064393	(सी.ए. मनोज अग्रवाल) (CA Manoj Agrawal) भागीदार Partner सदस्यता सं. 076918 Membership No. 076918	(सी.ए .अनुप मेहता) (CA Anup Mehta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 093133 Membership No. 093133

दिनांक : 05.05.2012
स्थान : कोलकाता

Date : 05.05.2012
Place : Kolkata

पूँजी पर्याप्तता का नया ढांचा
स्तम्भ-3 के तहत प्रकटीकरण
NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK
DISCLOSURES UNDER PILLAR-3

सारणी डीएएफ-1
TABLE DF-1
प्रयुक्ति का विषय क्षेत्र
SCOPE OF APPLICATION

गुणात्मक प्रकटीकरण

Qualitative Disclosures

(क) समूह में सर्वोच्च बैंक का नाम, जिस पर ढांचा लागू है: **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**

(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies: **UNITED BANK OF INDIA**

(ख) समूह के अंतर्गत संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा एवं नियामक प्रावधानों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा

(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

i) वे पूरी तरह समेकित हैं : लागू नहीं, बैंक का कोई अनुषंगी नहीं है। अत: समेकन की आवश्यकता नहीं है।

i) that are fully consolidated: Not Applicable, the Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.

ii) वे समानुपातिक समेकित है: शून्य,

ii) that are pro-rata consolidated: NIL

iii) उन्हें कटौती सुविधा दी जाती है: चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ईक्विटी पद्धति के आधार पर समेकित किया जाता है।

iii) that are given a deduction treatment: Four Regional Rural Banks are consolidated as equity method.

iv) संस्था, जो न समेकित की जाती है और न जिसमें कटौती की जाती है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिम भारित है): शून्य

iv) Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted). NIL

मात्रात्मक प्रकटीकरण **Quantitative Disclosures**	
(ग) सभी अनुषंगियों में पूंजी कमियों की कुल जमा राशियां जो समेकन में शामिल नहीं है; अर्थात् जिनकी कटौती की जाती हैं एवं उन अनुषंगियों के नाम	शून्य
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	**NIL**
(घ) बीमा के क्षेत्र में बैंक के कुल ब्याजों (यथा, चालू बही मूल्य) की जमा राशियां जो जोखिम भारित हैं, उसके साथ – उनका नाम, उनके समावेशन का देश या आवास, मिल्कियत ब्याज का अनुपात एवं यदि अलग हो तो उन संस्थाओं में वोट करने की शक्तियों का अनुपात। इसके अलावा, इस पद्धति के उपयोग का नियामक पूँजी पर प्रभाव दर्शाना बनाम कटौती का उपयोग।	शून्य
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	**NIL**

सारणी डीएफ-2
पूँजी संरचना

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(क) विशेषकर टीयर-1 अथवा अपर टीयर-2 में शामिल करने योग्य पूँजी लिखतों के मामले में सभी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों पर संक्षिप्त सूचना।

बैंक के टीयर-1 पूंजी में ईक्विटी शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियर रिजर्व, बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) एवं निर्बंध प्रकटन आरक्षित निधियाँ शामिल हैं तथा टीयर-2 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित निधियाँ, सामान्य हानि आरक्षित एवं मानक आस्तियों पर प्रावधान अपर टीयर-2 बॉन्डों यथा, हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखित एवं लोअर टीयर-2 बॉन्डों यथा, गौण ऋण शामिल है। इस संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा जारी टीयर-2 बॉन्डों की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों से निर्धारित होती है।

बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)

भारत सरकार ने 800 करोड़ की राशि टीयर-2 पूंजी में बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) के रूप में रेपो + 100 आधार बिंदु दरों पर उपलब्ध कराई है।

अपर टीयर-2 बॉन्ड यथा: हाइब्रिड ऋण पूँजी लिखत
लिखत का प्रकार: प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय।

मुख्य विशेषताएं:

i) निवेशक द्वारा नो पुट ऑप्शन

ii) भा. रि. बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ 10 वर्षों के पश्चात् बैंक द्वारा कॉल आप्शन

iii) यदि बैंक द्वारा कॉल आप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 10 वर्षों के पश्चात् स्टेप-अप ओंप्शन

iv) यदि सीआरएआर भा. रि. बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक सीआरएआर से कम है तो आवधिक ब्याज के भुगतान पर यहाँ तक कि मूल धन की परिपक्वता पर भी लॉक-इन के प्रावधान की शर्त है।

v) भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।

स्टेप-अप ऑप्शन: यदि बैंक 10 वर्षों के पश्चात् कॉल आप्शन का प्रयोग नहीं करता है, वैसे में शेष 05 वर्षों की अवधि के दौरान बोंन्ड्स 50 आधारबिंदु स्टेप-अप ऑप्शन का लाभ ले सकता है।

अवरुद्धता शर्त: परिपक्वता पर भी बैंक न तो ब्याज न ही मूलधन अदा करने के लिए बाध्य है-यदि बैंक का सीआरएआर भा. रि. बैंक द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकता के नीचे है या इस तरह के भुगतान के प्रभाव से बैंक का सीआरएआर कम हो जाता है या निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे रहता है। हालांकि यह बैंक को आवधिक ब्याज लगाने से तब तक नहीं रोक सकता, जबतक बैंक निर्धारित अवधि में न्यूनतम नियामक सीआरएआर रखता है।

TABLE DF-2
Capital structure

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

Bank's Tier 1 capital comprises of Equity Share capital, Share premium reserve, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) & free disclosed reserves and Tier 2 capital comprises of Revaluation reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments and Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debt. The terms and conditions of Tier 2 bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)

The Govt. of India has provided a sum of ₹800 cr. in Tier-1 capital in the form of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) @ Repo + 100 basis points.

Upper Tier 2 Bonds i.e. Hybrid debt capital instruments

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

i) No Put Option by the Investors.

ii) Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.

iii) Step-up Option after 10 years, if Call Option is not exercised by the Bank.

iv) Lock-in-clause on payment of periodic interest and even Principal at maturity, if CRAR is below the minimum regulatory CRAR, prescribed by RBI.

v) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

Step-up Option: If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during the remaining period of 5 years.

Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either interest or principal, even at maturity, if CRAR of the Bank is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or the impact of such payment results in Bank's CRAR falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI. However, this will not proscribe the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CRAR, at the material time.

विवरण Particulars	स्थान Place	जारी करने की तिथि Date of Issue	परिपक्वता की तिथि Date of Maturity	राशि (रू. करोड़ में) Amount (₹ in cr.)	कूपन दर Coupon Rate	दर निर्धारण Rating
श्रंखला-1 Series - I	भारत India	18.06.2007	18.06.2022	575.00	10.65% (वार्षिक / Annual)	एए (-) इक्रा द्वारा स्थिर एवं ए ए केयर द्वारा AA(-) stable by ICRA & AA by CARE
कुल / Total				**575.00**		

लोअर टीयर - बॉन्ड यथा : गौण ऋण

लिखत का प्रकार : प्रतिभूति रहित, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय

मुख्य विशेषताएं :

I) तेजी या मंदी विकल्प आदि जैसी किसी विशेषता से पूर्णत: रहित सामान्य बॉन्ड्स

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।

Lower Tier 2 Bonds i.e. Subordinated debts

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible

Special features:

i) Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc.

ii) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

विवरण Particulars	स्थान Place	जारी करने की तिथि Date of Issue	परिपक्वता की तिथि Date of Maturity	राशि Amount (₹ in cr.)	कूपन दर Coupon Rate	दर निर्धारित Rating
श्रृंखला-II Series – II	India	15.02.2005	15.05.2015	300.00	7.40% (वार्षिक / Annual)	इक्रा द्वारा, एए (स्थिर) एवं एए + केयर द्वारा AA(stable) by ICRA & AA+ by CARE
श्रृंखला-III Series – III	India	29.03.2006	29.04.2016	100.00	8.00% (अर्धवार्षिक / Semi-annual)	
श्रृंखला-IV Series – IV	India	16.08.2006	16.08.2016	200.00	9.25% (अर्धवार्षिक / Semi-annual)	
श्रृंखला-V Series – V	India	27.03.2007	27.04.2017	100.00	10.10% (वार्षिक / Annual)	
श्रृंखला-VI Series – VI	India	25.03.2009	25.03.2019	250.00	9.30% (वार्षिक / Annual)	
श्रृंखला-VII Series – VII	India	28.12.2011	28.12.2021	200.00	9.20% (वार्षिक / Annual)	क्राइसिल द्वारा एए + (स्थिर) एवं केयर द्वारा एए+ AA+/Stable by CRISIL & AA+ by CARE
कुल / Total				**1150.00**		

मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(रु. करोड़ में)
1.	टीयर-1 पूंजी का ब्यौरा	
क)	प्रदत्त शेयर पूंजी	360.99
ख)	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	3777.95
ग)	नव बेमीयादी बॉन्ड	0.00
घ)	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)	800.00
ङ)	अन्य पूंजी लिखत	0.00
च)	टीयर-1 पूंजी से घटाई गई	
	अनुषंगियों में ईक्विटी	0.0
	अमूर्त आस्तियाँ (शुद्ध आस्थगित कर आस्ति)	9.57
	कुल (शेयर-1 पूँजी) क+ख+ग+घ+ङ-च)	4929.37
2.	टीयर-2 पूंजी की कुल राशि (घटाई गई राशियों का शुद्ध)	2185.19
3.	पूँजी से घटाई गई अन्य मदें (यदि कोई हो)	0.00
4.	शामिल होने योग्य कुल पूंजी (टीयर-1+टीयर-2)	7114.57
(5)	अपर टीयर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत कुल बकाया राशि	575.00
	उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00
	पूंजी निधि के रूप में शामिल होने योग्य राशि	575.00
(6)	लोअर टीयर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य अनुषंगी ऋण	
	कुल बकाया राशि	1150.00
	उनमें से वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	200.00
	पूंजी निधि के रूप में शामिल होने योग्य राशि	970.00

Quantitative Disclosures

		(₹ in cr.)
1.	Details of Tier 1 Capital	
a)	Paid-up share capital	360.99
b)	Reserves (excluding revaluation reserves)	3777.95
c)	Innovative Perpetual Bonds	0.00
d)	Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	800.00
e)	Other capital instruments	0.00
f)	Amounts deducted from Tier 1 Capital	
	Equity Investment in Subsidiaries	0.00
	Intangible Assets (Deferred Tax Asset)	9.57
	Total (Tier 1 Capital) (a+b+c+d+e-f)	4929.37
2.	Total amount of Tier 2 Capital (net of deductions)	2185.19
3.	Other Deductions from Capital, if any.	0.00
4.	**Total eligible capital (Tier 1 + Tier 2)**	7114.57
(5)	The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital Total amount outstanding	575.00
	Of which amount raised during the year	0.00
	Amount eligible to be reckoned as capital funds	575.00
(6)	**The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital**	
	Total amount outstanding	1150.00
	Of which amount raised during the year	200.00
	Amount eligible to be reckoned as capital funds	970.00

सारणी-3
पूंजी पर्याप्तता

मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक एकल एवं समेकित दोनों स्तरों पर सीआरएआर 9% एवं टीयर-1 सीआरएआर 6% से अधिक बनाए रखता है।

बैंक संशोधित ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा के उपर अर्थात निम्नांकित से अधिक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बनाए रखता है।

क) संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

ख) बेसेल-1 के ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का 80%

बैंक समग्र जोखिम के मूल्य व्यवसाय आदि में हानि जोखिम आदि की आशंका को ध्यान में रखकर पूंजी बनाए रखता है ताकि हानियों के विरूद्ध सामान्य जमाकर्ताओं एवं ऋणकर्ताओं की रक्षा की जा सके। बैंक के पास व्यापक मूल्यांकन एवं विभिन्न जोखिमों तथा समुचित पूंजी आबंटन को प्रमाणित करने के लिए पूर्ण पारिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण नीति (आईसीएससी) मौजूद है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने सीआरएआर के कलन हेतु ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण एवं बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण का सहारा लिया है।

पूंजी की आवश्यकता आर्थिक बातावरण, नियामक जरूरतों एवं बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम द्वारा प्रभावित होती है। बैंक की पूंजी योजना का अभिप्राय बदलती आर्थिक परिस्थितियों के समय एवं यहाँ तक कि आर्थिक मंदी के समय पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की चालू पूंजी आवश्यकता।
- व्यवसाय वहन क्षमता रणनीति एवं जोखिम वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए नियत लक्ष्य एवं दीर्घावधि पूंजी।
- भावी पूंजी की योजना तीन वर्षों की संभावनाओं पर की जाती है।

पूंजी योजना वार्षिक आधार पर संशोधित की जाती है। व्यवसाय में भावी बढ़ोतरी के मद्देनजर पूंजी की व्यवस्था हेतु एक नीति बनाई है ताकि प्रयोजनीय न्यूनतम पूंजी हमेशा बरकरार रहे। अनुमित आधार पर बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात टीयर-1 एवं टीयर-2 में पूंजी की उगाही करता है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा बैंक के बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

TABLE DF-3
Capital Adequacy

Qualitative disclosures

Bank maintains at both solo and consolidated level CRAR of more than 9% and Tier 1 CRAR of more than 6%.

The Bank maintains the minimum capital required as per Revised Framework above the Prudential floor viz higher of

(a) Minimum capital required as per the Revised Framework;

(b) 80% of the minimum capital required as per Basel-1 framework.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document different risks and substantiate appropriate capital allocation. In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation, bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

मात्रात्मक प्रकटीकरण **Quantitative disclosures**		(₹ करोड़ में) ₹ in cr.)
(1)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता जोखिमभारित आस्ति का 9% की दर से Capital requirements for credit risk @ 9% of RWA	
	● संविभाग (मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन) Portfolios subject to standardised approach	4470.36
	● प्रतिभूतिकरण निवेश Securitisation exposures	0.00
(2)	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता Capital requirements for market risk:	
	● मानक अवधि दृष्टिकोण Standardised duration approach	
	- ब्याज दर जोखिम - Interest rate risk	200.71
	- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) - Foreign exchange risk (including gold	1.35
	- ईक्विटी जोखिम - Equity risk	61.27
(3)	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता Capital requirements for operational risk	
	● आधार संकेतक दृष्टिकोण ● Basic indicator approach	310.99
(4)	कुल पूंजी अनुपात (%): Total capital ratio (%):	12.69
	टीयर-1 पूंजी अनुपात (%): Total Tier 1 capital ratio (%):	8.79

सारणी डीएफ-4
ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता और इसके साथ

- पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य आस्तियों की परिभाषा (लेखा के उद्देश्य)

बैंक ने पूर्ववर्ती बकाया और अपसामान्य आस्तियों की वह परिभाषा (लेखा उद्देश्य हेतु) अपनाई है जो आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण के लिए नियामक ने दी है।

बैंक भा. रि. बैंक विनियमों का अनुसरण करता है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

अनर्जक आस्तियाँ

बैंक की किसी आस्ति से जब आय का अर्जन बंद हो जाता है तो वह आस्ति अनर्जक हो जाती है। यह एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें-

i) यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं।

ii) यदि कोई ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनियमित (आउट ओफ़ ओर्डर) हो जाए।

iii) बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए।

iv) अल्पावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, फसल के दो मौसम से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए।

v) दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण या उसका ब्याज, फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए।

बैंक द्वारा किसी आधारभूत परियोजना के वित्तपोषण के मामले में यदि परियोजना के व्यावसायिक परिचालन की तारीख, तय की गई मूल तारीख से दो वर्ष से भी अधिक अवधि तक के लिए बढ़ा दी गई हो-भले ही वह वसूली के रिकोर्ड में नियमित हो। जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होता और उसे मानक आस्ति में वर्गीकृत नहीं किया जाता-उसे एनपीए समझा जाएगा।

विवाचन की कार्यवाही अथवा मुकदमें के कारण यदि उत्पादन की तय तारीख से उत्पादन शुरू न हो पाए और वह परियोजना के व्यावसायिक परिचालन की पूर्वनिर्धारित मूल तारीख से 4 वर्ष से भी अधिक के लिए बढ़ा दी जाए तो उस आधारभूत परियोजना ऋण को ए.पी.ए. में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि उत्पादन शुरू किए जाने की तारीख में किसी ऐसे कारण से देर होती है जो संप्रवर्तक के नियंत्रण से परे है, मुकदमे की वजह से है और उस परियोजना के व्यावसायिक परिचालन की मूल तारीख से तीन वर्ष से भी अधिक समय के लिए बढ़ा दी गई हो तो उसे एन.पी.ए. में वर्गीकृत किया जाएगा।

वैसे गैर आधारभूत परियोजना ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो अपने व्यावसायिक परिचालन की मूल तारीख से छह महीने के भीतर व्यावसायिक परिचालन आरंभ नहीं कर सका-भले ही वह वसूली अभिलेख में नियमित हो। जब तक इसे पुनर्गठित नहीं किया जाता और उसे मानक 'आस्ति' में वर्गीकृत करने योग्य नहीं बनाया जाता तब तक उसे एनपीए समझा जाएगा।

परस्पर ताल-मेल के समय तय की गई समय सीमा के अनुरूप यदि किसी गैर आधारभूत परियोजना के पूरा हो जाने के छह महीने बाद भी उसका व्यावसायिक परिचालन आरंभ नहीं होता तो उसे एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा। बैंक पुन: व्यावसायिक परिचालन की एक नई तारीख दे सकता है और उसे 'मानक आस्ति' के रूप में बनाए रख सकता है-बशर्ते यह तारीख उस परियोजना के व्यावसायिक परिचालन हेतु तय की गई मूल तारीख से 12 महीने से अधिक के लिए न बढ़ाई गई हो।

TABLE DF-4
Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- **Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);**

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by the regulator for Income Recognition and Asset Classification norms.

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

Non- performing Assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i) interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii) the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),

iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

(iv) the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

(v) the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An infrastructure project loan will be classified as NPA, if the date of commencement of commercial operations (DCCO) extends beyond two (2) years from the original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset'.

In case the date of commencement of production is delayed due to arbitration proceedings or a court case, an infrastructure project loan will be classified as NPA, if the date of commencement of commercial operations extends beyond four (4) years from the original DCCO.

In case date of commencement of production is delayed due to other reasons beyond the control of promoter, other court cases, an infrastructure project loan will be classified as NPA, if the date of commencement of commercial operations extends beyond three (3) years from the original DCCO.

Non-infrastructure project loan will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within six months from the original DCCO, even if is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset'.

In case of non-infrastructure projects, if the delay in commencement of commercial operations extends beyond the period of six months from the date of completion as determined at the time of financial closure, banks can prescribe a fresh DCCO, and retain the "standard" classification, provided the fresh DCCO does not extend beyond a period of twelve months from the original DCCO.

"अनियमित" की स्थिति

यदि बकाया शेष, लगातार 90 दिनों से अधिक अवधि तक मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहे तो उस खाते को अनियमित समझा जाता है। यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष, मंजूरी सीमा / आहरण शक्ति से कम हो किंतु तुलन पत्र की तारीख से लगातार 90 दिनों तक उसमें जमा न दिया गया हो या उसमें इतने रूपए जमा नहीं पड़े हों जिससे उसी अवधि में ब्याज नामे किया जा सके-तो ऐसे खातों को अनियमित समझा जाता है।

"अतिदेय"

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत कोई भी बकाया राशि यदि निर्धारित देय तारीख को नहीं चुकायी जाती तो उसे अतिदेय, समझा जाता है।

अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया पड़ा होता है वहाँ बैंक उन प्रतिभूतियों पर आय नहीं जोड़ता और निवेश के मूल्य में ह्रास का समुचित प्रावधान करता है।

अनर्जक ऋण की तरह अनर्जक निवेश ऐसा निवेश होता है जहाँ :

(i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता के पश्चात प्राप्त राशि) बकाया रहती है और 90 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी उसे नहीं चुकाया जाता।

(ii) यथोचित् परिवर्तन सहित यही बात अधिमानी शेयरों पर भी लागू होती है जहाँ निश्चित लाभांश नहीं दिया जाता।

(iii) ईक्विटी शेयर के मामले में यदि किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया गया है और उस कंपनी का अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश के अनुरूप उसका मूल्य प्रति कंपनी ₹1 माना जाता है और उन ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश समझा जाएगा।

(iv) जारीकर्ता द्वारा लिया गया कोई भी ऋण यदि बैंक के खाते में अनर्जक हो जाता है तो उस जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को अनर्जक निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को अनर्जक आस्ति समझा जाता है।

(v) ऋण की प्रकृति के डिबेंचर्स/बॉन्ड्स में निवेश, निवेश पर लागू होने योग्य अनर्जक निवेश (एनपीआई) के मानदंड की शर्तो के अधीन होते है।

- **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

अपनी ऋण नीति के रूप में बैंक ने अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढांचा बना रखा है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में इसे भेजा जाता है। इन वर्षो में नई अवधारणाओं और वास्तविक अनुभवों के परिणाम स्वरूप संबंधित नीति और पद्धतियाँ परिमार्जित हुई है। यह नीति और ये पद्धतियों बेसेल-II के निर्धारित दिशा-निर्देशों से जुड़ी है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित नीति का परिचालन प्रबंधन के आशानुरूप हो रहा है और सर्वोच्च प्रबंधन की रणनीतियों परिचालन के स्तर तक सार्थक साबित हो रही हैं कि नहीं। इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उस पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवता में कोई अनुचित गिरावट न आए। साथ ही समग्रत: उस आस्ति की गुणवता में लगातार सुधार हो।

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-Performing Investments

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

(i) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

(iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.

(iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.

(v) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

- **Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy**

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system, as a part of its Lending Policy, which is reviewed from time to time and circulated to all branches/ Regional Offices/ departments at Head Office. Over the years the policy & procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II Guidelines.

The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy aims at ensuring that there is no undue deterioration in quality of individual assets within the portfolio. Simultaneously, it also aims at continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level,

यह सुधार, ऋण दिए जाने के आधारभूत मानक, समीक्षा की दक्षता, प्रलेखीकरण के स्तर और संस्थान के हित के प्रति चेतना और रणनीति की दिशा में एक सामूहिक नजरिया स्थापित करते हुए करना है और लोच तथा नवोन्मेष के लिए पर्याप्त गुंजाइश भी छोड़नी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण निवेश की पहचान, उसकी समीक्षा, उसकी माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उनके परिशोधन पर प्रचुर बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा हो सके और यह विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिमों-जैसे वित्तीय, व्यवसाय, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है जिसमें प्रत्येक के लिए अलग-अलग अंक रखे गए हैं।

ऋण जोखिम की माप के तहत निवेश की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से विभागीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके; जैसे कंपनियों, कंपनी समूहों, उद्योगों, संपार्श्विक प्रकार और भूगोल के बीच विविध आयामी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और जोखिम को केंन्द्रीकृत होने से बचाने के लिए इस बैंक में व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ता, उद्योगवार निवेश सीमा और पूंजी बाजार, स्थावर संपदा औदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गनिर्दश निर्धारित किए गए है। यह बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह परिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार दांचे का अनुपालन करता है।

यह बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं-जैसे समीक्षा, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग ऋण सुविधा की समीक्षा और उनका नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋण प्रबंधन, ऋण की मॉनिटरिंग, ऋण समीक्षा मैकेनिज़म आदि के प्रसंस्करण और नियंत्रण का काम करता है।

नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्यन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्यन किया जा सके। पोर्टफोलियो के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं-जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के प्रादर्श का अनुपालन; जोखिम का स्तर जैसे अल्प, मध्य, अधिक और तदनुरूपी प्रतिफल एवं एनपीए स्तर आदि।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति को भी लागू किया गया है। नीति के अनुरूप बैंकिंग बही में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम ऋण जोखिम, पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही आधार पर किया जाता है। बैंक की यह पूंजी समय-समय पर विश्लेषित ऐसे तनाव की स्थितियों में पर्याप्त पाई गई।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक जोखिम वर्गीकरण बदलाव (रिस्क टेंकिंग माइग्रेशन) पर विश्लेषण करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित निवेश के मानदंड की छमाही समीक्षा भी करता है। बैंक ने इक्रा मैनेजमेंट एंड कंसलटेंसी सर्विसेस के तकनीकी सहयोग से उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित के संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय के बतौर काम करती है।

by establishing a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies, while leaving enough room for flexibility and innovation.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Portfolio analysis of major industries/sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry/sector on the credit portfolio of the Bank and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

Stress Testing Policy duly approved by the Board of Directors has been put in place. Stress Testing, as per the policy, on Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Foreign Exchange Risk, Credit Risk - impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on half-yearly basis. The capital maintained by the Bank is found to be adequate under such Stressed conditions as analyzed from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI/Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model with the technical assistance of ICRA Management and Consultancy Services (IMaCS) for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

ग) परिमाणात्मक प्रकटीकरण
c) Quantitative Disclosures:

(₹ करोड़ में) / ₹ in cr.)

	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
ख) कुल सकल ऋण निवेश b) Total gross credit exposures	63873.01	6914.41	70787.41
ग) निवेश का भौगोलिक वितरण (c) Geographic distribution of exposure			
विदेश / Overseas	NIL	NIL	NIL
अपने देश में / Domestic	63873.01	6914.41	70787.41

घ) निवेश का औद्योगिक प्रकार
(d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ करोड़ में) / ₹ in cr.)

कूट सं. Code	निवेश का औद्योगिक प्रकार Name of the Industry	निधि आधारित बकाया Fund Based Outstanding	गैर-निधि आधारित बकाया Non-Fund Based Outstanding
1	कोयला / Coal	-	-
2	कोयला सहित खान / Mining including Coal	18.41	0.00
3	लौह एवं इस्पात / Iron & Steel	5219.85	372.41
4	धातु एवं उत्पाद / Metal Products	328.51	7.06
5	सभी इंजीनियरिंग / All Engineering	1801.68	269.19
5.1	इसमें से इलेक्ट्रोनिकस / Of which Electronics	341.60	7.53
5.2	इसमें से वाहन, वाहनों के पुर्जे और यातायात उपकरण Of which Vehicle/Vehicle Parts & Transport Equipment	537.86	143.41
5.3	इंजीनियरिंग एवं अन्य / Engineering Others	922.22	118.25
6	विद्युत / Electricity	-	-
7	सूती वस्त्र / Cotton Textiles	474.79	0.26
8	जूट वस्त्र / Jute Textiles	42.98	0.07
9	अन्य वस्त्र / Other Textiles	832.59	9.15
10	चीनी / Sugar	29.08	0.07
11	चाय / Tea	77.78	0.00
12	खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	671.88	8.96
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति / Vegetable Oil & Vanaspati	59.94	0.22
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद / Tobacco & Tobacco Products	486.07	1.88
15	कागज एवं कागज उत्पाद / Paper & Paper Products	99.69	1.52
16	रबड़ एवं इसके उत्पाद / Rubber & Rubber Products	153.09	17.43
17	आधारभूत संरचना / Infrastructure	10626.03	1149.04
17.1	इसमें से उर्जा / Of which Power	7260.86	519.19
17.2	इसमें से टेलीकम्यूनिकेशंस / Of which Telecommunications	869.82	59.80
17.3	इसमें से सड़क एवं पोत / Of which Roads & Ports	2495.35	570.05
18	सीमेंट / Cement	909.31	28.23
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद / Leather & Leather Products	214.66	0.88
20	रत्न एवं जवाहरात निर्माण / Gems & Jewellery	307.70	69.16
21	निर्माण / Construction	786.38	337.14
22	पेट्रोलियम / Petroleum	85.30	26.57
23	ट्रक सहित ओटोमोबाइल / Automobiles including Trucks	-	-
24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	111.58	0.07
25	रसायन, रंगाई एवं रंग (पेंट) / Chemical, Dyes, Paints etc.	2438.70	46.29
25.1	इसमे से उर्वरक / Of which Fertilizers	292.33	0.00
25.2	इसमें से पेट्रो रसायन / Of which Petro-chemicals	1798.30	42.41
25.3	इसमें से औषधि एवं फर्मास्यूटिकल्स / Of which Drugs & pharmaceuticals	348.07	3.81
26	अन्य उद्योग / Other Industries	4871.70	2618.48
27	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	7422.80	438.88
28	अवशिष्ट अन्य ऋण (सकल ऋण के साथ समतुल्य) / Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	25802.51	1511.53

- निम्नलिखित उद्योग में 31.03.2012 तक निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश कुल निधि एवं गैर-निधि आधारित निवेश का 5% से अधिक है।

- Fund-based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund- based and total non-fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2012

क्रम सं. Sl.No.	निधि आधारित निवेश Fund Based (FB) Exposure		क्रम सं. Sl.No.	गैर-निधि आधारित निवेश Non-Fund Based (NFB) Exposure	
	उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल निधि आधार का प्रतिशत (%) % of total FB		उद्योग का नाम Name of the Industry	कुल गैर-निधि आधार का प्रतिशत (%) % of total NFB
1	लौह एवं इस्पात / Iron & Steel	8.17	1	लौह एवं इस्पात / Iron & Steel	5.38
2	आधारभूत संरचना / Infrastructure	16.64	2	आधारभूत संरचना / Infrastructure	16.62
2.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	11.37	2.1	उसमें से उर्जा / Of which Power	7.51
3	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	11.62	3	एनबीएफसी एवं ट्रेडिंग / NBFC & Trading	6.35

ङ आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग - अलग विवरण

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(₹ in cr.)

	प्रथम दिन Day 1	2-7 दिन 2to7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीना 29 days to 3 months	3 माह से 6 माह तक Over 3 months & upto 6 mths	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
ऋण Advances	1729.64	4358.75	863.38	275.29	5123.35	4229.48	4337.00	24122.36	8076.18	9927.86	**63043.29**
निवेश Investments	26.92	328.26	24.45	239.65	949.46	389.04	921.51	3891.08	3977.08	18311.35	**29058.80**
विदेशी मुद्रा आस्ति Foreign Currency Assets	1373.64	623.17	43.07	79.79	3287.80	1400.50	1241.32	0.00	0.00	0.00	**8049.29**

च) अनर्जक आस्ति (एनपीए) (सकल) (₹ करोड़ में)

वर्ग	राशि
अवमानक	1029.88
संदिग्ध – 1	484.02
संदिग्ध – 2	603.11
संदिग्ध – 3	41.82
हानि	17.59
कुल	2176.42

(f) Amount of NPAs (Gross) (₹ in cr.)

Category	Amount
Sub Standard	1029.88
Doubtful – 1	484.02
Doubtful – 2	603.11
Doubtful – 3	41.82
Loss	17.59
TOTAL	2176.42

(₹ करोड़ में)

छ) शुद्ध अनर्जक आस्ति	1075.55

(₹ in cr.)

(g) Net NPAs	1075.55

ज) अनर्जक आस्ति अनुपात	(प्रतिशत में)
क) सकल ऋण की सकल अनर्जक आस्तियों	3.41
ख) शुद्ध ऋण की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ	1.72

(h) NPA ratios	(in %)
(a) Gross NPAs to Gross Advances	3.41
(b) Net NPAs to Net Advances	1.72

झ) सकल एनपीए में उतार – चढ़ाव	(₹ करोड़ में)
(क) इस वर्ष के आरंभ में अथ: शेष	1355.78
(ख) इस वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	1964.22
(ग) इस वर्ष हुई कमी	1143.58
(घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख) – (ग)	2176.42

ञ) एनपीए हेतु प्रावधान में कमी – वृद्धि	(₹ करोड़ में)
(क) इस वर्ष के आरंभ में अध: शेष	598.37
(ख) इस वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	689.95
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	232.85
(घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख) – (ग)	1055.47

(₹ करोड़ में)

(ट) अनर्जक निवेश की राशि	60.01

(₹ करोड़ में)

(ठ) अनर्जक निवेश के कारण प्रावधान की गई राशि	29.83

(ड) निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान की कमी – वृद्धि	(₹ करोड़ में)
(क) इस वर्ष के आरंभ में अथ: शेष	149.92
(ख) इस वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	183.62
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टा खाते डालना/प्रतिलेखा	145.63
(घ) इस वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख) – (ग)	187.91

(i)Movement of gross NPA	(₹ in cr.)
a) Opening balance at the beginning of the year	1355.78
b) Additions during the year	1964.22
c) Reductions during the year	1143.58
d) Closing balance at the end of the year (a+b-c)	2176.42

(j) Movement of provision for NPAs	(₹ in cr.)
a) Opening balance at the beginning of the year	598.37
b) Provisions made during the year	689.95
c) Write-off/write-back of excess provisions	232.85
d) Closing balance at the end of the year (a+b-c)	1055.47

(₹ in cr.)

(k) Amount of non-performing investment	60.01

(₹ in cr.)

(l) Amount of provision held for non-performing investment	29.83

(m) Movement of provisions for depreciation on investments	(₹ in cr.)
i) Opening balance at the beginning of the year	149.92
ii) Provisions made during the year	183.62
iii) Write-off / write-back of excess provisions	145.63
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	187.91

सारणी डीएफ-5
ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो का प्रटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए

- साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) करने वाली एजेंसियों के नाम तथा उसमें यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका कारण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के घरेलू निवेशों की रेटिंग हेतु केयर (सीएआरई), क्राइसिल (सीआरआईएसआईएल), इक्रा (आईसीआरए) एवं फिच (एफआईटीसीएच) इंडिया जैसी अनुमोदित घरेलू बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरएएस) की पहचान की गई है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल पूंजी संगणना के लिए किया जाता है।

- निवेश के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है

(i) एक वर्ष से कम या एक वर्ष के संविदात्मक परिपक्वता निवेश हेतु (कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी (रिवॉल्विंग) ऋणों को छोड़कर) इक्रा द्वारा समनुदेशित अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

(ii) घरेलू नकदी उधार, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी उधारों (अवधि-निरपेक्ष) के लिए तथा। वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वता वाले मीयादी ऋण निवेशों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

TABLE DF-5
Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Qualitative Disclosure

(a) For portfolios under the standardized approach

- Names of credit rating agencies used, plus reasons for any changes:

As per the RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India, approved domestic External Credit Rating Agencies (ECRAs), for the purpose of rating the Domestic Exposures, whose ratings are used for the purpose of capital calculation

- Types of exposure for which each agency is used:

(i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short Term Ratings assigned by ECRAs is used.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures with a contractual maturity of over 1 year, Long Term Ratings is used.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		(₹ करोड़ में)
(ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक के अर्जक ऋणों एवं अग्रिमों (श्रेणी निर्धारित) का बकाया	● 100% जोखिमभार से कम	32903.21
	● 100% जोखिमभार	19408.02
	● 100% जोखिमभार से अधिक	5811.33
	● कटौती	0.00

सारणी डीएफ-6
ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो का प्रटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मदें शामिल है:

- वे नीतियाँ और पद्धति और इसका एक संकेत कि बैंक कहाँ तक इनका उपयोग तुलन-पत्र तैयार करते समय करता है।
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ।

नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है। (क) बेसेल II की भावना / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विक के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, (ख) बेसेल II भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरूद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट-छाँट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है।

- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार है: (क) बैंक जमा (ख) एनएससी/केवीपी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी।

- **गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यता**

सीआरएआर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार निम्नांकित है।

(क) केंद्रीय सरकार गारंटी (0%) (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सीजीटीएमएसई (0%) (घ) ईसीजीसी (20%) (ङ) साख पत्र के अंतर्गत क्रय किया गया/रियायती बिल (20% या विदेशी बैंक की रेटिंग के अनुरूप)

- अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम सकेंद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख)

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं और बाजार की अस्थिरता का इन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

Quantitative Disclosures:		(₹ in cr.)
b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, outstanding amount of bank's performing loans & advances (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted	● Below 100 % risk weight:	32903.21
	● 100 % risk weight:	19408.02
	● More than 100 % risk weight:	5811.33
	● Deducted	0.00

TABLE DF-6
Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of on- and off-balance sheet netting:
- Policies and processes for collateral valuation and management:

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of (a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel-II/RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel-II/RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- Description of the main types of collateral taken by the bank:

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii)Life Insurance Policies

- Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bills purchased/discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign Banks).

- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) अलग-अलग प्रकटीकृत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश जो काट-छाँट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्थित हैं (बाद में जहाँ लागू होने योग्य, ऑन एंड ऑफ बैलेसशीट नेटिंग)	4324.47
(ग) अलग-अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा समर्थित है (भा. रि. बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है) बाद में जहाँ लागू होने योग्य हैं, ऑनएंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)	4773.12

सारणी डीएएफ-7
प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की जरूरत निम्नलिखित पर विचार सहित है:

- प्रतिभूतिकरण विषयक कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य जिसमें वह सीमा भी शामिल है जिसे ये कार्यकलाप सन्निहित प्रतिभूति-निवेशों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित करते हैं।
- प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अन्य सन्निहित जोखिमों (जैसे नकदीकरण जोखिम) की प्रकृति
- प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिका (लागू नहीं जैसे प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि सुविधादाता, नकदीकरण सुविधादाता, अदला-बदली सुविधादाता, संरक्षण सुविधादाता) और इन सभी कामों में बैंक की सक्रियता की सीमा का संकेत)
- प्रतिभूतिकरण निवेश के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन के प्रेक्षण की जगह इस प्रक्रिया का वर्णन (उदाहरणार्थ 1 जुलाई, 2009 को एनसीएएफ पर जारी मानक परिपत्र के पैरा 5.16.1 में दी गई परिभाषा के अनुरूप, सन्निहित आस्तियों का व्यवहार किस तरह प्रतिभूतिकरण निवेश को प्रभावित करता है)
- ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की नीति के उपयोग का विवरण ताकि प्रतिभूतिकरण निवेश के माध्यम से धारित जोखिम को कम किया जा सके;
- नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप यदि अनुमति दी गई हो तो बैंक ने ब्याज दर की अदला बदली के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण संरचना को सहायता उपलब्ध कराया हो सकता है ताकि सन्निहित आस्ति की ब्याज दर/मुद्रा जोखिम को कम कर सके।
- नियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यदि अनुमति दी गई हो तो गारंटी के जरिए ऋण व्युत्पन्नों के जरिए या ऐसे किसी अन्य उत्पाद के जरिए बैंक किसी प्रतिभूतिकरण लेन-देन को ऋण संरक्षण दे सकता है।

(ख) प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप हेतु बैंक की लेखा नीति का सारांश जिसमें निम्नांकित बातें शामिल है:

- लेन-देन को विक्रय समझा गया या वित्तपोषण
- पद्धतियाँ और महत्वपूर्ण पूर्वानुमान (निवेश सहित) जो धारित या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन के लिए लागू किए गए हैं;
- पूर्ववर्ती अवधि से इस अवधि में पद्धतियों और महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इस परिवर्तन के प्रभाव;
- तुलन-पत्र देयता के निर्धारण की नीति हेतु व्यवस्था जिसकी जरूरत बैंक को अपनी प्रतिभूतिकृत आस्तियों की वित्तीय सहायता के लिए वांछनीय थी।

(ग) बैंकिंग बही में इसीएआई का उपयोग प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूतिकरण निवेश के प्रकार के लिए किया गया है जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई है।

} लागू नहीं

Quantitative Disclosures:	(₹ in cr.)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	4324.47
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	4773.12

TABLE DF-7
Securitisation: disclosure for standardised approach

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:

- the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
- the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;
- the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;
- a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009).
- a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;
- Bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.
- Bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.

(b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:

- whether the transactions are treated as sales or financings;
- methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased
- changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;
- policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.

(c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

} NOT APPLICABLE

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही के लिए

(घ) बैंक द्वारा कुल निवेश राशि का प्रतिभूतिकरण किया गया है।

(ङ) प्रतिभूतिकृत निवेशों के लिए चालू अवधि में हानि की पहचान किए गए निवेश के प्रकार द्वारा खंडित (अर्थात् क्रेडिट कार्ड हाउसिंग ऋण, ओटो ऋण इत्यादि) निर्धारित प्रतिभूति द्वारा वर्णित है।

(च) एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि।

(छ) (च) के, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई आस्तियों की राशि।

(ज) प्रतिभूतिकृत निवेशों की कुल राशि (निवेश के प्रकार द्वारा) तथा निवेश प्रकार द्वारा विक्रय पर पहचान नहीं किए गए लाभ और हानि।

(झ) निम्नलिखित की औसत राशि

- निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र पर प्रतिभूतिकरण निवेश प्रतिधारित अथवा किए गए क्रय
- निवेश प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर प्रतिभूतिकरण निवेश

(ञ)
- प्रतिधारित अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि तथा संबद्ध पूंजी प्रभार एवं प्रत्येक नियामक पूंजी दृष्टिकोण हेतु विभिन्न जोखिम भारित में निवेश में खंडित एवं जोखिमभारित में पुन: खंडित।
- निवेश, जिनकी कटौती पूर्णत: टायर-1 पूंजी से की गई है, कुल पूंजी से काटे गए ऋण वर्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से काटे गए अन्य निवेश (निवेश के प्रकार द्वारा)

(घ) से (ञ): शून्य

व्यापार बही के लिए

(ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत निवेशों की कुल राशि, जिसके लिए बैंक ने बैंक के कुछ निवेशों को रखा है एवं जो निवेश प्रकार द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अंतर्गत है।

(ठ) कुल राशि का:

- तुलन पत्र में धारित रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेश या निवेश के प्रकार द्वारा खरीद या खंडित एवं
- निवेश के प्रकार द्वारा खंडित तुलन पत्र के बाहर प्रतिभूतिकरण निवेश

(ड) अलग-अलग खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेशों की कुल राशि

- विशिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय को ध्यान में रखकर खरीदे या रखे गए प्रतिभूतिकरण निवेश के लिए एवं
- विभिन्न जोखिम भारित बैंडों में विशिष्ट जोखिम खंडित मदों के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचों को ध्यान में रखकर प्रतिभूतिकरण निवेश

(द) कुल राशि का:

- विभिन्न जोखिम आधारित बैंडों में खंडित प्रतिभूतिकरण ढांचों को ध्यान में रखकर प्रतिभूतिकरण निवेशों के लिए पूंजी आवश्यकता
- प्रतिभूतिकरण निवेश, जो समस्त रूप में टायर-1 पूंजी से घटाया जाता है, ऋण वृद्धि आई/ओ, जो कुल पूंजी से घटाया जाता है एवं अन्य निवेश, जो कुल पूंजी से घटाया जाता है (निवेश प्रकार द्वारा)

(ट) से (द): शून्य

Quantitative Disclosures

For Banking Book

(d) The total amount of exposures securitised by the bank.

(e) For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)

(f) Amount of assets intended to be securitised within a year

(g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.

(h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.

(I) Aggregate amount of:

- on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and
- off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type

(j)
- Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.
- Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

(d) to (j): **NIL**

For Trading Book

(k) Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.

(l) Aggregate amount of:

- on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and
- Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.

(m) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchase separately for:

- securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and
- Securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.

(n) Aggregate amount of:

- The capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.
- securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital(by exposure type).

(k) to (n): **NIL**

सारणी डीएएफ-8
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) पोर्टफोलियो सहित बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता मानक दृष्टिकोण द्वारा चालित है।

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे-ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ईक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार-चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है उपार्जन एवं ईक्विटी पर होने वाली हानि के प्रभाव को कम करना।

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है। उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोटिंग मानदंडों पर आधारित होती है जैसे कि आशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध खुली स्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य (वीएआर) इत्यादि।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याज दर जोखिम	200.71
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	61.27
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	1.35

सारणी डीएएफ-9
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

- सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जरूरत-परिचालन जोखिम पूंजी आकलन के लिए वह दृष्टिकोण, जिसके मानकों को बैंक पूरा करता है:

आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त होने अथवा आंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीतिक जोखिम एवं साख जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों के परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें है: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी), (ग) काले धन को वैध बनाने के विरूद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि।

बैंक द्वारा अपनाए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढांचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन से संगठनात्मक ढांचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है दैनंदिन जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पद्धति को मजबूती से

TABLE DF-8
Market Risk in trading book

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest rate related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the Market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices

Quantitative disclosures	(₹ in cr.)
(b) The capital requirements for:	
• Interest rate risk:	200.71
• Equity position risk:	61.27
• Foreign exchange risk:	1.35

TABLE DF-9
Operational Risk

Qualitative disclosures

- General qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security, (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by

एकाकार करना। यह काम जोखिम की प्रभावी पहचान करके, समीक्षा करके, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और नियंत्रण कायम करके/परिचालनगत जोखिम को कम करके और परिचालनगत जोखिम निवेश तथा तथ्यात्मक परिचालनगत जोखिम की सूचना समय रहते देकर किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढांचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी निर्धारण के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। तदनुसार 31.03.2012 को परिचालन जोखिम पूंजी हेतु रू. 310.99 करोड़ की आवश्यकता थी।

सारणी डीएएफ-10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बही (आई.आर.आर.बी.) में ब्याज दर जोखिम की प्रवृत्ति सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए तथा ऋण भुगतान एवं पूर्वानुमान, गैर-परिपक्व जमाराशियों के व्यवहार तथा आई आर आर बी माप की आवृत्ति सहित पूर्वानुमान।

ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार-चढ़ाव। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण की राशि एवं निवेश शामिल होता है। बाहरी कारकों में शामिल हैं-सामान्य आर्थिक स्थितियाँ। ब्याज की बढ़ती या घटती दर बैंक के तुलन-पत्र पर अपना असर डालती है। ब्याज दर में जोखिम बैंक के तुलन पत्र में आस्ति और देयता दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से जोखिम और प्रतिफल, निधियन और अभिनियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर का निर्धारण तथा बैंक के निवेश क्रिया कलापों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करती है। बैंक, बदलती ब्याज दर से जुड़े जोखिम की पहचान करता है यानी उपार्जन जोखिम, जिसका अभिकलन परंपरागत अंतर्विश्लेषण के आधार पर स्थिर स्थिति में किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए जो विनिर्देश दिए हैं उसके अनुरूप इसकी मॉनिटरिंग मासिक अंतराल पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण के जरिए की जाती है। यह विवरण प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाता है। तदनुरूप आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रबंधन पद्धति के अनुसार आईआरआरबीबी की माप के लिए बढ़ती-घटती दर जोखिम पर अर्जन वृद्धि (कमी) का आधार है।

बैंकिंग बही मे ब्याज दर

	ब्याज दर में परिवर्तन	एन आई आई में परिवर्तन
जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	1.00% की वृद्धि	**125.94**
	1.00% की कमी	**(-) 125.94**

clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling/ mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational risk losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the *Basic Indicator Approach* for computing capital charge for Operational Risk. Accordingly, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2012 is ₹310.99 cr.

TABLE DF-10
Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates i.e. Earnings at Risk, which is computed based on the Traditional Gap Analysis on a static position.

Further, RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity to be prepared as on last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings at risk for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB.

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK

	Interest Rate	Change in NII
Earnings At Risk (EAR)	Up by 1.00%	**125.94**
	Down by 1.00%	**(-) 125.94**

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय; युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी : कोलकाता-700001
प्रिय शेयरधारक,

विषय : इलेक्ट्रोनिक धन प्रेषण सुविधा के जरिए लाभांश का भुगतान।

यदि आपने अभी तक हमारे रजिस्ट्रार मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अथवा डी मैट धारी हों तो अमानतदार सहभागी को अपने बैंक खाते का विवरण नहीं भेजा हो तो हम निवेदन करते हैं कि आप इसे नीचे दिए गए प्ररूप में दें ताकि लाभांश की घोषणा होते ही हम उसे तुरत, सुरक्षित रूप से और सही-सही आपके खाते में भेज सकें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार / अमानतदार सहभागी को दिया गया संबंधित विवरण बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आपका लाभांश किसी और के खाते में जमा हो जाएगा।

इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा लाभांश अधिपत्र (वारंट) पर छपे नामित बैंक खाते के जरिए लाभांश का भुगतान, आपके लाभांश-अधिपत्र का कपटपूर्वक नकदीकरण रोक देता है। इस काम में आप हमें सहयोग दें ताकि हम आपको बेहतर सेवा दे सकें।

भवदीय

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इलेक्ट्रोनिक माध्यम से धनप्रेषण हेतु अधिदेश / बैंक खाते विवरण देने के लिए आवेदन का प्रपत्र

में/____ युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया को प्राधिकार देता / देती हूँ / देते हैं कि

- निम्नलिखित विवरण आप मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर छाप दें।
- मेरे लाभांश की राशि को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से धन प्रेषण के जरिए सीधे मेरे खाते में जमा कर दें।

(उपर्युक्त दोनों में से जो विकल्प आप पर लागू न हो, उसे काट दें।) मेरी/हमारी फोलियो संख्या ________________

डी पी आई डी ____________________ ग्राहक पहचान ________________

बैंक खाते का विवरण

क. बैंक का नाम : ______________________________

ख. शाखा का नाम : ______________________________

ग. शाखा का पता : ______________________________

घ. एम आई सी आर पर छपी बैंक और शाखा की
नौ अंकों की कूट संख्या : ______________________________

ङ. आईएफएससी कोड

च. खाता का प्रकार : बचत/चालू ______________________

छ. चेक पर छपी खाता संख्या : ______________________________

ज. शेयरधारक का एस टी डी कोड एवं टेलीफोन नम्बर : ______________________________

यदि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से धन प्रेषण सुविधा लागू न हो सकी या बैंक ने किसी कारण से यह सेवा रोक दी तो मैं / हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे।

____
(शेयरधारक के हस्ताक्षर)

इसे निम्नलिखित पते पर भेजे :
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
59 सी, चौरंगी रोड, तीसरा तल
कोलकाता-700020

- कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की एक फोटोकॉपी या रिक्त और रद्द किए हुए चेक का एक पन्ना अपने इस अधिदेश के साथ संलग्न करके भेजें ताकि हम नौ अंकों की कूट संख्या की यथार्थता की जाँच कर सकें।
- यदि आप डी मैट रूप में शेयर धारण करते हों तो कृपया अपने अमानतदार सहभागी को अपने बैंक खाते के विवरण एम आई सी आर/आई एफ एस सी कोड को नोट कर लेने के लिए लिखें।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700 001

Dear Shareholders,

Re : Payment of Dividend through Electronic Remittance Facilities

In case you have not already sent the Bank Account particulars to our Registrar, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. or to your Depository participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the same in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrar/Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to a wrong account.

Payment of Dividend through electronic remittance facilities and/or to the designated Bank Account which appears on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavour to serve you better.

Yours faithfully,

For United Bank of India

Authorised Signatory

FORM FOR ELECTRONIC REMITTANCE MANDATE/BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We ____ do hereby authorize United Bank of India to

- Print the following details on my/our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank Account by electronic remittance facilities.

(Strike out whichever is not applicable) My/Our Folio No. _________________

DP ID _____________________ Client ID ________________

Particulars of bank Account

A. Bank Name : ________________________________

B. Branch Name : ________________________________

C. Branch Address : ________________________________

D. 9 digit Code No. of the Bank & Branch as
appearing on the MICR cheque : ________________________________

E. IFSC Code : ________________________________

F. Account type : Savings/Current____________________

G. Account No. as appearing on the Cheque : ________________________________

H. STD Code & Telephone No. of the Shareholder : ________________________________

I/We shall not hold the bank responsible if the electronic remittance could not be implemented or the Bank discontinues the electronic remittance for any reason.

____

(Signature of Shareholder)

Mail to : Link Intime India Pvt. Ltd.
Unit : United Bank of India
59C, Chowringhee Road, 3rd Floor
Kolkata - 700 020

- Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your account for verifying the accuracy of the nine digit MICR/IFSC Codes.
- In case you are holding the shares in demat form, kindly advise your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय; युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700001

फार्म - ख

प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का फार्म
(शेयर धारक द्वारा भरा जाना एवं हस्ताक्षरित होना है)

पंजीकृत फोलियो नं ________________________
(वैसे शेयरों के लिए जो डीमेट फार्म में नहीं हैं)

डी पी आईडी _________________ क्लाइंट आईडी _______________
(वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फार्म में हैं)

मैं / हम ______________________________ निवासी ____________________________________ जिला_____________________________________ राज्य ___________________________ युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयर धारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा श्री/श्रीमती __________________________ निवासी ____________________________ जिला _____________________________________ राज्य______________________________________ या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती _______________________ निवासी ______________________________ जिला ____________________________ राज्य ______________________________________ को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक 28 जून, 2012 दिन शुक्रवार को भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, बैंक के शेयर धारकों की होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे / हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त करता/करती हूँ / करते हैं।

दिनांक _______________ 2012 _________________ को इस पर हस्ताक्षर किया।

कृपया एक रसीदी टिकट चिपकाएं। रसीदी टिकट

____
प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

____
प्रथम /एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : __________________________________

पता : __________________________________
____
____

नोट : पूरी तरह से भरे एवं हस्ताक्षर किए हुए प्रतिनिधि का फार्म बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार, दिनांक 23 जून 2012 को कारोबार के समय की समाप्ति तक शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 में पहुँच जाना चाहिए।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY
(To be filled in and signed by the shareholder)

Registered Folio No. ________________________
(for shares not in demat form)

DP ID : _________________ Client ID : _______________
(for shares in demat form)

I / We ___________________________________ resident of ____ in the district of _______________________________________ in the state of ____, being a shareholder/ shareholders of United Bank of India hereby appoint Sri/Smt. ____ resident of ____ in the District of ____ in the State of ____, or failing him, Sri/Smt. _____________________________________ resident of ____ in the District of ____ in the State of _______________________________________, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 3rd Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Thursday, 28th June, 2012, at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata – 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed ___________ Day of _________________ 2012

Revenue
Stamp

____
Signature of the Proxy

____
Signature of the first/sole holder

Name : ___________________________________

Address : ___________________________________

____

____

Note : Proxy forms duly filled in and signed must reach the Share Department & Investors Grievance Cell, at the Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700 001 not later than four days prior to the date of the meeting, i.e. on or before the closing business hours of Saturday, the 23rd June 2012.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय; युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता–700001

उपस्थिति पर्ची

में/हम एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति शुक्रवार, 28 जून, 2012 पूर्वाह्न 10.30 बजे, वृहस्पतिवार को भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता–700027 में युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक सामान्य बैठक में दर्ज करता हूँ / करते हैं / करती हूँ /हैं।

पंजीकृत फोलियो सं. : डी पी आई डी : क्लाइंट आईडी :	शेयरों की सं. :
सदस्य का नाम : प्रतिनिधि का नाम :	
सदस्य का हस्ताक्षर	प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया, पूरी तरह से भरी गई पर्ची अपने साथ लाना याद रखें एवं आडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर उसे सौंप दे। कृपया, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भी अपने साथ लाएं।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA 700 001

ATTENDANCE SLIP

I/We hereby record my/our presence at the 3rd Annual General Meeting of United Bank of India at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata – 700 027 on Thursday, June 28th, 2012 at 10.30 a.m.

Registered Folio No. : DP ID : Client ID :	Number of Shares :
Name of the Member : Name of the Proxy :	
Signature(s) of the Member(s)	Signature(s) of the Proxy

Note : Please remember to bring the attendance slip with you duly filled-in and hand it over at the entrance of the Auditorium. Please also bring a copy of the Annual Report.

नोट्स / Notes

उप-महाप्रबंधकगण DY. GENERAL MANAGERS

श्री पार्थसारथी दासगुप्ता	Shri Parthasarathi Dasgupta
श्री प्रबाल कांति मैत्र	Shri Prabal Kanti Maitra
श्री अपरेश कुमार मित्रा	Shri Aparesh Kumar Mitra
श्री मानस कुमार चौधुरी	Shri Manas Kumar Chaudhuri
श्री के. एस. नागराज	Shri K. S. Nagaraj
श्री प्रसून कुमार साहा	Shri Prasun Kumar Saha
श्री विकास कुमार मंडल	Shri Bikas Kumar Mondal
श्री देवाशीष दास गुप्ता	Shri Debasish Das Gupta
श्री बलराम मंडल	Shri Balaram Mandal
श्री अजीत कुमार सेन	Shri Ajit Kumar Sen
श्री असीम कुमार चक्रवर्त्ती	Shri Asim Kumar Chakraborti
श्री फैजुर रहमान चौधुरी	Shri Faizur Rahaman Choudhury
श्री अनुप कुमार सेन गुप्ता	Shri Anup Kumar Sen Gupta
श्री प्रफुल्ल कुमार पाति	Shri Prafulla Kumar Pati
श्री सुमंत घोष	Shri Sumanta Ghosh
श्री देव गुहा	Shri Deb Guha
श्री बिप्लावादित्य बसु	Shri Biplabaditya Basu
श्री सत्य नारायण साहू	Shri Satya Narayan Sahu
श्री राना मजुमदार	Shri Rana Mazumder
श्री जगदीश पान्डुरंग कुलकर्णी	Shri Jagadeesh Pandurang Kulkarni
श्री काली प्रसन्न पाणिग्रही	Shri Kali Prasanna Panigrahi
श्री मनोज कांति मजुमदार	Shri Monoj Kanti Majumdar
श्री बीरेन कुमार पटनायक	Shri Biren Kumar Patnaik
श्री रमेश कुमार सिंगल	Shri Ramesh Kumar Singal
श्री दिनेश मुशहरी	Shri Dinesh Mushahary
श्री स्वपन कुमार देब	Shri Swapan Kr. Deb
श्री अमरीक सिंह	Shri Amrik Singh
श्री देवव्रत सिन्हा	Shri Debabrata Sinha
श्री रथीन दे	Shri Rathin De
श्री सरोज कुमार नायक	Shri Saroj Kumar Nayak
श्री विकास सीताराम खुटवाड	Shri Vikas Sitaram Khutwad
श्री अलाहारी सेशुबाबू	Shri Alahari Seshubabu
श्री बाला राजू कुंतिला	Shri Bala Raju Kuntilla
श्री नरेश कुमार कपूर	Shri Naresh Kumar Kapoor
श्री मानस धर	Shri Manash Dhar
मोहम्मद अब्दुल वाहिद	Mohammed Abdul Wahid
श्री शुभाशीष विश्वास	Shri Subhasis Biswas
श्रीमती सुनंदा बसु	Smt. Sunanda Basu
श्री राकेश चंद्र नारायण	Shri Rakesh Chandra Narayan
श्री उमेश कुमार राय	Shri Umesh Kumar Roy
श्री विनय गंदोत्रा	Shri Vinay Gandotra
श्री राजेश कुमार अरोड़ा	Shri Rajesh Kumar Arora
श्री राजेश कुमार माधव	Shri Rajeesh Kumar Madhava
श्री संजय चौधुरी	Shri Sanjay Chaudhary
श्री सी. बालाचंद्रन	Shri C. Balachandran
श्रीमती सीमा सिंह (बहल)	Smt. Seema Singh (Bahl)
श्री संजय कुमार	Shri Sanjay Kumar
श्री गौरी प्रसाद शर्मा	Shri Gauri Prosad Sarma
श्री देवाशीष मुखर्जी	Shri Debashish Mukherjee
श्री वी. सुंदरसन	Shri V. Sundaresan

Head Office

"United Tower", 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

www.unitedbankofindia.com